अष्टम माला, खंड 46, अंक 10

मंगलवार, 7 मार्च, 1989

16 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 10, मंगलवार, 7 मार्च, 1989/16 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्याः 163, 164, 167, 169, 170, 172, 173 और 176	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्याः 161, 165, 174, 175 और 177 से 182	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1502 से 1519, 1521 से 1599, और 1601 से 1733	27—182
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	186-187
राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं, सुविधाओं, विशेष भत्तों तथा अन्य सामान्य मामलों संबंधी वेतन समिति	187
तीसरा प्रतिवेदन	
विशेषाधिकार समिति	187
चौथा प्रतिवेदन	

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 190—194

(एक) कॉफी उत्पादकों के लिए पुनर्वित योजना के अंतर्गत ऋण पुर्नभुगतान प्रणाली का पुर्नगठन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ 190

(दो) इंदिरा सागर बांध के प्रस्तावित निर्माण को देखते हुए तलवाडिया और खिरकिया स्टेशनों के बीच रेल लाइन का मार्ग बदले जाने हेतु मध्य रेलवे द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री काली चरण सकरगयेन 190

(तीन) पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुए विश्वव्यापी असंतुलनों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विश्व सम्मेलन आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ 191

(चार) बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए मुहैया किए गए वाहनों का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी 192

(पांच) मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन किए जाने के लिए एक दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका 192

(छः) महानगरों में स्थित कपड़ा मिलों को स्थानांतरित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जाने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 192

(सात) असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भेद्रश्वर तांती 193

(आठ) पत्तनों का वैज्ञानिक ढंग से तलकर्षण किए जाने के लिए एक निगरानी कोष्ठ बनाए ज.ने का आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा 193

विषय	पृष्ठ
रेल बजट, 1989-90——सामान्य चर्चा	194—247
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	194
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	199
श्री बसुदेव आचार्य	202
श्रीमती परभावती गुप्त	208
श्री विजय एन० पाटिल	211
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	213
श्रीमती डा० के० तारा देवी सिद्धार्थ	218
श्री मदन पांडे	220
श्री पराग चालिहा	223
श्री केशवराव पारधी	225
श्री मानकूराम सोढी	228
श्री बनवारी लाल पुरोहित	230
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	231
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	233
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	236
श्री बनवारी लाल बेरवा	240
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	241
प्रो० चन्द्र भानु देवी	243
श्री अजय मुशरान	244

इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद])

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से तथा इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से इंडोनेशिया के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिवस के डिप्टी स्पीकर महामहिम श्री डा० सोयादी तथा इंडोनेशिया के संसदीय शिष्ट मण्डल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

प्रतिनिधि मण्डल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :

1. श्रीमती आर० एच० ए० टूटी जाहरा हामिद शा
2. श्री इर अब्दुरचमन रंगकुटी
3. श्री टी० ए० लिंगा
4. मेजर जनरल (सेवानिवृत) रहरदजी
5. श्रीमती डराह उमरोह मैकफूदजोह
6. श्रीमती क्लेरा सिरोम्पूल टम्बूनान
7. श्री लेंट जॉग, बी० ए०

शिष्ट मण्डल 6 मार्च, 1989 को दिल्ली पहुंचा था । इस समय वह विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं । हम कामना करते हैं कि भारत में उनकी यात्रा शुभ और लाभप्रद हो । उनके माध्यम से हम इंडोनेशिया के महामहिम राष्ट्रपति, संसद और वहां के भिन्न लोगों को अपना अभिनन्दन और शुभकामनाएं भेजते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय

(व्यवधान)

आज मैं देख रहा था कि हाउस में लेडी मैम्बर्स की हाजरी कम है ।

शायद एक ही लेडी मैम्बर उस तरफ बैठी नज़र आ रही है ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, ममता जी इधर बैठी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, ममता जी भी बैठी हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : ममता जी, एक ही काफी हैं, अध्यक्ष महोदय ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए उनका प्रतिनिधित्व कितना भरपूर है !

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने देखा है कि महिला सदस्य क्या कर सकती है !

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको खतरा नहीं होगा, आप फिक्र मत करिये ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें खतरा हो जायेगा, साहब ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में धोखाधड़ी का कथित मामला

[अनुवाद]

163. प्रो० मधु दण्डवते :

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1986 में केन्द्रीय तारघर, ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में धोखाधड़ी के एक मामले का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) मई 1986 में केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के लेखा अधिकारी जब वेतन के उन बिलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिनका भुगतान नहीं हुआ था, उस समय उन्हे कुछ विसंगतियों का पता चला था और तब इस मामले की प्राथमिक जांच की गई थी । लेखा अधिकारी ने अपनी रिपोंट जुलाई, 1986 में प्रस्तुत की थी ।

प्राथमिक जांच रिपोंट के विश्लेषण से पता चलता है कि इस मामले में 68 कर्मचारी (सभा अराजपत्रित) शामिल थे । सक्षम अधिकारी ने नौ (9) कर्मचारियों को भारी दंड के आरोप-पत्र तथा उनसठ (59) कर्मचारियों को साधारण दंड के आरोप पत्र जारी करने का निर्णय किया । इस धोखाधड़ी में आरक्षित प्रशिक्षित पूल (आर टी पी) के 5 कर्मचारी भी शामिल थे तथा उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई ।

(ग) इस मामले की जांच पहले विभागीय एजेंसी द्वारा की गई थी और तत्पश्चात यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंपा गया था ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हमारे पत्र का अभी तक उत्तर नहीं दिया है और 30.9.1988 और 6.3.1989 को ब्यूरो को स्मरण पत्र भेजा गया है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते: प्रश्न के भाग के (क) में मैनें पूछा था कि क्या जून, 1986 में केन्द्रीय तार घर, ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में धोखाधड़ी के एक मामले का पता चला था और आपका उत्तर था—जी हां। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने यह स्वीकार किया कि यह धोखाधड़ी का मामला है किन्तु हैरानी इस बात की है कि भाग (ख) में आपने उत्तर दिया:

मई, 1986 में के लेखा अधिकारी केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली जब वेतन के उन बिलों पर हस्ताक्षर

कर रहे थे, जिनका भुगतान नहीं हुआ था, उस समय उन्हें कुछ विसंगतियों का पता चला था और तब इस मामले की प्राथमिक जांच की गई थी....."

यदि यह धोखाधड़ी का मामला था, तो केवल यह कहना कि भुगतान नहीं किए गए बिलों में कुछ विसंगतियाँ पाई गई थी, प्रश्न के भाग (ख) जहां मैंने पुछा है —यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है का सही उत्तर नहीं है।

इसलिए, इससे पहले कि मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) का सही उत्तर दें, जिसमें मैंने पूछा है कि यदि यह धोखाधड़ी थी तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

सदन को बता देना ही पर्याप्त नहीं है कि भुगतान नहीं किए गए बिलों में विसंगतियां थी इसलिए कृपया पहले इस मामले के तथ्यों के बारे में बताएं।

[हिन्दी]

श्री बीर बहादुर सिंह: मान्यवर जो सवाल पूछा गया है, उसका सही उत्तर दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि धोखाधड़ी हुई। जब एकाउन्ट्स आफिसर के सामने यह बात आई तो उसने देखा कि एक ही व्यक्ति ने कई बार बिल पेश किया है और कई दिन का बिल पेश किया है, तो उसने जांच की और उसमें यह रिपोर्ट आई कि इसमें क्रटिया हैं और इसमें फ्राड, धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद यह सब कार्यवाही की गई।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि मई, 1986 में केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के लेखा अधिकारी जब वेतन के उन बिलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिनका भुगतान नहीं हुआ था, उस समय उन्हें कुछ विसंगतियों का पता चला था और तब इस मामले की प्राथमिक जांच की गई थी। लेखा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1986 में प्रस्तुत की थी। यह सही है कि इसमें धोखाधड़ी हुई और जांच के बाद यह पता चला था, इसीलिए उसके बाद इसके खिलाफ कार्यवाही भी हुई है।

प्रो० मधु दंडवते: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सवाल पूछूं, उससे पहले पहले सवाल के सिलसिले में स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि प्राथमिक जांच की गई और उसमें साबित हुआ कि एक ही बिल के बारे में बारबार अलग-अलग कागज़ात तैयार किये गये थे, उन पर दस्तखत करने की कोशिश की गई और आपने कहा कि यह फ्राड है। सवाल यह कि यह सब बताने के बाद जो अपने प्राथमिक तलाश की तो प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी के जरिये अगर आपकों लगता है कि जांच ठीक हुई है, सारी तफसील आपके सामने आई है तो आगे चलकर सी० बी० आई० के पास जाने और जांच करने की इजाजत नहीं मांगते विनती नहीं करते। आपने तय किया है कि सारा मामला सी०बी०आई० को सुपुर्द किया जाये, तो उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो प्राथमिक इंक्वारी की गई थी उससे सरकार को संतोष नहीं था। तो ऐसे कौनसे सवाल रहे हैं जिनकी वजह से आपने सी०बी०आई० के पास जाने का तय किया?

यह मेरा पहला सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कितनी बार पहला सवाल करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह: यह बात सही है कि जब यह जांच की गई तो जो रिपोर्ट सामने आई, उससे पता चला कि धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी में जो पकड़े गये, जिनके खिलाफ साबित हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिनमें एक दो जगह वाउचर मिलने में दिक्कत हुई और कुछ कर्मचारी जो हस्ताक्षर करने में भी लापरवाही कर रहे थे, नहीं करते थे, उनमें भी विलम्ब हुआ। उनको देखने से पता चला कि यह मामला 20 हजार रुपये से ज्यादा था तो जो विभाग का चीफ विजिलैंस आफिसर

है, उसने कहा कि इसकी जांच सी॰बी॰आई॰ से कराई जाए। ऐसे में सी॰बी॰आई॰ को मामला दिया गया। वह सही है कि जो जांच की गई वह ठीक से की गई है। प्रीलिमिनरी जांच जो की गई है उसमें सारे तथ्य सामने आ गये। कुछ मामले जिस में शंका थी और जिस में और कुछ किया जा सकता था वह मामले सी॰बी॰आई॰ को दे दिये गये।

प्रो॰ मधु दंडवते: मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ———**(व्यवधान)**——— अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे कहा था। अगर नहीं कहता तो उस प्रश्न में जोड़ कर दूसरा सवाल पूछ लेता। अगर आपकी इजाजत नहीं होती तो मैं उसी वक्त पूछ लेता।

अध्यक्ष महोदय: आप आचार्य हैं इसलिये मैं छोड़ देता हूं।

प्रो॰ मधु दंडवते: इसलिये नहीं, मुझे वीकर सैक्शन के लिये प्रैफ्रेंशन आपॉर्ट्यूनिटी नहीं चाहिए। अभी उन्होंने ठीक बताया है ———**(व्यवधान)**———

श्री राम प्यारे पनिका: महोदय, यह तो एक नया अध्याय शुरू होगा। हमने भी कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न किये हैं ———**(व्यवधान)**———

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आप बीच में गड़बड़ करते हैं। आपकों मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। आप बेमतलब बोल रहे हैं।

प्रो॰ मधु दंडवते: मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे एक बात स्पष्ट है कि प्राथमिक जांच जब की गई उससे उनको संतोष नहीं था और कई सवालों के सिलसिले में दिल में संदेह था। इसलिये यह कहा गया कि सारा मामला सी॰बी॰आई॰ के सुपुर्द किया जाये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन सी तारीख को यह सारा मामला सी॰बी॰आई॰ के सुपुर्द किया गया? सी॰बी॰आई॰ के पास यह मामला जाने के बाद अभी तक जो रपट आई नहीं है उससे पता लगता है कि कई काम तो पूरे किये गये लेकिन अंतिम रिपोर्ट पूरी नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि क्या-क्या अंतरिम रिपोर्ट उन्होंने पेश की है? अगर पेश की है तो उसमें उन लोगों ने नतीजे क्या निकाले हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब सी॰वी॰आई॰ में काबिल लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो सैंसटिव इशू में अच्छा काम करते हैं जिससे उनको एक्सटेंशन दी गई है इतना ही नहीं वह काबिल लोग टैरारिज्म का मुकाबला तक ठीक ढंग से करते हैं तो ऐसे काबिल लोगों के पास मामले गये तो सी॰बी॰आई॰ की रपट अभी तक क्यों नहीं आई है? अगर अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है तो कोई अंतरिम रिपोर्ट तो आई होगी।———(व्यवधान)———

(अनुवाद)

प्रो. मधुदण्डवतेः अध्यक्ष महोदय, मैंनें, केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पक्ष में ही कुछ कहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर साहब, आप सयाने आदमी हैं।

प्रो. [अनुवाद] मधुदण्डवते: मैं केवल अपने केस को सुदृढ़ बना रहा हूं कि हमारा केन्द्रीय जांच ब्यूरों उत्पन्न शक्तिशाली और कुशल है और इस कुशल तंत्र के होते हुए

अध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया यह सब स्पष्ट न करें।

[हिन्दी]

प्रो. मधु दण्डवते:प्रो. साहब, कई जगह ऐसा होता है जहां कहते हैं कि पैसा खांड खाकर ले या धूर खाकर ले लेकिन बात तो वहीं की वहीं होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सीधे प्रश्न पर आइए।

[हिन्दी]

प्रो. मधु दण्डवते: अंतिम रिपोर्ट सी.बी.आई की नहीं आई है तो अन्तरिम रिपोर्ट अगर भाई है तो उनके निष्कर्ष सदन के सामने रखें।

श्री बीर बहादुर सिंह: मान्यवर, पहले विभागीय जांच की गई और विभागीय जांच में सारे तथ्य सामने आए। सी.वी.आई को यह मामला 64.88 को दिया गया जबकि यह मामला 1986 का है। इस बीच मे जो मामले सामने आए उन पर कार्यवाही की गई और कुछ मामले निपटाने के लिए बाकी हैं। विभाग के अफसरों की यह राय थी कि सी.बी.आई. को मामला दिया जाए। सी.बी.आई. को दिए गए सारे मामले उलझे हुए नहीं थे। कुछ मामलों में सी.बी.आई. की आवश्यकता महसूस की गई थी। सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट आई नहीं है। उनसे कहा गया है कि वह जल्दी रिपोर्ट दें ताकि जल्दी कार्यवाही हो सके।

प्रो. मधुदण्डवते: यह नहीं बताया कि अन्तरिम रिपोर्ट आई या नहीं?

(व्यवधान)

कोयला उद्योग में पेंशन योजना

[अनुवाद]

* 164 श्री कमल नाथः

श्री सी. माधव रेड्डीः

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोयला उद्योग में पेंशन योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर (शरीफ):

(क) से (घ): इस संबंध में कोल इंडिया लि. अपने कर्मचारियों के लिए एक सेवा-निवृत्त लाभ योजना लागू किए जाने पर विचार कर रहा है। इस योजना केविस्तृत-वर्णनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदय, सरकार के कोयला विभाग की एक नीति यह है कि शारीरिक रूप से अयोग्य श्रमिकों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति नियुक्त किए जाएं और मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचो पर इसकी घोषणा और व्याख्या की गई है। जब तक कोई पेंशन योजना न दो, तब तक शारीरिक रूप से अयोग्य कामगरों को बदलने की यह योजना कोई उत्साह जनक नहीं है। क्योंकि कोई समुचित पेंशन योजना नहीं है इसलिए श्रमिक सेवा निवृत होना नहीं चाहते। हम सब यह जानते हैं

कि पेंशन एक ऐसी चीज है जो किसी में जीवन में ही लागू होती है। चुंकि इस योजना को काफी समय से अन्तिम रूप दिया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह योजना कब तक लागू होगी। क्या वह सदन को इस बात का अवश्वासन दे सकते हैं कि यह योजना कोयला श्रमिकों केहित मे उद्योग के फलां समय तक लागू हो जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री वंसत साठे): ज्यों ही इस योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है

श्री वंसत नाथ: यह 'जल्द' ही होगा।

श्री कमल नाथ: क्या यह श्रमिकों के जीवन काल में होगा? या मेरे जीवन काल में? कम से कम इस बारे में कुछ तो बताएं।

श्री वंसत साठे: कोई भी किसी में जीवन काल को बारे मे कुछ नहीं बता सकता। किन्तु मुझे आशा है। जे. वी.सी.सी.आई में कमोवेश रूप से इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसके ब्यौरे पर काम हो चुका है। इसे सरकार द्वारा अभी औपचारिक रूप से अन्तिम रूप दिया जाना है क्योनकि वह यह अनुभव करतें है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों पर भी इसके प्रभाव पड़ेगा। जहां तक कोल योजना को कमोवेश रूप से अन्तिम रूप दे दिया गया है। ज्यों ही यह अनुमोदित होती है। सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्री वसुदेव अचार्य: इसमें कितना समय लगने

श्री वंसत साठे: कोई भी किसी के जीवन काल के बारे में कुछ नहीं बता सकता. । किन्तु मुझे आशा है । जे० बी० सी० सी० आई में कमो वेश रूप से इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है । इसके ब्योरे पर काम हो चुका है । इसे सरकार द्वारा अभी औपचारिक रूप से अन्तिम रूप दिया जाना है क्योंकि वह यह अनुभव करते है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों पर भी इसके प्रभाव पड़ेगा जहां तक कोल इण्डिया लिमिटेड का संबंध है, इस योजना को कमोबेश रूप से अन्तिम रुप दे दिया गया है। ज्यों ही यह अनुमोदित होती है, सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्री वसुदेव आचार्य: इसमें कितना समय लगने की संभावना है?

श्री वसंत साठे: प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत में भी बहुत अधिक समय लगा है। मैं किसी को भी दोष नहीं देता। किन्तु सरकार के दृष्टिकोण से, विभाग या मंत्रालय की ओर से सिद्धान्त रुप से हम यह योजना स्वीकार कर चुके हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी: महोदय, मुझे उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न, कोयला खान मजदूरों को पेंशन के बारे में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी: पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं लेकिन

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं। वास्तव में जिस योजना को कोल इण्डिया लिमिटेड ने मंजूरी दी है, वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बारे में, न कि पेंशन योजना है। पेंशन योजना तो मंत्रालय की ओर से भेजी गई है। शायद, मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। प्रश्न यह है कि क्या कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा जिस स्वैच्छिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया है, उसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या नहीं अथवा भारत सरकार तथा कोल ण्डिया लिमिटेड इस अर्थ में तो विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर रहे कि

सरकार पेंशन योजना चाहती हो और कोल इण्डिया स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना चाहता हो? वास्तव में वह योजना क्या है जो लागू की जानी है और उसमें वित्तीय अड़चनें क्या है? यह स्वैच्छिक योजना किस प्रकार होगी? क्या श्रमिकों को इसे अपनाने की छूट होगी या आपको मजदूर संघ से कोई समझौता करना होगा? वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री वसंत साठे: जैसा कि मैंने पहले कहा यह सेवानिवृति फायदा योजना है। जो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार की गई है वह एक अलग चीज है। इस योजना के मुख्य रुप से निम्नलिखित फायदे हैं जो सेवा निवृत्ति के पश्चात दिए जाएंगे। कर्मचारियों की ओर से भविष्य निधि से 2 प्रतिशत का अंश दान दिया जाएगा; प्रबन्धकों की ओर से भी दो प्रतिशत का अंशदान होगा। यह 4 प्रतिशत हो जाएगा। यह भविष्य निधि की वर्तमान 8 प्रतिशत सीमा के आधार पर है। किन्तु ऐसा प्रस्ताव है कि इसे 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। यदि यह कर दिया जाता है तो पेंशन की आधारण वाली इस सेवा निवृत्ति योजना में अतिरिक्त दो प्रतिशत भी शामिल हो जाएंगे। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनकी न्यूनतम सेवा 5 वर्ष से अधिक है। सामान्य पेंशन और परिवार पेंशन के सम्पूर्ण ब्यौरे पर आंकड़ो पर आधारित संभावनाओं को आधार पर विचार कर लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, सरकार द्वारा इस पर सिद्धान्त रुप से अनुमति दी जानी होगी।

[**हिन्दी**]

श्री सी॰ पी॰ ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इसका असर दूसरे पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स पर भी पड़ेगा तो सरकार एक ब्रॉड निर्णय ले जिससे सभी पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स के इम्पलायज को इसका बैनीफिट मिले ।

तो क्या इस तरह की कोई स्कीम सरकार कें विचाराधीन है?

श्री वसंत साठे: यह तो में नहीं कह सकता लेकिन क्या होता है मैं आपसे कहता हूं कि बहुत बार यह एक प्रिटेक्स्ट हो जाता है कि सारे पब्लिक सेक्टर पर असर होगा, सभी को विचार करना चाहिए तो जिनका होना चाहिए और हो सकता है उनको भी फिर नहीं मिलता है । तो यह भी दृष्टि ठीक नहीं है । दूसरों का भला हो तो जरूर करें, अपनी अपनी सोचें अपने लिए विचार करें कि उनके यहां भी कोई ऐसी प्राविडेन्ट फंड स्कीम हो या क्या हो, क्या नहीं हो, कोई पैसा उस फंड में जाए या क्या हो, पर यह जो रोकने की बात कई बार होती है, यह अच्छी नहीं है। हमारे माननीय सदस्य भी-मैं आपकी मार्फत प्रार्थना करूंगा-कि इस तरह से एक बनती हुई बात को रोक न दें ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, यह सही नहीं है कि चर्चा में काफी अधिक समय लगा। समझौते को तीन वर्ष पूर्व अंतिम रूप दिया गया था। जे. बी.सी.सी. आई. ने भी अपनी अनुमति दे दी थी। तत्पश्चात् इसे अंतिम मंजुरी के लिए सरकार को भेजा गया। यह कई महीनों से सरकार के पास लम्बित है। यह योजना 5 तीन वर्ष पूर्व एन॰ सी॰ उब्लयू॰ ए॰-III द्वारा अनुमोदित की गई थी और एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ का कार्यकाल भी दिसम्बर, 1987 में समाप्त हो गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार देने, क्वार्टरों के निर्माण, आवास, पीने का पानी आदि जैसी कई कल्याण योजनाएं है॰ लेकिन अभी तक एन॰ सी॰ डब्लयू॰ ए॰ III में किसी को भी शामिल नहीं किया गया है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों की पेंशन योजना को स्वीकृति देने के लिए सरकार कितना समय लेगी?

श्री वसन्त साठे: मैं केवल इस पेंशन योजना के बारे में बात कर रहा हूं। अगर माननीय सदस्य इस

योजना के क्रियान्वयन के विरुद्ध आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि वह वास्तव में ठीक नहीं है। एन. सी. डब्ल्यू. ए. की बहुत सी सिफारिशें लागू की गई है। और जहाँ तक इस कल्याणकारी योजनाओं का सम्बंध है कर्मचारियों और प्रबन्ध में अच्छे सम्बंध हैं।

पिछली बैठक सी. एम. पी. एफ. बोर्ड के न्यासियों के साथ इस प्रश्न पर ठीक कुछ महीने पहले अर्थात 6.1.89 को हुई थी। अतः यह कहना कि यह मामला चलता आ रहा है और सरकार के पास विचाराधीन है ठीक नही है। इस पर विचार किया जा रहा है जैसा कि मैंने कहा है कि लोक उद्यम ब्यूरों में तथा सरकार के कुछ क्षेत्रों में यह भावना है कि इससे अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ेगा और इसलिए इस पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस कारण इतना समय लगा था। यदि यह हम पर छोड़ दिया होता तो मैं आपके माध्यम से सदन को कह सकता हूँ कि इस मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने बिना किसी देरी के इस योजना को लागू कर लिया होता।

जम्मू-कश्मीर में चनाव नदी पर पनबिजली परियोजना

167. श्री मोहम्मद अयूब खां:

क्या उर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में चनाब नदी पर पनबिजली परियोजना का निर्माण उधमपुर जिले की गुल गुलाब गढ़ तहसील के सरथालकोटे तथा सवालकोटे गांवों में किया जायेगा;

(ख) क्या सरथालकोटे के लिये स्वीकृत सिविल डिविजन वहां स्थापित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भूमि के मूल्यों में वृद्धि की संभावना के कारण, सरकारी और गैर-सरकारी भूमि पर पेडों की अन्धाधुन्ध कटाई शुरु हो गयी है तथा मुआवजे के लिए नकली दावे प्रस्तुत करने हेतु राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उर्जा मंत्रालय मे विधुत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क): जी, हां। जम्मू और कश्मीर में चनाब नदी पर सवालकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना का बांध डोडा जिले की रामबाण तहसील में सिद्ध में बनाया जाएगा और विद्युत घर ऊधमपुर जिले की गुल-गुलाब तहसील में सरथाला में बनाया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि परियोजना के संबंध में स्वीकृति अभी प्रदान नहीं की गई है अत: राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा केवल प्रारंभिक कार्य आरंभ किए गए हैं, जिसके द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर): स्पीकर साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट ने यह जवाब दिया है:

[अनुवाद]

''सवालकोट जल विघुत परियोजना का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

हिन्दी और साथ ही यह कहते हैं कि अभी यह स्कीम सैंक्शन नहीं हुई है। क्या यह दुरुस्त है कि पर्यावरण मंत्रालय जो है, उस ने अभी किलयेरैंस नही दिया है और उस का रिजल्ट यह है कि इस प्रोजेक्ट में, आप ने

कहा है, दस साल लगेंगे और इस तरह से इस में और ज्यादा डिले हो जाएगी। कास्ट के बारे में आप ने बताया है कि इस मे इसमें 686 करोड़ 51 लाख रुपये लग जाएंगे। क्या यह दुरुस्त नहीं है कि जिस कदर इस में डिले होगी, उसी कदर कास्ट बढ़ जाएगी। आप के जरिये से में आनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि इन की अर्नेस्ट डिजायर के बावजूद इन दो प्रोजक्टस को यानी सवालकोट और बगंलियार प्रोटेकट्स को आप की एन्वाइरेन्मेंट मिनिस्ट्री ने किलयरेंस नहीं दी है और उस किलयरेंस को जल्दी हासिल करने के लिए आप ने क्या कदम उठाए है। किलयरेंस हासिल करने के बाद इसके लिए ग्लोबल टेन्डर्स इन्वाइट किये जाएंगे और इस में मजीद ताखीर होगी। क्या गवर्नमेंट को यह अहसास है कि बिजली की ताकत हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा सूरत में काम लेना चाहिए और जो बोटलनेकस हैं, उन को रिमूव करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। आनरैबिल मिनिस्टर साहब क्या कदम उठाएंगे यह सदन को बताएं?

श्री कल्पनाथ राय: अध्यक्ष महोदय, चेनाब पर सवालकोट परियोजना बननी है । इस का टेक्ने-इकोनामिक क्लिलयरेंस मिल चुका है लेकिन फारेस्ट एण्ड एन्वइरेनमेंट मिनिस्ट्री से इस का क्लियरेंस होना है । फिर रिवाइज्ड़ इस्टीमेट्स को भी तैयार करना है । जब तक ये सारी फार्मेलिटीज पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक यह नहीं होगी।बाइलेट्रल एग्रीमेंट से यह होगा । परियोजना को शुरु करने के लिए इन्फ्रास्ट्चर का काम हो रहा है और सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रही है और जितनी जल्दी फौरेस्ट विभाग से क्लियेरेंस मिलेगी, उतनी जल्दी इम्पलीमेंट करेंगे ।

श्री मोहम्मद अयूब खां: कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उस कोशिश का नतीजा यह है कि पिछले दो सालों से कोई काम नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि उस कोशिश में सुरत लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और दोनों प्रोजक्ट्रस को जल्दी से जल्दी शुरु किया जाए, इस के लिए मंत्री महोदय ने क्या सोचा है?

अध्यक्ष महोदय: तो कोशिश बन्द करवा दें इन से।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): सर, यह बात सही है कि पार्यवरण विभाग जब से बना है और इस का कानून बना है, तब से एक नई एप्रोच, एक नया दृष्टिकोण उस में आया है और हमारा यह प्रयास है और हम सब लोग चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से प्रोजेक्ट सुरक्षित हो ताकि देश के पर्यावरण में असन्तुलन न हो । इसलिए हमनें पर्यावरण विभाग के अपने सहयोगी मंत्री महोदय से और उस विभाग के लोगों के साथ बैठ कर एक रास्ता निकाला है और हम उन से यह कह रहे हैं कि एक समिति बनाई जाए विशेषज्ञों की, जो किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले पार्यवरण का प्लान बना कर दे । इस का खर्चा हम देंगे । इससे जो डिले होती है और जो कागज इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, कागजी घोड़े इधर से उधर दौड़ते हैं, उस को रोका जा सकता है । यह हमारी कोशिश है और हमें लगता है कि हम इस में कामयाब होंगे ।

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में श्वेत पत्र

[अनुवाद]

169. **श्री एस०बी० सिदनाल:**

डा० गौरी शंकर राजहंस:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र संबंधी श्वेत पत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और

(ग) यदि हां, तो यह संसद में कब प्रस्तुत किया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) से (ग) :

सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी श्वेत पत्र अभी भी सरकार के विचाराधीन है और जैसे ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तो इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री एस. बी. सिदनाल: सरकार को कम से कम यह बताना चाहिए कि वह श्वेत पत्र को कब अन्तिम रूप देने जा रही है और इसे सदन के सभापटल पर कब रखा जयेगा? बहुत सी रुग्ण इकाइयाँ हैं और उनके घाटे में वृद्धि हो रही हैं । सरकार द्वारा उन रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण करने के बाद भी वे नुकसान में चल रही है । जनता सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में बहुत गम्भीर है । इन घाटों की हमें बहुत चिन्ता है । सरकार की ओर से यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया है । यह कब तक तैयार हो जायेगा और इसे सदन के सभा पटल पर कब तक रखा जायेगा?

श्री जे० वेंगल राव: इसे परिषद के समक्ष रखा गया है । इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । निश्चय ही, इसे सदन के सभा पटल पर रखा जायेगा। माननीय सदस्य ने घाटे के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है । 1986-87 में सार्वजनिक क्षेत्र को 717 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था वर्तमान वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र को 2, 183 करोड़ रुपये का नेट लाभ हुआ था । कुछ इकाइयाँ लाभ कमा रही हैं । साधारणतः सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ लाभ कमा रही हैं ।

श्री एस० बी० सिदनाल: बहुत सी रुग्ण इकाइयाँ है जिसे सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है । सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद भी वे इकाइयाँ घाटे में चल रही हैं । ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ये इकाइयाँ नियमित रूप से घाटे में चल रही हैं । इन घाटों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री जे० वेंगल राव: इन रुग्ण इकाइयों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । लेकिन अगर हम इन्हें बंद करते हैं तो हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेगे । इसीलिए सरकार को प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ता है ।

डा. गौरी शंकर राजहंस: क्या यह सच है कि सरकार कुछ घाटे पर चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ।

श्री जे० वेगल (राव): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हन्नान मोल्लाह: सरकार ने पिछले बजट सत्र में सदन को आश्वासन दिया था कि वे सदन के सभा पटल पर श्वेत पत्र रखेगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इस बारे में कई बार आश्वासन दिया है ।

श्री बसुदेव आचार्य: उद्योग मंत्री ने भी ऐसा कहा है ।

अध्यक्ष महोदय: आप बीच में बाधा क्यों डाल रहे हो?

श्री हन्नान मोल्लाह: क्या यह सच है कि श्वेतपत्र में की गई मुख्य सिफारिश विश्व बैंक और आई एम एफ द्वारा की गई सिफारिशों जैसी ही है । यह हमारी पुरानी नीति से भी परस्पर विरोधी है। सरकार इसे प्रकाशित करने से डर रही है और इसमें देरी हो रही है ।

श्री जे० वेंगल राव: यह ठीक नहीं है। हमारी स्वतन्त्र नीति है। यह सरकार के समक्ष है। विश्व बैंक की सिफारिशों का इससे कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास: माननीय अध्यक्ष जी पब्लिक सेक्टर में जो सिक इंडस्ट्री हैं उनको तो ले लेते हैं चाहे उनमें कितना ही नुकसान क्यों न होता हो लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और जो पब्लिक के दृष्टिकोण से भी अच्छी है उसको लेने के संबंध में गंभीरता से विचार नहीं करते। हमारे सवाई माधोपूर में एशिया की सब से बड़ी सीमेंट फेक्टरी है जिसमें दस हजार मजदूर काम करते हैं। उसको लिये जाने के बारे में हमने आपसे बार बार निवेदन किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया । वहां एक साल से मजदूर परेशान हैं, उनको न वहां कोई बेनिफिट, न कोई सहुलियत मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे इस फेक्टरी को पब्लिक सेक्टर में लिया जा सके?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव: अब सरकार की सामान्य नीति यह है कि भविष्य में किसी रुग्ण इकाइयों को अपने हाथ में नहीं लेना है। दूसरा मुद्दा सवाई माधोपूर के बारे में है। यह बी आई एफ आर के समक्ष है। उनके द्वारा निर्णय लेने के बाद ही हम कुछ कार्यवाही करेंगे।

ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं

*170. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में कम से कम एक ऊर्जा ग्राम परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में ऊर्जाग्राम परियोजनाओं के कार्यन्वयन हेतु किन-किन गांवों को चुना गया है तथा आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं हैं; और

(ग) इन ऊर्जाग्रामों को दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग): एक विवरण सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश में, ऊर्जाग्राम परियोजनाओं के लिए ग्रामों की पहचान (पता लगाना) प्रगति पर है। 12 राज्यों / संघ प्रशासित क्षेत्रों में, अब तक 220 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी है जिनमें से 85 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अनुलग्नक में उनको राज्यवार अलग-अलग दिखाया गया है।

(ग) चुने गए ग्रामों में दी गई सुविधाएं, एक ऊर्जाग्राम के कार्यान्वियन से पहले किए गए ऊर्जा सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेंगी। उन्नत प्रकार से चूल्हे, बायोगैस संयंत्र सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां, पवन चक्कियां, ऊर्जा पौध एवं बायोमास प्रणालियां जैसी विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों का संयोजन की प्रत्येक परियोजना में स्थापना की गई है। वे खाना बनाने, रोशनी, जल पम्पन, सामुदायिक टेलीविजन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कुटीर उद्योग आदि के लिए ऊर्जा उपलब्ध करते हैं।

F-3 51/21/25/39-3°

अनुलग्नक

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	पूरे किए गए	कार्यान्वयन के अन्तर्गत
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	10
2.	बिहार	1	8
3.	दिल्ली	6	2
4.	गुजरात	11	17
5.	मध्य प्रदेश	10	14
6.	महाराष्ट्र	16	30
7.	उड़ीसा	6	3
8.	राजस्थान	-	12
9.	तमिलनाडु	2	6
10.	त्रिपुरा	2	-
11.	उत्तर प्रदेश	28	26
12.	पश्चिम बंगाल	-	7
	योग	85	135

प्रो० नारायण चन्द पराशर: ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई ऊर्जाग्राम परियोजना स्थापित नहीं की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना सरकार द्वारा सबसे पहले किस तारीख को चालू की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में परियोजना को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी और यह परियोजना कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

श्री वसंत साठे: लगभग दो वर्ष पूर्व एकीकृत ऊर्जा गाँव योजना शुरू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन की मुख्य आवश्यकता प्रत्येक राज्य में एक नोडल गाँव की है जिसके लिए केन्द्रीय विभाग के गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत इस एकीकृत ऊर्जा को स्थापित करने के लिए हैं। सुविधाएँ प्रदान करते है। दुर्भाग्य से हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई नोडल एजेन्सी नहीं है। हमने सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की है अब, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक नोडल एजेन्सी बनायी गयी है और गांवों की पहचान की गई है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में तहसील में नारी और ऊना खंड अन्य गाँवों की पहचान की गई है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें सदन के सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं वे किसे प्राथमिकता देना चोगें हम नोडल एजेन्सी के साथ उस पर विचार विमर्श करेंगे।

श्री नारायण चन्द पराशर : मैंने पहले ही नाम का पता चला लिया है और हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री को बता दिया है जिनसे मुझे एक पत्र भी प्राप्त हुआ था क्या मैं जान सकता हूं निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए जिसका इस सदन के 544 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे है, क्या मंत्री महोदय के लिये यह देखना संभव है कि वर्तमान लोकसभा की अवधि समाप्त होने तक कम से कम एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक गाँव की पहचान की जाए और वास्तव में इस पर कब कार्य शुरु में किया जायेगा।

श्री वसंत साठे : यही मंशा थी।

श्री अजय मुशरान: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन राज्यों में जहाँ बहुत पहले नोडल एजेंन्सियों की पहचान की जा चुकी है, कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र एक गाँव परियोजना स्थापित की

जायेगी **(व्यवधान)** बहुत से निर्वाचन क्षेत्र में विशेषतया मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में 1800 से

2000 गाँव है। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1872 गाँव है और उनकी पूरी संख्या नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या वह विचार करेंगे कि प्रस्ताव में विस्तार किया जा सकता है जिससे कि ऐसे जिलों में जहाँ बहुत से संसदीय निर्वाच क्षेत्र है, ये कम से कम दो या तीन ऊर्जाग्राम परियोजनाएँ स्थापित की जा सके।

श्री वसंत साठे : मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन प्रश्न यह है उतने पैर पसारो जितनी चादर है

श्री वसंत साठे: यही मंशा थी।

श्री अजय मुशरान: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों में जहां बहुत पहले नोडल एजेन्सियों की पहचान की जा चुकी है, कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में एक गाँव परियोजना स्थापित की जायेंगी **(व्यवधान)** बहुत से निर्वाचन क्षेत्र में विशेषतया मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में 1800 से 2000 गाँव हैं। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1872 गाँव हैं और उनकी पूरी संख्या नही है क्योंकि मेरे जिले में तीन सांसद है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या वह विचार करेगे कि प्रस्ताव में विस्तार किया जा सकता है जिससे कि ऐसे जिलों में जहां बहुत से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, कम के कम दो या तीन ऊर्जाग्राम परियोजनाएं स्थापित की जा सके।

श्री वसंत साठे: मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन प्रश्न यह है उतने पैर पसारो जितनी चादर है। जब चादर ही नहीं होगी तो पैर कैसे पसारोगे। जैसा मैंने कहा है और आप भी काफी दयालु हो गये हैं यही एक क्षेत्र है जहां बहुत अधिक लाभ हैं, लेकिन संसाधन अपर्याप्त है; वे नगण्य हैं, समूची सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 कोरड़ रुपये आबंटित किये गये हैं आप अनुमान लगा सकते हैं जो लाभ और बातें आप कर सकते हो यद्यपि ये बहुत अच्छी योजनाएँ हैं। मैं योजना आयोग से वित्त मंत्रालय और प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूं और माननीय सदस्य अगर आप एकीकृत ऊर्जा के इस विचार का समर्थन कर सकते हो तो मेरे विचार से यह समूचे ऊर्जाग्राम परियोजना के लिए एक बड़ी सेवा होगी।

श्री जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा दो वर्ष से भी पहले सभी सदस्यों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव की पहचान करने के लिए कहा गया था। अभी तक कहीं भी कोई ठोस विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान: महोदय यह गलत है ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जल्दी में भी समय लगता है

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता: केवल कांग्रेस सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में यह किया गया है ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों शोर कर रहे हैं, वे अपने आप जवाब देंगे।

[अनुवाद]

वह यहां उत्तरदायी है। वह इसे करेगे।

(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान: महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानता हूं **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में यह किया गया है ....**(व्यवधान)**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: यह स्पष्ट है कि कर्नल मुझसे भी ज्यादा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अधिक अच्छी तरह जानते हैं......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। वह उत्तर देगें।

(व्यवधान)।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: प्रश्न यह है। पहचान और सर्वेक्षण को छोड़कर.......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब समय आएगा देखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: पहचान और सर्वेक्षण के अलावा कुछ नहीं किया गया है। चुनाव होने में केवल कुछ ही महीने बाकी है। वस्तुतः हममें से कुछ लोग अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहले जाना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह कार्य तत्काल करें। क्या मंत्री महोदय इस कार्य में लगने वाले समय के बारे में बताएगें?......**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता: यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए ....**(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे: दुर्भाग्य से माननीय सदस्य मनोवैज्ञानिक रुप से अत्यधिक निराशवादी हैं और इसीलिए.....**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता: विशेषकर आपके मामले में.......**(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे: महोदय यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता से आंखें मूंद लें तो कोई क्या कर सकता है। उसे सम्पूर्ण देश के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे परेशानी नहीं होती। आंध्र प्रदेश में ही 3 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 10 परियोजनाएँ कार्याधीन हैं। इसलिए कार्याधीन परियोजनाएँ अधिक दिखाई देती हैं। महोदय, सारे देश में 135 परियोजनाएँ कार्याधीन हैं और 85 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी है।.......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बेवजह चिल्ला रहे हैं। आप ठीक से सुनते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि देश में 135 परियोजनाएँ हैं। तदनुसार ही उसका बंटवारा किया जाएगा।

श्री वसंत साठेः **महोदय, मैं प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में कम-से-कम एक ऊर्जाग्राम स्थापित करना चाहता हूं। किन्तु जैसा कि मैं शुरु में कह रहा था जब तक राज्य एजेंसियों के बीच ऐसे ग्राम का निर्धारण करने और उस ऊर्जाग्राम के लिए संसाधन प्रदान करने में समन्वय नहीं होगा, तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। हम देश के 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 220 ऊर्जा ग्रामों का निर्धारण कर चुके हैं जिनमें से 85 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 135 परियोजनाएँ कार्याधीन है। महोदय, यह एक अच्छा प्रयास है। आप वास्तविकता से अपनी आंखें क्यों मूँदना चाहते हैं?**

गैस आधारित विद्युत परियोजनायें

1172. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन में गैस पर आधारित अधिक विद्युत परियोजनायें स्थापित करने पर बल दिया गया था;

(ख) क्या देश की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैस पर आधारित स्वदेशी विद्युत संयंत्रों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा या है तथा गैस पर आधारित और अधिक परियोजनायें स्थापित करने के संबंध में सरकार का अन्य क्या और कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) जनवरी, 1989 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई थी कि कम निर्माणावधि वाली गैस आधारित परियोजनाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और विद्युत के लिए गैस उचित दर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रति वर्ष लगभग 200 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का निर्माण किए जाने की क्षमता प्राप्त कर ली गई है और मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने हेतु अपनी निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनके द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। विद्युत संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई के संबंध में स्वदेशों सोतों को प्राथमिकता दिया जाना जारी रखा गया है। केवल चुने हुए मामलों में, प्रत्येक मामले के बारे में समग्र रूप से परिस्थितियों के आधार पर, आयात का सहारा लिया जाता है।

विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक विकल्प के रूप में अतिरिक्त गैस आधारित परियोजनाओं की स्थापना, इस उद्देश्य के लिए गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, पावर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी, उसमे एकमत से निर्णय लिया गया कि ये जो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स है उनको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव पास होने के बाद ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण लें वहां पर बहुत गैस निकली है। बम्बई हाई में और रत्नागिरी फील्ड में भी गैस निकली है। इतनी गैस बम्बई हाई में होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने आपके पास पांच प्रपोजल भेजे हैं-एक-धबोल, दो-ओ एन जी सी पाइप लाईन के पास धुले और रायगढ़, तीन-ठाकुरली जिला-थाने, चार-दहानु और पांचवा-टी०इ०सी०। लेकिन किसी पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पांच प्रपोजल भेजे हैं उनकी स्थिति क्या है और उनको क्लीयरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक गैस जो काफी मात्रा में मिल रही है, यह तय नहीं हो पा रहा है कि उसका उपयोग फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए किया जाए या सारी गैस जमा करके रखी जाए। कुओं में या इसको एनर्जी पैदा करने के लिए जो कि बहुत जल्द पैदा हो सकती है, डेढ़ साल में प्लांट लग सकता है जैसा कि अन्ता में रखा गया। इसकी चर्चा पैट्रोलियम मंत्रालय, हमारे मंत्रालय और फार्टलाइजर मंत्रालय में हो रही है, एक कमेटी भी बनी हुई है। एक बार यदि निर्णय हो जाता है उसका उपयोग करने का तो जो प्रपोजल महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है और दूसरे प्रान्तों में भी गैस पर आधारित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो उसको निर्माण करने में बड़ी सहायता हो पायेगी।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। काफी प्रोजेक्ट आपके यहां पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमें जानकारी मिली है कि गैस पर आधारित जो प्लांट हैं इसमें मंत्रीजी आप 9 प्रपोजल को एक्जामिन कर रहे हैं और महाराष्ट्र का एक भी प्रपोजल नहीं लिया गया है। आप बतायें कि महाराष्ट्र के जो प्रपोजल्स आये और 9 प्रपोजल्स को केन्द्र सरकार एक्जामिन कर रही है उसमें महाराष्ट्र का प्रपोजल क्यों नहीं लिया गया?

श्री वसंत साठे : जब तक गैस मिलने की सम्भावना न हो तब तक एक्जामिन क्या करेंगे।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय मंत्री संभवतः मेरी इस बात से सहमत होगें कि असम में प्रतिदिन एक बिलियन घन मीटर से भी अधिक एसोसिएटिड गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसके लिए लगातार मांग की जाती रही है कि प्राकृतिक सम्पदा की यह बर्बादी आपराधिक बर्बादी है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस संबंध में भारत सरकार के पास कुछ प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। यदि सरकार के पास ये प्रस्ताव लंबित पड़े हैं तो सरकार की उन प्रस्तावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है तो क्या सरकार स्वंय इस एसोसिएटिड गैस का उपयुक्त प्रयोग करने पर विचार कर रही है?

श्री वसंत साठे : यदि एसोसिएटिड गैस को विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग और उपयोग में नहीं लाया जाता है तो यह तो प्रज्वलित (नष्ट) होगी ही। इसका कोई अन्य इलाज नहीं है या न ही हम इसका कुछ कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी जो इस गैस को काम में लाने और इसे ऊर्जा में परिवर्तित करने में आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। किन्तु अब ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आया जो इस एसोसिएटिड गैस को विद्युत में बदलने के लिए उपयोग में लाए जा सकें तो हमें खुशी होगी। पैट्रोलियम मंत्रालय ने स्वंय कुछ प्रस्ताव किए हैं और जहां तक हमारा संबंध है हमने उनका अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री नवलकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने अन्ता का जिक्र किया, उसके लिए मंत्रीजी का शुक्रिया कि उन्होंने उसका उद्घाटन किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपने इस सदन में मेरे ही प्रश्न के उत्तर पर यह आश्वासन दिया था कि अन्ता की जो केपेसिटी है वह 430 से बढ़ाकर 860 कर दी जा रही है और कर दी गई है। फिर क्या कारण है कि कोटा का यह अन्ता का जो गैस आधारित प्लांट है वह 430 पर रखा है 860 पर नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री वसंत साठे : यह तो पहली स्टेज है, इफ्तदा आई है आगे-आगे देखिये होता है क्या रिसोर्सिज आने लग जायें, गैस ज्यादा मिलने लग जाये, फिर अन्ता का भी कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री ई. अयूप रेड्डी : हमें बताया गया है कि वर्तमान में गैस पर आधारित विद्युत का लागत लाभ अनुपात ताप या जल विद्युत की तुलना में अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में गैस संसाधन हैं, अतः हमें किसी नई प्रौद्योगिकी की खोज करनी होगी अतः मैं यह जानना चाहूंगां कि विद्युत के लिए गैस का उपयोग (दोहन) करने में नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहें हैं, गैस का उपयोग करने के लिए कितने राज्य विद्युत बोर्डों ने इच्छा प्रकट की है और आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा गैस के उपयोग से कितनी ऊर्जा उत्पादित की जाती है।

श्री वसंत साठे : महोदय, आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में अभी ऐसी कोई परियोजना नहीं है जंहा गैस का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में गोदावरी बेसिन गैस पाई गई है और इस संबंध में एक प्रस्ताव, यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार ऐसा प्रस्ताव करे तो, इसकी जांच की आएगी और हम इस पर उचित रुप से विचार करेंगे।

श्री विजय एन. पाटिल : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार रतनगिरी के रायगढ़ जिले जोकि देश के

दूसरे किनारे पर स्थित है ये ताप विद्युत संयंत्र चालू करने के लिए उड़ीसा से कोयला देने के लिए तैयार थी और अभी भी तैयार है। यद्यपि यह कोयला जहाज द्वारा वंहा ले जाया जाएगा। अतः परिवहन की दृष्टि से यह बहुत ही मंहगा सौदा है। इसके विपरित हाजीरा और बम्बई हाई से प्राप्त की जा रही गैस बिहार और उड़ीसा की सीमाओं तक पाइप लाइनों द्वारा ले जायी जा रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार गैस का आबंटन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए इस प्रस्ताव पर केवल इस आधार पर विचार नहीं कर रही कि फिलहाल महाराष्ट्र के पास पर्याप्त उर्जा उपलब्ध है, यह आधार ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में भी विद्युत की कमी है। जब गैस मीलों दूर ले जाकर उर्जा उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती है तो यह अधिक मंहगी पड़ रही होगी जबकि यदि आप उस स्थान पर उर्जा का उत्पादन करें जंहा से गैस प्राप्त की जाती है तो इसकी लागत कम आएगी। अतः, इस तथ्य के प्रकाश में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वे इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करेंगे। केवल नौ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र का कहीं नाम-निशान नहीं है। हम इस पर अत्यधिक चिन्तित हैं।

श्री बंसत साठे : महोदय। सिद्धान्तः,तटीय क्षेत्र में और विशेषकर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जंहा गैस पाई गई है वंहा गैस का प्रयोग किया जाना कम खर्चीला है जबकि वंहा तक कोयला ले जाना अधिक खर्चीला है। रायगढ़ और उस तटीय क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं पर उस समय विचार कर लिया गया था जब वंहा गैस उपलब्ध होने की संभावना नहीं थी इसलिए कोयला भेजना उचित समझा गया। किन्तु जब ये परियोजनांए चालू हो जाएगीं तो इनमें बहु-ईधन का प्रयोग होगा। विचार यह है यदि गैस उपलब्ध हो जाती है तो कोयले की बजाय वे गैस का प्रयोग-करेंगे।

पणजी में दूरदर्शन स्टूडियो

173. **श्री शान्ता राम नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पणजी, गोआ में प्रस्तावित दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो स्टूडियो के कब से चालू हो जाने की संभावना है; और

(ग) स्टूडियो की विशेषतांए क्या हैं और वहां क्या सुविधांए उपलब्ध होंगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत): (क) और (ख) पणजी में टी.वी. कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र को अप्रैल, 1989 में चालू किए जाने की योजना है।

(ग) इस केन्द्र में दो व्यावसायिक ग्रेड रंगीन कैमरों से सुसज्जित लगभग 50 वर्ग मीटर तल क्षेत्र का एक स्टूडियो और संबद्ध कार्यक्रम निर्माण सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। केन्द्र को एक मिनी ओ.बी.(बाहरी प्रसारण) वैन उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम है।

शांताराम नायकः महोदय, यह स्टूडियो अर्थात प्रोग्राम जेनरेशन फैसिलिटीज़ सेन्ट्र सीमित प्रकार का स्टूडियो है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रणाली के अन्तर्गत हम केवल सीमित प्रकार के ही कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। जब गोवा संघ शासित प्रदेश था उस समय यह स्टूडियो गोवा के लिए मंजूर किया गया था। वस्तुतः तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यह सामान्यवक्तव्य दिया था कि सरकार सभी राज्यों की राजधानियों में पूर्व स्टूडियो खोलेगी। अब गोवा पुर्व राज्य बन गया है और पनजी राज्य की राजधानी है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गोवा में पूर्ण स्टूडियो खोलने का है।

श्री एच० के० एल० भगतः महोदय, अन्यथा भी, इस बात का विचार किए बिना कि गोवा हाल ही में राज्य बन गया है, गोवा समृद्ध संस्कृति से युक्त बहुत ही आकर्षक स्थान है और यह सब......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री शांताराम भी ध्यान आर्षित करते हैं।

श्री एच० के० एल० भगतः उस समय यह निर्णय लिया गया था कि वहां यह प्रोग्राम जेनेरेशन फैसिलिटीज़ सेन्टर स्थापित किया जाए। प्रोग्राम जेनरेशन फेसिलिटीज़ में बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं हम उसकी जांच कर सकते हैं। हालांकि अब सातवीं योजना यह कार्य करना कठिन है। किन्तु मामले आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री शांताराम नायकः वर्तमान में हमें यह स्टूडियो उपलब्ध होगा जिसमें प्रोग्राम जेनेरेशन सुविधाऐ है और हम इसके लिए सरकार का धन्यावाद करते हैं। अब इस प्रणाली के अन्तर्गत इन सुविधाओं के साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कार्यक्रमों का प्रसारण पौने छः का शुरु करने से पूर्व आधे घण्टे के लिए गोवा से कार्यक्रमों का प्रसारण करा सकती है। मेरे विचार से इसके लिए कोई मशीनरी उपलब्ध करायी जा सकती है!

श्री एच.के.एल. भगतः जैसा कि उन्होने ठीक ही कहा है कि इस केन्द्र के अप्रैल में शुरु होने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि यदि मैं ऐसा कर सका और माननीय सदस्य मुझे गोवा में इस मामले पर विचार करने के लिए कि इसमें कितने कार्यक्रम होने चाहिए, यह कितने कार्यक्रम जेनरेट कर सकता है आदि के लिए सहयोग दे तो हम निश्चित रुप से इसकी जांच करेगे। इन विस्तृत मामलों की जांच की जा रही है। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सरकार निश्चित रुप से विचार कर सकती है। प्रोग्राम जेनेरेशन गोवा के स्थानीय कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए बनाया गया है और उन कार्यक्रमों का प्रसारण होना चाहिए। हाँ, विभिन्न स्थानों से उनका प्रसारण बम्बई से होगा। किन्तु हम गोवा से कुछ कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। अभी भी कुछ कार्यक्रम गोवा से ही प्रसारित किए जाते हैं। हम निश्चित रुप से उनके सुझावों पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं. 174 श्रीमती झांसी लक्ष्मी-यहां नहीं है।

प्रश्न सं० 175 श्री सत्य गोपाल मिश्रा-वह भी उपस्थित नहीं है। प्रश्न सं० 176 श्री बाजूबन रियान ।

त्रिपुरा में कागज मिल की स्थापना

*176. **श्री बाजूबन रियानः** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या त्रिपुरा में एक कागज मिल लगाने के बारे में त्रिपुरा सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी,नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बाजू बन रियानः महोदय, मेरी समझ मे यह नहीं आता कि सरकार त्रिपुरा राज्य मे उद्योग लगाने से क्यों इनकार कर रही है । माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर समझ से बाहर है। त्रिपुरा के लिए जिस एकमात्र उद्योग पर विचार किया जा सकता है वह उद्योग वन पर आधारित उद्योग है। कागज उद्योग वन पर आधारित उद्योग है और त्रिपुरा वन सम्पदा मे समृद्ध है । अतः मै सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका रोजगार संभाव्यता बढ़ाने के कार्य को दृष्टि मे रखकर त्रिपुरा मे एक कागज मिल खोलने का विचार है । जैसा कि माननीय मंत्री जानते है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, जहां क्षेत्र सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का बड़े पैमाने या छोटे पैमाने का कोई उद्योग नहीं है।

श्री एम० अरुणाचलमः महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि सरकार को राज्य सरकार से कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कागज उद्योग के संबंध में राज्य सरकार ने वहां कागज उद्योग खोलने के लिए प्राइवेट परामर्शदाता एजेंसी से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। किन्तु प्राइवेट परामर्शदाता एजेंसी ने यह कहा है कि उस क्षेत्र में कागज उद्योग स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया है। अन्य उद्योगों के बारे में यदि कोई प्रस्ताव आता है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

श्री बाजू बन रियान: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि वहां बाँस और नरम लकड़ी जैसी वन सम्पदा है जिसका प्रयोग सिल्चर में कागज मिलों में किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या बाँस और अन्य वन सम्पदा का प्रयोग त्रिपुरा में नहीं किया जा सकता।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के कागज संयंत्रों में 800 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है। नागालैंड, तुली क्षेत्र में कागज मिलों की क्षमता 33,000 टन है, असम के नवगाँव कागज मिल की क्षमता एक लाख टन है और काच्छर कागज मिल, असम की क्षमता भी एक लाख टन है। अब, जिस स्थान पर यह मिल स्थित है उसके कारण सरकार हर वर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक की हानि उठा रही है। वहाँ बहुत अधिक निवेश किया जा चुका है। और वहाँ दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र की कागज यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है।

——————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

होसपेट, कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्र

*165. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को होसपेट, कर्नाटक में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमान्ति लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु किसी धनराशि की मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) होसपेट, कर्नाटक में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्य प्राधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग

*166. **श्री जी० भूपतिः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में तटपर और तटदूर किये जाने वाले ड्रिलिंग कार्य में हाल ही में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन स्त्रोतों का किस प्रकार उपयोग किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्र में 13 कुंए और अपतट में 5 कुंए खोदे हैं। इन ड्रिलिंग प्रयासों के फलस्वरुप निम्नलिखित तीन नए स्थानों में तेल/गैस मिली है :—

चिंतालापल्ली— गैस
मंडापेट्टा— गैस
बटुमिल्ली— आयल और गैस

इसके अतिरिक्त पहले ही खोजे गए स्थानों पर खोदे गए कुंए तेल और गैस युक्त हैं।

(ख) विभिन्न औद्योगिक प्रयोगों के लिए इन गैस संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के एक बिजली घर को गैस देने के लिए बचन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त काकिनाडा स्थित एक उर्वरक संयंत्र की भी गैस देने के लिए सिद्धांत रूप में वचन दिए गए हैं।

उत्तरी राज्यों में बिजली की कमी

1168. श्री रामस्वरूप रामः क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तरी राज्यों में पिछले कुछ सप्ताहों से बिजली की कमी रही है, जिसके कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन में बार-बार बाधा के कारण हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों को बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जनवरी, 1989 तथा फरवरी, 1989 (15 फरवरी, 1989 तक) के महीनों के दौरान उत्तरी राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है। विद्युत की कमी अनेक घटकों में से एक घटक है। जिसके कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) 26जनवरी, 1989 को आग लगने की दुर्घटना के परिणामस्वरूप पोंग जल विद्युत केन्द्र की बंदी के कारण, पारेषण संबंधी सुविधाओं में बाधाओं, प्रणाली में अपर्याप्त केपेसिटरों के कारण निम्न वोल्टता रूपेण आदि जैसे अनेक कारणों के परिणामस्वरूप उत्तरी राज्यों में पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान विद्युत की कमी रही।

(ग) विद्युत की कमी को न्यूनतम रखने के लिए उठाये गए कदमों में ये शामिल हैः—भाखड़ा काम्पलैक्स से अधिक विद्युत उत्पादन करना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना के शेष यूनिटों को पुनः चालू करना, पोंग जल विद्युत यूनिटो को पुनः शीघ्र चालू करना, प्रभावी भार प्रबंध उपाय करना, केपेसिटर प्रतिष्ठापित करना आदि।

विवरण-1

उत्तरी क्षेत्र में जनवरी, 1989 के दौरान की विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मिलियन यूनिट/प्रतिदिन)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (%)
चंडीगढ़	1.4	1.4	—
दिल्ली	20.220.0		0.2(1.0)
हरियाणा	19.7	18.2	1.5(7.6)
हिमाचल प्रदेश	3.43.4		—
जम्मू और कश्मीर	9.2	6.5	2.7(29.3)
पंजाब	31.1	29.8	1.3(4.2)
राजस्थान	29.0	28.01.0(3.4)	
उत्तर प्रदेश	69.4	63.5	5.9(8.5)
जोड़	183.4	170.8	12.6(6.9)

विवरण-2

उत्तरी क्षेत्र में फरवरी, 89 (15 तक) के दौरान की विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मिलियन यूनिट/प्रतिदिन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (%)
चंडीगढ़	1.4	1.4	—
दिल्ली	19.018.9		0.1(0.5)
हरियाणा	20.4	19.1	1.3(6.3)
हिमाचल प्रदेश	3.43.4		—
जम्मू और कश्मीर	8.5	5.1	3.4(40.0)
पंजाब	34.8	34.1	0.7(2.0)
राजस्थान	29.7	29.60.1(0.3)	
उत्तर प्रदेश	75.3	69.2	6.1(8.1)
जोड़	192.5	180.8	11.7(6.1)

मध्य प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शन

*171. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित जनसंख्या वाले शहरों में रसोई गैस के कनेक्शन देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शन देने हेतु कितने शहरों के सम्बन्ध में विचार किया गया था;

(घ) ऐसे कितने शहर हैं जहां रसोई गैस के कनेक्शन दिये गए हैं; और

(घ) राज्य के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) और (ख) हालांकि इस संबंध में कोई लक्षय निर्धारित नहीं किये गये हैं फिर भी तेल उद्योग चरणबद्ध रूप से उन स्थानों को ले रहीं हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 (1981 की जनगणना के अनुसार) या इससे अधिक है तथा जहां एल पी जी सुविधा स्थापित करने के लिए एल पी जी के व्यवहार्य विपणन के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, मार्च, 1989 के अन्त में तेल उद्योग द्वारा देश में 977 स्थानों पर एल पी जी सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त में से, मार्च, 1989 को समाप्त सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उद्योग द्वारा मध्य प्रदेश में 69 स्थानों पर एल पी जी सुविधाएं देने की योजना है।

(घ) 1 अप्रैल, 1985 से अब तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के 77 स्थानों के संबंध में आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ङ) वास्तव में वितरण केन्द्र खोलने से पूर्व, चूंकि विभिन्न कदम उठाने होते हैं इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान वितरण केंन्द्रों को खोलने में कितना समय लगेगा।

लघु उद्योगों में रियायतें

174. **श्रीमती एन॰पी॰ झांसी लक्ष्मी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु क्षेत्र के उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अधिक रियायतें देने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) और (ख) सरकार को लघु उद्योग संगठनों तथा व्यक्तिगत लघु एककों से समय-समय पर पत्र, ज्ञापन तथा अभ्यावेदन प्राप्त होते है जिनमें उत्पाद शुलक, सीमा शुल्क, बिक्री कर, रियायती वित्त, उत्पादन तथा खरीद दोनों के लिए वस्तुओं का आरक्षण, दुर्लभ कच्चे माल को आपूर्ति आदि सहित विभिन्न प्रकार की रियायतों एवं सुविधाओं की मांग की जाती है।

(ग) देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए है जिनमें संस्थागत

सहायता और रियायती वित्त, उत्पाद शुल्क लाभ, किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही उत्पादन करने के वास्ते वस्तुओं के आरक्षण के माध्यम से विपणन सहायता, लघु एककों से पूर्णतया/आंशिक रूप से खरीदारी करने के वास्ते वस्तुओं का आरक्षण, किराया खरीद के आधार पर मशीनें, तकनीकी परामर्शदायी सेवा, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवा, औद्योगिक आवास व अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहनों व रियायतों का पैकेज शामिल है।

पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना

175. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड देश में पेट्रो-रसायन एकक स्थापित करने पर विचार कर रहे है, और

(ख) यदि हां, तो ये एकक किन किन क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) और (ख) इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि॰ (आईपीसीएल) विशाखापतनम (आन्ध्र प्रदेश) में या औरिया (उ॰प्र॰) में न्यूनतम आर्थिक आकार का एक ओलेफिन्स काम्पलेक्स स्थापित करने पर विचार कर रहा है। यह अपने बड़ौदा काम्पलेक्स का 1,30,000 एमटीए से 3,00,000 एमटीए तक डाउनस्ट्रीम एककों के उत्पादन में वृद्धि सहित पर्याप्त विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है।

इसी प्रकार भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ (गैस) भी औरिया (उ॰प्र॰) में एक एकीकृत गैस क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित करने पर विचार कर रहा है। गैस संयुक्त उद्यम के रूप में बिजापुर में प्रतिवर्ष 1,00,000 टन प्रोपिलीन और पालिप्रोपिलीन का एक एकक स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर लिए जाते है।

सूरतगढ़ (राजस्थान) में ताप विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

1177. **श्री मनफूल सिंह चौधरी:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मंजूरी दे दी थी;

(ग) क्या संयंत्र के प्रारम्भिक कार्य के लिए कुछ धनराशि मंजूर की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ) राजस्थान में सूरतगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र (2 × 210 मेगावाट) स्थापित करने के बारे में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से एक संभाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। कोयले का लिंकेज उपलब्ध न होने के कारण स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित नहीं किया गया है।

जब तक परियोजना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती तब तक इसके लिए निधियों के आबंटन का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में एक नई कोयला कंपनी की स्थापना

[अनुवाद]

178. **श्री सोमनाथ रथः** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक कोयला कंपनी स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ग) राज्य में कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना होता है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयला उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निधारित किया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा कोयला क्षेत्रों से कोयले के वर्तमान उत्पादन और अन्य परिचालन आवश्यकताओं को देखते हुए इस समय उड़ीसा कोयला क्षेत्रों के लिए ही केवल एक नई कोयला कंपनी का खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन उड़ीसा राज्य में कोयला क्षेत्रों के कार्य को देखने के लिए एक ई-9 ग्रेड के मुख्य महा प्रबंधक की तैनाती की गई है। एक निदेशक (तकनीकी) का पद, जिसकी परिचालन तथा योजना दोनों तरह की जिम्मेदारी होगी, उड़ीसा कोयला क्षेत्रों के लिए सृजित किए जाने का मामला विचाराधीन है और इसका मुख्यालय सम्बलपुर में रहेगा।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों से कुल 8.96 मि०टन उत्पादन हुआ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा कोयला क्षेत्रों से 25.26 मि०टन से अधिक कोयला उत्पादन कर लिए जाने की संभावना है।

चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ गये पत्रकार

*179. **श्री सांभाजीराव ककाडेः** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित पत्रकारों के दो दल चीन गये थे, जिनमे से एक दल प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व गया था और दूसरा प्रधानमंत्री के साथ गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पत्रकारों का चयन करते समय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

ससदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और परसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) और (ख): उन पत्रकारों की सूचियां विवरण-1 और विवरण-2 मे संलग्न है जो प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व तथा प्रधानमंत्री के साथ चीन गए थे।

(ग) और (घ): सरकारी तौर पर प्रायोजित दौरों के लिए पत्रकारों के चयन हेतु प्रेस परिषद ने मार्गदर्शी सिद्धांत अनुशंसित किए थे लेकिन प्रधान मंत्री के दौरे "सरकारी तौर पर प्रायोजित दौरों" की श्रेणी मे नहीं आते है । इसके अलावा, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रकृति परामर्शी है और इनका क्षेत्र आदेशात्मक नहीं है । इस प्रकार के चयन का मुख्य मानदंड भारतीय विदेश नीति की पहल और दौरों की सर्वशेष्ठ संभव कवरेज प्राप्त करना है । उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करने

का पर्याप्त अनुभव हो और जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ इस क्षेत्र मे पर्याप्त कार्य किया हो । जहां तक संभव होता है, प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

विवरण-1

उन पत्रकारों की सूची जो प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व चीन गए थे

1.	श्री एल० के० शर्मा	टाइम्स आफ इंडिया
2.	श्री के० के० कत्याल	हिन्दू
3.	श्री वी० के० माधवन कुट्टी	मातृभूमि
4.	श्री राजेन्द्र माथुर	नवभारत टाइम्स
5.	श्री एस० विश्वम्	ट्रिब्यून
6.	श्री एम० जे० अकबर	टेलीग्राफ

(विवरण - 2

चीन के दौरे मे प्रधानमंत्री के साथ गए पत्रकारों की सूची

क्रम संख्या	पत्रकार का नाम सर्वश्री	समाचारपत्र का नाम
1.	हरिहर स्वरुप	पी० टी० आई०
2.	वीरेन्द्र मोहन	यू० एन० आई०
3.	एम० के० धर	हिन्दुस्तान टाइम्स
4.	सुभाष चक्रवर्ती	टाइम्स आफ इंडिया
5.	आर० के० मिश्रा	पैट्रियट
6.	के० वी० राम शर्मा०	नेशनल हैराल्ड
7.	टी० एन० निनान	इकोनोमिक टाइम्स
8.	वी० एन० नारायणन्	ट्रिब्यून
9.	एन० राम	हिन्दू
10.	हरि कुमार	डेक्कन हैराल्ड
11.	जी० एस० चावला	पायोनियर
12.	दिनेश शर्मा	अमृत बाजार पत्रिका
13.	एम० जे० अकबर	टेलीग्राफ
14.	वेंकटराम रेड्डी	डेक्कन क्रोनिकल
15.	विनोद मिश्र	हिन्दुस्तान
16.	प्रफुल्ल माहेश्वरी	नवभारत
17.	अनिल नरेन्द्र	वीर अर्जुन
18.	अभय छजलानी	नई दुनिया
19.	गोपेश पांडे	आज
20.	अनिलअग्रवाल	अमर उजाला
21.	मदन मोहन गुप्ता	जागरण
22.	विजय कुमार चोपड़ा	हिन्द समाचार
23.	मोईन फारुकी	अंगारे
24.	मोहन चिरागी	कोमी आवाज
25.	शाहिद सिद्दीकी	नई दुनिया
26.	यशपाल	डेली मिलाप
27.	आर० कृष्णमूर्ति	दिनामलार
28.	श्रीमती गौरी चठर्जी	आनंद बाजार पत्रिका

क्रम संख्या	पत्रकार का नाम सर्वश्री	समाचारपत्र का नाम
29.	टी० आर० रामास्वामी	मक्कल कुराल
30.	आई० वेनकट राव	आंध्र ज्योति
31.	के० ओबेदुल्लाह	मलयाला मनोरमा
32.	वी० के० माधवज कुट्टी	मातृभूमि
33.	वेंकटनारायण	संयुक्त कर्नाटक
34.	यशवंत एन० शाह	जय हिंद
35.	आर० के० करंजिया	बिलट्ज
36.	दिलीप बोब	इंडियाटुडे
37.	उदयन शर्मा	रविवार
38.	हरभजन सिंह	इंडियन आबजर्वर
39.	रंजन गुप्ता	फ्रीलांस कम्युनिस्ट
40.	नमुनीश गुप्ता	एशियन न्यूज इंटरनेशनल
41.	एस० डी० गोखले	केसरी
42.	सईद नकवी	वर्ल्ड रिपोर्ट
43.	इंद्रजीत	आई० एन० एफ० ए०
44.	डी० बी० चौधरी	दैनिक नवज्योति, अजमेर
45.	फादर एलेक्जेंडर पाईकाडे	दीपिका डेली

डाक्युमेंट्री फिल्म दल में निम्नलिखित थे:—

46.	श्रीमती स्मृता ग्रेवाल	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल
47.	श्री नवरोज रुस्तमजी	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल
48.	श्री जी० वी० सोमाशेखर	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल

उर्जा बचत केन्द्र

*180. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी:** क्या उर्जा मंत्री यह बतानेन कीन कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्जा बचत केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह केन्द्र ऊर्जा बचत का वांछित लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करेगा; और

(घ) ऊर्जा बचत केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावनान है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग मे राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख): ऊर्जा संरक्षण सहित ऊर्जा प्रबंध तकनीकों को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से सरकार द्वारा नागपुर मे एक ऊर्जा प्रबंध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) केन्द्र द्वारा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उद्देश्य को निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:—

ऊर्जा प्रबंधकोन को प्रशिक्षित करना, ऊर्जा प्रबंध के संबंध मे अनुसंधान परिणामों का आदान-प्रदान करना, ऊर्जा बस के माध्यम से उद्योगों की ऊर्जा संबंधी लेख-परीक्षा करना, ऊर्जा की बचत करने वाले उपस्करों का निर्माण करना, ऊर्जा प्रबंध प्रौद्योगिकी में सुधार से संबंधित आंकड़ों का आधार तैयार करना और ऊर्जा प्रबंध नीति संबंधी उपाय लागु करना।

(घ) मोटे अनुमानों के अनुसार, प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्र पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है।

कोचीन हाई में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग

1181. **प्रो॰के॰वी॰ थामस: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या कोचीन हाई में तेल और गैस का पता लगाने की लिए ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने ड्रिलिंग प्लेटफार्म कार्य कर रहें हैं; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में तेल या गैस के पाये जाने के कोई संकेत मिले है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त): (क) और (ख) जी, हां। सी एस पी-1 नामक स्थान पर इस समय एक रिग लगाया गया ह।

(ग) अभी तेल और गैस होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

उडीसा में कागज और लुगदी के कारखाने

1182. **श्री राधाकांत डिगाल :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़िसा में कागज तथा लुगदी के कुछ और कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन्हें शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उधोग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव): (क) केन्द्र सरकार का इस समय उडीसा राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में कागज अथवा लुगदी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) नहीं उठते।

कागज का आयात

[हिन्दी]

1502 :**श्री रू॰डी॰सिंह : क्या उधोग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की भारी कमी है ;

(ख) क्या आल इडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स ने सरकार से कागज का आयात करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस फडरेशन ने कितनी मात्रा में कागज का आयात करने का अनुरोध किया है, इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और क्या इससे कागज की कमी दूर की जा सकेगी?

उधोग मंत्री (श्री जे.वेंगलराव)

(क) जी,नहीं।

(ख) आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिटंस ने अपने 6 फरवरी, 1989 के पत्र में अन्य बातों के साथ साथ सरकार से मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने की लिए अनिवार्य किस्म के कागज का आयात करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) कागज और गत्ते के उत्पादन के वर्तमान स्तर जो, कि मांग के प्रायः अनुरुप है, और इस उधोग में अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए लिखायी व छपाई के सामान्य प्रकार के कागज का आयात करने का कोई विचार नहीं है।

लघु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना

[अनुवाद]

1503 : श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे षि (क) लघु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है; और

(ख) यजिद हां, तो इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे.वेंगल राव): (क) जी,हां। प्रौघोगिक का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है

(ख) सरकार ने लघु क्षेत्र एककों में प्रौद्योगिकी का स्तर बढाने के लिए कई उपाय किए हैं । लघु क्षेत्र एककों में प्रोद्यगिकी का अन्तरण करने के एक प्रभावी साधन के रुप में निम्नलिखित सुविधाओं का पहले ही सर्जन किया जा चुका है।

(i) कांच व सिरमिक, फाउंडरी और ढलाई, खेल साम्रगी व मनोरंजन के उपकरण, घरेलू बिजली उपकरण तथा इलैक्ट्रानिक उत्पादों के लिए प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र।

(ii) औजारों,डाइयों,जिगों, फिक्सचरों तथा हाथ के औजारों के डिजाइन तथा विकास के लिए विशिष्ट औजार कक्ष।

(iii) गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र तथा क्षेत्र परीक्षण केन्द्र (फील्ड टैस्टिंग स्टेशन)।

महाराष्ट्र में डाकघर तथा उप डाकघर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

1504 .श्री प्रकश वी॰ पाटिल: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी डाकघर अथवा उप डाकघर द्वारा कितने क्षेत्र में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) महाराष्ट्र में डाकघरों तथा उप डाकघरों द्वारा लाभान्वित किंए जा रहे विधमान क्षेत्र का ब्योरा क्या है और अन्य राज्यों के साथ इसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है;

(ग) निर्धारित मानदंडो के अनुसार उक्त राज्य में अभी कितने क्षेत्रो में डाकघरों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी बाकी है; और

(घ) यह सुविधा कब उपलब्ध कराई जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) इसके लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं हैं। तथापि, सामान्य रूप से, ग्रामिण क्षेत्रो में किसी डाकघर से औसतन लगभग 25 से 30 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में सेवा सुलभ कराने की अपेक्षा की जाती है और शहरी क्षेत्रों में, जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि के यह औसत लगभग 3 से 12 वर्ग कि.मी.बैठती है।

(ख) तुलनात्मक आंकडे इस प्रकार हैं:-

प्रति डाकघर औसत क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)

	शहरी	ग्रामीण
महाराष्ट्र	4.2029.58	
सम्पूर्ण भारत	3.30	24.50

(ग) और (घ) डाकघर केवल सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर स्वीकृत नहीं किए जाते। अन्य मानदंडों, जैसे कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान की जानी है तथा संभावित राजस्व की सीमा को भी ध्यान में रखा जाना है। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामिण क्षेत्रों में अब तक 30 नए शाखा डाकघर स्वीकृत किए गए हैं। वहां 96 और डाकघरों के प्रस्ताव हैं।

कारों का उत्पादन और आयात

1505. **श्री चिन्तामणि जेना:**

: **श्री अमर सिंह राठवा:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार निर्माण करने वाले एकको की संख्या क्या है; और प्रत्येक एकक में प्रति वर्ष कितनी कारें तैयार की जाती हैं;

(ख) क्या कारों का उत्पादन घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या कारों को निर्यात करने की कोई सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो कारों के कुल उत्पादन और निर्यात सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कारों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि की गई है; और

(च) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक ब्रान्ड की कार का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) : भारतीय आटोमोबील निर्माता संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1987-88 के दौरान विभिन्न निर्माताओं द्वारा दिया गया यात्री कारों का उत्पादन निम्न प्रकार है:-

1.	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	26552
2.	मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड	90848 (वैनों सहित)
3.	मैसर्स प्रिमियर आटोमोबील लिमिटेड	33556
4.	मैसर्स सिपनी आटोमोबील लिमिटेड	475
5.	मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रॉडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड	444

(ख) जी, हाँ

(ग) **और** (घ): जी, हाँ। मैं० मारूति उद्योग लिमिटेड ने अब तक 1,226 वाहनों (समझे गए निर्याती सहित) का विभिन्न देशों को निर्यात किया है, जिनमें से हंगरी को 500 कारों का निर्यात किया गया है।

मारूति उद्योग ने 1989 में हंगरी को 2,000 कारों की आपूर्ति करने के एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यूगोस्लाविया ने मारूति उद्योग द्वारा 1989 में 600 कारों की आपूर्ति करने वाले एक क्रयादेश की पुष्टि की है। सफल अनुमोदन एवं परीक्षण होने पर 1989-90 के दौरान बुलगारिया तथा फ्रांस को मारूति वाहनों का निर्यात किए जाने की भी सम्भावना है। मारूति उद्योग ने खाड़ी देशों, फ्रैंकोफोन अफ्रीकी देशों तथा ऑस्ट्रलिया को अपने जिप्सी वाहनों का निर्यात करने संबंधी कदम थी उठाए हैं।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान मुख्य यात्री कार निर्माताओं द्वारा लागू किए गए मूल्य संबंधी ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(आंकड़े रू० में)

1. मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड (उत्पादन शुल्क तथा विक्रेता के कमीशन सहित कारखाने से निकलते समय का मूल्य)

		12.3.87	14.10.87	1.3.88	21.5.88
1)	मारूति-800	7650	1000	660	4050
2)	मारूति-800 ए० सी०	1050	1325	865	5380
3)	मारूति-800 डी० एक्स०	8850	1325	1025	4880

2. मैसर्स प्रिमियर ऑटोमोबील्स लिमिटेड (उत्पादन शुल्क सहित कारखाना-बाह्य एन० डी० पी०)

		1.4.87	1.4.88
1)	प्रिमियर 118 एन० ई०	11450	19598
2)	प्रिमियर पद्मिनी स्टैंडर्ड	5980	7491

3. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स

		प्रभावी तारीख	वृद्धि की राशि
1)	अम्बैसडर स्टैंडर्ड (पैट्रोल)	7.10.87	2825
		5.4.88	3500
2)	अम्बैसडर डी० एक्स (पैट्रोल)	7.10.87	2825
		5.4.88	4000
3)	अम्बैसडर डीजल	4.5.87	3000
		5.4.88	4000
4)	कोंटासा क्लासिक	17.6.87	11000
		13.1.88	5000
		5.4.88	4975

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा निर्यात

1506. श्री मोहनभाई पटेल:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जो अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं तथा इन एककों द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु एक दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम, जो अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं तथा उनके द्वारा निर्यात की जा रही वस्तुओं के नाम 27 फरवरी, 1989 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1987-88 के खण्ड-1 के अध्याय-11 में दिये गये हैं।

(क) और (ग): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की खपत

1507. **श्री गुरूदास कामत:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की खपत बढ़ गई है;

(ख) क्या कन्फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विधुत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) जी, हां।

(ख) **और** (ग): इंजीनियरिंग उद्योगों के महासंघ द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। इंजीनियरिंग उद्योगों के महासंघ द्वारा विधुत दृश्य लेख के अपने पम्फलेट में कृषि क्षेत्र के संबंध में ऊर्जा के उपभोग के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रकाशन पर आधारित हैं। इससे यह पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत का हिस्सा जोकि 1960-61 में 6.0% था। 1985-86 में बढ़कर 19.1% हो गया।

भारतीय फिल्मों के निर्यात के संबंध में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का समझौता

1508. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन देशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रियता प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने हाल ही में उन देशों को भारतीय फिल्मों की सप्लाई हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) भारतीय नृजातीय जनसंख्या की बहुतायत वाले देशों और उन देशों में जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, भारतीय फिल्में जनप्रिय रही हैं और जनप्रिय बनी हुई हैं। ये देश श्रीलंका, बर्मा और सोवियत संघ के अलावा मध्य पूर्व अरब की खाड़ी, सुदूरपूर्व और अफ्रीका में स्थित हैं।

(ख) भारतीय मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन अब अस्तित्व में नहीं है। भारतीय मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन और फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन को मिलाकर 1980 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बनाया गया था। हाल ही में, इन देशों के साथ भारतीय फिल्मों की सप्लाई के लिए किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुए। तथापि, सोवेक्सपोर्ट फिल्म और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच फिल्मों के आयात / निर्यात के लिए एक स्टेट एजेंसी अग्रीमेंट चल रहा है जो तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.3.87 को लागू हुआ।

(ग) सोवेक्सपोर्ट फिल्म और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच अनुबंध की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

—सोवेक्सपोर्टफिल्म द्वारा प्रतिवर्ष 20 मोशन पिक्चरों का भारत में आयात और वितरण,

—सोवेक्सपोर्ट फिल्म द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से फिल्मों के निर्यात का कैनेलाइजेशन,

—सोवेक्सपोर्ट फिल्म की थियेट्रीकल (70 एम. एम., 35 एम. एम. और 10 एम. एम. तथा गैर-वाणिज्यिक (16 एम. एम.) फिल्मों का दोहन।

—सोवियत संघ में थियेट्रीकल और गैर-थियेट्रीकल वितरण के लिए सोवेक्सपोर्ट फिल्म द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 60 लाख रुपये मूल्य की भारतीय फिल्मों / वीडियो अधिकारों की खरीद।

दिल्ली परिमंडल में विभागेतर डाकियों को नियमित करना

1509. **डा॰ ए॰ के॰ पटेल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिमंडल में कार्यरत विभागेतर डाकियों को कई बार पांच घंटे से अधिक समय तक कार्य करने के लिए रोक लिया जाता है और इस अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें काम के अनुपात में मजदूरी दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली परिमंडल में अतिरिक्त विभागेतर डाकियों की सेवाओं की सामान्य नियमों के अनुसार नियमित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अशकालिक कर्मचारी हैं और उन्हें आमतौर पर प्रतिदिन 2 से 5 घंटे के अवधि के लिए लगाया जाता है। जब कभी दिल्ली सर्किल में सेवा की दृष्टि से अत्यावश्यक होता है, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को उनके कार्य घंटों से इतर नैमित्तिक मजदूरों के बतौर लगाया जाती है। उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए नैमित्तिक मजदूरों के लिए लागू प्रति घंटे की दरों के आधार पर अदायगी की जाती है।

(ख) और (ग): वैसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता है। तथापि, वे भर्ती नियमों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, परीक्षा के माध्यम से ग्रुप ब'' और मेल गार्ड के विभागीय पदों पर खपाए जाने के पात्र हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का और कोई तरीका नहीं है।

उत्तर प्रदेश के औरिया में पैट्रोकेमिकल एकक

1510. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के औरिया में पैट्रोकैमिकल एकक को संबंधित करने का कार्य इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड अथवा गैस आथिरिटी आफ इंडिया लिमिटेड को सुपुर्द करने का विचार है, और

(ख) इस प्रस्तावित उधम में सरकारी क्षेत्र एकक का कितना भाग होगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव):

(क) और (ख) औरिया में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

य06

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा नई परियोजनाओं का विकास

1511. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰ ने कुछ नई परियोजनाएं विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षमता आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नई परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क): जी,हां।

(ख) और (ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1988 की अवधि के दोरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में विकास के लिए स्वीकृत प्रत्येक 2 करोड़ रु. और इससे ऊपर की राशि की लागत वाली 6 नई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:—

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (प्रति वर्ष मि. टन में)	लागत (करोड़ रूपए में)
1.	झारखण्ड ओपेनकास्ट	0.35	17.66
2.	कबीराबाद ओपेनकास्ट	0.50	16.53
3.	कथारा (अंतरिम) ओपेनकास्ट	1.90	19.85
4.	फुसरो ओपेनकास्ट	0.35	18.76
5.	राजरप्पा वाशरी स्वचालित	गैर-खनन परियोजना	2.29
6.	कारगली वाशरी में डिशेलिंग प्लाटं	गैर-खनन परियोजना	3.63

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० का प्रायोगिक संयंत्र

1512 **श्री के. प्रधानी:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपेरेशन लि० द्वारा लिग्नाइट की दहनशील और संक्षारक विशेषता का अध्ययन करने के लिए नेवेली में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके अधिग्रहण किए जाने के समय से इस कारपोरेशन की और क्या उपलब्धियां रही हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ): (क) और (ख): नेवेली में भट्ठी रियाकलापों के कुछ पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए जैसे राख जमाव, जंग, कटाव तथा लिग्नाइट की ग्राइडिंग व्यवहार्यता के बारे में एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव निष्पादित चरण में है।

(ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा कर लिया है:—

(1) 6.5 मिलियन टन क्षमता की पहली लिग्नाइट खान;
(2) 600 मे.वा. क्षमता का पहला थर्मल पावर स्टेशन;
(3) 4.7 मिलियन टन क्षमता वाली दूसरी लिग्नाइट खान;
(4) 630 मे.वा. क्षमता वाला दूसरा थर्मल पावर स्टेशन;
(5) 129200 टन यूरिया की क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र; और
(6) 262000 टन क्षमता वाला ब्रिकेटिंग और कार्बनिकरण संयंत्र

इस समय चालू परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:— दूसरी खान विस्तार (4.7 मिलियन टन से 10.5 मिलियन टन) और दूसरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-II (840 मे.वा.) का कार्य।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का कार्य निष्पादन, श्रमशक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र दोनों में ही, निरंतर ऊंचा बना रहा।

ऊर्जा के विकास में विदेशी सहयोग

1513. **श्री एच०बी० पाटिल:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में ऊर्जा के विकास में सहयोग के लिए विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन के देश अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं;

(ग) किन-किन देशों से भारत में ऊर्जा के विकास में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ): यद्यपि विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से विदेशी स्रोतों पर ही निर्भर रहा जाता है तथापि कुल मिलाकर संसाधनों संबंधी बाधाओं को मद्देनजर रख कर विदेशी सहायता का भी सहारा लिया जाता है । भारत में विद्युत के विकास में सहयोग देने के लिए जिन देशों ने प्रस्ताव रखे हैं इन देशों में यू०एस०एस०आर०, यू०के०, इटली, जापान, यूगोस्लाविया, रोमानिया, पौलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी तथा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आदि शामिल हैं। प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोषों के आधार पर तथा समग्र राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए सहायता संबंधी प्रस्ताव की जांच की जाती है।

टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों का नामांकन

1514. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और अन्य राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों को नियुक्त अथवा नामांकित करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु कौन व्यक्ति पात्र हैं और क्या उनके लिए कोई अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क): विभिन्न दूरसंचार / टेलीफोन सलाहकार समितियों के लिए नामांकन संचार मंत्री द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श के किया जाता है।

(ख) और (ग): टी ए सी के लिए नामित व्यक्ति को सामान्य तौर पर संबंधित दूरसंचार सर्किल / टेलीफोन जिले की भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उनका नामांकन, व्यापार और उद्योग, कानूनी व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है।

नवीनतम प्रौद्योगिकी का आयात

1515: **श्री जगन्नाथ पटनायक:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने भारत की औद्यौगिक क्षमता के और अधिक विकास के लिए अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीनतम प्रौद्योगिकी का किन क्षेत्रों में उपयोग करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे.वेंगल राव): (क) से (ग) अनेक देशों ने प्रौद्योगिकी के अंतरण में रूचि दिखाई है और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए हमारे देश के उद्यमों और विदेशों के बीच अनेक सहयोग किये गये है।

स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे जैसे कि भारतीय कंपनी का नाम विदेशी सहयोगी, उत्पादन की वस्तु, सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने 'मन्थली न्यूज लैटर' के परिशिष्ट के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

प्रौद्योगिकी कर आयात करने के लिए मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं जहां उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की आवश्यकता होती है अथवा जहां देश में प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं है अथवा जहां प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण अथवा निर्यात सामेय इत्यादि में वृद्धि करने में लगने वाले समय से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी होती है, के बारे में केवल चुनीदा आधार पर अनुमति दी जाती है।

चंगनाचेरी, केरल में दूरदर्शन केन्द्र

1516 **श्री पी॰ए॰ एंटनी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में चंगनाचेरी में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक चालू हो जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत): (क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, चंगनाचेरी में टी.वी. कवरेज का विस्तार, टी.वी. विस्तार की भावी योजनाओं में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल में दूत डाक सेवा

1517. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कौन-कौन से नगरों और शहरों में दूत डाक सेवा आरम्भ की गई है;

(ख) क्या केरल में कुछ अन्य शहरों में दुत डाक सेवा आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क): केरल में कोचीन, त्रिवेन्द्रम और अल्वे में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ कर दी गई है।

(ख) और (ग). जी हां। क्विलोन में स्पीड पोस्ट सेंटर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पवन ऊर्जा की सम्भाव्यता

1518. **डा॰ जी॰ विजय रामाराव:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, राज्य-वार पवन ऊर्जा की अनुमानित सम्भाव्यता क्या है;

(ख) इस समय राज्य-वार पवन ऊर्जा का कितना दोहन/उपयोग किया जाता है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान पवन ऊर्जा परियोजना पर राज्य-वार, कितनी धनराशि का निवेश किया गया तथा उनसे अधिकतम कितना निवेश अपेक्षित था?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क): पवन विद्युत की कुलसम्भावना 20,000 मेगावाट की मात्रा में होने का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि राज्यवार सुनिश्चित अनुमान अभी तक नहीं बनाया गया है, फिर भी

उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस सम्भावना का एक बहुत बड़ा भाग गुजरात और तमिलनाडु के राज्यों में विद्यमान है। और अधिक विस्तृत पवन संसाधन आंकड़े को विकसित करने तथा पवन सम्भावना का और सही ढ़ंग से मूल्यांकन करने की दृष्टि से, 16 राज्यों में पवन सर्वेक्षण परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(ख) 28 फरवरी, 1989 तक स्थापित किए पवन पम्पों की राज्यवार संख्या सलग्न विवरण-1 में दी गई है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्यवार स्थापित क्षमता सलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) पवन ऊर्जा दोहन के लिए अच्छी संभावना वाले तेज हवाओं वाले राज्यों में सातवीं योजना में शुरू की गई प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

राज्य	राशि (करोड़ों में)
तमिलनाडु	6.75
गुजरात	4.50
उड़ीसा	2.10
महाराष्ट्र	1.90
आन्ध्र प्रदेश	1.25
कर्नाटक	0.90
मध्य प्रदेश	0.75

इस व्यय में पर्याप्त पवन वेग वाले क्षेत्रों में पवन फार्म यूनिटें लगाने, पवन पम्पन प्रणालियों तथा पवन सर्वेक्षण परियोजनाओं पर पूंजीनिवेश शामिल है।

इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर शुरू की गई परियोजनाओं पर भी कुछ व्यय किया गया है।

विवरण-1

28 फरवरी, 1989 तक राज्यवार स्थापित की गई पवन पम्पन प्रणालियां

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	28.2.1989 तक
1. आन्ध्र प्रदेश	268
2. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	19
3. बिहार	162
4. चंडीगढ़	4
5. दिल्ली	
6. गोवा	6
7. गुजरात	103
8. हरियाणा	31
9. हिमाचल प्रदेश	12
10. जम्मू और कश्मीर	3
11. कर्नाटक	43
12. केरल	9
13. मध्य प्रदेश	164
14. महाराष्ट्र	132

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	28.2.1989 तक
15. नागालैंड	4
16. उड़ीसा	301
17. पांडिचेरी	10
18. पंजाब	77
19. राजस्थान	101
20. तमिलनाडु	510
21. उत्तर प्रदेश	262
22. पश्चिम बंगाल	15
23. त्रिपुरा	2
योग	2314

विवरण-2

पवन विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार स्थापित क्षमता

राज्य	स्थापित क्षमता
तमिलनाडु	2.63 मेगावाट
गुजरात	1.83 मेगावाट
उड़ीसा	1.19 मेगावाट
महाराष्ट्र	1.19 मेगावाट
कर्नाटक	0.55 मेगावाट
केरल	0.10 मेगावाट
गोवा	0.11 मेगावाट
मध्य प्रदेश	0.14 मेगावाट

रोहणी, दिल्ली में डाक तथा तारघर खोलना

1519. **श्री प्रकाश चन्द्र:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली-34 में डाक तथा तारघर खोले गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में निवासियों के लिए डाक वितरण की नियमित व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी नहीं।

(ख) इस डाकघर की 12.1.1989 को मंजूरी दे दी गई है और इसे उचित स्थान मिलते ही शीघ्र खोल दिया जाएगा।

अभी वहा एक अलग तारघर का औचित्य नहीं है। तथापि, तार/टेलीफोन/टेलेक्स सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से रोहिणी में कुछ महीने में एक दूरसंचार ब्यूरो खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज का आबंटन और समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं का पंजीकरण

1521. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का आवंटन केवल उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को ही किया जाता है, जो भारतीय समाचारपत्र पंजीयक की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करते हैं:

(ख) अब तक कितने समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में 31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय समाचारपत्र पंजीयक के पास कितने समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के नाम पंजीकृत हैं; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं?

संसदीय कार्य मंत्री अथवा तथा और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत): (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 1.3.1989 तक 1159 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से वार्णिक विवरण प्राप्त हो गए थे।

(ग) 28,555

(घ) 1303

ट्रेड मार्जिनों का निर्धारण करना

1522. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक:**

क्या **उद्योग** मंत्री ट्रेड मार्जिन का निर्धारण करने के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अर्न्तगत ट्रेड मार्जिन पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं जिनसे उक्त समिति अपनी सिफारिशें शीघ्र दे दें?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खुदरा विक्रेताओं के लिए संशोधित व्यापार लाभ की दर मूल्य नियंत्रित औषधों के मामले में 22.3.1988 को 16% नियत किया गया था। इसके अलावा, व्यापार लाभ के ढांचे का विस्तृत और व्यापक अध्ययन करने के लिए और अपनी सिफारिशें सरकार को देने के लिए डा०आई० जेड भट्टी की अध्यक्षता में 14.9.1988 को एक दूसरी समिति गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

कलकत्ता में डाक के थैलों का निपटान

1523. **श्री राम बहादुर सिंह:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1985 में पोस्टल स्टोर डिपो कलकत्ता से कई हजार डाक के थैलों की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विभागीय जांच की गई है, यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और दोषी पाए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या लाखों रुपए के वितरित न किए जा सकने वाले थैलों का निपटान अप्रैल, 1975 से अगस्त के बीच 1977 के बीच विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया था; और

(ड) यदि हां, तो दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क): जी नहीं।

(ख) और (ग). तथापि, 1985 में बहुत बड़ी संख्या में बेकार थैलों को बेचने के बारे में कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं। बेकार थैलों को बेचने में हुई कुछ अनियमिततायें ये थीं:-

(1) हिसाब-किताब उचित ढंग से नहीं रखा गया था ;

(2) बेकार थैले गिन कर बेचने की बजाय तोल कर बेचे गए थे ;

(3) थैलों की शेष नियमित रुप से जांच नहीं की गई जैसा कि निर्धारित है ;

(4) थैलों का ठेका देने का मामला उचित माध्यम से नहीं उठाया गया ; और

(5) पुराने बेकार थैलों के बारे में मई, 1979 से पहले का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

थैलों के हिसाब-किताब को मानीटर करने के लिए समुचित अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं।

(घ) और (ड). अप्रैल, 75 से अगस्त, 1977 के बीच कितने बेकार थैले बेचे गए इस संबंध में विभाग के पास विस्तृत जानकारी नहीं है।

रसोई गैस के आयात की व्यवस्था हेतु पत्तन सुविधाएं

6. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन पत्तनों में रसोई गैस के आयात की व्यवस्था उपलब्ध है ;

(ख) इन पत्तनों में रसोई गैस के आयात की व्यवसथा की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या रसोई गैस की पर्याप्त मात्रा का आयात करने के लिए विद्यमान सुविधायें उपयुक्त हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करने तथा कुछ नये पत्तनों में सुविधाओं का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) :

(क) और (ख) :-इस समय बम्बई और विशाखापत्तनम बन्दरगाहों के जरिए एल पी जी का आयात किया जा रहा है । 1988-89 के दौरान लगभग 0.25 मिलियन टन एल पी जी को आयात इन दोनों बन्दरगाहों के जरिए किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) :-हालांकि वर्तमान आयातों के लिए वर्तमान सुविधाएं लगभग पर्याप्त हैं फिर भी, वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने की सम्भावनाओं और अन्य बन्दरगाहों के जरिए एल पी जी आयात की सुविधाओं को बनाने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा रहा है ।

विदेशी सहयोग

[हिन्दी]

7. :श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
:श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योग में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 और 1988 के दौरान कितना विदेशी निवेश किया गया तथा वर्ष 1989 के लिये कितने निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या उद्योग में विदेशी निवेश के लिये कोई सीमा निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) :

(क) सरकार की विदेश नीति चयनात्मक है और यह ऐसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश करने के लिए बनाई जाती है जिनमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है या जहाँ महत्वपूर्ण उत्पादन में अंतर मौजूद होता है अथवा जो देश की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा । विदेशी निवेश को प्रौद्योगिकी अंतरण के साधन के रूप में माना जाता है जो देश के लिए आवश्यक है ।

(ख) सरकार ने वर्ष 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 10,770.57 लाख रु. और 23,975.75 लाख रु. के विदेशी निवेश का अनुमोदन किया है । चूंकि अनुमोदन किये गये प्रस्तावों के उत्तर में किये जाते हैं इसलिए वर्ष 1989 के लिए कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं है ।

(ग) विदेशी इक्विटी भागीदारी की सामान्य अधिकतम सीमा कंपनी का प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 40 प्रतिशत होता है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी निवेश में वृद्धि

[अनुवाद]

1528. **श्री अमर रायप्रधान :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के पूंजी निवेश में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ,

(ख) क्या अधिक पूंजी निवेश के कारण उनकी कुल आय में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस असंतुलन को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पोलेंड के साथ संयुक्त उद्यम

1529. डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रूचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) :

(क) से (ग) पोलेंड तथा भारत दोनों देशों के मध्य सहयोग के नये तरीकों के विकास में रूची दर्शायी है । जनवरी, 1989 में भारत-पोलिश संयुक्त आयोग की हाल की बैठक के समापन पर दो देशों के बीच संभावित सहयोग के लिए चुने गये क्षेत्रों में होटल उद्योग, इलैक्ट्रोनिक उत्पाद, आटोमोटिव उद्योग, मशीन टूल्स, कृषि मशीनरी, इस्पात उद्योग, रसायन, औषध एवं भेषज, पैकेजिंग, खाद्य संसाधन उद्योग, अलौह धातु, अर्थ मूविंग, निर्माण तथा खनन उपकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, जहाज निर्माण उद्योग, विद्युत संयंत्र उपकरणों इत्यादि के लिए मशीनरी सम्मिलित हैं ।

तमिलनाडु में फैक्स सुविधा के प्रयोग के लिए लाइसेंस

1530. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में "फेक्स" सुविधा के प्रयोग के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

अब तक, मद्रास टेलीफोन सहित तमिलनाडु में लगभग 150 लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

सीमेंट का निर्यात

1531: **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट विनिर्माता संघ ने वर्ष 1989-90 के दौरान सीमेंट के निर्यात की ओर एक सीमेंट निगम की स्थापना की योजना तैयार की है;

(ख) क्या उक्त संघ ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) और (ख) 3 सीमेंट विनिर्माता संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1989-90 के दौरान 40 लाख टन सीमटें का निर्यात करने की योजनाएं तैयार की हैं और सीमेंट का निर्यात बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सीमेंट निर्यात निगम का गठन करने का निर्णय लिया है ।

(ग) सीमेंट विनिर्माता संघ ने सरकार से कुछ राहतों व रियायतों की भी मान की है ताकि वे सीमेंट का निर्यात कर सकें । इस समय सीमेंट के निर्यात के लिए कोई नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी सी एस) नहीं मिलती है । तथापि, वाणिज्य मंत्रालय ने सीमेंट के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता के वास्ते निर्णय लेने के लिए रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद से उक्त उद्योग से लागत आंकड़ों के ब्यौरे एकत्रित करने का अनुरोध किया है ।

कागज की छोटी मिलों को रियायतें

1532: **श्री विजय एन० पाटिल:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसेसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से कागज उद्योग के लिए भी पटसन और कपड़ा उद्योगों की तरह का एक विशेष कोष बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस कोष को बनाने में कितना समय लगेगा; और

(ग) सरकार का कागज की छोटी मिलों को अन्य क्या रियायतें और सहायता देने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) और (ख): आल इंडिया स्माल पेपर मिल्स, एसोसियेशन सहित, कागज उद्योग की कई एसोसियेशनों ने उद्योग के आधनिकीकरण के लिए सहायता सहित विभिन्न राहतों एवं रियायतों के लिए अभ्यावेदन किया है। विद्यमान औद्योगिक एककों द्वारा प्रौद्योगिक के उन्नयन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात के लिए पहले ही सुविधाएं दी हैं जिनकी सम्पूर्ण अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु० प्रति एकक प्रति वर्ष है:—

(1) पूंजीगत उपकरण
(2) तकनीकी जानकारी
(3) तकनीकी सहायता
(4) तकनीकी आरेखण और डिज़ाइन
(5) तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं

(ग) इसके अतिरिक्त, कागय उद्योग को विभिन्न राहत और रियायतें दी गई हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(1) गैर-एम. आर. टी. पी. / गैर फेरा कम्पनियों को उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनका निवेश 50 करोड़ रू० से अधिक है यदि वे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है अथवा जिनका निवेश 15 करोड़ रुपये से अधिक है यदि वे गैर-पिछड़ें क्षेत्रों में स्थित हैं और कुछ मानक शर्तें पूरा करते हैं, औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(2) खोई / कच्चे पटसन / मेस्टा से बनी लुगदी के कम से कम 75% भार के कागज को उत्पादन शुल्क से छूट दी ग है ।

(3) गैर-परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने वाले बड़े / मझौले / लघु कागज मिलों द्वारा कागज एवं गत्ता तैयार करने पर कम से कम 50% रियायती दर पर उत्पाद कर लिया जाता है ।

(4) 1.4.86 से छोटे कागज मिलों को कृमिक पहियों के लिए वृद्धि आधार पर उत्पादन कर की अदायगी की सुविधा दी गई है ।

(5) लकड़ी की लुगदी, रद्दी कागज, ओबिप्स तथा लकड़ी के लट्ठों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया गया है तथा इनके आयात पर लगने वाला सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(6) गत्ता / स्ट्रा **बोर्ड** सहित सभी किस्मों के कागज और कागज ग्रेड लुगदी का विनिर्माण करने वाले उद्योग को समग्र लाइसेंस त्पराप्त क्षमता के अंदर उदार बनाने की अनुमति दी गई है।

(7) कृषि अवशेषों, रद्दी तथा खोई से लेखन, छपाई और लपेटने के कागज के विनिर्माण के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(8) न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना को कृषि अवशेष के रूप में कच्चे माल पर आधारित कागज और गत्ता उद्योग (विशेष कागज सहित) पर लागू कर दी गई है, जिसकी न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33,000 मी. टन.प्रति वर्ष नियत की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग

1533. **श्री लक्ष्मण मालिक:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे लघु उद्योगोन का पता लगाया है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषरूप से उड़ीसा में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगलराव):

(क) और (ख) उद्यमियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकने वाले लघु उद्योगों को देश में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई कार्ययोजनाओं में दिखलाया जाता है । पता लागाए गए उद्योगों में मुख्यतया स्थानीय संसाधनों, स्थानीय मांग और स्थानीय कौशल पर आधारित उद्योग शामिल है । इन्हें कृषि पर आधारित, वनों पर आधारित, खनिज पर आधारित, पशु पालन संबंधी उत्पादों पर आधारित, रसायन पर आधारित, इंजीनियरी और सम्बद्ध उद्योगों सिरेमिक इत्यादि जैसे समूहों में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन देती हैं ।

उड़ीसा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों सहित सभी नए लघु एककों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करनेक के लिए बिक्री कर में छूट देने की सुविधाएं, बिजली सबसिडी, स्टाम्प शुल्क से छूट, ब्याज सबसिडी देती हैं ।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों के मूल्यों में वृद्धि

1534. **श्री वी॰ तुलसीराम:**

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नये हल्के वाणिज्यिक वाहनों के निर्मात्ताओं ने इनके मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो वाहनों के मूल्यों में वृद्धि करने वाले निर्मात्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) आम जनता पर इससे कहां तक प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(घ) पिछले तीन वर्षा के दौरान वाहनों के मूल्यों में कितनी तुलनात्मक वृद्धि हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव):

(क) और (ख): नये हल्के वाणिज्यक वाहन विनिर्माता अर्थात् मैसर्स डी सी एम टोयोटा लि॰ मैसर्स आल्विन निसान लि, मैसर्स आयाशर मोटर्स लि॰ और मैसर्स स्वराज माजदा लि॰ ने हाल

ही में अपने वाहनों के मूल्यों में वृद्धि की है ।

(ग): आम जनता पर इन वाहनों के मूल्य वृद्धि के प्रभाव का निश्चित अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(घ): विनिर्माताओं द्वारा 1986 से प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल मूल्य वृद्धि नीचे दी गई है:—

मूलयों में वृद्धि (रूपयों में)

		1986	1987	1988
1.	मै. डी॰ सी॰ एम॰ टोयोटा लि॰	27,900	5,000	17,537
2.	मै. आल्विन निसान लि॰	4,898	14,872	5,500
3.	मै. आयशर मोटर्स लि॰	24,100	6,800	9,200
4.	मै. स्वराज माजदा लि॰	28,983	6,600	10,672

खादी ग्रामोघोग आयोग के अकाउटेंट और कैशियर की वरिष्ठता सूची

[हिन्दी]

1535. **श्रीमति विद्यावती चतुर्वेदी:** क्या **उद्योग** मंत्री खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विक्रय केन्द्रों के कर्मचारियों की संवर्गवारा वरिष्ठता सूची के बारे में 19 अप्रैल , 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के अकाउटेंट-III और कैशियर की वरिष्ठता सूची को अंतिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि खादी रामोद्योग आयोग के अन्य विक्रय केन्द्रों में अकाउटेंट और कशियर को समान संवर्ग में रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली के अकाउटेंट और कैशियर को समान संवर्ग में न रखे जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰वेंगल राव):

(क) और (ग): खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सेवा बोर्ड, जिसने इस मामले की जांच की है, इस पक्ष में नहीं है कि खजांचियों के पदों को लेखापालों (एकाउंटेंटों) के पदों के साथ जोड दिया जाए। तदनुसार, खजांचियों का एक अलग संवर्ग बनाने तथा उनके लिये पदोन्नति का मार्ग खोलने हेतु एक प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा गया है।

(ख): खादी ग्रामोद्योग भवन, कलकत्ता के लेखाकरों तथा खजांचियों को लेखा संवर्ग में रखा गया है।

विज्ञापन स्तरों में सुधार करने हेतु उपाय

[अनुवाद]

1536. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:**

क्या **सुचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान विज्ञापन प्रवृत्ति के परिणाम स्वरुप समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का कोई विश्लेषण से किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विज्ञापन स्तरों में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत):

(क) दिल्ली में दूरदर्शन विज्ञापनों के समाज वैज्ञानिक प्रभाव पर एक प्रायोगिक परियोजना चुने के लिये दूरदर्शन ने एक बाह्य अनुसंधान एजेंसी शरू की है।

(ख) इस की जांच परिणाम से पता चला कि दूरदर्शन वाणिज्यिक कुल मिलाकर रुचिकर मनोरंजक तथा सूचनापरक है। उनसे आर्थिक कुण्ठा को बक्षावा नहीं मिलता और सामान्यतआ छोटी मदों को मांग को बढ़ावा मिलता है। पर्याप्त बजट योजना के बाद, उच्च मूल्य की टिकाऊ सामाग्री खरीदी जाती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अपनाए गए वाणिज्यिक प्रसार के लिये संहिता में विज्ञापन देने में मानकों को सुनिश्चित करने के लिये बनाई गई सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊनाथ भंजन और बलिया जिलों में प्रट्रोल पम्प खोलना

[हिन्दी]

1537. **श्री राजकुमार राय:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मउनाथ भंजन और बलिया जिलों के उन स्थानों के नाम क्या है जहां पेट्रोल पम्प खोलने के लिये पिछले तीन वर्षो के दौरान आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए; और

(ख) ये पेट्रोल पम्प वहां कब तक कार्य करना शुरू करेंगे?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) तेल उद्योग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊभंजन और बलिया जिलों के निम्नलिखित स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिये खोलने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं:-

स्थान	जिला
1. बिलारीगंज	आजमगढ़, और मऊभंजन
2. ब्रह्मस्थान की चुंगी	-वही-
3. महाराजगंज	-वही-
4. लालगंज	-वही-
5. सरायमीर	-वही-
6. थेकमा	-वही-
7. छिदवादागांव	बलिया
8. बनसिद्ध	-वही-

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल / डीजल) को वास्तव में चालू करने से पूर्व उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ये डीलरशिपें वास्तव में चालू हो जाएंगी।

बिहार में मैथन में पाचवें ताप-विद्युत केन्द्र की स्थापना

[अनुवाद]

1538. **श्री बसुदेव आर्चाय :**

श्री रेणुपद दास :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम का पांचवा ताप विद्युत केन्द्र गृह बिहार में मैथन में स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की स्थल चयन समिति की रिर्पोट का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कुल्पनाथ राय)

(क) और (ख): दामोदर घाटी निगम द्वारा बिहार के धनबाद जिले में बाराकर नदी के दाएं तट पर मैथन ? में 840 मेगावाट क्षमता (4x210 मेगावाट) का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका अनुमानित लागत लगभग 1206 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिये कोई स्थल चयन समिति गठित नहीं की गई थी और दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थल का चयन संभावित कोयला लिंकेज के आधार पर किया गया था।

दूरदर्शन धारावाहिक ''महाभारत''

1539. **श्री बृज मोहन महन्ती:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर दर्शाय जा रहे धारावाहिक ''महाभारत'' के बारे में यह टिप्पनी सुनी है कि यह मूल पाठ से भिन्न है तथा इसमें कलात्मक गुणवत्ता में कमी है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत):

(क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में आकाशवाणी / दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण

1540 **श्री विष्णु मोदी:**

क्या **सूचना अ र प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में उन क्षेत्रों का पता लगाने हेतु, जहां दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाते हैं, कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एच० के० एल० भगत:): (क) और (ख): राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सूरतगढ़ और उदयपुर में स्थित ट्रांसमीटरों द्वारा रेडियो कवरेज का सर्वेक्षण करते समय, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जातौर, बासवाड़ा, झालावाड़ और झुनझुन, के कुछ क्षेत्रों का पता चला जो इन ट्रांसमीटरों द्वारा कवर नहीं हुए थे। तथापि, जालौर, बांसवाड़ा, झालावड़ और झुनझुन, के भागों को पड़ोसी राज्यों में थित ट्रांसमीटरों से रेडियो कवरेज प्राप्त होता है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, राजस्थान में इस समय दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर न हुए क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

कीटनाशकों का उत्पादन

1541. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम:**

क्या**उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ और ओद्योगिक विकास संगठन का कीटनाशकों के बारे में वर्ष 1988 में नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के बाद सरकार ने कई कीटनाशकों के उत्पादन में वृद्धि का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एक नए कीटनाशक संयंत्र की स्थापना का भी विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में कीटनाशियों का निर्माण मुख्यतः गैर सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। उद्यमी विभिन्न कीटनाशियों के मांग अनुमानों के मांग के आधार पर अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं की योजना बना रहें हैं। प्राप्त हो रहे आवेदनों पर पंजीकरण/आशय पत्र नियमानुसार प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री के साथ चीन और पाकिस्तान के दौरे पर गये पत्रकार

1542. **श्री सी० जंगा रेड्डी:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:

(क) किन किन समाचार पत्रों के कौने कौने से पत्रकार हाल ही में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर विवरण देने के लिए उनके साथ वहां गये थे;

(ख) किन किन समाचार पत्रों के कौने कौने से पत्रकार हाल ही में प्रधानमंत्री की पाकिस्तान की यात्रा पर, विवरण देने के लिए उनके साथ वहां गये थे; और

(ग) उन पत्रकारों के चयन के लिए क्या मार्गनिर्देश अपनाये गये थे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)

(क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्रधानमंत्री की हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान उनके साथ कोई प्रेस पार्टी नहीं गई तथापि, एक दल जिसमें श्रीमती स्मृता ग्रेवाल, श्री नवरोज रुस्तमजी और श्री जी० वी० सोमाशेखर शामिल थे, प्रधान मंत्री के साथ गया, क्योंकि वह प्रधानमंत्री पर एक डाक्युमेंट्री फिल्म बना रहा है।

(ग) भारतीय विदेश नीति की पहले और दौरों की सर्वश्रेष्ठ संभव कवरेज प्राप्त करना मुख्य मानदंड है। उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करने का अनुभव हो और

जिन्होंने प्राधानमंत्री के साथ इस क्षेत्र में कार्य किया हो। जहां तक संभव होता है, प्रदेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

विवरण

प्रधानमंत्री के साथ चीन यात्रा पर गई प्रेस पार्टी

क्रम संख्या	संवाददाता का नाम	समाचारपत्रों के नाम
	सर्वश्री	
1.	हरिहर स्वरूप	पी० टी० आई०
2.	वीरेन्द्र मोहन	यू० एन० आई०
3.	एम० के० धर	हिन्दुस्तान टाइम्स
4.	सुभाष चक्रवर्ती	टाइम्स आफ इंडिया
5.	आर० के० मिश्रा	पैट्रियट
6.	के० वी० राम शर्मा	नेशनल हैराल्ड
7.	टी० एन० निनान	इकोनोमिक टाइम्स
8.	वी० एन० नारायणन्	ट्रिब्यून
9.	एन० राम	हिन्दू
10.	हरि कुमार	डेक्कन हैराल्ड
11.	जी० एस० चावला	पायोनियर
12.	दिनेश शर्मा	अमृत बाजार पत्रिका
13.	एम० जे० अकबर	टेलीग्राफ
14.	वेंकटराम रेड्डी	डेकन क्रोनिकल
15.	विनोद मिश्रा	हिन्दुस्तान
16.	प्रफुल्ल माहेश्वरी	नवभारत
17.	अनिल नरेन्द्र	वीर अर्जुन
18.	अभय छजलानी	नई दुनिया
19.	गोपेश पांडे	आज
20.	अनिल अग्रवाल	अमर उजाला
21.	मदन मोहन गुप्त	जागरण
22.	विजय कुमार चोपड़ा	हिन्द समाचार
23.	मोईन फारुकी	अंगारे
24	मोहन चिरागी	कोमी आवाज
25.	शाहिद सिद्दीकी	नई दुनिया
26.	यशपाल	डेली मिलाप
27.	आर० कृष्णामूर्ति	दिनाभलार
28.	श्रीमती गौरी चटर्जी	आनंद बाजार पत्रिका
29.	टी० आर० रामास्वामी	मक्कल कुराल
30.	आई० वेंकट राव	आंध्र ज्योति
31.	के० ओबेदुल्लाह	मलयाला मनोरमा
32.	वी० के० माधवन कुट्टी	मातृभूमि
33.	वेंकटनारायण	संयुक्त कर्नाटक
34.	सावंत एन० शाह	जय हिंद

क्रम संख्या	संवाददाता का नाम	समाचारपत्रों के नाम
35.	आर॰ के॰ करंजिया	ब्लिट्ज
36.	दिलीप बोब	इंडिया टुडे
37.	उदयन शर्मा	रविवार
38.	हरभजन सिंह	इंडियन आब्जर्वर
39.	रंजन गुप्ता	फरीलांस कम्युनिस्ट
40.	मुनीश गुप्ता	एशियन न्यूज इंटरनेशनल
41.	एस॰ डी॰ गोखले	केसरी
42.	सैय्यद नकवी	वर्ल्ड रिपोर्ट
43.	इंद्रजीत	आई॰ एन॰ एफ॰ ए॰
44.	डी॰ बी॰ चौधरी	दैनिक नवज्योति, अजमेर
45.	फादर एलेक्जेंडर पाईकाडे	दीपिका डेली

डाक्युमेंट्री फिल्म दल में निम्नलिखित थेः—

46.	श्रीमती स्मृिता ग्रेवाल	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल
46.	श्री नवरोज़ रुस्तमजी	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल
48.	श्री जी॰ वी॰ सोमाशेखर	सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल

ए॰ सी॰ सी॰ बैबकॉक लिमिटेड को पुनः चालू करना

1543. **श्री वीरेन्द्र पाटिलः** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बायलर का उत्पादन करने वाली ए॰ सी॰ सी॰ बैबकॉक लिमिटेड (ए॰ बी॰ एल॰) को पुनः चालू करने के लिए पैकेज डील को स्वीकृति दे दी है।;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके प्रबन्ध को क्या वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) क्या 800 एम॰ एल॰ के बायलरों का निर्माण करने के लिए ए॰ बी॰ एल॰ को आर्डर दे दिए गए हैं, जैसा कि सरकार द्वारा वायदा किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार के कौन-कौन से निर्णय अभी लागू किये जाने हैं और इसके बिलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम):

(क) से (ग) में ए॰ सी॰ सी॰ बाबकॉक लि॰ (ए॰ बी॰ एल॰) से सम्बन्धित मामले रूग्ण औद्योगिक (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰) विचार कर रहा है। भारत सरकार ने ए॰ बी॰ एल॰ के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) द्वारा तैयार किए गए एक पुनरूज्जीवन पैकेज के आधार पर अपनी सहमति दे दी है। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घ कालिक ब्याज मुक्त ऋण/इक्विटी, कम्पनी के प्रबन्ध का सुदृणीकरण, बिक्री कर की देय राशियों का आस्थागन, श्रमिक बल को युक्ति संगत बनाना आदि शामिल है आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि कम्पनी ने संस्थाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक से कुछ वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की हैं।

सरकार ने अब तक 10.75 करोड़ रु॰ दिये हैं। उन्हें शासित करने वाले कानूनों तथा बैंकरों में प्रचलित व्यवहारों व प्रथाओं के अनुसार बैंकों/संस्थाओं द्वारा अलग-अलग घटकों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते हैं।

(घ) से (च) पैकेज के कार्यान्वयन की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। आई० डी० बी० आई० ने यह भी सूचित किया है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने बीरसिंगपुर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 3 व 4 के लिए 210 मे० वा० पावर के दो बॉयलरों का विनिर्माण करने के वास्ते कम्पनी को एक आशय पत्र दिया है। कम्पनी को प्रतियोगियात्मक टैंडर के आधार पर बॉलरों के लिए आर्डर मिलने की आशा है।

सार्वजनिक टेलीफोन के प्रभारों में वृद्धि

1544. **श्री एस० जी० घोलप:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन का प्रभार 200/- रुपए से बढ़ाकर 2000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है,

(ख) क्या वन प्वाइंट एस० टी० डी० पब्लिक टेलीफोन्स हायरर्स को भी प्रतिमाह 2000/- रुपए का भुगतान करना पड़ेगा,

(ग) क्या प्रभारों में की गई इस वृद्धि पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(घ) क्या सरकार को तीन श्रेणियां बनाने का विचार है जिससे वन प्वाइंट एस० टी० डी० पब्लिक टेलीफोन हायरर को अधिक प्रभारों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) और (ख) स्थानीय काल सुविधा प्रदान करने वाले प्राइवेट गारंटीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन से लिए देय न्यूनतम राशि 1-4-88 से 200 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 500/- रु० प्रतिमाह कर दी गई है। इस प्रकार के एस० टी० डी० सुविधाओं वाले पे-फोन के लिए यह राशि प्रतिमाह 2000/- रु० कर दी गई है।

(ग) जी हां, परंतु उनकी बातें स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी परियोजना से अर्जित लाभ

1545. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी परियोजना के प्रथम चरण में इस परियोजना से उद्योगों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई करके लाभ अर्जित किया है और क्या भविष्य में और अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन उद्योगों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की गई है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन उद्योगों के साथ किए गए समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) और (ख) कृष्णा-गोदावरी बेसिन से अभी कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस बेसिन से भविष्य में तेल/गैस के उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि के बाद ही लाभ कमाया जा सकता है।

(ग) गैस की सप्लाई के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित उद्योगों के साथ प्रबंध कार्य को अंतिम रूप दिया है:—

पार्टी का नाम	दिये गये वचन
	आंकड़े मानक घन मीटर प्रतिदिन
1. डेल्टा पेपर मिल्स, भीमावरम्	28,000
2. ए॰ पी॰ बगासी, पलाकोल	9,000
3. आन्ध्रा सूगर्स, तनाकू	16,000
4. गोधामी साल्वेट्स, तनाकू	5,000
5. कोस्टल एग्रोइंडस्ट्री, तनाकू	5,000
6. जेबीर सूगर्स चागुलू	40,000
7. ए॰ पी॰ सूगर्स, कोवूर	6,000
8. कोस्टल कैमिकस, गौरीपट्टनक	30,000
9. सदर्न पेस्टीसाइड्स, कोवूर	6,000

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की गैस पर आधारित प्रस्तावित बिजली परियोजना के लिए 0.4 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन गैस देने के लिए वचन दिय गए हैं। काकिनाडा में नागार्जून फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र के लिए गैस देने के लिए भी सिद्धान्त रूप में वचन दिए गए हैं।

(घ) गैस सप्लाई करने की संविदाएं 3 वर्ष की अवधि के लिए हैं। इन पार्टियों को 31 मार्च, 1989 तक 900 रुपए प्रति हजार घन मीटर और कर सहित रियायती कीमत पर गैस दी गई है। संविदा में पंचाट, मापन, कार्य बंदी, अपरिहार्य घटनाओं न्यूनतम मात्रा में लेने की गारण्टी आदि से भी संबंधित खण्ड हैं।

नागार्जुन सागर में एस.टी.डी. और टैलेक्स सुविधायें

1546. श्री एम. रघुमा रेड्डी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजना कोशेक्ष अवधि के दौरान नागार्जुन सागर में एस.टी.डी. और टैलेक्स सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे आठवीं योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय मंत्री में राज्य (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बंबई द्वारा संचार केन्द्रों की स्थापना

1547. **श्री एच.एन. नन्जे गौडा:**

प्रो. रामकृष्ण मोरे:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बंबई का संचार केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि एक ही स्थान पर सभी आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) आम जनता को इन केन्द्रों का लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य महानगरों में भी ऐसे केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी हां।

(ख) इन केन्द्रों पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध होंगी:-

(1) विभिन्न दूरसंचार सेवाएं तथा स्थानीय एस.टी.डी. और आई.एस.डी. कॉल जैसी सुविधाएं।

(2) आवक तथा जावक टेलेक्स सुविधाएं।

(3) एफ.ए. एक्स के जरिए दस्तावेजों का संचारण,

(4) दूरसंचार सेवाओं के संबंध में सहायता तथा मार्ग निर्देशन और प्रतीक्षा सूची की स्थिति तथा टेलीफोन बिलों से संबंधित जानकारी।

(ग) ये सुविधायें सामान्य जनता, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए उपयोगी होंगी जो अपने लिए ये सुविधायें सामान्य नहीं जुटा सकते अथवा जहां ये सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा सूची है।

(घ) और (ङ) देश के अन्य स्थानों पर ये सुजिधाएं उत्तरोतर प्रदान की जानी हैं।

सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए मानदंड

[हिन्दी]

1548. **श्री काली प्रसाद पांडेय:**

सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1988 के "जनसत्ता" में "भारत सरकार का प्रवक्ता कौन है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी प्रवक्ताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं, जनवरी, 1988 से इसमें क्या परिवर्तन संशोधन किये गये और उनके कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किये गये?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत):

(क) सरकार ने इस समाचार को देखा है।

(ख) और (ग) प्रैस को सरकारी सूचना पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से दी जाती है केवल मंत्री, सचिव और अन्य व अधिकारी, जो इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत होते हैं, सूचना दे सकते हैं या प्रैस के प्रतिनिधि उनसे मिल सकते हैं। यदि प्रैस के प्रतिनिधि किसी अन्य कर्मचारी से सम्पर्क करते हैं तो वे उसे पत्र सूचना कार्यालय से सम्पर्क करने के लिए कहेंगे। विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग का प्रमुख उस मंत्रालय का प्रवक्ता है। तथापि, चूंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रमाणिक सूचना देने के लिए एक नोडल एजेंसी है इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को मार्च, 1988 में सरकार के महत्वपूर्ण मामलों पर सरकारी प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा गई। अधिक कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

देश में आकाशवाणी के प्रसारण का क्षेत्र

[अनुवाद]

1549. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में आकाशवाणी के कितने केन्द्र कार्यरत हैं और इससे अब तक कितने प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां अभी तक इसका प्रसारण नहीं पहुंच रहा है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शत-प्रतिशत जनसंख्या तक इस प्रचार माध्यम का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

(क) इस समय देश में 96 रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जो देश की 94.55% जनसंख्या को प्राथमिक ग्रेड रेडियो कवरेज प्रदान कर रहे हैं।

(ख) रेडियो सिगनल से जो क्षेत्र कवर नहीं होते उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी की सातवीं योजना में, बड़ी संख्या में ट्रांसमीटरों को लगाना और देश के विभिन्न भागों में विद्यमान कुछ ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाना भी शामिल है। ये योजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर उन अनेक क्षेत्रों को कवरेज प्राप्त हो जाएगी जो इस समय रेडियो सिगनल से कवर नहीं होते हैं।

विवरण

इस समय आकाशवाणी द्वारा कवर न होने वाले क्षेत्र

1. राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिले के कुछ क्षेत्र।
2. कर्नाटक राज्य के दक्षिण केनारा, चिकमंगलूर और कुर्ग जिले के कुछ क्षेत्र।
3. केरल में व्यनाद, कनानौर और मालपुरम के भाग।
4. उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट तथा बोलनगीर जिलों के भाग।
5. मध्यप्रदेश के शहडोल, शिवपुरी तथा बस्तर जिले के भाग।
6. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले।
7. हिमाचल प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी भाग।
8. जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र।
9. जम्मू और कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के बड़े भाग।
10. अरुणाचल प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग।
11. असम की मिकिर पहाड़ियां।
12. मिजोरम के दक्षिणी भाग।
13. असम में गालपाड़ा तथा कोकराझार जिलों के भाग।
14. सिक्किम के उत्तरी भाग।

सिक्के और कार्ड किस्मों के एस॰टी॰डी॰ सुविधाओं सहित सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्रों का खोला जाना

1550. **प्रो॰ रामकृष्ण मोरे:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में सिक्के और कार्ड किस्मों के एस॰टी॰डी॰ सुविधाओं सहित सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र खोलने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे नगरों में भी उपरोक्त व्यवस्था आरंभ की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस व्यवस्था से जनता को किस सीमा तक लाभ पहूंचेगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क) और (ख):-जी हां। सिक्कों के साथ-साथ टोकन चालित क्वाइन टाइप के एस॰टी॰डी॰ सार्वजनिक टेलीफोन को चालू किए जाने का प्रसताव है। इसके अलावा, स्मार्ट या मैगनेटिक कार्ड चालित काड टाइप एल॰टी॰डी॰ सार्वजनिक टेलिफोन भी दिल्ली और बंबई में शुरु किए जाने का प्रस्ताव है। इन सार्वजनिक टेलिफोनों का स्थानीय / एल॰टी॰डी॰/आई एस डी काल करने में प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) और (घ):-जी हां। इन टेलिफोनों के 1989-90 में सुलभ होने की सनभावना है।

(ङ) दूरसंचार सेवाएं, विशेषतया ऐसे साधारण लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जो स्वयं यह सेवाएं रख पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन

1551. **श्री जी॰एस॰ बासवराजु:**

श्रीमती मनोरमा सिंह:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान विद्युत् उत्पादन का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं में कितनी धनराशी व्यय की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) और (ख): आठवीं योजना में जोड़ी जाने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, योजनावधि के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें से 23,400 मेगावाट की कुल क्षमता वाली स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं और 9844 मेगावाट की क्षमता वाली स्कीमों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है।

(ग): वर्तमान अनुमान के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान विद्युत कार्यक्रम के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की राशी आवश्यक होगी।

कर्नाटक में बीदर में दूरदर्शन रिले केन्द्र का विस्तार तथा आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

1552. **श्रीनरसिंह सूर्यवंशी:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में बीदर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या वर्ष 1989 के दौरान कर्नाटक में बीदर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की प्रसारण क्षमता 20 कि०मी० से बढ़ाकर 40 कि०मी० करने का कोई प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत)

(क) और (ख): जी नहीं।

दामोदर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन संबंधी उपसमिति की रिपोर्ट

1553. **श्री हन्नान मोल्लाह:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन के जांच हेतु गठित की गई उपसमिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) और (ख): दामोदर घाटी निगम के कार्य निष्पादन की जांच हेतु सरकार द्वारा किसी उपसमिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित संसददीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के एक दल ने दामोदर घाटी निगम का जुलाई, 1988 में दौरा किया था। दामोदर घाटी निगम के विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा क्षेत्र में विद्युत के वितरण एवं प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच मिलकर सौहार्दपूर्ण संबंध एवं परियोजना में व्याप्त सुखद वातावरण के कारण कुल मिलाकर दामोदर घाटी निगम के कार्य निष्पादन से दल के सदस्य संतुष्ट थे। दामोदर घाटी निगम के कार्य निष्पादन से संबंधित अन्य विभिन्न पहलुओं तथा ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात, ताप विद्युत युनिटों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों, नवीनीकरण और पुरानी यूनिटों का ओवरहाल करने, निम्नस्तर के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन, क्षेत्र में जिस सीमा तक बिजली दी जाती है दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित करना और परियोजनाओं से संबंधित कार्य हाथ में लेने के लिए दामोदर घाटी निगम की पूर्ण शक्यता का समुपयोजना करने के बारे में दल ने टीक-टिप्पणी / सिफारिशें भी की थीं।

राजस्थान में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा लिग्नाइट खनन हेतु वृहत योजना

(हिन्दी)

1554. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले लिग्नइट के खनन हेतु एक वृहत योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो वृहत योजना कब तक तैयार हो जाएगी; और

(घ) बाड़मेर जिले के कपूरडीह तथा जलीपा क्षेत्रों में लिग्नइट का उपयोग करने हेतु तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयल विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०के०जाफर शरीफ):

(क) से (घ): राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर जिलों में संभावित विभिन्न क्षेत्रों में लिग्नाइट का विस्तृत अन्वेषण कार्य शुरू किया गया है। कुछ क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य लगभग पूरा हो गया है जब कि अन्य क्षेत्रों में यह प्रगति पर है।

इस संबंध में तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर 1.7 मिलियन टन प्रति वर्ष की एक लिग्नाइट खान और बीकानेर जिले में बरसिंहसर में 2×120 मे०वा० की स्थापित क्षमता का एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

जहां तक कपूरडीह और जलीपा के क्षेत्रों का संबंध है जिनमें खनन की स्थिति कठिन है उन क्षेत्रों के लिए व्यवर्हायता रिपोर्ट को केवल विस्तृत अन्वेषण रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने और उनके परिणामों का विश्लेषण किए जाने के बाद ही तैयार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

1555. **श्री उत्तम राठौड़:**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में गैस पर आधारित कोई बिजली संयंत्र है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस राज्य में ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई है; और

(ग) इन योजनाओं तथा इनकी बिजली उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधीन उरण में एक 672 मेगावाट का गैस टर्बाइन केन्द्र प्रचालन में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली में परसेपसन्स बियोंड बोर्डस" पर आयोजित सेमिनार

1556. **श्री एस० एम० गुरड्डी:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में 24 जनवरी, 1989 को "परसेपसंस बियोंड बोर्डस" पर एक दो दिवसीय सेमिनार आयोजित की गई थी, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के विख्यात प्रचार माध्यम व्यक्तियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में जिन-जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेमिनार में क्या-क्या निर्णय लिए गए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):

(क) से (ग). सरकार ने वह प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें यह उल्लेख था कि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से मीडिया के लोगों ने जनवरी, 1989 में नई दिल्ली में परसेप्शंस बियोंड बोर्ड्स" पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। इसका आयोजन एक गैर-सरकारी निकाय ने किया था। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है और जिन विषयों पर चर्चा हुई उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तथापि, प्रेस रिपोर्ट के अनुसार सेमिनार में इन बातों पर विशेष जोर दिया गया-क्षेत्र के देशों के बीच आपसी संबंधों की रिपोटिंग में उच्च व्यावसायिक मानकों की आवश्यकता; रिपोटिंग में सरकारी विचारों को देना तथा महिलाओं और बच्चों पर समुचित ध्यान देना।

कोयला खदान श्रमिकों के लिए स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

1557. **श्री सी० माधव रेड्डी:**

श्री हरिहर सोरन:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने कोयला खदान श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त योजना प्रारंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ):

(क) कोल इंडिया लि० ने अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त योजना लागू करना स्वीकार कर लिया है।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्ननलिखित हैं:—

(1) यह योजना प्रबंधन द्वारा अधिसूचित की जाने वाली उन श्रेणियों पर लागू होगी जिन श्रेणियों में कोयला कंपनियों के पास नियमित/स्थायी तौर पर कर्मचारी फालतु रूप में कार्यरत हैं।

(2) ऐसे कर्मचारी जिनका 10 वर्ष का सेवा-काल हो अथवा आयु 40 वर्ष से ऊपर हो, ही केवल स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के पात्र होंगे।

(3) सामान्य सेवा-निवृत्ति के लाभों के अलावा, सेवा-निवृत्ति के लिए विकल्प देने वाला कर्मचारी, सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष की 1 1/2

मास की मजदूरी के बराबर अनुग्रह पूर्वक राशि की अदायगी प्राप्त करने अथवा वह कर्मचारी सेवाकाल में रहते हुए सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक मिलने वाली मजदूरी के बराबर की राशि लेने, इसमें जो भी अधिक हो, का हकदार होगा।

कोल इंडिया लि॰ द्वारा कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

1558. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्तिः**
श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसादः

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लि॰ ने खानों में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए अनेक उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित उपायों द्वारा खानों में किस सीमा तक सुरक्षा व्यवस्था होगी?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ):

(क) जी, हां। कोयला खानों में सुरक्षा से संबंधित स्थिति की कोल इंडिया लि॰ के सुरक्षा बोर्ड द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, जिसमें केन्द्रीय मजदूर संघों, कोयला कंपनियों और खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधियों की सदस्यता है, नियमित रूप से कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति पर निगरानी रखती है और कोयला खनन क्रियाकलापों में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक दीर्घावधिक / अल्पावधिक उपायों पर सुझाव देती है।

(ख) और (ग) इस संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया हैः—

(1) कोयला काटने वाली मशीनों की पुनः शुरूआत तथा जहां तक संभव हो ठोस विस्फोटों का समापन।

(2) लोडरों की पालियों को परिवर्तित करना तथा लोडरों के लिए अपेक्षित खान मुहानों के मुकाबले में $1^{1/2}$ गुणा खान मुहाना तैयार करना ताकि नए खान मुहानों से कोयला एकत्रित करने के संबंध में श्रमिकों द्वारा अनावश्यक भीड़-भाड़ से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सके।

(3) बहु कुशल कर्मीदल का गठन।

(4) भूमिगत खानों में सपोर्ट योजना की शुरूआत और उसकी निरंतरता।

(5) यात्रा परिवहन में सुधार।

(6) वाहनों के सुरक्षित वापस आने के लिए भारी मिट्टी हटाए जाने वाली मशीनों (हेम)।

(7) खान श्रमिकों में सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाने के लिए सेमिनारों / विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

इन उपायों के किए जाने से कोयला खानों की सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार आ जाने की संभावना है।

राज्य विद्युत बोर्डों से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की देयराशि की वसूली

1559. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों का ध्यान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय राशि की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान न किये जाने पर विद्युत सप्लाई में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी, हां ।

(ख) मामले के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से बात-चीत की गई है और इस संबंध में प्रगति की नियमित रूप से मानीडरिंग की जा रही है । राज्य सरकारों को अपेक्षित राशियों के क्रेडिट पत्र जारी करने/इनमें वृद्धि करने की भी सलाह दी गई है ताकि बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बकाया राशियों के एक भाग की वसूली केन्द्रीय योजना सहायता में से ही की जा रही है ।

फ्रैंकिंग मशीनों के लिए लाइसेंस

1560. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डाक अधिकारी, फ्रैंकिंग मशीनों के लिए लाइसेंस का नवीकरण करते समय मशीन की वास्तविक हालत पर ध्यान न देकर केवल इसकी अवधि पर ही ध्यान देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने फ्रैंकिंग मशीनों का कम इस्तेमाल करने वाले छोटे कार्यालयों को होने वाली कठिनाई दूर करने और उनकी मशीनें लम्बी अवधि तक लगातार कुशलतापूर्वक कार्य कर सके; के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) दिल्ली के डाक प्राधिकारी विषय संबंधी हिदायतों के अनुसार डाक फ्रैंकिंग मशीनों के प्रयोग के लिए लाइसेंसों का नवीकरण करते समय मशीनों की वास्तविक दशा पर विचार करते हैं न कि केवल फ्रैंकिंग मशीनों की कार्य अवधि पर ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की कालोनियों में बिजली की व्यवस्था

[हिन्दी]

1561. श्री मदन पांडे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनेक कालोनियों में अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन कालोनियों में बिजली की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (घ) किसी कालोनी के विद्युतीकरण की जिम्मेदारी संबधित कोलोनाईजिंग एजेन्सी की है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संसथान द्वारा किसी कालोनी का विद्युतीकरण-कार्य, संबंधित प्रायोजक पार्टी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने, उसके द्वारा विद्युतीकरण का अनुमानित लागत की 50% राशि तथा सड़क रोशनी की लागत को 100% राशि का भुगतान किए जाने, उपकेन्द्र के लिए स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने और समय-समय पर लागू वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद ही हाथ में लिया जाता है ।

पंजाब में होशियारपुर जिले में टेलीफोन कनक्शन

[अनुवाद]

1562. श्री कमल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पंजाब में, विशेषरूप से होशियारपुर जिले में, (केन्द्र वार) कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी प्रदान की गई है ;

(ख) पंजाब में और होशियारपुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के केन्द्रवार कितने आवेदन अभी तक लम्बित पड़े हैं और किन-किन तिथियों तक प्रस्तुत आवेदन निपटाये गये हैं ; और

(ग) शेष लम्बित आवेदनों, विशेषरूप से होशियारपुर के लंबित आवेदनों को निपटाने के लिये कितना समय लगने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क) 1988 के दौरान होशियारपुर के 560 कनेक्शनों सहित पंजाब में 13465 कनेक्शन दिए गए थे । होशियारपुर जिले की एक्सचेंज वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) पंजाब में 80,808 आवेदन लंबित हैं जिसमें होशियारपुर जिले के 1594 आवेदन भी शामिल है । होशियारपुर जिले की एक्सचेंजवार सूची, जिसमें निपटाई गई तारीखों का उल्लेख है , संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा लक्ष्यों के अनुसार पंजाब में लंबित आवेदनों को मार्च, 1995 तक तथा होशियारपुर जिले के लंबित आवेदनों को मार्च, 1991 तक उत्तरोत्तर निपटा दिए जाने का प्रस्ताव है । होशियारपुर जिले की एक्सचेंज वारत सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र.स.	एक्सचेंज का नाम		1988 में प्रदान किए गए कनेक्शन	लंबित आवेदनों की संख्या	तारीख जिस तक प्रतीक्षा सूची निपटाई गई	संभावित तारीख जिस तक लंबित प्रतीक्षा सूची निपटा दिए जाने की संभावना है।
	1	2	3	4	5	6
1.	होशियारपुर		46	835	18.9.82	मार्च, 91
2.	बलाचौर		14	4	3.10.82	मार्च, 89
3.	बसीकंला		5	1	27.7.88	-वही-
4.	भंगाला		1	6	4.8.88	-वही-
5.	बोहल		3	3	20.3.88	-वही-
6.	बुलहोवाल		2	16	23.12.87	-वही-
7.	बुल्लावांरा		1	2	20.3.88	-वही-
8.	बुंगा		1	8	21.3.87	-वही-
9.	बढ़ियाकंला		1	4	30.3.87	-वही-
10	बांगपुर सटौर		35	7	30.3.87	-वही-
11.	दसुया		33	29	29.9.88	मार्च, 90
12.	दतारपुर		-	2	23.2.88	मार्च, 89
13.	गरदीवाला		7	7	29.9.88	मार्च, 89
14.	गढ़शंकर		37	2	30.3.88	-वही-
15.	बोफरा		-	2	3.12.88	-वही-
16.	हरियाणा		8	1	28.8.87	-वही-
17.	हाजीपुर		23	-	27.9.88	-वही-
18.	खुड्डा		-	9	15.5.88	-
19.	कोटफतुही		9	11	-	मार्च, 89
20.	कंढालाजटटां		1	16	21.3.88	-वही-
21.	मेहलपुर		-	3	9.8.88	-वही-
22.	मियानी		10	36	30.1.85	-वही-
23.	मानकलां		2	82	13.9.88	-वही-
24.	मुकेरियां		-	6	25.3.85	मार्च, 90
25.	मोरांवलियां		-		27.3.85 31.3.87	मार्च, 89

1		2	3	4	5	6
26.	नंगरला		2	10	17.2.88	मार्च, 89
27.	पनम		1	1	21.12.88	-वही-
28.	साहिबा		1	5	15.9.86	-वही-
29.	स्यालखुर्द		3	2	26.3.88	-वही-
30.	सरोआ		-	7	12.3.87	-वही-
31.	शामचौरासी		2	6	20.7.88	-वही-
32.	तलवारा		17	1	23.11.88	-वही-
33.	उरमार टांडा		30	29	20.3.88	मार्च, 90
34.	असरौन		1	6	8.8.88	मार्च, 89
35.	कथगढ़		शून्य	8	12.1.87	-वही-
36.	आनन्दपुर साहिब		9	9	27.5.88	-वही-
37.	बेहरामपुर बेट		4	-	-	-
38.	बेला		25	12	1.2.88	-वही-
39.	भानुपाली		35	1	꣱1.1.88	-वही-
40.	भरतगढ़		2	1	29.1.88	-वही-
41.	चमकौर साहिब		1	20	30.1.85	मार्च, 90
42.	गंगुवाल		शून्य	1	19.3,87	मार्च, 89
43.	घनौली		7	9	31.3.88	-वही-
44.	घरौन		1	-	-	-
45.	चौन्ताझालियान		4	3	2.4.88	-वही-
46.	काइनौर		-	5	10.6.84	-वही-
47.	कीरतपुर साहिब		-	+	30.7.87	-वही-
48.	कुराली		9	57	21.2.86	मार्च 90
49.	मियांपुर		-6		21.2.86	मार्च, 89
50.	मोरीन्डा		14	44	5.9.88	मार्च 90
51.	नांगल		95	36	11.7.88	मार्च, 89
52.	नौगरान		1	6	30.7.87	मार्च 89
53.	नयानांगल		47	16	10.6.88	मार्च 89
54.	नूरपुरबेदी		-	2	12.8.87	-वही-
55.	रोपड़		131	187	1.12.87	मार्च, 90
56.	रोपड़ थर्मल प्लांट		1	5	20.8.87	मार्च, 89
57	सिल्वा मार्जी		-	4	28.6.86	-वही-
	कुल :		560	1594		

बिहार के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1563. **श्रीमती किशोरी सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 1987 और 1988 में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए है; और

(ख) क्या वर्ष 1988 में इनकी संखया कम रही है यदि हां, तो इसके कया कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगलराव):

(क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक स्वीकृतियों अर्थात् आशय पत्रों / औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी किसी विशेष राज्य में एकक स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर निर्भर करती है। इन आवेदनों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है और आशय पत्र जारी किये जाते हैं। आशय पत्र के धारक द्वारा आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के पश्चात आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाता है।

बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए 1987 और 1988 के दौरान निम्नलिखित आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे:-

	1987		1988	
	*आ॰ पत्र	*औ॰ ला॰	*आ॰ पत्र	*औ॰ ला॰
योग	14	9	21	3
"नये उपक्रम स्थापित करने के लिए	6	3	15	1

*आ॰ पत्र = आशय पत्र

*औ॰ ला॰ = औद्योगिक लाइसेंस

जिला पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में ब्रांच पोस्ट आफिस और सब पोस्ट आफिस

[हिन्दी]

1564. **श्री हरीश रावत:** क्या संचार मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में कुछ ब्रांच पोस्ट आफिस और सब पोस्ट आफिस खोलने के लिए गत तीन महीनों के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों):

(क): जी हां।

(ख) चौकी, डिगरा, बियोरोडी, बालाटांडी, रामक मछिआर और बेला ग्रामों में डाकघर खोलने के लिए अनुरोध किये गये हैं। इन अनुरोधों की जांच की जा रही है।

स्वीर्गीय श्री तगादुर रामचन्द्र राव की स्मृति में डाक-टिकट

[अनुवाद]

1565. **श्री बी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के एक सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, स्वर्गीय श्री तगादूर रामचन्द्र राव के सम्मान में एक अनुस्मारक डाक-टिकट जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों):

(क): जी नहीं, वर्ष 1989 में नहीं।

(ख): प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में बिजली के कनेक्शन

[हिन्दी]

1566. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में बिजली के कनेक्शन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और कौन-कौन सी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में बिजली सप्लाई किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) से (ग): किसी भी कालोनी का विद्युतीकरण करने का दायित्व, संबंधित कालोनाइजिंग एजेन्सी का होता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार विद्यमान सभी झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों / पुनर्वास कालोनियों का पहले से ही विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा इन कालोनियों के संदर्शी उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने पर उनको बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

कौल इंडिया लि० में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती

[अनुवाद]

1567. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लि० में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए भर्ती को शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ):

(क) और (ख): कोल इंडिया लि० में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती किए जाने पर सामान्य रूप से कोई रोक नहीं है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में कार्यरत फालतू कर्मचारियों को देखते हुए गैर-अत्यावश्यक कर्मचारियों की भर्ती को न्यूनतम रखा गया है।

(ग) और (घ): वर्णित की गई उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों का निर्यात - निष्पादन

1568. श्री आज़ाद सिंह

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विदेशी कम्पनियाँ भारतीय कम्पनियों से अधिक निर्यातोन्मुखी हैं; और

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और वर्ष 1986-87 के दौरान जर्मन रेमिडीज लिमिटेड, बूट्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड, पारेक डेविस (इंडिया) लिमिटेड, हाइचैस्ट इंडिया लिमिटेड, ई० मेर्क (इंडिया) लिमिटेड, बेयर (इंडिया) लिमिटेड, फिज़र (इंडिया) लिमिटेड, वॉन्निगर नाल लिमिटेड, रोचे प्रोडक्टस लिमिटेड और साइनेकिड इंडिया लिमिटेड ने भारतीय कम्पनियों की तुलना में कितना निर्यात किया?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) और (ख) अलग-अलग कम्पनियों द्वारा ओषधों के निर्यात को इस मंत्रालय द्वारा मॉनीटर नहीं किया जा रहा है।

खादी उत्पादन के लिए सहायता

1569: श्रीमती प्रभावती गुप्ता :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने खादी उत्पादन में कितने व्यक्तियों को नियोजित किया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे०वेंगल राव):

(क) कताई और प्रक्रिया दोनों में प्रौद्योगिकी में सुधार करके उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि खादी के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इस दिशा में किए गए उपाय ये हैं :- 6 तकुओं और 12 तकुओं वाले नए माडल के चरखों का प्रयोग शुरु करना (जिसकी उत्पादकता परम्परागत चरखे से 6-8 गुणा है; कताई सुविधा में मदद करना ताकि अच्छी किस्म की पूनियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके; रीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से धागे की किस्म में सुधार करना और उन्नत रीलिंग चरखे विकसित करना; उन्नत और स्वचालित करघों का प्रयोग आरम्भ करना; खादी की प्रक्रिया को आधुनिकीकृत बनाना ताकि इस ओर उपभोक्ता अधिक आकृष्ट हों और इसे सस्ता बनाया जा सके; खादी वस्त्रों की रंगाई और डिजाइनिंग, उन्नत उपकरणों की आपूर्ति में सुधार करना; और स्वदेशी और आयातित कच्चे माल की उपलब्धता और आपूर्ति करना।

(ख) और (ग) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान खादी के उत्पादन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे और रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

वित्तीय सहायता			रुपये करोड़ में
	1985-06	1986-87	1987-88
1.अनुदान	36.99	42.14	43.69
2.ऋण	29.90	26.29	24.99

रोजगार			(व्यक्ति लाख में)
	1985-86	1986-87	1987-88
	13.47	13.88	14.34

टेलीफोन एक्सचेंज

1570. **श्री के॰पी॰ उन्नीकृष्णन:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों और चार महानगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों की सख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के एक्सचेंजों (इलेक्ट्रानिक मानव चालित आदि) की अलग-अलग संख्या और स्विचिंग सुविधा के उपयोग की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार ओ.वाई.टी. और गैर ओ. वाई. टी. प्रतीक्षा सूचियों मे नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदकों के नाम शामिल हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नई मांगों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत मांगें पूरी की जाती हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क): 31.12.88 की स्थिति के अनुसार राज्यों में लगभग 12,880 और चार महानगरों में लगभग 210 एक्सचेंज है।

(ख) संख्या की दृष्टि से अधिकतम एक्सचेंज इलैक्ट्रोमेकेनिकल है। प्रयोग किए जा रहे अन्य किस्म के एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक्स (एनालांग के साथ-साथ डिजिटल) और मैनुअल किस्म के है। क्षमता के उपयोग का प्रतिशत लगभग 88% है।

(ग) 31.1.89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार है:

ओ वाई टी	गैर-ओ वाई टी	कुल
लगभग 1.08 लाख	लगभग 13.35 लाख	14.43 लाख

(घ) कुल मिलाकर प्रतिवर्ष औसतन नई मात्रा में वृद्धि का प्रतिशत 11 है।

(ङ) लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

राजस्थान में तेल की खोज

1571. **श्री पी॰ एम॰ सईद:**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में अब तक किये गये ड्रिलिगं कार्यों से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है और ड्रिलिगं किन स्थानों में की गई है उनसे प्राप्त गैस/तेल की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में तेल की खोज के भावी कार्यक्रम शुरु किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में पता लगाए गए गैस के अनुमानित भूमिगत भण्डारों की मात्रा तथा स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

मनहेड़ा टिब्बा:	**772 मिलियन घन मीटर**
घोटारू:	**609 मिलियन घन मीटर**
तनोट वैल नं॰1:	**1000 मिलियन घन मीटर**

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस समय राजस्थान के लुनार-घोटारू और मियाजलर-सब-बेसिन के क्षेत्रों में दो भूकम्पीय और एक ग्रैविटी मेग्नेटिक क्षेत्र पार्टी लगायी हैं। राजस्थान के भाखरी टिब्बा-4 और घोटारू-जी टी टी कूंओं में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दो डीप ड्रिलिगं रिग लगाकर अन्वेषण खुदाई करने का काम किया जा रहा है।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

1572. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान, केरल में ओ॰वाई॰टी॰ श्रेणी के अंतर्गत कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान इस क्षेणी के अनतर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का विचार है;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान केरल में अन्य श्रेणियों के अंतर्गत कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) केरल सर्किल में 1988 के दौरान ओ॰ वाई॰ टी॰ श्रेणी के अंतर्गत दिए गए कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 5,746 है।

(ख) 1989 के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 5,000 है।

(ग) 1988 के दौरान केरल में अन्य श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 12,172 है।

लघु, मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर समिति

1573. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु, मध्यम और भाषाई समाचारपत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए एक पमिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मंसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत):

(क) जी हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार श्री सुमन दुबे की अध्यक्षता में छोटे और मझौले समाचारपत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों में एन्टीना का उपयोग

1574. **श्री हुसैन दलवाई:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन कार्यक्रम अब तक राज्यवार कितने जिला मुख्यालयों में देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या कम शक्ति को प्रषण प्रणाली पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम दूरी तक प्रसारण नहीं करती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन गांवों में एंटीना उपलब्ध कराने का है जहां कम शक्ति के ट्रांसमिशन प्रसारण में असफल रहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत):

(क) अभी तक दूरदर्शन की कवरेज में लाए गए जिला मुख्यालय नगरों की संख्या, राज्य-वार इस प्रकार है:—

1. आंध्र प्रदेश	20
2. असम	12
3. अरुणाचल प्रदेश	6
4. बिहार	20
5. गोवा	1
6. गुजरात	19
7. हरियाणा	11
8. हिमाचल प्रदेश	10
9. जम्मू व कश्मीर	12
10. केरल	11
11. कर्नाटक	17
12 मध्य प्रेदश	35
13. मेघालय	4
14. महाराष्ट्र	26
15. मणिपुर	2
16. मिज़ोरम	2
17. नागालैण्ड	3
18. उड़ीसा	11
19. पंजाब	12
20. राजस्थान	20
21. सिक्किम	2
22. तमिलनाडु	14
23. त्रिपुरा	3
24. उत्तर प्रेदश	51
25. पश्चिम बंगाल	16

(ख) दूरदर्शन सिगनलों का फैलाव सीधी दृष्टिगोचर (लाइन-आफ-साइट) दूरी तक सीमित होता है, इसलिए पहाड़ी भूभाग में कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और पृथक-पृथक शक्ति के ट्रांसमीटर, ट्रांसपोजर एवं रिले रिसीवरों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है। सातवीं योजना की सभी स्कीमों के कार्यान्वयन से करीब 83 प्रतिशत जनसंख्या के दूरदर्शन सेवा से कवर

करने का विचार है। कवर न हुए शेष क्षेत्रों में सेवा का विस्तार, दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में साधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में छिद्रण कार्य में प्रगति

1575. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसापुर 3 और 5 तथा रजोला 1 और 2 के कुओं को जोड़ने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या विजयवाड़ा के समीप कैकाल्लेर में भारी मात्रा में तेल पाया गया है और यह अंकलेश्वर के कुओं से प्राप्त तेल जितना बढ़िया तेल है;

(घ) उक्त बेसिन में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है;

(ङ) उपभोक्ताओं के पेशकश किये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या गैस का मूल्य घटाने का विचार किया गया है, यदि हां, तो कितना?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) नरसापुर गैस संग्रह स्टेशैन के साथ राजौल कूंआ नं. 2 और 3 तथा नरसापुर कूंआ 3 और 5 को जोड़ा गया है। वैल राजौल—1 को तकनीकी कारणों से बन्द कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कायकालूर क्षेत्र का अभी विकास किया जा रहा है। इस समय रिजरवायर का अनुमान लगाने के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा इसे क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इसका अंतिम रूप से विकास किए जाने के बाद ही इस क्षेत्र की मात्रा का पता चल सकेगा।

(घ) मार्च, 1988 के अन्त तक तेलं एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खोज और विकास की गतिविधियों पर 607.64 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। चालू वर्ष अर्थात् 1988-89 मे 157.20 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) गैस की वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति 31.3.89 तक वैध है। के॰ जी॰ बेसिन के उपभोक्ताओं से इस समय 900 रुपए प्रति हजार घन मीटर की रियायती कीमत ली गई है।

सतारा जिले का एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा के साथ जोड़ा जाना

श्री 'प्रतापराव बी॰ भोसले: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले को एस॰ टी॰ डी॰ के माध्यम से देश के अन्य जिला से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों):

(क) और (ख): जी हां। सतारा को पूणे ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ दिया गया है। इस प्रकार सतारा को ररीय उपभोक्ता डायलिंग के जरिए देश के 289 जिलों सहित 582 अन्य नगरों / नगर समूहों के लिए एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा मिल गई है।

(ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

झाबुआ, मध्यप्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

1577. श्री दिलीप सिंह भूरिया:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झाबुआ, मध्यप्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर के लिए भवन निर्मित हो जाने के पश्चात भी वहां इसे स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) वहां टी.वी. ट्रांसमीटर कब से कार्य करना आरंभ कर देगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत):

(क) और (ख): झाबुआ में प्रस्तावित ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माता ने अभी तक अपेक्षित उपकरण की आपूर्ति नहीं की है। तथापि, निर्माता द्वारा दी गयी सप्लाई-तालिका के अनुसार यह उम्मीद है कि झाबुआ में ट्रांसमीटर शीघ्र ही स्थापित और चालू हो जायेगा।

रसोई गैस भरने के संयंत्रों का बन्द होना

[अनुवाद]

1578. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सवाई माधोपुर में और देश में कुछ अन्य भागों में स्थित रसोई गैस भरने के संयंत्र बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रसोई गैस भरने के बन्द पड़े सभी संयंत्रों को पुनः खोलने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)

(क) से (ग): जम्मू और श्रीनगर में एल पी जी बाटलिंग संयंत्रों को क्रमशः अप्रैल, 1987 और मई, 1988 में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत पुराने थे, और प्रत्येक की 2000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता थी और इनका डिजाइन भी बहुत पुराना था। इन बाटलिंग संयंत्रों के बदले जम्मू में 10,000 टन प्रतिवर्ष और श्रीनगर में 7,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता के बाटलिंग संयंत्रों को क्रमशः मार्च, 1987 और फरवरी, 1986 में चालू किया गया है।

पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र

1579. श्रीमती ऊषा चौधरी:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में 840 एम. डब्लयु. क्षमता का बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

लवण जांच आयोग

1580: **डा. फूलरेणु गुहा:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1978 में एक लवण जांच आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव):

(क) से (ग) जी, हां। नमक जांच आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	2.	3.
1.	89 लाख मी. टन वर्तमान वार्षिक उत्पादन विद्यमान मांग का पूरा करने के लिए पर्याप्त है। घरेलू मांग 67 लाख मी. टन (1980) से बढ़कर 78.2 लाख मी. टन (1985) और आगे 88.4 लाख मी. टन (1988) हो जाएगी इसमें आयोडीन्युक्त नमक की मांग 2.4 लाख मी. टन (1980) से बढ़कर 7.3 लाख मी टन (1985) होना शामिल है यदि सभी गलगण्ड वाले प्रान्तीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वर्तमान 2.9 लाख मी. टन निर्यात बढ़कर 4.0 लाख मी. टन (1985) और 4.5 लाख मी. टन (1988) हो जाएगा।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।
2.	अच्छे भण्डारण तथा परिवहन (10 लाख मी. टन से वर्षा में नमक के बहने को रोकर 23 लाख मी. टन का वृद्धिशील घरेलू उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।
3.	**नमक का स्टाक रख-रखाव और लाना ले जाना**	

1.	2.	3.
	नमक के उत्पादकों द्वारा तीन महीने की वस्तु सूची के रख-रखाव का सुझाव।	अस्वीकृत
	आवर्ती कमी वाले उपभोक्ता राज्यों में तीन महीनों की खमत और अन्य उपभोक्ता राज्यों में एक महीने की खपत के बारबर न्यूनतम स्टाक रखने के लिए जोर देना।	
4.	उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा नमक उत्पादन में वृद्धि करना (7.0 लाख मी. टन) और सम्भवतः, श्रमिकों और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार करके 14 लाख मी. टन करना।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोट किया गया है।
5.	पहले से लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों की उपयोगिता में वृद्धि जिससे 30 लाख मी. टन अतिरिक्त उत्पादन हो सकता है।	- वही -
6.	**खाद्य और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नमक का उत्पादन, मांग और सम्भावना।**	जहां तक व्यवहार्य होगा जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वीकृत
	उपयोग में न लाई जा रही लगभग 1,39,790 एकड़ नमकयुक्त जमीन में नमक उत्पादन प्रारम्भ करके उत्पादन में वृद्धि करना।	
7.	भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुद्र के पानी से नमक बनाने की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना और इस उद्देश्य के लिए नमक आयुक्त द्वारा धनराशि देना।	-वही -
8.	नमक उद्योग के मौसमी रूप को मान्यता दी जानी चाहिए और नमक उत्पादकों के लिए बिजली तथा ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	स्वीकृत
9.	नमक कारखानों का बीमा	स्वीकृत
	बेमौसमी बरसात, बवण्डरों तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं जैसे कारकों, जो स्पष्टतः नमक उत्पादकों के बस में नहीं हैं, से होने वाली नमक की हानियों के लिए बीम की एक योजना तैयार करने की सम्भावना का सामान्य बीमें निगम की सहायता से नमक विभाग द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए।	स्वीकृत

1.	2.	3.
10.	**नमक का आयोडीकरण और तीक्ष्णीकरण** .... सरकारी / संयुक्त अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में आयोडीकरण संयंत्र सथापित करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और न ही स्थापना-स्थल और प्रौद्योगिकी के चयन के संबंध में अनापेक्षित रूप से कोई बड़ा रूख अपनाने की आवश्यकता है। राजसहायता का भुगतान केन्द्र / राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संयंत्रों और उनके उपक्रमों के उत्पादन तक सीमित होना चाहिए। केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, एक मानक नमूना परीक्षण किट विकसित करेगा और इसे राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को देगा जिन्हे आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन क्री सरल पानी में डुबोने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर के परामर्श से कार्यान्वन के लिए स्वीकृत।
11.	मैं हिन्दुस्तान साल्ट्स लि॰ को क्षमता परिचालन प्राप्त करने के लिए आयोडीकरण संयंत्रों के उत्पादकों से विशेष सलाह लेनी चाहिए।	स्वीकृत
12.	**नमक का आयोडीकरण और तीक्ष्णकरण** .... हाल ही में अधिसूचित गलगण्ड वाले प्रान्तीय क्षेत्रों, जो कुल गलगण्ड वाले प्रान्तीय क्षेत्रों के आधे है, मै आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति अनुमानित मांग का केवल आधा है। आयोडीकरण संयंत्रों का कम क्षमता उपयोग और उपभोक्ता क्षेत्रों की तुलना में कम उपयुक्त स्थापना-स्थल, इत्यादि जैसे कारकों सेयह परिहार्य स्थिति पैदा हुई है। अनेक देशों में सारे खाद्य नमक आयोडीनयुक्त है।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।
13.	केन्द्रीय और राज्य सरकार के संयंत्रों को तीक्ष्णीकृत नमक के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाना चाहिए।	स्वीकृत
14.	**आयात और निर्यात** .... पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले लाहौरी नमक का प्रयोग केवल आयुर्वैदिक और यूनानी दवाइयों के लिए किया जाना चाहिए और घोषित गलगण्ड वाले प्रान्तों में खाने के उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	स्वीकृत

15.	नमक के बड़े और लाभकारी निर्यात किए जाने चाहिए। एस. टी. सी. को नमक विभाग और गुजरात और तमिनाडु राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार से निर्यात में तेजी से वृद्धि की जा सकती है।	संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत
16.	1988 के लिए अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, घरेलू उत्पादन 23 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है।
17.	**नमक के स्टाक का अनुरक्षण और इसे लाना-ले जाना।** .... पश्चिमी तट पर पर्याप्त संख्या में नावें और अच्छी दूर संचार तथा नौपरिवहन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।	संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत
18.	रेलों के माध्यम से लागत में महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है जहां कहीं यह निश्चित किया गया है कि रेल की पटरी बिछाना लागत पर असर डालने वाला है।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है।
19.	यदि धोने के उद्देश्यों के लिए सड़क द्वारा खुले नमक को लाने ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाता है तो इससे लागत घटेगी।	- वही -
20.	व्यवस्थित क्रम में रेल द्वारा लाने ले जाने में काफी कमियां आई है।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।
21.	रेल, सड़क, कोस्टल शिपिंग और नदियों में नावों द्वारा नमक लाने ले जाने हेतु लागत से संबंधित व्यापक योजनाएं बनाई जाएं।	स्वीकृत
22.	नमक विभाग में एक कम्पेक्ट डिविजन खोला जाना जो रेलों के आवागमन में सुधार के विषय देखेगा और उसके अधिकारी रेलवे ट्रैफिक स्पेशलिस्ट से लिये जाएं।	स्वीकृत
23.	जहाजरानी महानिदेशक के साथ समन्वय स्थापित करके कलकत्ता बन्दरगाह में पानी का जमाव न होने दिया जाए। हल्दिया बन्दरगाह में नमक भण्डारण और वितरण को प्रोत्साहित किया जाए। तटीय यानों मे नमक का सीधे जल्दी लदान हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। कलकत्ता बंदरगाह में अधिक नाव (यानें) उपलब्ध कराना और संचार संबंधी एवं नौ-परिवहन की सुविधाएं बढ़ाना।	स्वीकृत

1	2	3
24.	सभी फुटकर विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों में तथा स्थानीय समाचार पत्रों में उचित फुटकर मूल्यों को दर्शाना।	स्वीकृत
25.	राज्य सरकारें विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारें, द्वारा स्टाक का न्यूनतम थोक स्तर और फुटकर स्तर निर्धारित किया जाना और इस न्यूनतम स्तर का निर्धारण नमक विभाग और रेलवे की सहमति से किया जाये।	अस्वीकृत
26.	चूंकि हावड़ा स्थित नमक गोलाह केवल पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं के लिए काम आती है, अतः गोलाह के उपयोग का निर्धारण पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ परामर्श करके किया जाए। इन गोलाहों में नवीकरण की आवश्यकता है जिसे अपेक्षित स्तर तक पूर्ण किया जाए।	स्वीकृत
27.	**लागत, मूल्य तथा मार्जिन** समिति पश्चिमी तट और तूतीकोरीन से कलकत्ता को जहाज में लादे गये नामक के बारे में वर्तमान मूल्य नियंत्रण नीति को बनाये रखने पक्ष में नहीं है।	स्वीकृत
28.	हर नमक उत्पादक क्षेत्र में नमक उत्पादन लागत में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित नमक के लिए एक उचित मूल्य अथवा उचित मूल्यों का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है।	जहां कहीं आवश्यक होगा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है।
29.	बिक्री की वसूली में पर्याप्त अंतर होता है जिसके कारण कुछ नमक उत्पादकों की वित्तीय क्षमता अच्छी न होना है जिससे वे पर्याप्त स्टॉक नहीं रख पाते हैं और नमक लाने ले जाने संबंधी बाधा है।	-वही-
30.	समिति ने नोट किया कि कार्य-बाह्य एवं थोक विक्रेताओं एवं वितरकों द्वारा प्रभावित एफ० ओ० आर० मूल्यों में अत्यधिक अंतर है।	-वही-
31.	ऐसे क्षेत्रों में जहां नमक ले जाना बहुत कठिन होता है जैसे पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्य, उनमें नमक की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव पाया जाता है।	-वही-
32.	समिति ने बिहार सहित पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में थोक में तथा फुटकर में पाये जाने वाले अंतर का विश्लेषण किया और निर्माताओं द्वारा कार्य-बाह्य बिक्रियों में वसूली के अंतर को महत्वपूर्ण नहीं पाया।	-वही-

1	2	3
33.	समिति ने नमक विभाग के जरिये उचित स्तर प्राप्त करने हेतु कार्य-बाह्य/एफ० ओ० आर० मूल्यों और थोक तथा फुटकर मूल्यों के बीच पाये जाने वाले अत्यधिक अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की है जो मूल्य निगरानी पद्धति शुरू करके सभी राज्य सरकारों को उचित मूल्य के बारे में परामर्श देगी जिस पर विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से खरीदारी में राज्य सरकारों की सहायता हो सके ताकि ढुलाई की आवश्यकता न पड़े और नमक उत्पादकों को लाभ उठाने का मौका न मिल पाये।	-अस्वीकृत-
34.	राज्य सरकारों के अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत बैंक थोक विक्रेताओं को नमक लाने ले जाने के लिए बैगनों का आवंटन	स्वीकृत। नमक आयुक्त रेलवे विभाग के साथ मिलकर कार्यवाही करेगा।
35.	खरीद मूल्य की छानबीन में और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले अंतर पर राज्य सरकार द्वारा अधिक सावधानी रखने हेतु जोर देना।	स्वीकृत। राज्य सरकारों के पालनार्थ।
36.	राज्य सरकारों और उनके द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेताओं/ वितरकों के बीच ठेका प्रबंधकों का सुझाव और उचित मूल्य स्तर बनाये रखने हेतु उन पर राज्य सरकार की अधिकाधिक निगरानी।	-वही-
37.	समिति ने सिफारिश की कि पश्चिम बंगाल प्रतिदिन 25 बैगान से अधिक नमक को जहाज द्वारा प्राप्त करता है और उपभोक्ताओं को नमक के लिए 73 रु० प्रति टन पर फालतू भार सहन करना पड़ता है जिसकी प्रतिपूर्ति कोयला सरचार्ज निधि इत्यादि से राजसहायता के रूप में की जाये।	

1	2	3
	यदि सरकार का यह विचार है कि विकास संबंधी कार्यकलापों की लागत को उपकर के माध्यम से पूरा करना अनिवार्य है, तो व्यापक रूप से फैले हजारों निर्माताओं से इसकी वसूली करने के स्थान पर कास्टिक सोडा एश उद्योग में नमक की प्रति टन खपत पर प्रति मीट्रिक लगभग 5 रु० से 10 रु० तक का उपकर लगाया जाना चाहिए। अपेक्षाकृत कम तथा अनुकूल भूराजस्व/अनुबंध शुल्क लगाकर और श्रमिक कल्याण के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा अनुदान देकर जिसके लिए गैर-लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र पात्र नहीं है, उपकर से आधी अथवा पूरी छूट के लाभ समाप्त किये जाने को, जो कि अब लघु उत्पादकों तथा सहकारिताओं को उपलब्ध है, सफल बनाया जा सकता है। उपर्युक्त सिफारिश के कारण नमक उपकर अधिनियम तथा नियमों में व्यापक संशोधन करना होगा।	
40.	**भू-राजस्व तथा लाइसेंस देना** **सुझाव दिया गया कि नमक निर्माण के लिए प्रयुक्त केन्द्र सरकार की भूमि पर भू-राजस्व की वसूली राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए तथा यह नमक विभाग के पास जमा कर दी जानी चाहिए जिससे कि नमक विभाग के कर्मचारियों का ध्यान बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने, लागत में कमी करने, विकास संबंधी कार्यों को लागू करने आदि जैसे विकासात्मक कार्यकलापों की ओर आकृष्ट होगा।**	**स्वीकार नहीं किया गया। नमक विभाग अनुबंध शुल्क यथा केन्द्र सरकार की भूमि पर भूमि किराये की वसूली करता रहेगा।**
41.	खाली पड़ी तथा नमक निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि को नमक का निर्माण करने के लिए तत्काल इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा जो भूमि नमक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत
42.	चूंकि नमक के लाइसेंस जारी करने के लिए सभी आवेदनों की जांच नमक विभाग द्वारा की जाती है, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। समस्त लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के उपयोग, बिटर्नस के उपयोग आदि की शर्तों सहित लाइसेंस जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त नमक विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया। नमक विभाग नमक के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करता रहेगा।
43.	**विकास/श्रमिक कल्याण संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन** उन्होंने यह महसूस किया कि योजनाओं की जांच करने तथा स्वीकृतियां देने में राज्य सरकारें और उनके उद्यम बेहतर रूप से सुसज्जित है तथा इसलिए यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार के सभी कार्यक्रम पूर्णतया राज्य सरकारों पर छोड़ दिए जाने चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया। नमक विभाग उद्योग से संबंधित विकासात्मक/श्रमिक कल्याण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगा।

1	2	3
	कार्यान्वयन में नमक विभाग को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए राज्य सरकारों तथा निजी उद्यमों को केन्द्रीय योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	
44.	लाइसेंस की अवधि को इस शर्त के साथ 40 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए कि लाइसेंसों के अन्तरण के लिए अपनायी गई एक समान तथा सरल प्रक्रिया के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर कार्य किया जाए।	स्वीकार नहीं किया गया।
45.	यदि सरकार नमक पर उपकर समाप्त करना स्वीकार नहीं करती है, तो विभिन्न स्तरों पर कार्यों को मंजूर करने हेतु अधिक अधिकार उपलब्ध कराते हुए उपकर प्राप्तियों से सहायता की मंजूरी को विनियमित करने के लिए सिद्धान्त संहिता में संशोधन किया जाए।	स्वीकृत/बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए नमक उपकर प्राप्तियों में से धन मंजूर करने संबंधी प्रक्रिया एवं प्रत्यायोजन में उपयुक्त संशोधन करना है।
प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा उपउत्पाद की उपलब्धि		
46.	यांत्रिक कटाई यंत्रों व नमक की विशेष किस्मों का विकास तथा संवर्धन किया जाना है। उप उत्पादों की उपलब्धि की प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाया जाना है। यहां तक कि सी एस एम सी आर आई ने नमक की विशेष किस्मों तथा उप उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है तथा यह अपनाये जाने के लिए उपलब्ध है, लेकिन प्रौद्योगिकीय सुधार के लाभ की लागत तथा प्रत्येक नमक उत्पादक क्षेत्र में विकल्प निर्धारित करना अभी शेष है।	स्वीकृत
47.	प्रबन्धकों, पर्यवेक्षकों तथा नमक कार्यों में लगे श्रमिकों को उत्पादन की बेहतर पद्धतियों का प्रशिक्षण देने के लिए निकट के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों, जो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त हों, को इस्तेमाल करना।	स्वीकार नहीं किया गया
48.	समिति ने सुझाव दिया कि आदर्श नमक उद्योग रखने के स्थान पर नमक विभाग को विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त सरकारी क्षेत्र के नमक उद्योगों से सहयोग करके नमक निर्माण करने की पद्धतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।	स्वीकार नहीं किया गया
49.	प्रशिक्षण उपकरण, जैसे कि फिल्मों तथा वीडियो उपकरणों आदि का इस्तेमाल किया जाए। महत्वपूर्ण स्थानों पर मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएं।	स्वीकार "नहीं किया गया

1	2	3
50.	नेमी विश्लेषणात्मक तथा गुणवत्त संबंधी नियंत्रण के लिए तथा यदि आवश्यक हो तो शुल्क लेकर छोटे नमक उद्योगों के नमक का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए भी बड़े नमक उद्योगों को अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए दबाव डालना इन प्रयोगशालाओं को तथा आस पास के महाविद्यालयों से संलग्न अन्य प्रयोगशालाओं को प्रमाण पत्र जारी करने के तथा विश्लेषणात्मक कार्य करने के प्रयोजन के लिए मान्यता दे दी जाए।	विश्लेषणात्क गुणवत्ता नियंत्रण कार्य करने के लिए बड़े नमक उद्योगों को अपनी प्रयोगशालाएं सथापित 'करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में स्वीकृत किंतु परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इन प्रयोगशालाओं को अथवा निकट के महाविद्यालयों से संलग्न प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।
51.	नमक विभाग को सी एस एम सी आर आई तथा नमक उत्पादन राज्य सरकारों, परामर्शीय एवं डिजाइन संगठनों आदि के परामर्श से प्रौद्योगिकीय विकास के एक गहन पाठ्यक्रम का समन्वय करना चाहिए।	स्वीकृत
52.	**विशिष्टियां और मानक** स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानकों में सुधार का कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा उसे लागू किया जाए।	स्वीकृत
53.	**सरकारी क्षेत्र की भूमिका** हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जो एक सरकारी उपक्रम है, खाद्य नमक की कुल देशी खपत का मुश्किल से 8% भाग उत्पादित करता है। इसे अन्य राज्य उपक्रमों के साथ मिला दिये जाने से नमक की कीमतों में स्थिरता लाने तथा उपलब्धता सुधारने में सहायता मिलेगी। सी॰ एस॰ एम॰ सी॰ आर॰ आई॰ के सहयोग से ये सरकारी उपक्रम, नमक उत्पादन की उत्तम तकनीक का प्रशिक्षण अनेक नमक कामगारों को दे सकते है। इनमें से प्रत्येक बड़े नमक कारखाने को सभी नमक कारखानों से आर्थिक आधार पर बिटर्न'' प्राप्त करने चाहिए तथा ब्रोमियों, पोटाशियम क्लोराइडल सोडियम सल्फेट, मैग्नेशियम क्लोराइड और सल्फेट्स आदि जैसे उपोत्पाद बनाने के लिए संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों में होने वाली प्रौद्योगिकीय उन्नति हेतु वैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं से नजदीकी संपर्क स्थापित करके उनकी सहायता ली जा सकती है। और सी॰ एस॰ एम॰ सी॰ आर॰ आई॰ के पास उपलब्ध परामर्श सेवाओं की भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।	स्वीकृत
श्रमिक और रोजगार		
54.	**कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। अतः उद्योग के कर्मचारियों की देखभाल हेतु उन्हें विशेष श्रमिक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने चाहिए और आवश्यक नियम लागू करके स्वास्थ्य संबंधी खतरे दूर किये जाने चाहिए। नमक विभाग को राज्य सरकारों से अच्छी तरह संपर्क बनाए रखना चाहिए और प्रगति पर नजर रखनी चाहिए।**	**स्वीकृत / कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सिफारिश की जाए।**

1	2	3
55.	कमेटी आन कन्वेंशस (आई० एल० ओ०) के अनुरूप तीन वर्षों के भीतर पैकिंग आकार की सीमा को घटाकर 55 किग्रा० कर देना चाहिए।	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।
56.	सुझाव दिया जाता है कि ब्रोमाइन, पोटाशियम और मैग्नेशियम नमक जैसे उपोत्पादों के उत्पादन को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम से छूट की जाए।	अस्वीकृत
57.	**सहकारी समितियां** सहकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष केवल 9 लाख मी० टन नमक उत्पादित किया जाता है जब कि गैर लाइसेंसीकृत क्षेत्र 12.5 लाख मी० टन नमक बनाता है। समिति ने इस बात के महत्व पर जोर दिया है कि भूराजस्व, कार्यशुलक और आसान ऋणों की व्यवस्था करके तथा विशेष प्रौद्योगिकीय सहायता द्वारा उत्पादन की लागत को घटाकर तथा उपोत्पादों का उत्पादन करके सहकारी समितियों की जीव्यता में सुधार किया जाना चाहिए। नमक विभाग को इस ओर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में समझना चाहिए।	यथावश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नोट किया।
58.	**नमक विभाग का प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचा** नमक विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगेः— (क) उत्पादन और कीमत पर निगरानी (ख) भंडारण और वितरण को सुगम बनाना, (ग) संवर्धन और प्रौद्योगिकीय विकास, (घ) योजना तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखना तथा आयोजन करना, (ङ) श्रमिक कल्याण कार्य तथा प्रत्येक पमक उत्पादक क्षेत्र में इन कार्यों की समीक्षा, (च) निर्यात बढ़ाने के लिए अध्ययन और अभ्युपाय, (छ) गुणमानक और उनकी प्राप्ति, (ज) मौसम संबंधी संवाओं का प्रावधान (झ) सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना (ञ) उद्योग में डिजाइन परामर्शदाताओं की डायरेक्टरी प्रकाशित करना, नमक विभाग में निम्नलिखित पांच प्रमुख प्रभाग होने चाहिए अर्थात्:- (क) उत्पादन (ख) भंडारण और वितरण। (ग) प्रोद्योगिकी विकास (घ) श्रमिक कल्याण (ङ) आर्थिक एवं सांख्यिकीय।	स्वीकृत, किन्तु नमक विभाग के प्रभागों का संगठन निम्नलिखित कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा—लाइसेंसीकरण, उपकर, विकासात्मक कार्य तथा श्रमिक कल्याण कार्य जिसकी जिम्मेदारी इसी पर रहेगी।
59.	समिति सुझाव देती है कि नमक विभाग क कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमानों तथा सुविधाओं का अध्ययन किया जाए और उनकी समीक्षा की जाए।	स्वीकृत

सिक्किम में पैट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना

1581. श्रीमती डी० के० भण्डारी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान सरकार का विचार गैस पर आधारित किन्हीं पैटरो रसायन उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सिक्किम में ऐसा कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) और (ख) प्रतिवर्ष-3,00,000 टन इथाइलीन की क्षमता से गैस परआधारित एक पेट्रो रसायन काम्पलेक्स महाराष्ट्र के नागोठाणे में निर्माण की अग्रिम अवस्था में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एच० एम० टी० के अजमेर स्थित कारखाने में वित्तीय संकट

1582. **श्री शान्ति धारीवाल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसम्बर, 1988 को कोटा से प्रकाशित ''नवज्योति'' में ''एच० एम० टी० अजमेर पर वित्तीय संकट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस कारखाने को संकट से बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव): (क) और (ख) समाचार में बताया गया है कि बीमा प्रीमियम और अनिवार्य जमा योजना के अधीन कर्मचारियों के वेतनों से की गई कटौतियों को जमा नहीं किया जा रहा है। बल्कि इन्हें कारखाने द्वारा अपने कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एच० एम० टी० की अजमेर एकक में सामूहिक बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा निगम, अनिवार्य जमा योजना आदि के मामले में कोई बकाया राशि नहीं है। एकक द्वारा फरवरी, 1989 के वेतन से देय तिथियों को कटौतयां भी भेजी जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

1583. **श्री उत्तमराव पाटिल:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजनावधि के लिए ताप और जल विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने लक्ष्य में निर्धारित विद्युत की शेष मात्रा का उत्पादन करने के लिये ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख): अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:—

ऊर्जा उत्पादन **(आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

	ताप विद्युत		न्यूक्लीय		जल विद्युत		जोड़	
	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक
1985-86	110000	114119	4000	4985	56000	50933	170000	170037
1986-87	127800	128818	5200	5023	57000	53764	190000	187605
1987-88	143000	149464	5600	5034	56400	47396	205000	201894
1988-89 (फरवरी, 89 तक)	147975	142058	5038	5548	53121	52979	206134	200585

1986-87 और 87-88 के दौरान विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण मुख्य रूप से देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति के फलस्वरूप जल विद्युत उत्पादन में कमी होना था। 1988-89 में विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निम्न प्रणाली मांग के कारण तथा मानसून की अवधि के दौरान आशा से अधिक वर्षा होने के कारण ताप विद्युत उत्पादन में कमी होना था।

(ग) ऊर्जा उत्पादन में कमी को पूरा करने की दृष्टि से उपलब्ध निधियों की सीमा में विभिन्न स्रोतों जिनका विकास किया जा चुका है और/अथवा जो प्रदर्शन/प्रयोगात्मक/अनुसंधान तथा विकास की स्थितियों में है, के माध्यम से पारंपरिक तथा अपारंपरिक ऊर्जा प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन स्रोतों में ये शामिल हैं:—सौर ताप-विद्युत, सौर फोटोवोल्टेक, पवन फार्म, बायोमास पर आधारित गैसीफायर्स, भू-तापीय रासायनिक स्रोत, समुद्री ऊर्जा आदि।

गुजरात में ग्रामों का विद्युतीकरण

1584. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सातवीं योजना के अन्तर्गत सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा;

(ख) क्या इसके पश्चात भी काफी संख्या में हरिजन बस्तियों और उपनगरों का विद्युतीकरण शेष रह जायेगा;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी हरिजन बस्तियों और उपनगरों के विद्युतीकरण करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता है; और

(घ) आठवीं योजना अवधि में सुदूरवर्ती ग्रामों के लोगों को बिजली की सुविधा देने हेतु यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो वह क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वहां शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात बिजली बोर्ड के अनुमानों के अनुसार, शेष बचे उप-नगरों (पेटापाड़ों) और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए क्रमशः लगभग 50 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित किया जाना अपेक्षित है।

(घ) गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा अपने भार अभिवृद्धि कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 8000 उप-नगरों (पेटापाड़ों) और 3000 हरिजन बस्तियों को शामिल करने की योजना है।

भुवनेश्वर, कटक और जयपुर (उड़ीसा) में नए टेलीफोन कनेक्शन

1585. **श्री अनादिचरण दास:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में, विशेष रूप से भुवनेश्वर, कटक और जयपुर में अलग-अलग कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ख) इस समय प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है और प्रतीक्षा सूचियों के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों):

(क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1987-89 के दौरान प्रदान किए गए और वर्ष 1989-90 के दौरान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	राज्य/शहर	1987-89 के दौरान दिए गए	1989-90 के दौरान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित
1.	उड़ीसा	7231 (31-1-89 तक)	6500
2.	भुवनेश्वर	614 (28-2-89 तक)	4000
3.	कटक	1696 (28-2-89 तक)	900
4.	जाजपुर	46 (28-2-89 तक)	शून्य (कोई प्रतीक्षा सूची नहीं)

(ख) अलग-अलग स्थानों की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस रकार है:—

उड़ीसा	6300 (31-1-89 को)
भुवनेश्वर	2800 (28-2-89 को)
कटक	1306 (28-2-89 को)
जाजपुर	10 (28-2-89 को)

प्रतीक्षा सूची को नए एक्सचेंज लगाकर और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके उत्तरोत्तर निपटाया जाएगा। वर्ष 1989-90 के दौरान भूवनेश्वर में 5000 लाइन की क्षमता का एक इलैक्ट्रनिक एक्सचेंज स्थापित करने और कटक एक्सचेंज का 1000 लाइन द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव है। जाजपुर एक्सचेंज के लिए कोई विस्तार कार्यक्रम नहीं है क्योंकि फिलहाल वहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

लोकटक पन-बिजली परियोजना से प्रभावित हुए किसानों का पुनर्वास

1586. **श्री एन. टोम्बी सिंह:**

(क) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उन किसानों की शिकायतों की तरफ आकर्षित किया गया है जिनकी भूमि लोकटक झील के जल में हमेशा के लिए डूब गयी है क्योंकि केन्द्रीय लोकटक पनबिजली परियोजना द्वारा इस झील में एक निश्चित जल स्तर बेनाए रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनको राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय मे विधुत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क)लोकतक झील एक प्राकृतिक झील है तथा लोकतक जल विद्युत परियोजना के लिए किसी प्रकार के कृतिम जलाशय का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिए परियोजना के अतिरिक्त भूमि के जल मग्न होने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि आगामी मानसून के आरम्भ होने तक जलाशय में जल का उच्च स्तर बनाए रखना उपेक्षित होता है ताकि विद्युत का उत्पादन किया जा सके और भूमि की सिचांई की जा सके। लोकतक झील में समीपवर्ती गांवों के लिए यह कठिनाई का कारण बन सकता है। झील में हाईसिन्थ के अपक्षय और वीड के एकत्र होने के कारण गाद का बढ़ जाने की वजह से झील के भंडारण क्षमता घट जाती है इसलिए विद्युत के उत्पादन हेतु और भूमि की सिंचाई के लिए जल का उच्च स्तर बनाए रखना आवश्यक हो जाता है।

(ख)और(ग). मणिपुर सरकार ने जोकि लोकतक झील का नियंत्रण करती है झील में तथा समीपवर्ती क्षेत्र में सामने आ रही समस्याओं का अध्ययन करने व समाधान करने के लिए, लोकतक विकास प्रधिकरण का गठन किया है। लोकतक परियोजना के प्रधिकारियों द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए जाने के रूप में इस प्राधिकरण की सहायता की जा रही है। अपनी परिस्थितिकी के लिए इसके इसके संरक्षण और सुरक्षा हेतु लोकतक झील को एक आर्द्र भूमि के रूप में भी इसे सम्मिलित किया गया है।

केरल में रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

1587. श्री टी. बशीर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में बृहद, मध्यम और लघु क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 1988 को रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन रुग्ण इकाइयों को आर्थिक दृष्टि से पुनः सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार जून, 1987 के अन्त मे केरल में संगठित क्षेत्र में 27 रुग्ण एकक एवं लघु क्षेत्र में 11,805 रुग्ण एकक हैं।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की केरल सहित समग्र देश के लिए एक समान नीति है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलु इस प्रकार हैं-

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियम के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना आरभं कर दिया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा किसानों को भूमि का मुआवजा

1588. श्री उत्तमभाई एच० पटेलः

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिमी कोयला खानों के वानि उप-क्षेत्र में कोयला खानों द्वारा विस्थापित किसान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड परियोजना (कोयला खान) के लिए अधिगृहित अपनी भूमि के लिए अच्छे मुआवजे हेतु आन्दोलन कर रहें हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्राधिकारियों को महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

ऊर्जामंत्रालयो में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरिफ)

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भूमि अधिग्रहण अर्धिनियम, 1894 के अनुसार मुआवजे की राशि में तीन मुद्दे शामिल हैं- अर्थात् अधिगृहित भूमि का बाजार भाव, बाजार भाव के 30 प्रतिशत की दर पर मुआवजा, और भूमि को अधिग्रहण करने के मामले पर कार्रवाई की गई, के लिए भूमि के बाजार भाव पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अदायगी। वेस्टर्न कोलफील्ड्स के वाणी उप-क्षेत्र की उक्त भूमि को कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा रहा है। इस अधिनियम में बाजार भाव के 30 प्रतिशत की दर पर मुआवजे और 12 प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर पर हुई वृद्धि की अदायगी करने की व्यवस्था नहीं है।इस संबंध में कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम के उपबंधों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के समतुल्य लाये जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अधिनियम में संशोधन किए जाने तक सरकार पहले ही बाजार भाव पर 30 प्रतिशत की दर से मुआवजे की अदायगी करने का निर्णय ले लिया गया है और यह अदायगी कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहित की गई भूमि के सभी मामलों में की रही है। बाजार भाव के 12 प्रतिशत की दर पर हुई वृद्धि की अदायगी किए जाने का प्रशन भी सरकार के सक्रियण विचाराधीन।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की योजनाएं

1589 : श्री चित्त महाताः

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये कुछ नई योजनायें तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा इससे कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) : जी, हां।

(ख) : ग्रामीण उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1988-89 हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 34 नये उद्योगों (विवरण में दर्शाये गये) को चुना है।

(ग) सातवीं योजना के शेष दो वर्षों में 12.00 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश से लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार जुटाने की आशा है।

विवरण

समूह-1 खनिज आधारित उद्योग

1. मन्दिों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्कासी और उत्कीर्णन।
2. पत्थर से बनाई गई उपयोगी वस्तुएं।

समूह-2 वन आधारित उद्योग

3. कागज के कप, प्लेट, थेले तथा अन्य कागज केन्टेनरों का विनिर्माण
4. कागज़ से बनाई गई अन्य सभी लेखन सामग्री सहित अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण, जिल्दसाजां, लिफाफा बनाना, रजिस्टर बनाना।
5. खस ट्ट्टी तथा झाडू निर्माण
6. वन उत्पाद का संचय, संसाधन तथा पेकिंग
7. फोटो फ्रेम बनाना

समूह-3 कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग

8. पिथ कार्य, पिथ, कटाई तथा माला इत्यादि का विनिर्माण
9. काजू संसाधन
10. पत्ते के कप बनाना

समूह-4 पोलिमर तथा रसायन आधारित उद्योग

11. रेक्सिन, पी० वी० सी० इत्यादि से उत्पाद
12. हाथी दांत उत्पादों सहित सींग तथा हड्डी
13. मोमबत्ती, क़पूर तथा सील करने हेतु मोम बनाना

समूह-5 इंजीनियरी तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा

14. पेपर पिनों, क्लिपों, सुरक्षा पिनों, स्टोव पिनों आदि का विनिर्माण
15. सजावटी बल्वों, बोतलों, ग्लास इत्यादि का विनिर्माण
16. छतरी सज्जीकरण
17. सौर एवं वायु ऊर्जा उपकरण
18. पीतल से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण
19. तांबे से हस्त निर्मित बर्तनों का विनिर्माण।
20. कांस्य से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण
21. पीतल, तांबे तथा कांस्य से बनी अन्य वस्तुएं
22. रेडियो का उत्पादन
23. रेडियो के साथ लगी हुई अथवा न लगी हुई कैसेट प्लेयरों का उत्पादन।
24. रेडियो के साथ लगे हुए अथवा न लगे हुए कैसेट रिकार्डर
25. वोल्टेज स्टेबिलाइजरों का उत्पादन

समूह-6 वस्त्र उद्योग (खादी के अतिरिक्त)

26. हौजरी

27. दर्जीगीरी और सिले सिलाये कपड़े तैयार करना।
28. नायलोन/सूत से मछली पकड़ने के जाल का हाथ से निर्माण करना।

सूमह-7 सेवा उद्योग

29. कपड़ो की धुलाई (लान्ड्री)
30. नाई
31. नलसाजी
32. विद्युत वायरिंग तथा इलैक्ट्रानिक घरेलू यंत्रों और उपकरणों की सेवा
33. डीजल इंजन, पम्प सेटों आदि की मरम्मत।
34. इलैक्ट्रोनिक घड़ियाँ।

टायरों का मूल्य

1590 :श्री शरद दिघे:
श्री काली प्रसाद पाण्डेय:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 में टायरों का उत्पादन बढ़ जाने के बावजूद भी उनके मूल्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन और मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) टायरों का मूल्य कम करने के लिय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) से (ग) : आटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अनुसार, टायर कंपनियों द्वारा निभिन्न श्रेणियों के टायरों के मूल्यों में अक्तूबर, 1988 में 2% से 6% तक वृद्धि की गई। वर्ष 1986, 1987 और 1988 में टायरों का उत्पादन क्रमशः 129.00, 145.00 और 178.00 लाख (अनुमानित) था। टायरों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकर ने ऐसे टायरों के मूल्यों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से बस तथा ट्रक टायरों के आयात को कम शुल्क दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया है।

केरल में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1591. प्रो. पी.जे. कुरियन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्षों में केरल के सभी जिलों में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी हां।

(ख) जिलेवार कार्यक्रम सलग्न विवरण में दिया गया है।

आठवीं पजना के दौरान केरल के विभिन्न जिलों में सस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेज बशर्ते कि *आठवीं योजना में उपस्कर उपलब्ध हों और इसका आकलन किया जाए।*

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित किस्म एवं	एक्सचेंज की क्षमता	आवटन का वर्ष
जिला: पटनमथिट्टा:				
1.	एडूर	सो-डाट	2000 लाइने	
2.	कैम्पट्टूर	ई-10बी	500 एल आरएलयू	91-92
			500 एल ई	92-93
3.	केन्नी	ई-10बी	500 एल एलआरएलयू	91-92
			500 एल ई	92-93
4.	कोथिनचेरी	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	91-92
			500 एल	93-94
5.	कुम्बानद	सी-डाट	1500 एल एम	93-94
6.	पंडालम	सी-डाट	1500 एल एम	92-93
7.	पथनमथिट्टा	ई-10बी	2000 एल	91-92
			1000 एल ई	92-93
			1000 एल ई	93-94
8.	रन्नी	सी-डाट	2000 एल एम	91-92
			500 एल ई	93-94
जिला: त्रिचूर:				
9.	अलगप्पानगर	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	90-91
			1000 एल ई	91-92
			500 एल ई	93-94
10.	त्रिचूर	ई-10बी	2000 एल एम	90-91
			2000 एल ई	91-92
			2000 एल ई	92-93
11.	इरल्लाकुडी	पीआरएक्स	3000 एल	90-91
12.	चेरपू	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	90-91
		500 एल		93-94
13.	चावघाट	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	91-92
			1000 एल ई	92-93
14.	चरगानोर	सी-डाट	1500 एल एम	90-91
			1000 एल ई	92-93
15.	गुरुवायूर	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	91-92
			1000 एल ई	92-93
			1000 एल ई	93-94
16.	कांडासान कदावू	सी-डाट	1500 एल एम	90-91
			1000 एल ई	91-92
			1000 एल ई	93-94
17.	कट्टूर	सी-डाट	3000 एल एम	92-93
			500 एल ई	93-94
18.	कुन्नामकुल्लम	ई-10बी	3000 एल एम	91-92
			1000 एल ई	92-93
			1000 एल ई	93-94

क्र.सं.	एक्सचेज का नाम	प्रस्तावित किस्म एवं	एक्सचेंज की क्षमता	आवटन का वर्ष
19.	माला	सी-डाट	2000 एल एम	93-94
20.	ओल्लूर	ई-10बी	1000 एल आरएलयू	93-94
			1000 एल ई	92-93
21.	मंहूर	सी-डाट	1500 एल एम	93-94
22.	पूवायूर	सी-डाट	2000 एल एम	93-94
23.	पुनायूरकुलप	सी-डाट	2000 एल एम	93-94
24.	वेतानगुलर	सी-डाट	2000 एल एम	92-93
25.	वेल्लापड	सी-डाट	2000 एल एम	92-93
			5000 एल ई	93-94
26.	वेट्टीकारा	512 पोर्ट आईअर्कूएल	512 पार्ट	89-90
27.	अन्नामनड्डा	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
28.	मटूम	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
29.	पेरीयारम	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
30.	पाजहायानूर	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
31.	पेरूमबिलामू	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
32.	त्रिरूविलवामाला	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
33.	अरांगाट्टुकारा	सी-डाट	128 पोर्ट	चालू किया गया
34.	मुक्रलारकाला	सी-डाट	128 पोर्ट	—वही—
35.	कुरीपीकारा	सी-डाट		128 पोर्ट 89-90
36.	पन्नला	सी-डाट	128 पोर्ट	89-89
	जिला एर्नाकुलम			
37.	एर्नाकुलम	ई-10 बी	3000 एल आरएलयू	88-89
		100	1000 एल ई	88-89
			6000 एल ई	89-90
			6500 एल	90-91
			5500 एल	91-92
			5000 एल	92-93
			6000 एल	93-94
		सी-डाट	3000 एल	92-93
			4000 एल	93-94
38.	कोठामांगलम	सी-डाड	1500 एल एम	90-91
			500 एल ई	91-92
39.	वेरापुजहा	सी-डाट	2500 एल एम	93-94
40.	वेरापुजहा	सी-डाट	2000 एल एम	92-93
41.	वेझाकुलम	सी-डाट	2000 एल एम	92-93
			5000 एल ई	93-94
42.	एलवाये	ई-10बी	4000 एल एम	92-93
			600 एल ई	93-94
43.	अंगामाती	सी-डाट		1500 एल एम 90-91
			500 एल ई	91-92
			1000 एल ई	93-94

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित किस्म एवं	एक्सचेंज की क्षमता	आवंटन का वर्ष
44.	उदयमपेरूर	आईएलटो	512 पोर्ट	88-89
45.	त्रिवेन्द्रम	ई-10बी	2000 एल	89-90
			3500 एल	92-93
			2000 एल	93-94
		सी-डाट	7000 एल	91-92
			4000 एल	92-93
			2000 एल	93-93
46.	अंट्टोगल	सी-डाट	1500 एल एम	93-94
47.	वरकला	सी-डाट	2000 एल एम	92-93
48.	कल्लामबालम	आईटीएल	512 पोर्ट	88-89
49.	मादवुरपल्लोकल	आईटीएल	512 पोर्ट	88-89
50.	कन्या कुलांगारा	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
51.	परातला	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
52.	वेल्लाराड	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
53.	वेंरारामूडू	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
54.	करयावट्टुम	एनईएएक्स	600 एल	90-91
55.	कल्लारा	सी-डाट	128 पोर्ट	चालू किया गया
56.	करावकोनम	सी-डाट	128 पोर्ट	-वही-
57.	मदानवील्लापेवमथुरा	सी-डाट	128 पोर्ट	-वही-
58.	पाङ्गा-पलोडे	सी-डाट	128 पोर्ट	-वही-
	जिला कालीकट			
59.	बाडागड	सी-डाट	2000 एल एम	90-91
			1000 एल ई	91-92
			1000 एल ई	93-94
60.	क्वीलांडी	सी-डाट	2000 एल	93-94
61.	कालीकट	ई-10 बी	5000 एल	90-91
			3500 एल	91-92
			3000 एल	93-94
		सी-डाट	3500 एल	93-94
	कोट्टायम जिला			
62.	चंगान्नाचेरी	ई-10बी	5000 एल एम	90-91
			2000 एल ई	91-92
			2000 एल ई	93-94
63.	एराथूपेट्टा	सी-डाट	2000 एल	92-93
64.	पामपेडी	सी-डाट	2000एल एम	92-93
			5000 एल ई	93-94
65.	इट्टुमानूर	सी-डाट	1500 एल	93-94
66.	कांझीकुटी	ई-10बी	2000एल आरएलयू	90-91
			1000 एलई आरएलयू	93-94

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित किस्म एवं	एक्सचेंज की क्षमता	आबंटन का वर्ष
67.	कोट्टायम	ई-10 बी	5000 एल एम	88-89
			3000 एल एम	91-92
			2000 एल ई	93-94
68.	गांधीनगर	ई-10बी	1000 एलआरएलयू	91-92
			500 एल ई	93-94
69.	वैकशाम	एनईएएक्स	400 एल	जारी किया गया
70.	मम्मुडु	सी-डाट	2000 एल	93-94
		आईट एल	512 पोर्ट	88-89
71.	कुवेहर	सी-डाट	128 पोर्ट	88-89
72.	पोमकुल्लम	सी-डाट	1500 एल एम	92-93
जिला कन्नानौर				
73.	चिंगमनाम	सी-डाट	2000 एल	92-93
74.	बतियापेट्रोम	ई-10 बी	2000 एल आरएलयू	91-92
			500 एल ई	93-94
75.	कन्नानौर	ई-10 बी	2000 एल एम	91-92
			3000 एल ई	92-93
			2500 एल ई	93-94
76.	पय्यानगोडा	स-डाट	1500 एल एम	93-94
77.	पायावूर	सी-डाट	2000 एल एम	90-91
			1000 एल ई	93-94
78.	तालीपारम्बा	सी-डाट	2000 एल एम	91-92
79.	ईरीकूर	आईटीएल	512 पोर्ट	89-90
	जिला अल्लेप्पे			
80.	मेवलीकारा	ई-10 बी	2500 एल एम	91-92
			1500 एल ई	93-94
81.	चिंगामूर	ई-10 बी	2500 आरएलयू	91-92
			1000 एल ई	93-94
82.	मनार	एनईएएक्स	400 एल	जारी किया गया
83.	अंबालापुझा	आईटीएल	512 पोर्ट	89-90
जिला वायनाड				
84.	कलपेएए	एनईहहक्स	600 एल	जारी किया गया
85.	सुल्तान बाटरी	सी-डाट	1500 एल एम	91-92
			1000 एल ई	93-94
86.	सुल्लोन अबेटरी	सी-डाट	2000 एल एम	93-94
	जिला क्विलोन			
86.	कुरनागापेल्ली	सी-डाट	1500 एल एम	93-94
87.	कोट्टाराकारा	सी-डाट	2000 एल एम	92-93

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित किस्म एवं	एक्सचेंज की क्षमता	आवंटन का वर्ष
88.	कुंडरा	सी-डाट	2000 एल. एम	91-92
89.	पुनालूर	सी-डाट	1500 एल एम	91-92
			1000 एल ई	92-93
90.	क्विलोन	ई-10 बी	5000 एल ई	91-92
			2000 एल ई	93-94
91.	चेवारकरा	ईएलएएक्स	200 एल	89.90
92.	कालाकम	ईएलएएक्स	200 एल	89-90
93.	कुलाथोड़ा	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
94.	निदुमगला	ईएसएएक्स	200 एल	89-90
	जिला मालापुरम			
95.	मालापुरम	सी-डाट	1500 एल एम	93-94
96.	पेरीनथालमाता	सी-डाट	1500 एल एम	92-93
97.	मंचेरी	सी-डाट	2000 एल एम	91-92
98.	कोनडोट्टी	आईसीएल	512 पोर्ट	88-89
	जिला कारासागोडा			
99.	कानहानगाडा	सी-डाट	2500 एल	90-91
			1000 एल	93-94
100.	अम्बालाथारा	सी-डाट	128 पोर्ट	88-89
101.	पैतालिका	आईटीएल	512 पोर्ट	89-90
	पालघाट जिला			
102.	ओलवाकट	ई-10 बी	1000 एल आरएलयू	91-92
			500 एलई	93-94
103.	पालघाट	ई-10 बी	5000 एल एम	91-92
			1000 एल ई	92-93
			1000 एल ई	93-94
	जिला इडुक्की			
104.	कुमीली	आईटीएल	512 पोर्ट	88-89
105.	नेदुमगंडोम	आईटीएल	512 पोर्ट	88-89
106.	अराकुलम	आईटीएल	512 पोर्ट	89-90

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, पालघाट का विस्तार

1592. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पालघाट का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो):

(क) जी हां। पालघाट में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग यूनिट के विस्तार की योजना का कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस परियोजना में निम्नलिखित उत्पादन शामिल है:-

- डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (डी-टैक्स) उपस्कर की प्रतिवर्ष 30,000 सर्किटों का उत्पादन।
- इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई॰ पी॰ ए॰ बी॰ एक्स) उपस्कर की 40,000 लाइनों का प्रतिवर्ष उत्पादन।
- इलेक्ट्रॉनिक रूरल आटोमेटिक एक्सचेंज (ई॰ आर ए॰ एक्स) उपस्कर की 50,000 लाइनों का प्रतिवर्ष उत्पादन।

औद्योगिक नीति को उदार बनाया जाना

1593. **श्री हरिहर सोरन:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों हेतु औद्योगिक नीति को और अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों से इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इन राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक नीति को उदार बनाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव):

(क) से (घ) सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। एम॰ आर॰ टी॰ पी॰/फेरा कंपनियों को कुछ उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है यदि परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। गैर-एम॰ आर॰ टी॰ पी/गैर-फेरा कंपनियों के संबंध में भी, 50 करोड़ रू॰ तक निवेश को लाइसंसमुक्त होने की सुविधा उपलब्ध है यदि परियोजनाएं 30 जून, 1988 की अधिसूचना में निर्दिष्ट दूरी सीमाओं के बाहर स्थित हों। सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों में 100 विकास केन्द्रों की स्थापना की घोषणा भी की है, जहां उच्च स्तर की मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन विकास केन्द्रों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्रबल प्रोत्साहन देने की संभवना है। इसके अलावा, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा राजस्व तथा वित्तीय प्रोत्साहन तथा रियायतें भी प्रदान की गई हैं। औद्योगिक नीति तथा क्रियाविधियों को उदार बनाना एक सतत प्रक्रिया है तथा बदलती हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप कई उपाय किए गए हैं।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डाकघर खोलना

1594. **श्री चिन्तामणि जेना:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में कितने डाकघर, उप-डाकघर और प्रधान डाकघर हैं;

(ख) इन राज्यों में अगले तीन वर्षों के दौरान कितने नये डाकघर, उप-डाकघर और प्रधान डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इन राज्यों से नये डाकघर खोलने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

(घ) सभी स्थानों पर डाक सुविधायें उपलब्ध कराने की सरकार की नीति क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जानकारी इस प्रकार है:-

	प्रधान डाकघर	उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा-डाकघर	कुल
पश्चिम बंगाल	44	1611	343	6210	8208
उड़ीसा	35	1132	196	6180	7543

(ख) वर्ष 1988-89 के संबंध में जानकारी इस प्रकार है:-

	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
पश्चिम बंगाल	5	165
उड़ीसा	5	175

वर्ष 1989-90 के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक प्रधान डाकघरों का संबंध है, यह श्रेणी "योजना" के अंतर्गत नहीं आती। निर्धारित मानदण्डों पर आधरित प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जाता है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जनसंख्या, निकटस्थ डाकघर से दूरी और अनुमानित आय जैसे कतिपय मानदण्डों के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए सरकार का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है।

(ङ) सातवीं योजना में, विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 6000 नए डाकघर खोलना शामिल है जिनमें से 28.2.1989 तक 1182 नए डाकघरों की मंजूरी दे दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के अलाभप्रद उपक्रमों को बंद किया जाना

1595. **श्री चिन्तामणि जेना:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, सरकारी क्षेत्र के अलाभप्रद उपक्रमों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके बंद होने का प्रभाव कितने श्रमिकों पर पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव)

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन का "सैंट्रल प्रोडक्शन सेंटर"

1596. **श्री शांताराम नायक:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के "सैंट्रल प्रोडक्शन सेंटर" ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ग) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या यह प्रोडक्शन सुविधा टेलीविजन धारावाहिकों के गैर सरकारी निर्माताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ङ) निर्माताओं से उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितना प्रभार लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत):

(क) जी, हां। केन्द्रीय निर्माण केन्द्र का औपचारिक उद्घाटन 6.2.1989 को किया गया था।

(ख) इस केन्द्र को विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रम निर्माण के लिए उपयोग करने की दृष्टि से इसे अति आधुनिक उपकरणों के साथ स्थापित किया गया है। अभी तक इस केन्द्र ने दूरदर्शन वृत्तचित्र, वैराइटी शो, टेली फिल्म, बैले, संगीत और नृत्य कार्यक्रम इत्यादि जैसे फार्मेटों में कार्यक्रमों का निर्माण किया है।

(ग) इस केन्द्र को 49.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्थापित किया गया है।

(घ) और (ङ): जी नहीं। केन्द्रीय निर्माण केन्द्र को प्रेषण की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से मुक्त होकर उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के निर्माण पर निरंतर ध्यान देने के लिए, दूरदर्शन के इन-हाउस निर्माणों हेतु स्थापित किया गया है।

विकलांगों के लिए दूरदर्शन द्वारा समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

1597. **श्री शांताराम नायक:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन अथवा किसी अन्य एजेंसी ने विकलांगों के लिए रविवार की दोपहर को प्रसारित समाचार बुलेटिन देखने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर दिखाये जाने से पहले विदेशी फिल्मों की संवीक्षा करने के लिए समिति

1598. **श्री शांताराम नायक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन द्वारा अगले छह महीनों में कितनी और कौन-कौन सी विदेशी फिल्में दिखाए जाने का विचार है;

(ख) क्या फिल्मों का आयात किए जाने से पहले उनको संवीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति का किस प्रकार गठन किया जाता है;

(घ) क्या ये फिल्में दूरदर्शन की जांच के लिए भी प्रस्तुत करनी पड़ती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):

(क) आगामी 6 महीनों में 13 विदेशी फिल्में के टेलीकास्ट किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, केवल 6 फिल्में के बारे में ही निर्णय लिया गया है जो इस प्रकार है:

फिल्म का शीर्षक	भाषा
1. कान्फीडेंस	हंगेरियन
2. कम्पुफलेज	पालिश
3. आई लव यू रीजा	अंग्रेजी
4. माई अमरीकन अंकल	फ्रेंच
5. इंस्पेक्टर जनरल	अंग्रेजी
6. दि स्ट्राइक	अंग्रेजी

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने दूरदर्शन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें 4 गैर सरकारी और 3 सरकारी सदस्य हैं।

(घ) और (ङ): चयन समिति द्वारा चुनी गई सभी फिल्मों का टेलिकास्ट से पहले दूरदर्शन द्वारा पूर्वावलोकन किया जाता है।

धार्मिक विषयों पर आधारित टी० वी० धारावाहिक

1599. **श्री शांताराम नायक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के पास धार्मिक विषयों पर आधारित कितने और कौन-कौन से टी० वी० धारावाहिक स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं;

(ख) यदि ऐसे किन्हीं धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान की गई है तो उनके नाम सहित उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनके प्रसारण संबंधी कार्यक्रम क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):

(क) नीति के अनुसार, दूरदर्शन उन कार्यक्रमों के प्रायोजित करने के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता जो केवल धार्मिक विषयों पर आधारित होते हैं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

तालचेर उड़ीसा में सुपर ताप विद्युत परियोजना

1601. **श्री के० प्रधानी:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष उड़ीसा के तालचेर में सुपर ताप विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में लिए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख): राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उड़ीसा में तलचेर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट) की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को सरकार द्वारा नवम्बर, 1988 में अनुमोदित किया गया था। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य आरंभ हो चुका है और आधारभूत विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा परियोजना के लिए टर्बाइन जनरेटर पैकेज हेतु ठेका दे दिया गया है।

हाइड्रोकार्बन का उत्पादन

1602. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी योजना के दौरान देश में हाइड्रोकार्बन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सातवीं योजना अवधि में हाइड्रोकार्बन्स के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में उसका उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या आठवीं योजना के लिये इस संबंध में क्या कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बरहम दत्त):

(क) छठी योजना के दौरान. हाइड्रोकार्बन का उत्पादन इस प्रकार था:—

क्रूड आयल	102.8 मिलियन टन
गैस	24.35 बिलियन घन मीटर

(ख) सातवीं योजना की अवधि के दौरान हाइड्रोकार्बन के उत्पादन का लक्ष्य और 1.4.1988 से 31.12.1988 की अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियां इस प्रकार है:—

	लक्ष्य	प्राप्तियां
क्रूड आयल (मिलियन टन)	159.14	114.86
गैस (बिलियन घन मीटर)	59.68	39.10

(ग) और (घ) आठवीं योजना की अवधि के दौरान विशिष्ट कार्यक्रमों का पता इस योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही चल सकेगा।

सातवीं और आठवीं योजना के दौरान रसोई गैस का उत्पादन

1603. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्त तक रसोई गैस का कुल उत्पादन कितना हो जाने की संभावना है; और

(ग) आठवीं योजना अवधि में रसोई गैस के उत्पादन के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुल 2530 हजार टन एल पी जी का उत्पादन किये जाने की सम्भावना है। आठवीं योजना की अवधि के दौरान वृद्धि इस कार्य के लिए गैस की उपलब्धता और एल पी जी निकालने की नई स्कीमों की सम्भावना पर निर्भर करेगा। आंरम्भिक अनुमानों के अनुसार उत्पान लगभग 40 लाख टन के आस पास होगा।

तेल प्रतिष्ठानों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सुरक्षोपाय

1604. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सभी तटीय एवं तट से दूर स्थित प्रतिष्ठानों में सुरक्षोपाय पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) और (ख) तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने तटवर्ती और अपतट स्थित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें तटवर्ती प्रतिष्ठानों में अग्निशमन प्रणालियों तथा उचित सुरक्षा की व्यवस्था करना शामिल है। अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय हैं:—

(1) अग्नि से सुरक्षा और अग्निशमन प्रणालियां,

(2) गैस का पता लगाने की प्रणालियां;

(3) जीवन रक्षक प्रणालियां जैसे जीवन रक्षक नौकाएं, लाइफ रेफ्ट्स, इस्केप लैडर आदि। इसके आंतरिक्त तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आडेट और जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के लिए गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना

1605. **प्रो. मधु दंडवते:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बाम्बे हाई, साउथ बेसीन तथा रत्नागिरि क्षेत्र में पता लगाई गई गैस की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुये कोंकिण के पिछड़े क्षेत्र में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषतः गैस पर आधारित उर्वरक एकक स्थापित करने में हुऐ विलम्ब को देखते हुऐ, विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय:

(क) और (ख) कोंकण क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. रत्नागिरि जिले के दभोल में गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मेगावाट)
2. कल्याण टाउन के ठाकुरली में गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट)
3. रायगढ़ जिले के उरण में गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र (8 × 108 मेगावाट)

स्कीम के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु ईंधन लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति आदि जैसे कुछ अपेक्षित निवेश अभी सुनिश्चित किए जाने हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार उपरोक्त क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लेख की गई स्कीमें पारम्परिक गैस प्रज्वलित बायलर पर आधारित है इसलिए मितव्ययी नहीं है और न ही इनमें गैस का समुचित रूप से उपयोग हो पाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचारों से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को अवगत करा दिया गया है और इन स्कीमों पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है। जहां तक क्रम संख्या (3) पर उल्लेख की गई स्कीम का संबंध है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से एक उपयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने वर्तनाथ उरण गैस टर्बाइन केन्द्र में 3 × 120 मेगावाट के अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिटें प्रतिष्ठापित करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा था। 2 × 210 मेगावाट के यूनिट के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन दे दिया गया है। गैस लिंकेज सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही तीसरी यूनिट के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकेगा।

एरिथ्रोमाइसिन का उत्पाद

1606. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एरिथ्रोमाइसिन के निर्माताओं के नाम क्या-क्या हैं और उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) क्या ये कंपनियां टी आई ओ सी का उत्पादन भी कर रही हैं, यदि हां, तो इनको कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना उत्पादन हुआ?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव):

(क) मांगे गए ब्यौरे जो भी उपलब्ध हैं नीचे दिए जाते हैं:—

कम्पनी का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता (मी. टन)	उत्पादन (टनों में) 85-86	86-87	87-88
1. आईडीपीएल	36.0	—	0.20	2.20
2. केमिस फार्मा	40.00	23.21	20.19	—
3. एलम्बिक केमिकल्स	50.0	27.76	21.05	39.30
4. स्टेण्डर्ड फार्मा	50.00	0.51	—	—

F-14 51/21)43155-60

(ख) टीआईओसा एक मध्यवर्ती है, जो एरिथ्रोमाइसिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इस मद के लिए किसी अलग क्षमता हेतु लाइसेंस नहीं दिया गया है।

क्लोरोक्यून और प्राइमेक्यून की कमी

1607. **डा० जी० विजय रामा राव:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्लोरोक्यून और प्राइमेक्यून की सप्लाई कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध मे क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) और (ख): प्रपुंज औषध क्लोरोक्वीन फास्फेट और न कि प्राइमाक्वीन की अपर्याप्त **उपलब्धता** की कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । यह मामला प्रपुंज औषध के उत्पादकों के साथ उठाया गया था **और उनका** उत्पादन बढ़ाने की सलाह की गई थी ताकि इसकी कमी न हो । प्रपुंज औषध के बिक्री मूल्य मे हाल मे वृद्धि भी की गई है । संबंधित सूत्रयोगों की अधिकतम कीमतों मे भी संशोधन किया जा रहा है ।

कोयले का उत्पादन और मांग

1608. **श्री प्रकाश चंदर:**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश मे कोयले की वर्तमान अनुमानित मांग और खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश मे इस समय कोयले के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष देश मे नई कोयला खानों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन नई खानों मे कोयले का उत्पादन कब तक प्रारंभ होगा; और

(ङ) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय मे कोयला विभाग मे राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ):

(क): अर्थव्यवस्था मे कोयले की मांग का अनुमान विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की प्रत्येक की मांग को ध्यान मे रखते हुए लगाया जाता है । कोयले की मांग का राज्यवार अनुमान नहीं लगाया जाता है । वर्ष 1987-88 मे सभी उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए योजना आयोग ने कयले की कुल 192 मि० टन मांग होने का अनुमान लगाया है । वर्ष 1987-88 मे विभिन्न राज्यों को कोयले की वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है ।

(ख) : वर्ष 1988-89 के चालू वर्ष के दौरान देश मे कोयले का लगभग 194 मिलियन टन उत्पादन होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थात् 1-1-1988 और 1-1-1989 की अवधि के **बीच लगभग** 5,800 मि० टन के नए कोयले के भण्डारों का पता लगाया गया है । वर्ष 1987-88 **के दौरान 58 कोयला** खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गए । इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता

28 मिलियन टन और अनुमानित लागत 1540 करोड़ रुपए है । इन परियोजनाओं से कोयले का उत्पादन आठवीं पंचवर्षी योजना की अवधि के दौरान शुरू किया जाएगा।

(ङ) : वर्ष 1987-88 के दौरान कोल इंडिया लि० के लिए योजनागत परिव्यय की कुल राशि 1026 करोड़ रुपए थी । सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के लिए यह राशि 125 करोड़ रुपए थी।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान कोयले की राज्यवार आपूर्ति

राज्य	(मि० टनों में) आपूर्ति / प्राप्ति 1987-88
आंध्र प्रदेश	12.46
असम	0.77
पश्चिम बंगाल	14.11
बिहार	22.94
गुजरात	12.05
जम्मू और काश्मीर	0.23
महाराष्ट्र	17.17
मध्य प्रदेश	20.54
तमिलनाडु	7.45
कर्नाटक	3.35
उड़ीसा	6.23
पंजाब	4.58
हरियाणा	2.98
उत्तर प्रदेश	21.41
राजस्थान	2.82
दिल्ली	4.59
हिमाचल प्रदेश	0.09
केरल और अन्य	0.67
जोड़:	154.46

विदेशी सहयोग और निवेश

1609. डा० दत्ता सामन्त:

क्या उद्योग. मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान विदेशी सहयोग के मामलों मे तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 और 1988 मे कितने विदेशी सहयोग करारों को मंजूरी दी गयी थी; और

(ग) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान देश मे कितना-कितना विदेशी निवेश था?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) से (ग): सरकार ने वर्ष 1986, 198घ और 1987 के दौरान विदेशी सहयोग हेतु क्रमशः 957, 853 और 926 प्रस्ताव अनुमोदित किये है । सरकार द्वारा 1986, 1987 और 1988 मे अनुमोदित विदेशी निवेश की राशियां क्रमशः 10,695.1565 लाख रुपये, 10,770.575 लाख रुपये तथा 23,97575 लाख रुपये थीं

हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाईप लाइन मार्ग पर उर्वरक तथा गैस पर आधारित परियोजनाएं

1610. प्रो० मधु दंडवतेः

श्री बनवारी लाल पुरोहितः

प्रो० रामकृष्ण मोरेः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाईपलाइन मार्ग पर उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिये जिन उद्योगपतियों ने पेशकश की थी, उनमे से कुछ ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उपलब्ध गैस को एक उपयुक्त शाखा पाइपलाइन के जरिये महाराष्ट्र के पिछड़े मराठवाड़ा-विदर्भ क्षेत्र मे उर्वरक परियोजनाओं तथा गैस पर आधारित अन्य परियोजनाओं मे उपयोग हेतु सप्लाई किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे महाराष्ट्र सरकार द्वारा बार-बार की गई मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) और (ख): शाहजहांपुर उर्वरक परियोजना के लिए मैसर्स एपीजे फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 21-8-85 को आशय पत्र जारी किया गया था, और जिसका समय-समय पर नवीकरण किया गया परन्तु 20-2-88 के बाद इसकी वैधता बढ़ाई नहीं गई थी ।

(ग) और (घ) मराठवाड़ा-विदर्भ क्षेत्र मे एच बी जे पाइपलाइन की शाखा के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया और महाराष्ट्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल यह सम्भव नहीं है ।

गैर सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियां

1611. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियरः** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी औषध कंपनियां औषधियों का विपणन कर रही हैं;

(ख) किन-किन राज्यों ने इन कंपनियों से औषधियां खरीदना बन्द कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों को गैर-सरकारी क्षेत्र की औषध कंपनियों से औषधियां न खरीदने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) संगठित क्षेत्र में 250 से अधिक औषध कम्पनियां और लघु क्षेत्र में 5000 से अधिक एकक औषधों का निर्माण कर कर रहे हैं।

(ख) इन ब्यौरों को इस विभाग द्वारा मॉनीटर नहीं किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आठवीं योजना में ऊर्जा बचत संबंधी कार्यकारी दल

1612. **श्री एस०बी० सिदनाल:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि में ऊर्जा बचत और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित आर्थिक उपायों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा; और

(ग) इस कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संदर्भ में सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। इस कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों में से एक ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अपेक्षित वित्तीय उपायों के बारे में सुझाव देना है।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ग) कार्यकारी दल में 19 सदस्य हैं।

ताप विद्युत विकास संबंधी अध्ययन

1613. **श्री एस०बी० सिदनाल:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परिषद् ने पन विद्युत विकास की उपेक्षा करके ताप विद्युत विकास को प्राथमिकता देने की वर्तमान प्रवृत्ति बदलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परिषद् ने देश में विद्युत की स्थिति का गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो विद्युत उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग). राष्ट्रीय विद्युत यूटिलिटी परिषद् के अनुसार, आठवीं योजना के अन्त तक संभावित क्षेत्रीय विद्युत सलाई स्थिति का निर्धारण करने के लिए इसके द्वारा विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि व्यस्ततकालीन विद्युत में लगभग 6 से 7 प्रतिशत की कमी रहेगी परन्तु कुछ क्षेत्रों में लगभग 20% फालतू ऊर्जा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय विद्युत यूटिलिटी परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव जल-विद्युत के विकास को उच्च प्राथमिकता दिए जाने से संबंधित है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक निर्धारण के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान

अनन्तिम रूप जोड़ी जाने वाली क्षमता को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के अन्त तक ऊर्जा में लगभग 2 प्रतिशत तथा, व्यस्ततमकालीन विद्युत में 17% की कमी रहेगी। अतः अतिरिक्त ताप विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि जल-विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के एककों को लाभ

1614. **श्री एस० बी० सिदनाल:**
श्री एस०एम० गुरड्डी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों को कुल कितना लाभ हुआ;

(ख) देश में कुल कितने रुग्ण एकक हैं तथा इनमें से कितने एककों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है; और

(ग) देश में इस समय रुग्ण एककों की हालत कैसी है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कुल निवल लाभ 1771.39 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग). जून, 1987 के अन्त तक देश में रुग्ण एककों की कुल संख्या 159283 है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उद्यमों में से 45 अधिग्रहीत रुग्ण उद्यम हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन संबंधी सम्भाव्यता अध्ययन

1615. **श्री एस०बी० सिदनाल:**
श्री एस०एम० गुरड्डी:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन की सम्भाव्यता के बारे में अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय राज्यों में राज्य की राजधानियों के साथ एस०टी०डी० सेवा प्रारम्भ करना

1616. प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों और राष्ट्रीय राजधानी के साथ जोड़ने और ग्रुप डायलिंग प्रारंभ करने के लिए विशेष श्रेणी के अंतर्गत शामिल किये गये पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को कोई विशेष प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) :

(क) और (ख) .दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जैसी बुनियादी दूरसंचार सुविधा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तथापि, इसमें एसटीडी अथवा ग्रुप डायलिंग की व्यवस्था करना शामिल नहीं होता, जिसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के आधार पर सुलभ कराया जाता है।

(ग) सातवीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में मार्च, 1990 तक एसटीडी सुविधा प्रदान की जानी है।

हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

1617. प्रो० नारायण चंद पराशर:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहण कर ली है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि की कितनी कीमत मांगी है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरु किया जायेगा तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पुरा होने एवं इस केन्द्र के कब तक चालू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) :

(क) जी,हां।

(ख) कम कीमत,जो अब देने के लिए कही गयी है, वह 9.50 लाख रूपये है जबकि इसकी तुलना में पहले 43/32/100/-रुपये की मांग की गई थी।

(ग) 178.60 लाख रूपये।

(घ) भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। हमीरपुर के प्रस्तावित रेडियो केन्द्र के वर्ष 1990-91 के दौरान चालू हो जाने के लिए तैयार हो जाने की आशा है।

दूरसंचार आयोग

1618. प्रो० नारायण चन्द पराशर :
श्री बालासाहब विखे पाटिल:
श्री अनादि चरण दास :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार आयोग की स्थापना का ब्यौरा क्या है : और

(ख) इसके कृत्यों और आयोग तथा दूरसंचार विभाग के बीच कार्य विभाजन की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है?

संचार मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) दूरसंचार आयोग का गठन नीचे लिखे अनुसार होगा :-

दूरसंचार आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्ण कालिक सदस्य, अर्थात सदस्य (सेवाएं), सदस्य (उत्पादन), सदस्य (प्रौद्योगिकी) और सदस्य (वित्त) होंगो जो भारत सरकार

के पदेन सचिव होंगे तथा चार अंशकालिक सदस्य, अर्थात् सचिव (उद्योग) सचिव (इलैक्ट्रानिकी) विभाग सचिव (वित्त, आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (योजना) होंगे। इसका अध्यक्ष भी सरकार के सचिव रैंक का होगा।

(ख) इसके कार्यों की संक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार है:—

दूरसंचार आयोग का निम्नलिखित के लिए संचात मंत्री को जवाबदेह होगाः

(i) भारत की दूरसंचार प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, उत्पादन और सेवाओं की पूर्ण जिम्मेदारी सहित भारत में दूरसंचार से संबंधित मामलों पर सापेक्ष महत्व की नीतियों का निर्धारण।

—दूरसंचार से संबंधित सभी प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय मामलों का नियमन, नियंत्रण और समन्वय जिसमें :—

- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्कों और सेवाओं का विकास, प्रचालन और प्रबंध,
- प्रौद्योगिकी
- उत्पादन शामिल है,

—संचार मंत्री से प्राप्त निदेशों और मार्गनिर्देशों का पालन करना।

(ii) दूरसंचार आयोग, योजना आयोग के अनुमोदन के लिए सापेक्ष महत्व की, पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करेगा। आयोग संसद की मंजूरी हेतु वार्षिक बजट भी तैयार करेगा।

(iii) दूरसंचार आयोग को आणविक ऊर्जा आयोग की भांति पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी।

दूरसंचार विभाग नीति निर्देशों का निर्धारण करने और दूरसंचार विभाग से संबंधित कार्यों का निपटान करने के लिए दूरसंचार बोर्ड के साथ कार्य कर रहा था। उच्च वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों सहित दूरसंचार आयोग के गठन के साथ दूरसंचार बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा और दूरसंचार विभाग दूरसंचार आयोग के अधीन कार्य करेगा।

डाकघर खोलना

1619. प्रो॰ नारायण चन्द पराशरः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाक विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये नये डाकघर खोलने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक ठोस अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1988 और जनवरी तथा फरवरी, 1989 के महीनों में देश में राज्यवार कितने नये डाकघर खोले गये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख): प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा सर्किल अध्यक्षों ने भी प्रस्ताव तदनुसार प्रस्तुत किए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक निपटाए गए प्रस्तावों के संबंध में मंजूरियां भी जारी कर दी है। वर्ष के दौरान 28.2.1989 तक स्वीकृत किए गए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-एक में दर्शायी गई है।

तथापि, स्वीकृत किए गए डाकघर को खोलने में समय लग जाता है क्योंकि अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान खोले गए नए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

वार्षिक योजना 1988-89

1.4.88 से 28.2.89 के दौरान स्वीकृत नए डाकघरों की संख्या

क्रम सं॰	राज्य / संघ शासित प्रदेश	अति॰वि॰शा॰डाकघर*	वि॰ उप डाकघर**
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1
2.	असम	—	1
3.	बिहार	—	1
4.	हरियाणा	27	5
5.	हिमाचल प्रदेश	8	1
6.	कर्नाटक	63	5
7.	महाराष्ट्र	30	2
8.	उड़ीसा	—	1
9.	पंजाब	3	1
10.	राजस्थान	98	—
11.	तमिलनाडु	6	5
12.	उत्तर प्रदेश	1	3
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	12	1
2.	दिल्ली	—	6
	कुल	270	32

टिप्पणी: 28.2.1989 तक अन्य राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में कोई नया डाकघर स्वीकृत नहीं किया गया।

*ग्रामीण शाखा डाकघर **विभागीय उप डाकघर

विवरण— दो

वार्षिक योजना 1988—89

खोले गए नए डाकघरों की संख्या

क्रम सं॰	राज्य / संघ शासित प्रदेश	31.12.88 को समाप्त तिमाही	जनवरी-फरवरी 1989	कुल
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	1	—	1
2.	असम	—	3	3
3.	हरियाणा	4	2	6
4.	हिमाचल प्रदेश	1	i	2
5.	कर्नाटक	—	68	68
6.	महाराष्ट्र	1	23	24
7.	पंजाब	2	—	2
8.	तमिलनाडु	2	1	3
9.	उत्तर प्रदेश	—	1	1
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	दिल्ली	—	2	2
	कुल	11	101	112

28.2.1989 तक अन्य राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में कोई नया डाकघर नहीं खोला गया।

सरकारी क्षेत्र की सीमेंट यूनिटों का उत्पादन

1620 श्री बनवारी लाल पुरोहितः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की सीमेंट की यूनिटों से अपनी उपयोग क्षमता बढ़ाने को कहा है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रतेक सीमेंट यूनिट द्वारा किए गये उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उतपादन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने उन्हें क्या कदम उठाने के सुझाव दिये हैं; और

(घ) अगले वर्ष सीमेंट का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) एककों को क्षमता उपयोग में सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय करने की सलह दीं गयी है:-

(1) उपकरणों के नष्ट होने का समय कम करने के लिये निवारक अनुरक्षण हेतु उपयुक्त प्रणाली अपनाना;

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन

(3) उर्जा बचत के उपकरण लगाना; और

(4) बिजली की अपेक्षाओं के भाग को पूरा करने के लिये कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करना।

(घ) सभा संयंत्रों द्वारा सरकारी क्षेत्र सभा के हों अथवा निजी क्षेत्र के , वर्ष 1988-89 के लिये सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य 435 लाख मी०टन है जिसे प्राप्त किये जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्र.सं.	एकक का नाम		राज्य	(टन लाख में) सीमेंट उत्पादन 1986	1987	1988
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	केन्द्र सरकारी क्षेत्र					
1.	मै. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आदिलाबाद		आन्ध्र प्रदेश	2.40	2.40	2.14
2.	-वही-	अकलतारा	मध्य प्रदेश	2.66	2.53	2.47
3.	-वही-	बोकाजन	असम	1.67	1.63	1.52
4.	-वही-	चरखीदादरी	हरियाणा	1.42	1.53	1.42
5.	-वही-	कुरकुन्टा	कर्नाटक	1.65	1.85	1.88
6.	-वही-	मंधर	मध्य प्रदेश	3.36	3.16	3.56
7.	-वही-	नीमच	मध्य प्रदेश	2.51	2.85	2.73
8.	-वही-	राजबन	हिमाचल प्रदेश	1.40	1.89	1.79
9.	-वही-	तंदूर	आन्ध्र प्रदेश	0.12	2.41	4.32
10.	-वही-	येरागुन्तला	आन्ध्र प्रदेश	2.18	2.12	1.95
			योगः	19.45	22.37	23.78

क्र.सं.	एकक का नाम	राज्य	(टन लाख में) सीमेंट उत्पादन 1986	1987	1988
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	राज्य सरकारी क्षेत्र				
11.	तमिलनाडु सीमेंट कार. अलनगुलम	तमिलनाडु	3.18	2.82	3.05
12.	-वही- अरियालूर	तमिलनाडु	3.35	4.00	3.72
13.	मै. हीरा सीमेंट बारगढ़	उड़ीसा	4.33	3.78	4.53
14.	मै. वी. आईएस.एल. भद्रावती	कर्नाटक	0.29	0.01	फैक्टरी बन्द
15.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम चुनार	उत्तर प्रदेश	9.06	10.41	10.37
16.	-वही- चुर्क	उत्तर प्रदेश	0.52	0.70	1.06
17.	-वही- डल्ला	उत्तर प्रदेश	0.49	0.06	0.87
18.	मै. जे एण्ड के. खिचु	जम्मू कश्मीर	1.22	1.24	1.72
19.	मै. मामलुएचेरा एम. चेरा	मेघालय	0.97	0.97	0.92
20.	मै. मालबार सीमेंट्स पालघाट	केरल	2.53	3.67	3.80
		योगः	25.94	27.66	30.04
		कुल योगः	45.39	50.03	53.82

आंध्र प्रदेश में दूर-संचार सेवाओं का विकास

1621. **श्रीमती एन.पी. झांसी लक्ष्मी:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान और वर्ष 1988-89 में अब तक आन्ध्र प्रदेश में दूर संचार सेवाओं के विकास से संबंधित कितने कार्यक्रम अब तक प्रारंभ किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

आंध्र प्रदेश में 1987-88 और 1988-89 के दौरान दूरसंचार सेवाओं में अब तक किए गए विकास कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र सं०	मद	आंध्र प्रदेश में विकास कार्य 1987-88 के दौरान	1988-89 के दौरान (दिसंबर 88 तक)
1.	खोले गए नये एक्सचेंजों की संख्या	77	10
2.	बढ़ाई गई स्विचिंग क्षमता	24050 लाइनें	13830 लाइनें
3.	दिये गए नये कनेक्शनों की संख्या	20531	13706
4.	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	41	9
5.	खोले गये नये टेलेक्स एक्सचेंजों की संख्या	2	2
6.	जोड़ी गई टेलेक्स क्षमता	190 लाइनें	20 लाइनें
7.	दिये गये टेलेक्स कनेक्शनों की सं०	299	89

चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में मदनपल्ली में टेलीफोन सेवा

1622. **श्रीमती एन.पी. झांसी लक्ष्मी:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में मदनपल्ली में खराब टेलीफोन सेवा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो मदनपल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिये विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क): जी नहीं। ये सेवाएं काफी संतोषजनक हैं।

(ख): और सुधार करने के लिए 1990 के दौरान एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत इकाइयां

1623. **श्रीमति एन.पी. झांसी लक्ष्मी:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अंतर्गत चल रही ताप विद्युत इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन इकाइयों की अधिष्ठापित क्षमता का उनके पीछे कार्य निष्पादन का इकाईवार ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 200-200 मेगावाट के तीन यूनिट और 500 मेगावाट का एक यूनिट प्रचालन में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता और इनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:—

यूनिट सं.	क्षमता	संयंत्र भार अनुपात (%में)		
		1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल, 1988 से जनवरी 1989 तक
1.	200 मेगावाट	86.35	87.25	35.86*
2.	200 मेगावाट	72.76	68.50	80.68
3.	200 मेगावाट	86.64	75.94	91.53
4.	500 मेगावाट			59.8

*यूनिट को कैपिटल मरम्मत कार्य और जनरेटर रोटर में समस्याएं उत्पन्न होने के कारण 147 दिन के लिए बन्द रखना पड़ा था।

भाखड़ा, गंग तथा इंदिरा गांधी नहरों के हैडवर्क्स

[हिन्दी]

1624. **श्री मनफूल सिंह चौधरी:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 31 दिसम्बर, 1981 को यह निर्देश दिया था कि भाखड़ा, गंग तथा इंदिरा गांधी नहरों के हेडवर्क्स भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अर्न्तगत रखे जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्देश का अनुपालन किया गया है;

(ग) भाखड़ा ब्यास प्रबंध नियंत्रण बोर्ड में किन-किन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं ; और

(घ) इन नहरों के हेडवर्क्स के नाम क्या हैं तथा क्या राजस्थान सरकार को इन हेडवर्क्स पर "गेज रीडिंग" करने की अनुमति प्रदान की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) से (घ) गंग नहर (बीकानेर नहर) में पानी का व्यपवर्तन हरिके हैडवर्क्स तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स से किया जाता है। भाखड़ा नहर में पानी का व्यपवर्तन नंगल बांध हैडवर्क्स से किया जाता है। इन्दिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) में पानी का व्यपवर्तन हरिके हैडवर्क्स से किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1978 में पंजाब सरकार को रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर स्थित हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को सौंपने का निदेश दिया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 31.12.1981 को प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सभी संबंधित राज्यों को उचित मात्रा में जल का वितरण सुनिश्चित करने हेतु किए जाने वाले उपायों की व्यवस्था की गई थी। तदनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड विभिन्न राज्यों को दिए गए पानी के बारे में नियमित रूप से समीक्षा करता रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में राजस्थान सहित सभी संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं और कम सप्लाई के बारे में किसी प्रकार की शिकायत का मामला राजस्थान के प्रतिनिधि द्वारा उठाया जाता है और उसका निपटान बोर्ड द्वारा किया जाता है। नंगल तथा हरिके हैडवर्क्स के पानी की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चण्डीगढ़ / फिरोजपुर में जल नियंत्रक सैल स्थापित किया गया है।

विद्युत क्षेत्र हेतु सोवियत सहायता

[अनुवाद]

1625. **श्री सोमनाथ रथ:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ में भारत के विद्युत क्षेत्र हेतु अधिक सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख) भारत और सोवियत संघ के बीच दिनांक 20.11.88 को एक अर्न्तसरकारी प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार, सोवियत संघ ने सन् 2000 ई०

तक 6000 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी थी। प्रोतोकाल में, आठवीं योजनावधि के अन्त तक चालू की जाने वाली 3270 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं का निर्धारण किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र

1626 **श्री सोमनाथ रथ:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन राज्यों में राज्यवार अब तक कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) जिन उद्देश्यों को लेकर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये थे क्या वे पूरे हो गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जिला उद्योग केन्द्रों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव):

(क) विभिन्न राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित किये गये जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों के लक्ष्यों को यर्थाथरूप से प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र के कार्यक्रमों में 1981 में सुधार किया गया था। अतः फिलहाल किसी संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित किये गये जिला उद्योगों की संख्या

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	17
4.	बिहार	39
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	18
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	19
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	29
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	13
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	27

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	19
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	56
25.	पश्चिम बंगाल	16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा और नगर हवेली	1
29.	पांडिचेरी	1
	योग	422

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

1627. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कोचीन तेल-शोधक कारखाने के विस्तार के बारे में 29 नवम्बर 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या. 2505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल शोधक कारखाने की क्षमता के विस्तार तथा अन्य विस्तार कार्यक्रमों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त) : कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड द्वारा बनाई गई अपनी शोधन क्षमता को 4.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 6.00 मिलियन टन करने के लिए बनाई गई वैकल्पिक प्रस्ताव इस प्रकार है :-

(1) क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट तथा सहायक संसाधन सुविधाओं की अड़चनों को दूर करना ; और

(2) क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट की अड़चने दूर करना वर्तमान फ्लूड केटेलिटिक यूनिट को आर ई एस आई डी क्रैकर में बदलना और नए हाईडरोक्रैकर की स्थापना करना ।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने बेंजीन, ओ-जायलीन, पी-जयलीन, पोलिबुटिन और एन-पैराफिन जैसे पेट्रोरसायन मध्यवर्तियों के उत्पादन के संबंध में भी सम्भाव्यता अध्ययन करने का काम हाथ में लिया है ।

सुजुकी मोटर कम्पनी

1628. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी ने अपने छोटी कार संयंत्र को भारत को देने का प्रस्ताव किया है क्योंकि इसने छोटी कारों के स्थान पर बड़ी कारों का उत्पादन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सुजुकी कम्पनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार है ;

(ग) सुजुकी द्वारा रखी गयी शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव का दूरदर्शन पर प्रसारण

1629. श्री राधाकांत डिगाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों तथा उड़ीसा सरकार द्वारा रथ यात्रा उत्सव का सीधे दूरदर्शन पर प्रसारण करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में इस मांग को मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और मांग पूरा न करने में क्या तकनीकी कठिनाईयां सामने आ रही हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सीधा टी. वी. प्रसारण राष्ट्रव्यापी प्रासंगिकता की घटनाओं यथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल घटनाओं, आदि तक सीमित है । अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के लिए, दूरर्दशन पर बाद में टेलीकास्ट किए जाने के लिए टी. वी. रिपोंट तैयार की जाती हैं । रथ यात्रा उत्सव भी इसी प्रकार उपयुक्त ढंग से टेलीकास्ट किया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति

1630. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो किसी अवधि की समीक्षा की गई ; और

(ग) समीक्षा समिति द्वारा नोट की गई सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1631. श्री चिन्तामणि जेना: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1989 की अवधि के दौरान राज्य वार कितने औद्योगिक-लाइसेंस जारी किये गये,

(ख) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये जारी किये गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कतिपय उद्योग जिन्हें पांच वर्ष पूर्व लाइसेंस जारी किए गए थे, अब तक स्थापित नहीं किये गए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान 122 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। ग्रमीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ग) से (ङ) औद्योगिक लाइसेंस शुरू में दो वर्ष की प्रारंभिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और आशा की जाती है कि उद्यमी इस अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देगा। किंतु उचित कारणों के आधार पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो वर्ष की आरंभिक वैधता अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है सामान्यतया किसी भी औद्योगिक एकक को फलीभूत होने में 4 से 5 वर्ष तक का समय लगता है। परन्तु पनपने की अवधि अलग-अलग परियोजना की अलग-अलग होती है ।

यदि कोई औद्योगिक लाईसेंस धारक वैधता अवधि के भीतर औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वित नहीं कर पाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द /समाप्त कर दिया जाता है ।

विवरण

अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान राज्यवार जारी किये गये औद्यौगिक लाईसेंस

राज्य/संघ क्षेत्र		औद्योगिक लाइसेंस (अप्रैल-दिसम्बर, 1988)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2.	आंध्र प्रदेश	24
3.	अरूणालच प्रदेश	-
4.	असम	-
5.	बिहार	3
6.	चण्डीगढ़	-
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमन और दीव	-
9.	दिल्ली	4
10.	गोआ	4
11.	गुजरात	23
12.	हरियाणा	14
13.	हिमाचल प्रदेश	2
14.	जम्मू और कश्मीर	1
15.	कर्नाटक	26
16.	केरल	5
17.	लक्षद्वीप	-

राज्य/संघ क्षेत्र		औद्योगिक लाइसेंस (अप्रैल-दिसम्बर, 1988)
18.	मध्य प्रदेश	12
19.	महाराष्ट्र	61
20.	मणिपुर	1
21.	मेघालय	-
22.	मिजोरम	-
23.	नागालैंड	-
24.	उड़ीसा	2
25.	पाण्डिचेरी	4
26.	पंजाब	12
27.	राजस्थान	5
28.	सिक्किम	-
29.	तमिलनाडु	29
30.	त्रिपुरा	-
31.	उत्तर प्रदेश	20
32.	पश्चिम बंगाल	20
33.	राज्य दर्शाया नहीं गया/एकाधिक राज्य	3
	योग :	276

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की आवश्यकता

1632. श्री चिन्तामणि जेना:

श्री मोहन भाई पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक तेल कम्पनी की खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा खाना पकाने की गैस के प्रतिवर्ष कितने सिलेंडर बेकार घोषित किए जाते हैं;

(ग) इन बेकार सिलेंडरों का निपटान किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या जिन बेकार सिलेंडरों का निपटान हो जाता है वे पुनः बाजार में आ जाते है जिससे अनेक दुर्घटनायें होती हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) देश में वर्ष 1988 के दौरान कितनी दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने व्यक्तियों की जानें गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त): (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के लिए सूचना इस प्रकार है:-

(लाख में)

तेल कम्पनी	सिलेंडरों की आवश्यकता	बेकार पाये गये सिलेंडरों की सं.
आई ओ सी	17.50	3.00 (ए.ओ.डी. सहित)
एच.पी.सी.एल	8.76	0.88
बी.पी.सी.एल.	5.74	0.55
जोड़:	32.00	4.43

(ग) से (ङ) प्रत्येक सिलेण्डर को भरने से पहले बाटलिंग संयंत्रों की जांच की जाती है। तेल उद्योग द्वारा प्रयोग किए जा रहे सिलिण्डरों की प्रत्येक पांच वर्षों में सांविधिक परीक्षण किया जाता है। सभी खराब सिलिण्डरों/जाली सिलिण्डरों के विनिर्माताओं के पास या बाटलिंग संयंत्रों में जांच की जाती है। सार्वजनिक टेण्डरों के द्वारा स्क्रैप के रूप में बेचने से पूर्व इन्हें दबाकर विकृत करके चपाट कर दिया जाता है ताकि इनका बाजार में दोबारा उपयोग न हो सके।

(च) 1988 के दौरान देश में एल पी जी से संबंधित 301 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 93 व्यक्ति मारे गए।

पोंग बांध पन-बिजली परियोजना में आग

1633. श्री वी. तुलसीराम:
श्री बाला साहिब विखे पाटिल:
श्री मोहम्मद महफूज अली खां:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1989 के दौरान पोंग बांध पनबिजली परियोजना में भीषण आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो बिजलीघर को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है;

(घ) क्या सुरक्षा नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन त्रुटियों के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(च) इस प्रकार के अग्निकांड से बचने के लिए देश में स्थित अन्य बिजली घरों के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क):जी, हां।

(ख): लगभग 3 करोड़ रूपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग): जी, हां।

(घ) और (ङ): यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो उसके बारे में जांच समिति की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही पता चल पाएगा।

(च): भारतीय बिजली नियम, 1956 में आग से बचाव के उपायों सहित सामान्य सुरक्षा पूर्वोपायों की व्यवस्था है।

रायबरेली स्विचिंग फैक्टरी को पर्यावरणीय स्वीकृति

1634. श्री वी. तुलसीराम:
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की रायबरेली स्विचिंग एकक को पर्यावरण स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति कब तक प्रदान किये जाने की आशा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली की स्विचिंग फैक्टरी वर्ष 1973-74 के दौरान शुरू की गई थी और उस समय सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। ऐसी स्वीकृति 1982 के बाद नई परियोजनाएं/प्लाण्ट स्थापित करने के लिए अनिवार्य है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्रांसीसी कोयला खनन प्रद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र

1635. श्री वी॰ तुलसीराम: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच कोई समझौता हुआ है, जिस में फ्रांसीसी कोयला खनन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने हेतु एक केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह केन्द्र कहां पर स्थापित किया जाएगा तथा यह कब कार्य शुरू कर देगा; और

(घ) इस प्रकार का प्रशिक्षण भारत में कोयला खनन उद्योग के लिए किस हद तक सहायक होगा?

ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग में राजय मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ) (क) से (घ):फ्रांस की प्रौद्योगिकी जैसे गैलरी ब्लास्टिंग, सब-लेवल केविंग, आदि की हाल ही में प्रयोग के आधार पर शुरूआत की गई है और यह प्रौद्योगिकियों कोयले का बेहतर उत्पादन करने की दृष्टि से सफल और लाभकारी पाई गई है। भारतीय खनन कार्मिकों को इन प्रौद्योगिकीयों की जानकारी देने के उद्वेश्य से भारत और फ्रांस के बीच सैद्धान्तिक रूप में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने पर सहमति हो गई है। इस केन्द्र की स्थापना तथा उसकी अवस्थिति, आदि के संबंध में एक ठोस प्रस्ताव इस समय "चारबानिज़ डी फ्रांस" और कोल इंडिया लि॰ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। फ्रांस सरकार के अधिकारी प्रस्तावित केन्द्र को उपयुक्त रूप में वित्तपोषित करने पर भी विचार कर रहे है।

आठवीं योजना में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत क्षमता

1635. **श्री वी. तुलसीराम:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान गैस पर आधारित अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापति करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसका संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अतिरिक्त बिजली का विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को किस प्रकार वितरण करने का विचार है;

(घ) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बिजली की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी तथा क्या स्त्रोतों का पता लगा लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ): विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक विकल्प के रूप में, अतिरिक्त गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना इस उद्देश्य के लिए गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ी जाने वाली क्षमता के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

8 वीं पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राप्त किए जाने हेतु स्वीकृत तथा निर्माणाधीन गैस आधारित विद्युत क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु स्कीमें शामिल हैं। संलग्न वित्रण में स्कीमोन की अनुमानित लागत भी दी गई है। इस स्कीमों पर होने वाले व्यय का वित्त-पोषण राज्य योजनाओं / केन्द्रीय योजना / द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से किया जायएगा।

विवरण

आठवीं योजना में आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गैस आधारित केन्द्रों का ब्यौरा

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	(स्वीकृत स्कीमें) प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	आठवीं में लाभ (मे० वा०)	कुल अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	की मात्रा उपयोग की जाने वाली गैस (एम०सी० एम०डी०)
1	2	3	4	5	6
1.	अ रैया सी०सी० जी०टी०	*4×111.76 +2×102.63	102.6	571.09	2.25
2.	कवास सी०सी जी०टी०	4×100+2×100	600.0	598.41	2.25 एन०जी०एल / नाथपा
3.	कठलगुड़ी सी०सी जी०टी०	6×30+3×30	270.0	203.17	1.00
4.	रामगढ़ जी०टी०	1×3	3	3.94	0.04
5.	उरण डब्ल्यू०एच०	2×120	240	200.00	---

1	2	3	4	5	6
6. नरसापुर सी०सी०		2×33+1×33	33	93.50	0.55
7. लकवा जी०टी०		3×20	60	78.74	0.50
8. लकवा डब्ल्यू०एच०		1×22	22	. 20.525*	—
		जोड़	1330.6		

* 4×111.76 यूनिटों को वर्ष 1989-90 के दौरान और 2×102.63 यूनिटों को 1990-91 के दौरान चालू दिए जाने का कार्यक्रम है।

** इनमें संशोधन किए जाने की संभावना है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

[हिन्दी]

1637 **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसम्बर 1988 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''के वी आई सी फैक्शर्निंग फ्लेड'' शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जें. वेंगल राव): (क): जी हाँ।

(ख) सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से कहा है कि वह सी ए जी की रिपोर्ट का अध्ययन करके, आयोग में उस पर चर्चा करें तथा इस बात का सुनिश्चय करें कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां ना हों।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाना

[अनुवाद]

1639. श्री मोहम्मद महफूल अली खां:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं तथा सरकार द्वारा अब तक किन-किन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का परीक्षण किया गया है; और

(ख) सरकार ने शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक प्रयास किये हैं तथा उनके क्या परिणाम रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) और (ख): सरकार, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के माध्यम से, ऊर्जा के संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है । उपलब्ध तथा पहले परीक्षण किए जा चुके वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों में बायोमास, पवन, सौर, लघु हाइड्रो, बायोमास, उन्नत प्रकार का चूल्हा, जलमल, नगर अपशिष्ट, मद्य निर्माण शाला अपशिष्ट, भू-तापीय ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं । इस विभाग ने 10.70 लाख से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों, 54.21 लाख उन्नत प्रकार के चूल्हे, 338 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों, 23 जल पम्पन पवन चक्कियों, 30 पवन बैटरी चार्जरों, 6.85 मेगावाट के पवन विद्युत फार्मों, 2554 घरेलू गर्म जल प्रणालियों, 39 सौर काष्ठ भट्टियों

1801 बड़े आकार की सौर जल तापन प्रणालियों, 33 सौर फसल शुष्ककों, 7133 सौर आसवन प्रणालियों, 5000 गांवों में सौर सड़क रोशनी प्रणालियों, 1000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों 576 सौर सामुदायिक तथा टी॰ वी॰ प्रणालियों, 631 सौर बैटरी चार्जिंग यूनिटों, 90 स्टर्लिंग इंजनों, 69 सौर प्रकाशवोल्टीय ट्रांसमीटरों (वी एल पी टी), 256 गैसीफायरों तथा 85 ऊर्जा ग्रामों को स्थापति करने में पहले ही सफलता प्राप्त करली है ।

इन वैकेल्पिक ऊर्जा विकल्पों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निर्माताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं को मीडिया तथा प्रदर्शनियों के द्वारा सूचना तथा असंख्य प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है । सरकार द्वारा अब तक प्रारंभ किए गए प्रोत्साहनों में 100% मूल्य ह्रास, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर, बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ मामलों में रियायतें, बहुत से मामलों में आर्थिक सहायता अनुदान, ओद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों में उद्योग का लाइसेंस समाप्त करना, निर्दिष्ट अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रोद्योगिकियों को उदार शर्तों पर बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मानना आदि सम्मिलित हैं । सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित की भी स्थापना की है । भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित के माध्यम से अपापरंरिक स्रोतों से लघु विद्युत पावर परियोजनाओं के लिए अब रियायती शर्तों पर राजस्व सम्बन्धी सहायता संभव है ।

नई औषध नीति का कार्यान्वयन

1640. **श्री मोहम्मद महफूज अले खां:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिबंधित औषधों को बाजार से वापिस लेने तथा जीवनरक्षक औषधियों को उचित मूल्यों पर उप्लब्ध कराने के संबंध में नई औषध नीति, 1986 का कितना कार्यान्वयन हुआ है, का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नई औषध नीति 1986 के कार्यान्वयन में किन्हीं त्रुटियों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव) (क) से (घ) नीति उपायों को कायान्वित किया जा रहा है । फिर भी इतनी जल्दी उसके पूरे प्रभाव का संबंधी अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

टंडन समिति रिपोर्ट

1641. **श्री राज कुमार राय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टंडन समिति ने औषध कंपनियों द्वारा अधिक वसूली गई धनराशि के बारे मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) समिति द्वारा की गई मूल्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) से (ग) विशेष दल (श्री आर॰ एन॰ टंडन, संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में) ने 31.12.1983 तक की अवधि के लिए 7 कम्पनियों के संबंध में अब तक रिपोर्ट भेजी हैं । 31.12.1983 तक की अवधि के लिए विशेष दल द्वारा निर्धारित की

गई राशियों और उन कम्पनियों द्वारा दी गई राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं । अन्य कम्पनियों के संबंध में रिपोर्ट अभी आनी हैं ।

[विवरण]

क्र०स०	कंपनी का नाम	प्रपुंज औषधों/सूत्रयोगों के नाम	31.12.1983 को समाप्त अवधि के लिए परिकल्पित राशि (लाख रूपये में)	कंपनियों द्वारा दी गई राशि (लाख रू० में)
1.	मे० सिनामिड इंडिया लि०	टेट्रासाइकलीन और फार्मू०	389.06	50.00
2.	मे० हेक्सट इंडिया लि०	बरालगन, पाइरोलीडीन मिथाइल,	458.10	300.00
3.	मे० जोहन वेयथ इंडिया लि०	टेट्रासाइक्लीन *फिनिरेमाइन,	133.46	25.00
4.	मे० ज्योफरी मेनर्स लि०	ग्लाइबेनक्लेमाइड,	28.37	8.00
5.	मे० इथनोर लि०	बेन्जाथीन पेनिसिलिन और इसके फार्मू०	8.15	0.43
6.	मे० फ्रेंकों इंडियन फार्मा०	-वही-	11.02	10.00
7.	लि० और मे० ग्रोफेन लि० मे० फाइजर लि०	टेट्रामीसोल और इसके फार्मू० प्रोक्रेन पेनिसिलिन और इसके फार्मू० आक्सीटेट्रासाक्लीन और इसके लवण और फार्मूलेशन उन पर आधारित	48.21	

* फूसेमाइड और उसके सूत्रयोग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु अपेक्षित औषधियां

1642. श्री राज कुमार राय:

डा० प्रभात कुमार मिश्र:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु अपेक्षित सभी औषधियों को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के वर्ग I में शामिल करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ग I में शामिल की गई औषधियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या में इसमें कुछ और औषधियां शामिल की जाएंगी?

उद्योग मंत्री (श्री ज० वेंगल राव): (क) और (ख) डी पी सी ओ, 1987 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणी —I औषधों की सूची में आगे और वृद्धि नहीं की गई है।

साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के आसनसोल स्थित यूनिट को बन्द करना

1643. **श्री बसुदेव आचार्य:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइकिल कारपोशेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड के आसनसोल स्थित यूनिट को बन्दर करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर में कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को बदलना

1644. **श्री विष्णु मोदीः** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में अजमेर जिले के लोगों ने वर्तमान कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को बदलकर उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) अजमेर के मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से बदले जाने के संबंध में कभी-कभी मांगें की जाती रही हैं।

(ख) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत इस समय अजमेर के मौजूदा ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से बदलना संभव नहीं है।

दिल्ली में अवैध बिजली फीडर''

1645. **श्री विष्णु मोदीः** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली में कुछ अवैध बिजली फीडरों का संचालन किया जा रहा है;

यदि हां, तो इन अवैध एवं गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) समय-समय पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रणली से बिजली की चोरी/दुरुपयोग करने संबंधी मामलों सहित बिजली के उपयोग से संबधित कानून का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन किए जाने की रोकथाम के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों द्वारा मारे गए छापों के दौरान सीधे ही मेन तारों से ऊर्जा प्राप्त करने के मामलों का पता लगाया गया है। सीधे ही ऊर्जा प्राप्त करने सहित विद्युत की चोरी के खतरे से बचने के लिए सतत् रूप से छापे मारे जा रहे हैं तथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी रजिस्टर कराई जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक एककों में घाटा

1646. **श्री मोहन भाई पटेलः**
श्री हरिहर सोरनः

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे औद्योगिक एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो हानि के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) घाटे में चलने वाले औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है और 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितना घाटा हुआ; और

(ङ) इन एककों के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव): (क) वर्ष, 1987-88 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 102 उद्यमों ने हानि उठाई है।

(ख) जी, हां।

(ग) घाटे के कारण एक दूसरे उद्यम में भिन्न-भिन्न हैं। सामान्यतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई गई हानि के कुछ मुख्य कारण हैं- समय एवं लागत में वृद्धि होना, क्षमता का कम उपयोग होना, अपेक्षित सीमा तक बिजली की अनुपलब्धता, काम में आने वाली सामग्री की लागत में वृद्धि होना, मांग में कमी आना, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होना आदि।

(घ) 1987-88, जिस अवधि की केवल जानकारी उपलब्ध है, के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई गई निवल हानि का ब्यौरा 27.2.1989 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम, सर्वेक्षण, 1987-88 के खण्ड—I में पृष्ठ 73 पर दिया गया है

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I में पृष्ठ संख्या 229 पर दिया गया है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा तथ्यों को विकृत किए जाने की शिकायतें

1647. **श्री सी. जंगा रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किए गए नागरिकों के दृष्टिकोण को विकृत (तोड़-मरोड़कर) या सैंसर कर के देने के संबंध में 26 जून, 1988 को बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया जा रहा है।

(ख) क्या सरकार के दृष्टिकोण को विकृत करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और परतयेक मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत): (क) जी, हां।

(ख)और(ग): सरकार की जानकारी में विधिवत प्रमाणित ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलिफोन सुविधायें

1648. **श्री एस०जी० घोलप: क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हेक्सागनों टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र के थाणे जिले में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त हेक्सागनों को टेलिफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख): 31.3.88 की स्थिति के अनुसार, जहां दूरसंचार सुविधा सुलभ है, उन षटकोणों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महाराष्ट्र में 4811 षटकोणों में से अब तक 2814 षटकोणों में दूरसंचार सुविधाए सुलभ करा दी गई हैं तथा थाणे जिले में 242 षटकोणों में से 105 में दूरसंचार सुविधा सुलभ करा दी गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के सभी षटकोणों में दूरसंचार सुविधा सुलभ करा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

31.3.1988 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के घटकोणों में दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति

क्रम. सं.	राज्य/सर्किल	आबादी वाले घटकोण वाले घटकोण	दूरसंचार सुविधा	लंबित घटकोण
1.	आंध्र प्रदेश	4991	4690	301
2.	असम	1718	679	1039
3.	बिहार	4740	2023	2712
4.	गुजरात, दुदरा नगर, दमन एडं द्वीप	2504	1596	908
5.	हरियाणा	616	511	105
6.	हिमाचल प्रदेश	575	255	320
7.	जम्मू एडं कश्मीर	786	254	532
8.	कर्नाटक	3648	2523	1125
9.	केरल	536	531	5
	लक्ष्य द्वीप आईलैण्ड	10	9	1
10.	मध्य प्रदेश	6453	3434	3019
11.	महाराष्ट्र	4811	2711	2100
	गोवा	31	31	—
12.	उत्तर-पूर्वीः—			
	अरूणाचल प्रदेश	105	47	53
	मणिपुर	390	60	330
	मेघालय	461	77	384
	मिजोरम	159	12	147
	नागालैण्ड	337	53	284
	त्रिपुरा	141	82	49
	कुलः	1593	341	1252
13.	उड़ीसा	2110	1026	1084
14.	पंजाब	771	554	217
15.	राजस्थान	6075	2123	3952
16.	तमिलनाडू	1661	1602	59
	पांडिचेरी	11	11	—
17.	उत्तर प्रदेश	4055	2526	1529
18.	पश्चिम बंगाल	2551	968	1583
	अंडमान एडं निकोबार द्वीप समूह	131	15	116
	सिक्किम	44	29	15
	कुलः	50,421	28,447	21,974

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का बजट परिव्यय

1649. **श्री ई॰ अय्यपू रेड्डी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का बजट परिव्यय कितना है;

(ख) क्या परिव्यय को पूर्ण रूप से इसके आन्तरिक संसाधनों पर बढ़ाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) 1989-90 के बजट अनुमान 2330 करोड़ रुपए के हैं।

(ख) जी, नहीं। इस परिव्यय का अधिकतर भाग आंतरिक साधनों से पूरा किया जाएगा।

(ग) 1989-90 के लिए उत्पादन के अनन्तिम लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

मद	मात्रा
कच्चा तेल	31.61 मिलियन टन
गैस की सप्लाई	8636 मिलियन घन मीटर
एल पी जी	650 हजार टन

असम में रुग्ण औद्योगिक एककों का प्रबंध अपने अधिकार में लेना

1650. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असम के किसी रुग्ण एकक का प्रबंध अपने अधिकार में लिया है,

(ख) क्या ऐसे एककों के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ग) श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव): (क): जी, नहीं।

(ख) और (ग):प्रश्न नहीं उठते।

राजधानी में महत्वपूर्ण औषधियों की कमी

1651. **श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**

श्री प्रकाश चन्द्र:

श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में महत्वपूर्ण औषधियों की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा राजधानी में महत्वपूर्ण औषधियों को उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) से (घ) राज्य औषध नियंत्रकों की अवधिक रिपोर्टों के आधार पर वह मंत्रालय सभी प्रमुख जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता को नियमित रूप से मानीटर करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजधानी में जीवन रक्षक औषधों की कमी नहीं है। जहां कहीं भी कमी की सूचना मिली है वह ब्रांड प्रकृति की है, और उपचारात्मक समतुल्य औषधें उपलब्ध हैं।

दिल्ली में पेट्रोल पम्प डीलरों और खाना पकाने की गैस एजेंसियों के विरूद्ध शिकायतें

1652. **श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**
श्री प्रकाश चन्द्र:
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में स्थित कुछ पेट्रोल पम्प डीलरों और खाना पकाने की गैस एजेंसियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार आदि की कई शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार तथा तेल कंपनियों को इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) और (ख) जी, हां। तेल विपणन कम्पनियों को पिछले तीन वर्ष के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल / डीजल) की डीलरशिपों और एल पी जी वितरण केन्द्रों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें आम तौर पर अभद्र व्यवहार, कम डिलीवरी, घटिया उत्पाद, अधिक पैसे लेना, मुफ्त हवा उपलब्ध न कराने आदि के बारे में थी। दिल्ली में वर्ष वार प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	एल पी जी	खुदरा बिक्री केन्द्र
1986-87	1333	70
1987-88	3403	47
1988-89 (दिसम्बर, 88 तक)	2268	46

(ग) एल पी जी वितरण केन्द्रों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों के बारे में तेल कम्पनियों को प्राप्त सभी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और आवश्यकता अनुसार विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार दोषी पाये गये वितरकों / डीलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाती है, जो चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर कुछ मामलों में वितरण केन्द्रों / डीलरशिपों को समाप्त करने तक की हो सकती है।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण

1653. **श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**
श्री प्रकाश चन्द्र:
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों का निर्माण करने वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने सिलेंडरों का निर्माण किया गया?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): एक वितरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	क्रम का नाम	उत्पादन (नगों में)		
		1986	1987	1988 (अनु)
1.	2.	3.	4.	5.
सरकारी क्षेत्र				
1.	द हैदराबाद एलविन मेटला वर्क्स लि., हैदराबाद	211,670	82,842	1,68,000
2.	बी पी सी एल० इलाहाबाद, यू० पी०	23,000	—	
3.	भारत वैगन एण्ड इंजी., मुजफ्फरपुर	7,089	5,000	7,700
4.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स, कलकत्ता	14,500	15,000	15,000
5.	बालमेर लरि एण्ड कं. लि., मथुरा	124,000	125,000	—
निजी क्षेत्र				
6.	इण्डियन गैस सिलिंडर्स, फरीदाबाद	141,378	70,596	94,500
7.	कैनन प्रेशर वैसल लि०, बम्बई	106,358	शून्य	शून्य
8.	यूनिवर्सल सिलेंडर लि०, अलवर	100,398	75,152	90,000
9.	कोसन मेटल प्रॉडक्ट्स (प्रा०) लि०, नागपुर (कमलेश्वर)	225,110	25,025	1,20,000
10.	कोसन मेटल प्रॉडक्ट्स (प्रा०) लि० नागपुर (माहौल) बम्बई	020	4	शून्य
11.	हिन्दुस्तान जनरल इण्ड० लि०, दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मिडको कटेनर लि०, अहमदाबाद	7,055	शून्य	शून्य
13.	जय सिलेण्डर्स सिकन्दराबाद, आ० प्रा०	57,061	शून्य	शून्य
14.	स्टैण्डर्ड सिलेण्डर्स, गुड़गांव	शुन्य	शुन्य	शुन्य
15.	एबीजय स्ट्रक्चरल्स (प्रा०) लि०, बर्दवान उड़ीसा	शुन्य	शुन्य	शुन्य
16.	मुलर सिलेण्डर्स (प्रा०) लि० बेलगांव	43,117	—	70,000
17.	हिन्दुस्तान वायर इण्डस्ट्रीज फरीदाबाद, हरियाणा	139,889	1,05,821	96,000
18.	लारविनइंजी० हैदराबाद	89,467	—	—
19.	लारविन एप्लाइसेस (प्रा०) लि०, हैदराबाद	106,190	19,985	20,000
20.	साहुवाल सिलेण्डर्स लि०, विशाखापत्तनम (आ० प्रा०)	33,000	8,074	8,000
21.	इण्डस्ट्रियल आक्सीजन कं० लि०, गोबिन्दगढ़, पंजाब	47,974	45,953	70,000

1.	2.	3.	4.	5.
22.	बी टी पी स्ट्रक्चरल्स (प्रा०) लि०, बेलगांव, कर्नाटक	65,162	7,000	7,000
23.	पंजाब गैस सिलेण्डर्स, लुधियाना	47,812	60,767	57,000
24.	इण्डियन किचन इक्विपमेंट (प्रा०) लि०, तमिलनाडु	15,027	1,000	1,000
25.	सहाय सिलेण्डर्स एण्ड उद्योग प्रा० लि०, तमिलनाडु	63,953	49,132	32,000
26.	सवर्ण इण्ड० प्रा लि०, भुनेश्वर, उड़ीसा	33,600	——	——
27.	गुरेरा गैस सिलेण्डर्स (प्रा०) लि०, फरीदाबाद	64,251	51,884	90,000
28.	प्रशान्त सिलेण्डर्स (प्रा०) लि०, बंगलौर,कर्नाटक	91,728	36,484	36,500
29.	एक्सोपो गैस कंटेनर्स (प्रा०) लि०, बम्बई	39,500	33,705	33,700
30.	नागपुर फैब्री फोर्ज (प्रा०) लि०, नागपुर	शून्य	शून्य	शून्य
31.	ए वी० एस कठोर, मेडक, आ० प्र०	शून्य	शून्य	शून्य
32.	राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कंटेनर्स, लि०, जयपुर	46,644	58,117	36,000
33.	प्रस्टीज फैब्रिकेटर (प्रा०) लि०, देवास, म० प्र०	30,257	39,324	40,000
34.	कोणार्क सिलेण्डर एंड कंटेनर (प्रा०) लि०, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	23,214	23,000	23,000
35.	मालव मेटल, धार	57,641	17,829	28,000
36.	पंकज गैस सिलेंडर लि०, गाजियाबाद	38,528	32,154	23,000
37.	सुप्रीम सिलेंडर लि०, भिवाड़ी	24,343	14,570	38,000
38.	मौर्य उद्योग लि०, नई दिल्ली	22,000	शून्य	शून्य
39.	वर्नी कंटेनर प्रा० लि०, आ० प्र०	5,242	शून्य	शून्य
40.	हिमालय सिलेण्डर (प्रा०) लि०, उना, हि० प्र०	9,949	24,629	24,629
41.	श्रीनिधि इंजी० लि०, हैदराबाद	10,806	6,555	6,555
42.	तुंगभद्र मशीनरी एण्ड टूल्स लि०, कुर्नूल	6,000	23,959	12,300
43.	संमति मेटल लि०, भोपाल	2,800	शून्य	शून्य
44.	ए के एम एन सिल (प्रा०) मुसीरी, डा० घर त्रिची जिला	14,640	22,885	30,000
45.	कोदावलियर इण्ड० गाजियाबाद		3,200	3,208
46.	बंगाल टूल्स लि०		2,309	2,309
47.	एसोसिएटिड मिल० एण्ड एसेसरीज प्रा० लि०			20,000
48.			शून्य	
49.	ईस्टर्न सिलेंडर प्रा० लि०		9,300	9,300

कोयला खनन उद्योग को सुव्यवस्थित करना

1654. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा:**
प्रो० राम कृष्ण मोरे:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कोयला खनन उद्योग को सुव्यवस्थित करने हुते कोई अध्ययन प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खनन उद्योग के पुनर्गठन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरोफ): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला उद्योग की पुनः संरचना किए जाने पर हाल के महीनों में सरकार द्वारा संस्थान स्वरूप संबंधी कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड की एक उप समिति ने कोयला उद्योग के कुछ संगठनात्मक पहलुओं की जांच की और इसने कुछ सिफारिशें की, जो कि नीचे दी गई हैः

(1) सहायक कोयला कंपनियों के क्रियात्मक निदेशकों की नियुक्ति किए जाने की शक्ति कोल इंडिया लि० में निहित की जाए।

(2) कोल इंडिया लि० को, एक समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, कोयला उद्योग के विकास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण स्वयत्तता और अधिकार दिए जाएं।

(3) सरकार केवल कोल इंडिया लि० पर ही अपना प्रभाव रखे। सरकार सहायक कोयला कंपनियों के साथ कार्य संचालन न करे अथवा उनसे सीधे सपर्क में न आए।

(4) कोल इंडिया लि० के लिए दो उपाध्यक्ष के पद सुजित किए जाएं।

(5) कोल इंडिया लि० के बोर्ड में सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सहप्रबंध निदेशकों का प्रतिनिधित्व न दिया जाए।

(ग) और (घ) : इस समय कोल इंडिया लि० की पुनः संरचना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोलना

1655. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:**
श्री कम्मोदी लाल जाटव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में खोले जाने वाली खाना पकाने की गैस, की एजेंसियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

1988-89 तक की वार्षिक एल पी जी विपणन योजना तक तेल कंम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एल पी जी वितरण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वितरण केन्द्र को वास्तव में चालू करने

से पूर्व विभिन्न कदम उठाने पड़ते हैं इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि कब तक ये वितरण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

[विवरण]

उन स्थानों के नाम जहां एल पी जी वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है:

उत्तर प्रदेश

क्र सं	नाम	जिला
1.	नजीबाबाद (2 स्थान)	बिजनौर
2.	शाहबाद	हरदोई
3.	बबीना	झांसी
4.	कानपुर (3 स्थान)	कानपुर
5.	गोला गोरखनाथ	खीरी
6.	औरैया	इटावा
7.	मिर्जापुर	मिर्जापुर
8.	शाहसवर	बिदर
9.	ककराला	बिदर
10.	टांडा	रामपुर
11.	शेरकोट	बिजनौर
12.	बिसालपुर	पीलीभीत
13.	रुधौली	बाराबंकी
14.	मुबारकपुर	आजमगढ़
15.	उरई	जलौर
16.	गौरा बरहज	देवरिया
17.	सिकन्दराराव	अलीगढ़
18.	पदरौना	देवरिया
19.	बिलासपुर	रामपुर
20.	गुलावठी	बुलंदशहर
21.	कर्वी/चित्रकूट धाम	बांदा
22.	कोसीकलां	मुथरा
23.	बागपत	मेरठ
24.	अतरौली	अलीगढ़
25.	शिकारपुर	बुलंदशहर
26.	वाराणसी (2 स्थान)	वाराणसी
27.	डिबाई	बुलंद शहर
28.	रुड़की	सहारनपुन
29	खेकरा	मेरठ
30.	रायपुर देहरादून (आयुद्ध कारखाना)	देहरादून
31.	औनला (इफ्को)	बरेली
32.	हिन्डन (ए एफ एस)	गाजियाबाद
33.	सहकारी बाजार देहरादून	देहरादून
34.	हापुड़	गाजियाबाद
35.	रायबरेली	रायबरेली

क्र सं	नाम	जिला
36.	चांदपुर	बिजनौर
37.	उन्नाव (2 स्थान)	उन्नाव
38.	बरेली (2 स्थान)	बरेली
39.	देहरादून	देहरादून
40.	गाजियाबाद (3 थान)	गाजियाबाद
41.	गोंडा (2 स्थान)	गोंडा
42.	जौनपुर	जौनपुर
43.	लखीमपुर खीरी	खीरी
44.	मुरादाबाद (3 स्थान)	मुरादाबाद
45.	रुद्रपुर	नैनीताल
46.	फरुखाबाद	फरुखाबाद
47.	गोरखपुर	गोरखपुर
48.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
49.	हापुड	गाजियाबाद
50.	सीतापुर	सीतापुर
51.	पीलीभीत	पीलीभीत
52.	बलिया	बलिया
53.	आजमगढ़	आजमगढ़
54.	अमरोहा	मुरादाबाद
55.	देवबंद	सहारनपुर
56.	नौटांवा (वी)	गोरखपुर
57.	रेनकूट	र्मिजापुर
58.	लखनऊ (4 स्थान)	लखनऊ
59.	आगरा (5 स्थान)	आगरा
60.	बदायूं	बदायूं
61.	नहतौर	बिजनोर
62.	अयोध्या	फैजाबाद
63.	जलालपुर	फैजाबाद
64.	अकबरपुर	फैजाबाद
65.	पूरनपुर	पीलीभीत
66.	सडीला	हरदोई
67.	मंगलूर	सहारनपुर
68.	जहांगीराबाद	बुलन्दशहर
69.	सांडली (2 स्थान)	मुजफरनगर
70.	बिन्दकी	फतेहपुरी
71.	लहरपुर	सीतापुर
72.	बिसवन	सीतापुर
73.	चुनार	मिर्जापुर
74.	खुर्जा	बुलन्दशहर
75.	हरदोई	हरदोई
76.	इलाहाबाद (2 स्थान)	इलाहाबाद
77.	अलीगढ़	अलीगढ़

क्र सं	नाम	जिला
78.	चन्दौसी	मुरादाबाद
79.	गंजदंदवारा	एटा
80.	हरिद्वार	हरिद्वार
81.	झांसी (2 स्थान)	झांसी
82.	कल्पी	जल्लौन
83.	मेरठ	मेरठ
84.	मोदीनगर (2 स्थान)	गाजियाबाद
85.	सहारनपुर (3 स्थान)	सहारनपुर
86.	हाथरस	अलीगढ़
87.	अजरौला	मुरादाबाद

बिहार :

1.	घटसीला	सिंगभूम
2.	झरिया	धनबाद
3.	राजगीर	नालन्दा
4.	गुमला	गुमला
5.	समस्तीपुर	समस्तीपुर
6.	आदित्यपुर	सिंगभूम
7.	रांची (6 स्थान)	रांची
8.	पटना (9 स्थान)	पटना
9.	कटरास	धनबाद
10.	राखा	सिंगभूम
11.	बक्सर	भोजपुर
12.	बेटिया	वैस्ट चंपारन
13.	मुजफ्फरपुर-ए	मुजफ्फरपुर
14.	मुजफ्फपुर-बी	मुजफ्फरपुर
15.	हजारीबाग	हजारीबाग
16.	गौमों	धनबाद
17.	गया	गया
18.	बिहार शरीफ	नालन्दा
19.	जमालपुर	मुंगेर
20.	बिक्रमगंज	रोहताश
21.	रक्सौल	पूर्वी चम्पारन
22.	शेखपुरा	मुंगेर
23.	शेरघाटी	गया
24.	डेल्टानगंज	पालामऊ
25.	मोतीहारी	मोतीहारी
26.	जमशेदपुर (6 स्थान)	सिंगभूम
27.	मुंगेर/जमालपुर	मुंगेर

क्र सं	नाम	जिला
मध्य प्रदेश:		
1.	आमला	बेतुल
2.	दोगरगढ़	राजनन्दगांव
3.	अष्ट	सिहोर
4.	खुराई	सागर
5.	अन्जाद	वैट निमार
6.	नरसिंगगढ़	राजगढ़
7.	रायपुर (4 स्थान)	रायपुर
8.	इटारसी (2 स्थान)	होशंगाबाद
9.	जबलपुर (10 स्थान)	जबलपुर
10.	कटनी (2 स्थान)	जबलपुर
11.	मन्धर	रायपुर
12.	बरहर/धनपुरी	शाहदौल
13.	उज्जैन (3 स्थान)	उज्जैन
14.	संदवा	पश्चिमी निमर
15.	पीथमपुर	धार
16.	बिलासपुर (2 स्थान)	बिलासपुर
17.	बैगबहारा	रायपुर
18.	मंदीदीप	भोपाल
19.	खण्डवा (3 स्थान)	पू॰ निमार
20.	रेवा	रेवा
21.	सतना	सतना
22.	कोरबा	बिलासपुर
23.	देवास	देवास
24.	रतलाम	रतलाम
25.	शिवपुरी	शिवपुरी
26.	नागदा	उज्जैन
27.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
28.	सिंगरौली	सिन्धी
29.	सरनी	बेतूल
30.	बरवहा	प॰ निमार
31.	बेगमगज	रायसीन
32.	गोरापोट्टा	सागर
33.	सम्भलगढ़	मुरैना
34.	दियोरी	सागर
35.	गदरवारा	नरसिम्मापुर
36.	अम्बा	मुरैना
37.	अलीराजपुर	झबुआ
38.	बलोदा बाजार	रायपुर
39.	दुर्ग (2 स्थान)	दुर्ग
40.	भिलाई (3 स्थान)	दुर्ग
41.	मन्दसौर	मन्दसौर
42.	अम्लाई	शाहडौल
43.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
44.	सुजालपुर	सुजालपुर

क्र० सं०	नाम	जिला
45.	सागर (4 स्थान)	सागर
46.	भोपाल (4 स्थान)	भोपाल
47.	ग्वालियर (5 स्थान)	ग्वालियर
48.	इंदौर (5 स्थान)	इंदौर
49.	ब्रह्मपुर	पू० निमार
	दिल्ली	
1.	पश्चिमपुरी	दिल्ली
2.	दिल्ली कैंट	-वही-
3.	पटपड़गंज	-वही-
4.	लक्ष्मीनगर (यमुना पार)	-वही-
5.	शालीमार बाग	-वही-
6.	रानी बाग	-वही-
7.	बाड़ा हिन्दू राव	-वही-
8.	करोल बाग	-वही-
9.	यमुना पार	-वही-
10.	हिसार से दिल्ली	-वही-
11.	अम्बाला से दिल्ली	-वही-
12.	मुंगेर के दिल्ली (युमना पार)	-वही-
13.	कानपुर से दिल्ली	-वही-
14.	दिल्ली-क	-वही-
15.	ग्रीन पार्क	-वही-
16.	आर० के० पुरम	-वही-
17.	बदरपुर	-वही-
18.	अजमेरी गेट	-वही-
19.	कालकाजी	-वही-
20.	मयूरविहार	-वही-
21.	डा० मुखर्जी नगर	-वही-
22.	रोहिणी (2 स्थान)	-वही-
23.	गांधी नगर	-वही-
24.	पालम	-वही-
25.	बसंत कुंज	-वही-
26.	नजफगढ़	-वही-
27.	दिल्ली-ए	-वही-
28.	दिल्ली-बी	-वही-
29.	दिल्ली-सी	-वही-
30.	दिल्ली-डी	-वही-
31.	दिल्ली-ई	-वही-
32.	दिल्ली	-वही-
33.	दिल्ली	-वही-
34.	दिल्ली	-वही-
35.	पीतमपुरा	-वही-
36.	शक्तिनगर	-वही-

पैट्रो-रसायन संयंत्रों में पूंजी निवेश

1656. **श्री जी॰ एस॰ बासवराजू:**
श्री एस॰ एम॰ गुरड्डी:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान पैट्रो-रसायन संयंत्रों में पूंजी निवेश के लिए एक कार्य योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इससे पैट्रो-रसायन के उत्पादन में किस हद तक सुधार आयेगा?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की पेट्रो-रसायन परियोजनाओं में 1989-90 में लगभग 400 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होने से कुछ महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों अर्थात् पालिमर एमईजी, केप्रोलैक्टम, जायलीन की स्वदेशी उपलब्धता लगभग दुगुनी हो जायेगी।

विद्युत उत्पादन को केन्द्रीय विषय बनाना

1657. **श्री जी. एस. बासवराजू:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विद्युत उत्पादन को केन्द्रीय विषय बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध मे अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री **(श्री कल्पनाथ राय)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में विद्युत एकक

1658. श्री जी. एस. बासवराजू: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अगले कुछ वर्षों के दौरान कर्नाटक में चार नए विद्युत एकक स्थापित करने में सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना से विद्युत की कमी को कहां तक पूरा किया जा सकेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री **(श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख)** कर्नाटक में आगामी कुछ वर्षों में निम्नलिखित स्वीकृत परियोजनाओं को चालू किए जाने की आशा है:-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	
जल विद्युत			
1.	वराही जल विद्युत परियोजना	239.0	
2.	मद्दुर नहर		1.5
3.	कालीनदी चरण-दो		270.0
4.	घाटप्रभा		32.0
5.	मल्लारपुर ताप विद्युत	9.0	
6.	येलाहंका, बंगलौर में डी० जी० सैट०		120.00
7.	रायचूर यूनिट-3		210.0
			881.5

(ग): उपरोक्त परियोजनाओं से 881.5 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी जिसके परिणामस्वरुप कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार होगा।

बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में डाक और दूरसंचार सुविधाएं

1659. **डा० गौरी शंकर राजहंस:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1500 की जनसंख्या वाले कितने गांवों को डाक और दूरसंचार सुविधायें प्रदान की गई हैं, और

(ख) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में उक्त सुविधायें प्रदान की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) विभाग द्वारा जनसंख्या के आधार पर रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि दूरसंचार सुविधाएं इस आधार पर नहीं सुलभ कराई जातीं। बहरहाल, लंबी अवधि के उद्देश्य के रूप में विभाग ने आबादी वाले प्रत्येक स्थान में 5 कि० मी० के भीतर पूरी तरह से इमदादी आधार पर दूरसंचार सुविधाएं सुलभ कराने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य के लिए देश को षटभुजाकार क्षेत्रों में बांटा गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 कि० मी० है और इसमें एक प्रमुख गांव को प्राथमिकता पंचायत मुख्यालय को दी जाएगी, दूरसंचार सुविधाएं सुलभ कराने के लिए निश्चित किया गया है। दिनांक 31.3.88 को ऐसे 50421 षटभुजाकार क्षेत्रों में से 28447 में दूरसंचार सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं।

दिनांक 31.3.1988 को समाप्त 3 वर्षों के दौरान 874 गांवों में नए डाकघर खोले गए हैं। प्रत्येक डाकघर के अंतर्गत 3000 या इससे अधिक की संयुक्त आबादी वाले (पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 1500 या अधिक) गांव समूहों को शामिल किया गया हैं। इस संख्या में से 1500 या अधिक की आबादी वाले गांवों में स्थित डाकघरों की संख्या का पता लगाया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख): जी हां। पिछले 3 वर्षों के दोरान इन जिलों में लंबी दूरी के 8

सार्वजनिक टेलीफोन खोले गए हैं। तथापि, कोई नया डाकघर इन दोनों जिलों में नहीं खोला गया।

दिल्ली में अधिष्ठापन भट्ठी एककों पर छापे

1660. **डा॰ गौरी शंकर राजहंस:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रर्वतन शाखा द्वारा हाल ही में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में चोरी छिपे बिजली निकालने के कारण अधिष्ठापन भट्टी एककों पर छापे मारे गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों की सख्या कितनी है और उन एककों के नाम क्या हैं जहां जाली सीलों का पता चला है तथा स्वीकृत भार से अधिक भार की भट्टियां पाई गई हैं; और

(ग) इन अधिष्ठापन भट्टी एककों के विरुध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क): जी, हां।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जुलाई, 1988 से फरवरी, 1989 के दौरान आयोजित किए गए छापों के दौरान, 17 भट्टियों के मोटरिंग क्यबिकल्स में नकली सीलें पाई गई थीं। इन भट्टियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपर्युक्त सभी 17 इन्डक्शन यूनिटों के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

विवरण

उन इन्डक्शन भट्टियों की सूची जिनमें मीटरिंग क्यूबिकल्स में नकली सीलें पाई गई

क्रम सं॰	फर्म का नाम
1.	**मैसर्स सराफ स्टील (प्रा॰) लिमिटेड, ओखला एस्टेट**
2.	**मैसर्स अलंकार मैटल्स (प्रा॰) लिमिटेड, ओखला फेज-I**
3.	मैसर्स मित्तल कास्टिंग लिमिटेड, ओखला फेज-I
4.	मैसर्स एलांयस पेंटस एण्ड वार्निशिंग वर्क्स, ओखला फेज-II
5.	मैसर्स सिंगला ट्रेडिंग एण्ड लीज़िग लिमिटेड, ओखला फेज-I
6.	मैसर्स कम्प्लैक्स स्टील, वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया
7.	मैसर्स स्टील बाल बियरिंग (प्रा॰) लि॰, वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया
8.	मैसर्स बतरा स्टील, ओखला फेज-II
9.	मैसर्सर शागुन स्टील
10	मैसर्स बंसल मैटल इण्डस्टरीयल (प्रा॰) लि॰, उद्योग नगर, नागंलोई
11.	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ कैमिकल्स, शाहदरा
12.	मैसर्स अतुल ट्रेडर्स, राजस्थानी उद्योग नगर
13.	मैसर्स सुपिरियर स्टील, महरौली
14.	मैसर्स सुनाल उद्योग, राजस्थानी उद्योग नगर
15.	मैसर्स सुम्मान स्टील्स, राजस्थानी उद्योग नगर
16.	मैसर्स गोयनका एलॉयंस, राजस्थानी उद्योग नगर
17.	मैसर्स ए॰ के॰ किरमानी, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया

पिछड़े क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलना और उनका दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

1661. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां संचार साधन अपर्याप्त हैं, नये शाखा डाकघर खोलने और शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप डाकघर बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी हां।

(ख) जहां तक रेगिस्तानी क्षेत्रों का संबंध है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में जानकारी एकल की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी॰ डी॰ पी॰) के अधीन शामिल जिलों में 1988-89 के दौरान स्वीकृत नए डाकघर (28.2.1988 की स्थिति)

क्रम सं॰	जिले का नाम	संख्या
1.	**राजस्थान**	25
2.	श्री गंगानगर	1
3.	बीकानेर	2
4.	चुरु	2
5.	नागौर	11
6.	जोधपुर	1
7.	जैसलमेर	9
	बाड़मेर	
	हरियाणा	4
1.	हिसार	3
2.	भिवानी	1
3.	रोहतक	

पन बिजली क्षमता का उपयोग

[अनुवाद]

1662. **श्री एच॰ बी॰ पाटिल:** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पनबिजली क्षमता का काफी भाग उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु बिजली के खतरों तथा संकट और कोयला तथा पेट्रोलियम पर आधारित ऊर्जा स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग करने का विचार है; और

(ग) क्या प्रदूषण तथा वनों की कटाई को न्यूनतम करने के लिए छोटे पन बिजली एकक स्थापित करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय मे विद्युत विभाग मे राज्य मंत्री (श्री कपनाथ राय):

(क) : जी, हां।

(ख):आठवीं योजना के लिए 8000 मेगावाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता हेतु परिकल्पना की जा रही है । इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं से नौवीं योजना मे लगभग 3000 मेगावाट की क्षमता का लाथ प्राप्त होने की आशा है।

(ग) देश मे माइक्रो / मिनी / लघु जल विद्युत स्कीमों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:—

	संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1. प्रचलनाधीन स्कीमे	113	204.652
2. निर्माणधीन स्कीमे	82	220.705

महाराष्ट्र मे ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

1663. **श्री उत्तम राठौड़:**

श्री गुरुदास कामत:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य मे कुछ ताप विद्युत परियोजनाये स्थापित करने के संबंध मे संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता कब तक प्राप्त होगी तथा इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय मे विद्युत विधाग मे राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख): ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे मे अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ग) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप मे दी जाती है और यह किसी विशेष परियोजना कार्यक्रम से संबधित नहीं होती।

क्र०सं०	स्कीम का नाम	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
(1)	**कोयले पर आधारित**		
1.	खापरखेडा ताप विद्युत केन्द्र चरण दो (यूनिट 3 और 4)	2×210 मेगावाट	अनुमोदित
2.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र चरण-4 (यूनिट-7) संशोधित रिपोर्ट	1×500	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए० द्वारा स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से ठीकी पाया गया है, बशर्ते कि म० रा० बि० बोर्ड द्वारा विद्युत निष्क्रमण पहलुओं को सुनिश्चित कर लिया जाए और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत प्राप्त कर ली जाए। के० वि० प्रा० की स्वीकृति पर बिजली (आपूर्ति) एक्ट 1948 के खण्ड 29 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद विचार किया जाएगा।

1	2	3	4
3.	पार्ली (ग) ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट 6 और 7) संशोधित रिपोर्ट	2×210 मेगावाट	
4.	पश्चिमी महाराष्ट्र ताप विद्युत केन्द्र बी० एल० ई० बी० लिमिटेड	2×250 मेगावाट	इन स्कीमों का अन्य मूल्यांकक एजेंसियों के परामर्श से सी० ई० ए० मे परीक्षण चल रहा है और आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित कर लिए जाने और आवश्यक स्वीकृतियों के प्राप्त हो जाने के बाद इन स्कीमों के तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है।
5.	उजैनी ताप विद्युत केन्द्र (संशोधित)	2×500 मेगावाट	
6.	भुसावल (बी०) "हातनूर" विद्युत केन्द्र	4×500 मेगावाट	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं को महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को लौटा दिया गया है क्योंकि इनके लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
7.	डाबोल ताप विद्युत केन्द्र	2×210 मेगावाट	
8.	उम्रेज ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट संख्या । और (2)	2×210 मेगावाट	
2.	गैस पर आधारित		
1.	उरन अपशिष्ट उष्मा रिकवरी यूनि3—3	1×120 मेगावाट	तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सी० ई० ए० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, निवेश संबंधी निर्णय एवं गैस की उपलब्धता प्रतीक्षित है।
2.	डाभोल ताप विद्युत केन्द्र	2×500 मेगावाट	
3.	ठुकराली ताप विद्युत केन्द्र	2×500 मेगावाट	एजेंसियों के परामर्श। से सी० ई० ए० मे परीक्षण चल रहा है और सभी निवेशों के सुनिश्चित कर लिए जाने तथा आवश्यक स्वीकृतियों के प्राप्त हो जाने के बाद इनके तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है।
4.	उरन गैस टर्बाइन चरण-3	8×108 मेगावाट	गैस की उपलब्धता निश्चित न हो पाने के करण यह स्कीम राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दी गई है।

फिल्म समारोह निदेशालय को स्वायत्तता

1664. **श्री उत्तम राठोड़:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित बारहवें अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल हुए भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में फिल्म समारोह को अधिक आकर्षक और सोदेश्य बनाने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को एक स्वायत्त निकाय बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत):

(क)और (ख): "अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजना" पर कुछ प्रतिभागियों ने एक "खुले मंच", के सत्र में ऐसा सुझाव दिया था। तथापि, इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं फिल्म थी। अशोक मित्रा समिति की सिफारिश पर फिल्म समारोह निदेशालय को रष्ट्राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से अलग करके इसे 1.7.1988 से मंत्रालय में स्थानान्तरित किया गया था। इस समय, मंत्रालय फिल्म समारोह निदेशालय के ढांचे और संगठन में परिर्वतन करने पर कोई विचार नहीं कर रहा है।

फ्रांस के उद्यमों द्वारा पूंजी निवेश

1665. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस के कुछ उद्यम भारत में पूंजी निवेश के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पूंजी निवेश के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगलराव):

(क) और (ख): फ्रांस के कई उद्यमों ने भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग में सक्रिया भाग लिया है। पिछले दो वर्षों से फ्रांस की कंपनियों से निवेश की स्थिति में सुधार का रूख दिखाई दे रहा है।

(ग) फ्रांस तथा भारतीय फर्मों के बीच संभावित संयुक्त सहयोग और निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया है वे इस प्रकार हैं:-

- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
- उर्जा के वैकल्पिक स्रोत
- इलैक्ट्रोनिक तथा डाटा प्रोसेसिंग
- खाद्य संसाधन तथा मशीनरी सज्जीकरण
- ऑप्थेलमिक ग्लास
- पेट्रो रसायन
- प्रक्रियानियंत्रण सिस्टम
- दूर संचार
- भोज

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के उत्पादन की आवश्यकता तथा उनकी प्रतीक्षा सूची

1666. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:**
श्री प्रताप राव बी० भोसले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1988 के अंत तक विभिन्न राज्यों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में लगभग कितने लोग थे;

(ख) खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने में देरी के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ग) देश में खाना पकाने की गैस की वर्तमान आवश्यकता क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाना पकाने की गैस का घरेलू (देश में) उत्पादन की मात्र और आयात की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाना पकाने की गैस का उत्पादन करने संबंधी ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जो पूरी होने वाली हैं, उनकी क्षमता और ये कब तक पूरी हो जाएगी, आदि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से पूरे देश में नए एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

(ग) और (घ): 1988-89 के दौरान कुल 1.97 मिलियन टन एल पी जी की माग होने का अनुमान है। लगभग 1.75 मिलियन टन एल पी जी का उत्पादन देश में करके तथा शेष मात्रा का आयात करके इस मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात की गई एल पी जी के मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	आयातित मात्रा (हजार टन)
1986-87	22
1987-88	152
1988-89 (1.1.1989 को अस्थायी)	167

(ङ) 4 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता की एल पी जी निकालने की एक परियोजना को बिजयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके 1992-93 के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है।

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(लाख) प्रतीक्षा सूची (31.12.88 को) पर व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.952
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.010
3.	असम	0.265
4.	बिहार	0.752
5.	गोआ	0.375
6.	गुजरात	4.781
7.	हरियाणा	2.034
8.	हिमाचल प्रदेश	0.156
9.	जम्मू और कश्मीर	0.086
10.	कर्नाटक	0.670
11.	केरल	0.823
12.	मध्य प्रदेश	2.316
13.	महाराष्ट्र	7.903
14.	मणिपुर	0.025
15.	मेघालय	0.016
16.	मिजोरम	0.036
17.	नागालैंड	0.029
18.	उड़ीसा	0.221
19.	पंजाब	2.262
20.	राजस्थान	3.141
21.	सिक्किम	0.010
22.	तमिल नाडु	1.912
23.	त्रिपुरा	0.071
24.	उत्तर प्रदेश	5.535
25.	पश्चिम बंगाल	2.294
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार	0.004
2.	चंडीगढ़	0.438
3.	दादर और नगर हवेली	0.009
4.	दिल्ली	0.588
5.	दमन और द्वीयू	0.036
6.	लक्षद्वीप	0.30
7.	पांडिचेरी	
		41.780

पश्चिम बंगाल में कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन

1667. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र से कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है;

(ग) क्या यह संयंत्र वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे):

(क) से (घ): सरकार ने इस संबंध में समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी है। पश्चिम बंगाल सरकार से ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जो कि प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

राज्य विद्युत बोर्डों के पुर्नगठन के बारे में विशेषज्ञ दलों की स्थापना

1668. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से राज्य विद्युत बोर्डों के पुर्नगठन तथा विद्युत उत्पादन तथा वितरण कार्यो के पृथक-पृथक किये जाने की जांच करने के बारे में विशेषज्ञ दलों की स्थापना करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस बीच इन विशेषज्ञ दलों की स्थापना कर दी है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस कार्य हेतु क्या सहायता दी गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत अधिनियम ने किसी संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ): उपर्युक्त "क" के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

नाइलोन-66 के निर्माण का प्रस्ताव

1669. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नाइलोन-66 के निर्माण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान नाइलोन-66 के निर्माताओं द्वारा इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने नाइलोन-66 के फायदों आदि के बारे में कोई मूल्यांकन किया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क): नायलन-6 अथवा नायलन-66 के निर्माण के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु मैं इकानामिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ गोवा, दमन और द्वीप को एक आशय पत्र जारी किया

गया है। अब ईडीसी का नायलोन-66 के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त क्षेत्र में इस एकक को स्थापित करने का विचार है।

(ख): कुछ विद्यमान नायलोन-6 एककों ने नायलोन 66 का निर्माण करने के प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ग) और (घ): यदि विशिष्ट उपयोग में लाया जाय तो नायलोन-6 और नायलोन-66 दोनों का एक दूसरे की तुलना में कुछ तकनीकी लाभ है।

फ्रांस की दूरसंचार कंपनी "अल्काटेल" के साथ संयुक्त उद्यम

1670. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस दूरसंचार कंपनी अल्काटेल ने और अधिक ई-10 बी टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

1671. **डा० दत्ता सामंत:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989 के दौरान देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन होने की आशा है और कितनी मात्रा में इनको आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ख) वर्ष 1989 के दौरान सोवियत संघ से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है और उसकी दर कितनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) वर्ष 1989 के कैलेण्डर वर्ष के संबंध में सूचना इस प्रकार है:—

प्रत्याशित घरेलू क्रूड आयलों का उत्पादन	33.87 मिलियन टन
संभावित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	47.42 मिलियन टन
प्रक्रूड आयल का अनुमानित आयात	18.40 मिलियन टन
पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित आयात	7.35 मिलियन टन

(ख) सोवियत संघ के साथ व्यापार योजना के अर्न्तगत वर्ष 1989 के दौरान 4.5 मिलियन टन कच्चा तेल और 2.85 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने की व्यवस्था है। कच्चे तेल के लिए देय कीमतों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बाजार से सम्बद्ध होती हैं और ये प्रत्येक लदान के लिए अलग-अलग होंगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1672. डा० दत्ता सामंत:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने कर्मचारियों ने अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है और उनका एककवार तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कोई दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) वर्ष 1985 और वर्ष 1988 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्री श्री जे० वेंगल राव:

(क) इस कार्यालय में 65 सरकारी उद्योमों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 983 कर्मचारियों ने 7 सरकारी उद्योमों द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के अधीन लाभ उठाया है तथा 5 सरकारी उद्यमों में 172 कर्मचारियों ने इस कार्यालय द्वारा 5.10.1988 को अधिसूचित योजना के अधीन लाभ उठाया है। 53 सरकारी उद्यमों ने शून्य जानकारी सूचित की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 31.3.1985 तथा 31.3..1988 को सरकारी क्षेत्र के उद्योमों में अनियत कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों की कुछ संख्या क्रमशः 21.07 लाख तथा 22.21 लाख थी।

दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माण के लिए

1673. श्री कमल चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री दूरदर्शन धारावाहिकों में सुधार के बारे में 29 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न सख्या 930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के पास अब तक नई योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन धारावाहिकों / श्रृंखलाओ के निर्माण के लिए कितने निर्माताओं और निदेशकों ने पंजीकरण कराया है;

(ख) दूरदर्शन द्वारा इन पंजीकरण कराने वाले लोगों से कितने प्रस्ताव आमन्त्रित किये गए और उक्त प्रस्तावों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

दिसम्बर, 1988 तक प्राप्त प्रस्ताव/धारावाहिको का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):

(क) और (ख): नये स्कीम के अन्तर्गत प्रायोजित धारावाहिको के निर्माण के लिए अभी तक किसी निर्माता/निर्देशक को दूरदर्शन के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता।

सीमेंट उद्योग का क्षमता उपयोग

1674: श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट के कारखानों की मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट कारखानों का क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) सातवीं योजना में सीमेंट के उत्पादन के क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं और उत्पादन में अब तक वर्ष-वार कितनी प्राप्ति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव:

(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी,हाँ।

(ख) सीमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है:-

1) विकास आयुक्त सीमेंट उधोग द्वारा राज्य विधुत बोर्डो, रेल मंत्रालय कोयला विभाग, कोयला संगठन इत्यादि जैसे सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास कोयला, बिजली तथा वैगन जैसी विभिन्न निविष्टियों की उपलब्धता के मामले को प्रस्तुत करके, सीमेंट उधोग को सहायता प्रदान करने के लिए, सीमेंट उत्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है।

2) उधोग को उत्पादकता में वृद्धि लाने, प्रौधोगिक उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण उपकरणों को लगाने तथा पुराने एककों के आधुनिकीकरण तथा पुनःस्थापना के लिए योजनाएं आरम्भ करने से लिए बढ़ावा दिया जाता है।

3) सीमेंट उधोग को कैप्टिव विधुत उत्पादक क्षमता स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। 1.1.1982 के पश्चात लगाए गए कैप्टिव डी.जी. सैटों की स्थापना तथा परिचालन को प्रोत्साहन देने के लिए, लेवी कोटा के निर्धारण में उचित रियायतें प्रदान की जाती है।

4) हालांकि, मूल्य तथा वितरण नियंत्रण संबंधी नीति विधमान है, लेवी सीमेंट के अवधारण मूल्य में समय समय पर वृद्धि होती रही है। लेवी बाध्यता में भी उत्तरोत्तर कमी आई है। लेवी बाध्यता में विशेष छूट की अनुमति, अनुमोदित क्षमता के 100% से 125% तक प्रदान की जा सकती है।

5) 1.3.1989 से मूल्य तथा वितरण संबंधी नियंत्रण हटा दिय गए है। आशा है कि इस इस उपाय के सीमेंट उधोग के विकास मे तेजी आयेगी।

6) नए एककों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में रियायतें प्रदान की जाती है। वर्ष 1989-90 के बजट प्रस्तावों के अंश के रुप में वर्टीकल शाफ्ट किल्न का उपयोग करने वाले एककों द्वारा उत्पादित सीमेंट पर उत्पादन शुल्क को मामान्य प्रभावी दर 100 रु. प्रति मी.टन घटा दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लक्ष्य	(मिलियन मी.टन.में) उत्पादन
1985-86	33.5	33.1
1986-87	36.5	36.5
1987-88	41.5	39.5
1988-89	43.5	36.25*

*वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान अर्थात अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 तक।

विधुत परियोजना के लिए वन बैंक

1675. श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य मे ऐसे वन बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे किसी विधुत परियोजना द्वारा होने वाली वनक्षति को पूरा करने हेतु नये वन रोपण के लिए सहायता ली जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या दिशा निर्देश भेजे गए है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विधुत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) से (ग): इस संबंध में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को किसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं-तथापि, उक्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि वे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपेक्षित स्वीकृति संबंधी अपने प्रस्तावों के संदर्भ में प्रतिपूरक वन-रोपण उद्देश्यों के लिए बिना वन वाली अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि का पता लगाएं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में स्वयं ही कार्यवाही की गई है।

दिनांक 23-24 जनवरी, 1989 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के विधुत मंत्रियों के सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्यों द्वारा प्रतिपूरक फारेस्ट बैंक का सृजन किया जाना चाहिए जिनका उपयोग विधुत परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूरक वनरोपण के लिए किया जा सकता है।

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास की योजना

1676. श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सन 2001 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा के स्त्रोतों के विकास हेतु एक भावी योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर जोर दिया गया है;

(ग) इस योजना में वार्षिक ऊर्जा के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इस योजना का आर्थिक लागत सहित ब्योरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे):

(क) से (घ). जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ने 'ऊर्जा 2001 भावी योजना-अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत' नामक शीर्षक से एक पेपर तैयार किया है जिसमें इस शताब्दी के अंत तक नए नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो द्वारा 250.17 मिलियन टन कोयले को प्रतिस्थापित करने हेतु संभावित वार्षिक ऊर्जा-सृजन / बचत करने का विचार है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसमें मुख्यतया बायोमास, पवन, सौर, लघु पन बिजली, शहरी अपशिष्ट से 15000 मेगावाट विधुत उत्पादन तथा साथ ही उन्नत चूल्हा, बायोगैस संयंत्रों और

अन्य नवीनकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन/बचत करना शामिल है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय परिव्यय 43529.38 करोड़ रुपये निर्दिष्ट किया गया है जिसमें सरकार का हिस्सा 11779.83 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

बम्बई नगर में पाईपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की सप्लाई

1677. **श्रीमती किशोरी सिंह:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई नगर को पाईपलाइन के माध्यम के प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य महानगरीय क्षेत्रों में भी पाईपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और पराकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त):

(क) बम्बई शहर में घरेलु, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के उद्देश्य से 1.5 मिलियन टन मीटर प्राकृतिक गैस प्रतिदिन देने के लिए वचन दिए गए हैं।

(ख) और (ग): अन्य किसी महानगर में गैस की सप्लाई देने के बारे में कोई वचन नहीं दिए गए हैं। गुजरात, असम और त्रिपुरा के कुछ छोटे शहरों यथा बड़ौदा, सूरत, बडुच-अंकलेश्वर, शिवसागर और अगरतल्ला में गैस सप्लाई करने के लिए वचन दिए गए हैं।

नई परियोजनाओं का परिस्थितिक तुलना

1678. श्री अन्नत प्रसाद सेठी:

क्या **ऊर्जा** मंत्री **यह बताने की** कृपा **करेंगे** कि नई बिजली तथा कोयला परियोजनाओं को आरंभ करते समय परिस्थिति के संतुल्न को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृतियां प्राप्त करना तथा इस प्रकार की स्वीकृतियों में परिकल्पित किए गए उपायों को कार्यान्वित करना जैसे कुछ कदमों की अनुपालना की जाती है।

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ऋण पत्र खाते खोलना

1679. **श्री अनंत प्रसाद सेठी:**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में उन बिजली बोर्डों को बिजली और कोयला सप्लाई नहीं किया जाएगा जो अपने भुगतान के लिए केन्द्रीय विद्युत और कोयला कंपनी के पास ऋण पत्र खाते नहीं खोलेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख): जी नहीं। जहां तक राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत और कोयले की सप्लाई का संबंध है, बोर्डों को इस वजह से बिजली और कोयले की सप्लाई रोकने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथापि राज्यों को ऋण पत्र खाते खोलने की सलाह दी गई है तथापि अन्ता और औरय्या में केन्द्रीय गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों के संबंध में विभिन्न राज्यों के हिस्से के साथ-साथ अपेक्षित राशियों के ऋण पत्र खोलने/इनमें वृद्धि करने की शर्त लगायी गयी है।

बागेश्वर नगर (उत्तर प्रदेश) को जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों से एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा से जोड़ना

[हिन्दी]

1670. श्री हरीश रावत:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान अल्मोड़ा जिला (उत्तर प्रदेश) के बागेश्वर नगर को एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा द्वारा जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालयों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश

1681. **श्री हरीश रावत:**

क्या ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश में गौरीगंगा धौलीगंगा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के बारे में 22 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1637 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी आएगी; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) और (ख): पारेषण संबंधी पहलू को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, चरण-एक को 394.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर के॰ वि॰ प्रा॰ द्वारा जनवरी, 1988 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दी गई थी । पर्यावरण, वन तथा सुरक्षा संबंधी वीकृतियां प्रदान किए जाने के बाद ही परियोजना के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय हेतु कार्यवाही की जा सकती है ।

उड़ीसा में इब ताप विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

1682. डा॰ कृपा सिन्धु भोई:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इब ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में इब घाटी कोयला क्षेत्र के निकट बनहारपल्ली गांव के पास स्थापति की जा रही है;

(ख) क्या यह एक मुहाना परियोजना होगी;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना स्थल और कोयला क्षेत्रों के बीच कोयला दुलाई की व्यवस्था कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक की जाएगी;

(ङ) क्या उक्त परियोजना को सरकार ने अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है?

ऊर्जा मंत्रालय मेंविद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) से (ग): जी, हां ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ): जी, हां ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हुबली शहर में रसोई गैस सिलेंडरों की सप्लाई

1683. श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुबली शहर कर्नाटक में रसोई गैस उपभोक्ताओं को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत गैस से रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए एक से दो महीने तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं को उनके द्वारा मांग करने पर रसोई गैस सिलेंडर उपबब्ध कराने के लिए क्या कदम उठायें गये हैं/उठानें का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) से (ग):—आवागमन, औद्योगिक संबंधों तथा परिचालन संबंधी अन्य समस्याओं के अतिरिक्त एल पी जी की बड़ी मात्रा में उपलब्ध में कमी आने के परिणामस्वरूप हाल में हुबली सहित देश के अनके भागों में अस्थायी रूप से एल पी जी रिफिलों की सप्लाई में बैकलॉग उत्पन्न हुआ । पहले से ही उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल पी जी के अधिकतम उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा गभी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है । उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चत करने के उद्देश्य से तेल उद्योग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

आकाशवाणी, मंगलौर से तुलु समाचार बुलेटिन का प्रसारण

1684. **श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में मंगलौर और दक्षिण कन्नड़ जिलों के लोगों की सुविधा के लिए आकाशवाणी, मंगलौर से तुलु समाचार बुलोटनों को प्रसारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत):

(क) जी, नहीं ।

(ख) मंगलौर स्टेशन से तुलु में समाचार प्रसारित करने के लिए कोई संचार संबंधी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बंगलौर से कन्नड़ में प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिनें दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक के सभी भागों को कवर करती है ।

बंगलौर शहर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

1685. **श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि:

(क) बंगलौर शहर में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं; और

(ख) बंगलौर शहर में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) बेंगलूर शहर में फिलहाल पांच (मुख्य/रिमोट लाइन युनिट) स्थानीय इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रह हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान बेंग्लूर शहहर में तीन नए (मुखय/रिमोट लाइन युनिट) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बंगलौर शहर में पुराने टेलीफोन उपकरण बदलना

1686. **श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर शहर में कुल कितने पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलने की आवश्यकता है;

(ख) क्या नये टेलीफोन उपकरणों के लिये क्रयादेश जारी किये जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितने टेलीफोन उपकरण बदले जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) 1-4-87 की स्थिति के अनुसार, बदले जाने वाले पुराने टेलीफोन उपकरणों की कुल संख्या 42,200 थी। इनमें से 17,640 टेलीफोन उपकरण पहले ही बदले जा चुके हैं;

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1989-90 के दौरान 14,000 टेलीफोन को बदलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका

1687. **श्री राम बहादुर सिंह: क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के कई अधिकारियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की है;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने अपने मंत्रालय तथा विधि अधिकारियों से अनुमति ले ली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक अनुमति दे दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत):

(क) जी, हां।

(ख) सरकार के ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को उच्च न्यायालय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय को चुनौती देने से रोके जो उनकी सेवा की शर्तों को प्रभावित करते हों।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर वाणिज्यिक ईंधन की कमी

1688. **श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन:**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी क्षेत्र में रसोई ईंधन की मांग संबंधी अनुमान निर्धारित किये गये हैं और रसोई ईंधन के उत्पादन और वितरण के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) रसोई गैस इस मांग की कितने प्रतिशत पूर्ति करती है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, ईंधन लकड़ी, चारकोल और वनस्पति क्षेत्र के अंय अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ईंधन की खपत के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या स्वदेशी क्षेत्र में गैर-वाणियिक ईंधनों की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे):

(क) से (ङ): योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार देश में इस समय कुल उपभोग की जाने वाली ऊर्जा में से लगभग आधी उर्जा खाना बनाने में उपयोग की जाती है। ऊर्जा सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार खाना बनाने के लिए ईंधन प्रयोग करने वाले परिवारों (%) का वितरण इस प्रकार है:-

ईंधन	ग्राम	शहर
एल पी जी	0.8	8.4
मिट्टी का तेल	4.0	26.5
सॉफ्ट कोयला	0.7	7.0
गैर वाणिज्यिक	94.5	58.1
	100.0	100.0

एल पी जी द्वारा प्राप्त प्रतिशत लगभग 4.6 आंका गया। एन सी ए ई आर 1978-79 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, जलावन लकड़ी, काठकोयले आदि के उपयोग का अनुमान इस प्रकार है:-

	''000 टन)
जलावन लकड़ी	79322
गोबर	66755
काठकोयला	73
वनस्पति अपशिष्ट	39528

ऊर्जा सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार विशेषकर जलावन लकड़ी का ही अभाव रहता है और यह भविष्य में गंभीर समस्या हो सकती है। ऊर्जा अभावों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:-

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए पहले ही एक सुसमन्वित योजना शुरू की है। जिसमें अंय बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उन प्रौद्योगिकियों का विस्तृत उपयोग जिन्होंने परिपक्वता की अवस्था प्राप्त कर ली हो।

(ii) प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षण, जन-जागृति आदि के द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संवर्द्धन।

(iii) दीर्घावधि संभावना के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को तेज करना।

इनके परिणामस्वरूप अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 1989, तक 54 लाख से भी अधिक उन्नत चूल्हे, 10.81 लाख बायोगैस संयंत्र और 1.10 लाख सौर कुकर लगाए गए हैं। संसाधनों के उपलब्ध होने पर इन कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप में बढ़ाया जा सकता है।

2. प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेअर भूमि को\जलावन लकड़ी और चारा उपलब्ध कराने वाले के रोपण के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। इस प्रयास में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(i) राज्य सरकारों के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) के अंतर्गत (सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण

(iii) ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण सहित केंद्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजना।

(iv) ग्राम समुदायों, कृषकों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण।

3. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने संबंधी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 7 वीं योजना में एक नया घटक जोड़ा गया है। इसमें ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण योजना, उन्नत चूल्हा तथा बायोगैस विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रावधान है। घरों में खाना बनाने संबंधी ऊर्जा के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु आठवीं योजना के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है।

वाणिज्यिक ऊर्जा खपत

1689. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में कोयले के बदले, तेल उत्पादों और बिजली संबंध में पृथक-पृथक वाणिजियक ऊर्जा की खपत कितनी हुई; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए किंतनी मांग होने का अनुसान लगाया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में विधुत विभाग में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय:

(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए अनुमानित आवश्यकता निम्नानुसार है:

पैट्रोलियम उत्पाद	50.72-55.70* मिलियन टन
बिजली	384.76 बिलियन किलोवाट आवर

* योजना आयोग के ऊर्जा मांग स्क्रीनिगं दल को रिपोर्ट के अनुसार।

13वें भारतीय विधुत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार।

विवरण

पैट्रोलियम उत्पादों तथा बिजली की खपत को दर्शाने वाला विवरण

....

वर्ष	ऊर्जा हेतु पैट्रोलियम उत्पाद	बिजली (कोयले की तुलना में मिलियन टन में)
1985-86	252.64	128.38
1986-87	271.85	141.47
1987-88	296.46	152.04

घरेलू और होटल क्षेत्रों के लिए खाना पकाने की गैस की मांग

1690. **श्री के० पी० उन्नीकृष्न:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न इलाकों में घरेलू और होटल क्षेत्रों के लिए खाना पकाने की गैस की कितनी मांग है; और

(ख) वर्तमान में खाना पकाने की गैस के कितने मानक (स्टेन्डर्ड) सिलेन्डरों का उत्पादन हो रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त):

(क) देश में घरेलू और गैर-घरेलू क्षेत्रों (होटलों सहित) के लिए क्रमशः लगभग 1.46 मिलियन टन और 10,000 टन प्रति माह एल पी जी की आवश्यकता होती है।

(ख) इस समय 14.2 किलोग्राम के लगभग 122 लाख एल पी जी सिलिण्डर प्रति माह भरे और सप्लाई किए जाते हैं।

कोयले और लिग्नाइट के स्रोत

1691. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कोयले और लिग्नाइट के विकसित और विकासशील, दोनों प्रकार के स्रोतों की अनुमानि संख्या क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ):

इस संबंध में लगाए गए अनुमानों के अनुसार देश में कोयले और लिग्नाइट के कुल भण्डारों का मूल्यांकन नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

कोयला - 1,76,330.35
लिग्नाइट - 5,900.00

उपयुत में से प्रमाणित भण्डारों की मात्रा नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन में)

कोयला - 52,135.12
लिग्नाइट - 3,486.20

संचार व्यवस्था पर अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श

1692. **श्री पी०एम० सईद:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान भारत की संचार व्यवस्था की समस्याओं पर इटली की सरकार से विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप किया गया समझौता क्या है; और

(घ) उन्होंने अन्य किन किन देशों की यात्रा की है और प्रत्येक देश के साथ किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

(घ) किसी अन्य देश का दौरा नहीं किया गया।

इटली सरकार के संचार राज्य मंत्री के निमंत्रण पर भारत के संचार राज्य मंत्री ने इटली का दौरा किया था। अपने प्रवास के दौरान संचार राज्य मंत्री ने स्टेट गुप आफ कंपनी के साथ बातचीत की और उनकी कई, संस्थापनाओं और फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्टैट ग्रुप आफ तूरीन क्री अनुसंधान और विकास सुविधाओं को देखा। दोनों देशों ने दूरसंचार विभागों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ। स्टैट ग्रुप ने सुझाव दिया कि विद्यमान संबंधों में और विस्तार किया जाए। इटली और भारत के इंजिनियर एक दूसरे देश की सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे है और उनका आदान-प्रदान कर रहे हैं। कुछ भारतीय इंजिनियर इटली में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रस्ताव इन संबंधों को विस्तृत करने के लिए है और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। स्टैट ग्रुप ने भारत के दो जिलों में ग्रामीण दूरसंचार उपस्कर की अपूर्ति की पेशकश की है ताकि उपस्कर सक्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सके और यदि जरूरत पड़े तो इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रस्ताव किया जा सके।

सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी और रेडियो प्रोपोगेशन अध्ययनों के अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग के प्रस्तावों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इन्हें पुनः विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

संचार राज्य मंत्री ने रोम में इटली के डाकघर की यंत्रीकृत डाक छटाई सुविधा को भी देखा।

केरल के कण्णानोर, बाइनाड जिलों में टेलिफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1693. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कण्णानोर अथवा बाइनाड जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार के ब्यौरे और निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विवरण : सरकार के ब्यौरे और निर्णय

अभ्यावेदन	निर्णय
1. अंजरकैंडी एक्सचेंज के विस्तार और ग्रुप डायल सुविधा के प्रावधान के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम० रामचन्द्रन का दिनांक 29.11.1988 का पत्र सं०-193/87/103/सी० जी० एम०	1. अंजरकैंडी एक्सचेंज का दिनांक 12.3.88 को 200 से 300 लाइनों तक विस्तार किया गया और तेल्लीचेरी एक्सचेंज चालू करने के साथ साथ ग्रुप डायल सेवा दिनांक 24.2.88 को सुलभ कराई गई।
2. कड़वथूर में नया एक्सचेंज खोलने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम० राम चन्द्रन का दिनांक 28.7.88 का पत्र सं०-145/103/सीओएम/88	2. यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।
3. पन्नामारम एक्सचेंज के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम० रामचन्द्रन का दिनांक 21.5.88 का पत्र।	3. उस्तपस्करों की कमी के कारण विस्तार की योजना नहीं बनाई गई और ग्रुप डायल सुविधा विश्वसनीय माध्यमों के प्रावधान के बाद सुलभ कराई जाएगी
4. कुथुपरम्बा एकसचेंज के विस्तार के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री एम० रामचन्द्रन का दिनांक 23.5.88 का पत्र सं०-93/58/103सीओएम	4. फिलहाल एक्सचेंज के विस्तार की कोई प्रस्ताव नहीं है।
5. चेल्कुनु एक्सचेंज के विस्तार के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री एम० रामचन्द्रन का दिनांक 15/6/88 का पत्र सं० 110/108/सीओएम/88	5. उपस्कर की कमी के कारण विस्तार की कोई योजना नहीं है।
6. कन्नानूर के एक भाग केसरगोडे संसदीय क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार के बारे में माननीय संसदीय सदस्य श्री आई० रमा राय का दिनांक 8.10.88 का पत्र	6. आठवीं योजना में विस्तार की विभिन्न योजनाएं है ।

7. हरीकुर एक्सचेंज के विस्तार के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री रामचन्द्रन का 1.12.88 का पत्र	7. वर्ष 1989-90 के दौरान 512 पोर्ट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की योजना है।
8. मननथोड़ी एक्सचेंज के विस्तार के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री एम० रामचन्द्रन का दिनांक 17.3.88 का पत्र	8. स्वदेशी उपस्कर उपलब्ध होते ही विस्तार कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।

केरल में दूरसंचार प्रणाली का विकास

1694. : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान केरल में दूरसंचार प्रणाली में क्या विकास किया गया;

(ख) केरल में, जिला-वार, इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1989 में केरल में, जिले-वार, कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने केरल के पर्वतीय तथा पिछड़े जिलों में दूरसंचार कार्यक्रम के तेजी से विकास के लिए कोई प्रणाली तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) वर्ष 1988 के दौरान किए गए विकासात्मक कार्य इस प्रकार हैः-

(1) खोले गए नए एक्सचेंज - 10

(2) विस्तार किए गए एक्सचेंज - 109

(3) स्वाचालित बनाए गए एक्सचेंज - 4

(4) विस्तार किए गए टेलेक्स एक्सचेंज -3

(5) विस्तार किए गए ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज -1

(6) स्थापित किए गए नए ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज -1

(7) ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़े गए स्टेशन - 16

(8) इंटर/ग्रुप डायलिंग में शामिल किए गए एक्सचेंज-25

(9) चालू की गई संचारण प्रणालियां निम्नलिखित हैं :-

i. कोएक्सिएल केबिल प्रणालियां

1.	कन्नानूर -	मेंगलूर-	2.6	एम एच जैड
2.	कालीकट-	पालघाट	12	एम एच जैड
3.	मंजेरी-	नीलाम्बूर	2.6	एम एच जेड
4.	पालघाट-	मन्नारघाट	2.6	एम एच जेड
5.	तिरूर-	त्रिचूर	2.6	एम एच जेड

ii. माइक्रोवेव प्रणालियां

1.	कालीकट-	कालपेट्टा	एन/बी

iii. अन्य प्रणालियां

केबिल कैरियर प्रणालियां - 8 रूट

8-चैनल प्रणालियां - 9 रूट

3-चैनल प्रणालियां - 26 रूट

एस + 4 डी एक्स प्रणालियां - 5 रूट

12 चैनल वी एफ टी प्रणालियां - 6 रूट

24 चैनल एफ एम वी एफ टी प्रणालियां - 4 रूट

(ख) चालू टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जिलेवार नीचे दी गई है:—

1.	अल्लेप्पी	41
2.	कालीकट	35
3.	कन्नानूर	52
4.	एर्नाकुलम	62
5.	इडिक्की	44
6.	कासरागॉड	36
7.	कोट्टायम	55
8.	मल्लापुरम	44
9.	पालघाट	61
10.	पटनमथिट्टा	40
11.	क्विलोन	50
12.	त्रिचूर	44
13.	त्रिवेन्द्रम	32
14.	वैईनाड	18
15.	लक्षद्वीप संघ प्रदेश	9
16.	पांडिचेरी संघ प्रदेश	1
	केरल सर्किल में कुल	624

(ग) केरल सर्किल में 14 नए एक्सचेंज खोलने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इनका जिलेवार विवरण नीचे दिया गया है:-

1.	त्रिवेन्द्रम	1
2.	कोट्टायम	1
3.	एर्नाकुलम	1
4.	इचिड़की	3
5.	त्रिचूर	2
6.	मालापुरम	2
7.	कालीकट	1
8.	वैनाड	1
9.	कन्नानूर	2

उपर्युकत 14 एक्सचेंजों में से तीन पहले ही चालू किए जा चुके हैं। इनके नाम नीचे दिए गए हैं :-

1.	कालीकट	1
2.	वैनाड	1
3.	मालापुरम	1

(घ) पहाड़ी/पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर अलग से कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य/प्रधान डाकघरों द्वारा डाक संचालन

1695 :श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक डाकघर द्वारा कितनी डाक का संचालन किया जाता है, कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष अधिकतम डाक संचालन करने वाले आरंम्भ के तीन मुख्य/प्रधान डाकघर कौन-से हैं; और

(ग) कुल डाक का कितना प्रतिशत "स्पीड पोस्ट" के माध्यम से भेजा गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग): कुल डाक परियात की तुलना में स्पीड पोस्ट द्वारा केवल 0.00811 प्रतिशत डाक परियात का निपटान किया गया।

फैक्स मशीनों का उपयोग

1696 : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों को "फैक्स" सुविधा से सम्बद्ध किया गया है;

(ख) क्या फैक्स मशीनों का उपयोग करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक होता है;

(ग) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के किन संस्थाओं को इस संचार-प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या सरकार का फैक्स प्रणाली का अन्य स्थानों में विस्तार करने का विचार है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री गिरिधर गोमांगो):

(क): दिनांक 28.2.89 को ब्यूरो फैक्स सेवा 54 केन्द्रों पर तार घरों से जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। फैक्स सुविधा भारत में और विदेश में दस्तावेज पारेषण के लिए उपलब्ध है। केन्द्रों की सूची, जहां ब्यूरो फैक्स सेवा उपलब्ध है, विवरण के रूप में संलग्न है।

देश में फैक्स सुविधा पार्टियों को टेलीफोन लाइनों पर और पट्टे पर दी गई लाइनों पर उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को अपनी फैक्स मशीनें लगानी पड़ती हैं जो विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(ख) और (ग): जी हां। फैक्स मशीनों का (i) उपभोक्ता के अपने प्रयोग के लिए (ii) सार्वजनिक प्रयोग के लिए टेलीफोन लाइनों/पट्टे की लाइनों पर प्रयोग करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। फैक्स मशीनों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क निजी प्रयोग के लिए 3000 रू. वार्षिक और सार्वजनिक प्रयोग के लिए 15,000 रु. वार्षिक है। अब तक ऐसे 1000 से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

(घ) और (ड़) अगले दो वर्षों में देश के सभी केन्द्रीय तार घरों और विभागीय तार घरों को ब्यूरो फैक्स सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

घाटी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण के कारण सम्बलपुर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1697. **श्री के० प्रधानी:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में इब घाटी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा खनन कार्यों के विस्तार के कारण भारी संख्या में अधिकांशतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग विस्थापित हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

ऊर्जा मंत्री : श्री वसंत साठे:

(क) और (ख) : उड़ीसा की ईब घाटी में 5 नयी ओपनकास्ट खानें खोले जाने का प्रस्ताव है जिसमें से तीन पहले ही निर्माणाधीन हैं। इन तीन परियोजनाओं द्वारा 741 परिवारों के हटाए जाने की संभावना है। इन परिवारों में से 123 परिवार अनुसूचित जाति और 321 परिवार अनुसूचित जन-जाति के हैं।

(ग): भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य मुआवजे की अदायगी की जाती है, जिसमें भूमि की बाजार-भाव (मार्किट वेल्य) के बाराबर राशि और बाजार-भाव के 30 प्रतिशत की दर पर मुआवजे की अदायगी किया जाना शामिल है। इसके अलावा, हटाए गए व्यक्तियों को रोजगार, वैकल्पिक आवासीय स्थल, स्थल बदलने संबंधी भत्ता, स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक तथा पेशावर प्रशिक्षण, आदि में तरजीही प्रदान करके पुर्नवास सहायता दी जाती है।

भारतीय सीमेंट निगम को घाटा

1698. **श्री के० प्रधानी:**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम घाटे में चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव)

(क) जी हां।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को पिछले तीन वर्षों में हुए घाटे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	करोड रुपये में
1985-86	12.36
1986-87	21.02
1987-88	45.97

घाटा होने का मुख्य कारण अन्तर्वस्तुओं की लागत में भारी वृद्धि, वेतन तथा मजदूरी में वृद्धि और बिजली की कमी से कम उत्पादन का होना है। उसी दौरान सीमेंट की प्रति इकाई बिक्री की वसूली में वृद्धि, उत्पादन लागत में प्रति इकाई में बढ़ोतरी के अनुरूप नहीं हुई है।

(ग) सी०सी०आई० ने घाटे को कम करने के काफी कदम उठाये हैं जैसे- उत्पादिता में सुधार

करना, लागत में कमी करना, माल-सूची पर नियंत्रण, कैप्टिव पावर जनित्रण सुविधाओं में वृद्धि करना, रख-रखाव प्रणालियों में प्रभावी निवारक तथा विभिन्न संयंत्रों आदि का आधुनिकीकरण करना है।

मयूरभंज जिला, उड़ीसा में गांवों का विद्युतीकरण

1699**श्री के० प्रधानी:**

क्याऊर्जामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कितने गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इन गावो में बिजली पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय:

(क) 1971 की जनगणना के अनुसार, 31.1.1989 को स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 1755 गावों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ख) से (घ): 1,988-89 के दौरान उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत मयूरगंज जिले में 100 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का कार्यक्रम है। शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा आगामी योजनाओं के दौरान किया जाएगा जो कि निधियों तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ग्राम विद्युतीकरण की वर्तमान लागत के आधार पर, शेष बचे गांवों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक होगी।

बिजली की कमी

1700. **डा० ए० के० पटेल:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1989 में आयोजित राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावित भारी राशि के बावजूद आठवीं योजना के अंत तक बिजली की कमी अब से लगभग दुगनी हो जायेगी;

(ख) इस समय बिजली की राज्यवार कितनी कमी है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) जी, नहीं। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि आठवीं योजनावधि के अंत तक ऊर्जा की कमी लगभग 2% होने को संभावना है।

(ख). राज्यवार विद्युत की कमी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करने की परिकल्पना की गई है। विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन के लिए कुछ विद्यमान ताप विद्युत एवं जल विद्युत केन्द्रों में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य आरंभ किए गए हैं / किए जा रहे हैं। पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी किए जाने, कुशल भार-प्रबंध की व्यवस्था किए जाने तथा ऊर्जा का संरक्षण किए जाने संबंधी अन्य उपायों के परिणामस्वरूप विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा।

विवरण

(आंकड़े मिलियन यूनिट निवल में)

जनवरी, 1989 के दौरान विद्युत की वास्तविक सप्लाई और अप्रैल, 88—
जनवरी, 1989 के दौरान संचयी सप्लाई की स्थिति

क्षेत्र / राज्य / प्रणाली	जनवरी, 1989				अप्रैल, 88-जनवरी, 89			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	44		0		390	398	0	0.0
दिल्ली	625		6		5991	5951	40	0.7
हरियाणा	610		45		5828	5653	175	3.0
हिमाचल प्रदेश	105	44	0	0 0	948	942	6	0.6
जम्मू कश्मीर	205	619	84	1.0	2280	1839	441	19.3
एन एफ एफ		565		7.4				
सहित पंजाब	965	105	41	0.0	11359	11164	195	1.7
राजस्थान	900	201	33	29.5	7622	7429	193	2.5
उत्तर प्रदेश	2150		181		19970,	17792	2178	10.0
जोड़ (उ० क्षेत्र)	5684	924	390	4.2	54396	51160	3228	5.0
		867		3.7				
पश्चिमी क्षेत्र		1969		8.4				
		5294		6.9				
गुजरात	1800		31		15364	15174	190	1.2
मध्य प्रदेश	1477		0		12134	11647	487	4.0
महाराष्ट्र	2960		68		26615	25795	820	3.1
गोवा	47	1769	0	1.7	443	443	0	0.0
जोड़ (प० क्षेत्र)	6284	1477	99	0.0	54556	53059	1497	2.7
		2892		2.3				
दक्षिणी क्षेत्र		47		0.0				
		6185		1.6				
आन्ध्र प्रदेश	1700		157		14616	13110	1506	10.3
कर्नाटक	1550		380		13230	9590	3640	27.5
केरल	595		65		5465	4819	646	11.0
तमिलनाडु	1630	1543	105	9.2	15845	14883	962	6.1
जोड़ (द० क्षेत्र)	5475	1170	707	24.5	49156	42402	6754	13.8
		530		10.9				
		1525		6.4				
		4768		12.9				

क्षेत्र / राज्य / प्रणाली*	जनवरी, 1989				अप्रैल, 88-जनवरी, 89			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार								
दा० घा०	500	471	29	5.8	4675	4279	396	8.5
निगम	615	521	94	15.3	5950	5225	725	12.2
उड़ीसा								
प० बंगाल	630	487	143	22.7	5950	4891	1059	17.8
जोड़ (पू० क्षेत्र)	720	658	62	8.6	7230	6734	496	8.0
	2465	2137	328	13.3	23805	21129	2676	11.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
	227	226	1	0.4	2056	1981	75	3.6
अखिल भारत								
	20135	18610	1525	7.6	183969	169739	14230	7.7

बिजली की उत्पादन लागत

1701. डा० ए.के. पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री बिजली की लागत के बारे में 22 नवम्बर, 1988 की अतारांकित प्रश्न संख्या 1730 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम और वे किन स्थानो पर स्थित है और उनकी प्रति यूनिट (प्रति घंटा किलोवाट) लागत क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): जिन विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है इनसे संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:-

विद्युत उत्पादन का स्वरूप	केन्द्र का नाम	राज्य	अनुमानित लागत/ यूनिट (पै०/कि०वा० आवर)
1 2	3	4	5
1. गैस आधारित	न्यूनतम:बारामूरा जी.टी. (ओपन साईकिल)	त्रिपुरा	35.88
	अधिकतम :दादरी सयुंक्त* (रा.वि.ता. निगम)	उत्तर प्रदेश	87.07
2. कोयला आधारित	न्यूतम:फरक्का स.ता.वि. केन्द्र चरण -3(रा.ता.वि.निगम)	प. बंगाल	40.59
	अधिकतम: मंगलौर ता.वि.ता. केन्द्र*	कर्नाटक	90.10

विद्युत उत्पादन का स्वरूप		केन्द्र का नाम	राज्य	अनुमानित लागत/ यूनिट (पै०/कि०वा० आवर)
1	2	3	4	5
3.	जल विद्युत	न्यूनतमः चालाकुडी* चरण - दो	केरल	18.90
		अधिकतम :घाटगढ़*	महाराष्ट्र	80.00
4.	न्यूकलीय	न्यूनतमःराजस्थान प्र.वि. केन्द्र	राजस्थान	41.14
		अधिकतम : एम.ए.पी.पी.	तमिलनाडु	49.37
5.	पवन ऊर्जा			55 किलोवाट मशीन के आधार पर निर्देशित विंड फार्म परियोजना से प्रारंभ 0.5 मे.वा.पर उत्पादित की गई विद्युत की लागत 1.25 रु. से 1.50 रु. प्रति यूनिट भिन्न-भिन्न थीं।
6.	सौर ऊर्जा			अभी तक देश में सौर तापीय प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
7.	माईक्रो जल विद्युत			

हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 100 कि.वा. के माइक्रो जल विद्युत यूनिटों से 70% भार अनुपात पर विद्युत उत्पादन की लागत 0.70 रु. आंकी गई है पंजाब, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए हाल ही में अनुमोदित की गई परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की लागत 0.75 रु. आकी गई है।

* ये केन्द्र अभी चालु किए जाने हैं।

खेल-कुद विकास कार्यक्रमों का प्रसारण

1702. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री**यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियोल ओलम्पिक में खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुये देश में टेलीविजन पर खेल-कूद को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये अपेक्षाकृत अधिक समय आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (एच॰के॰एल॰ भगत)

(क) से (ग) : सियोल ओलम्पिक में प्रदर्शन के बावजूद, दूरदर्शन का अधिक से अधिक सीधे आर रिकार्ड किए गए दोनों, खेल कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने का हमेशा प्रयास रहा है। खेल के विभिन्न आयामों के बारे में दर्शकों को जानकारी देना दूरदर्शन का प्रयास रहता है।

हिमाचल प्रदेश में खाना पकाने की गैस का वितरण

[हिन्दी]

1703. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में खाना पकाने की गैस का वितरण कार्य भारतीय तेल निगम द्वारा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था अन्य राज्यों में भी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने खाना पकाने की गैस का वितरण कार्य और आगे प्राइवेट पार्टियों को सौंप दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त):

(क) से (ग): जैसा कि कई राज्यों के विभिन्न स्थानों में कार्यरत ऐसे कारपोरेशनों के संबंध में किया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन को भी इस राज्य में एल पी जी का वितरक नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ): हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने 5 स्थानों अर्थात् नूरपुर, नालागढ़, रामपुर, बुशहर और जोगीन्दर नगर में एल पी जी वितरण केन्द्रों का प्रबंध पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को दिया है बशर्ते कि एल पी जी का वितरण बिना किसी हानि/लाभ के हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

1704 : **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिये अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान उक्त बोर्डों को कितनी धनराशी दी गई;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने युवाओं को व्यापार-वार प्रशिक्षण दिया गया;

(घ) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन युवाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव):

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने हेतु कोई अनुदान नहीं देता। किन्तु खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में भिन्न व्यवसायों में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करके आवश्यक मूलभूत सहायता देता है। इन केन्द्रों में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

(ख) से (ङ) उपयुक्त क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

उद्योग चलाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता

1705 :**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सीधें अथवा राज्य बोर्डों के माध्यम से समितियों, सहकारी समितियों तथा अलग-अलग निर्माताओं को अपने उद्योग चलाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान आयोग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इन समितियों और व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप किए गए उत्पादन का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन ऋणों की वसूली कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वसूल की गई ऋण-राशि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव):

(क) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों को जो उनकी प्रत्यक्ष सूची के अंतर्गत आती है और विभिन्न राज्य बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी

एवज में वे खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कारगर रूप देने के लिए उनसे सहायता प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और अलग-अलग कारीगरों को वित्तीय सहायता देते हैं।

(ख) : 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (31 दिसम्बर तक) के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने विभिन्न अभिकरणों को दी गई राशि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

	दी गई राशि खादी		(करोड़ रू० में) ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1986-87	42.14	26.29	16.37	44.55
1987-88	43.69	24.99	13.57	53.58
1988-89	31.04	13.31	11.92	33.57

(अंनतिम 31.12.88 तक)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी समितियों की संस्थाओं और व्यक्तियों की संख्या की सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में दी गई अवधि के दौरान दिये गये ऋणों की वसूली अभी देय नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित स्थिति के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई सुधारने के लिये विश्व बैंक ऋण

1706. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली में विद्युत सप्लाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने और उसमें सुधार करने के लिये हाल ही में विश्व बैंक से ऋण के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में विद्युत सप्लाई व्यवस्था सुधारने के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली के चारों ओर 400 के. वी. पारेषण लाईन का निर्माण करने से संबंधित कार्य के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1987 में लगभग 60 मिलियन डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना तथा इससे सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के लिए विश्व बैंक द्वारा मुहैया कराए जा रहे 485 मिलियन डालर के वृहत ऋण का ही यह ऋण भी एक अंग है । आगामी 15 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए दिल्ली की वितरण प्रणाली में सुधार करने और समग्र रूपरेखा का निकास किए जाने का कार्य भी इसमें शामिल है और (1) सप्लाई की विश्वसनीयता में सुधार करने और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने (2) 2005 तक के लिए वितरण विकास योजना तैयार करने तथा (3) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भार प्रेषण केन्द्र का आधुनिकीकरण करने की परिकल्पना भी की गई है ।

विभिन्न जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर/रिले केन्द्र

[अनुवाद]

1707. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के कुछ जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनको स्थापित करने का मानदण्ड क्या है ; और

(ग) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों/रिले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

(क) जी, हां । सातवीं योजना अवधि के प्रारंभ से अब तक 12 उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, 82 अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा 39 अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को नेटवर्क में शामिल किया गया है ।

संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, चरण-वार ढंग से अधिकतम संभव जनसंख्या को कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसमीटरों के स्थल2/2स्थानों का चयन किया जाता है और इसमें ग्रामीण, पहाड़ी, पिछड़टे आदिवासी, दूरदराज, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) 31 जनवरी, 1989 को स्थिति के अनुसार, दूरदर्शन ट्राण्समीटर नेटवर्क में 52 उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर, 197 अल्प शक्ति दूरदर्शन तथा 29 अति अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर शामिल हैं ।

गिरडी जिले (बिहार) में टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना

[हिन्दी]

1708. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में 10-15 जिला दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना पर होने वाले खर्च को बचाने के लिये गिरडीह जिले में सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पर एक उच्च शक्ति वाला टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित कियो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

(क) और (ख) :दूरदर्शन की सातवीं योजना मे गिरहीड में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल है । तथापि, इस जिले में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में तलचेर स्थित विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए स्वीडन द्वारा सहायता प्रदान करना

[अनुवाद]

1709. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में तलचेर स्थित ताप विद्युत संयंत्र का आधुविकीकरणन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या स्वीडन उक्त ताप विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (घ) :केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसका कार्यान्यन्वयन किया जा रहा है, में उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के 62.5 मेगावाट - 62.5 मेगावाट के चार यूनिटों को शामिल किया गया है । स्कीम की लागत लगभग 36 करोड़ रुपए हैं और इसमें कुछ कार्यकलाप (बायलरों में सुधार तथा विद्यमान मिलों का प्रतिस्थापन) शामिल नहीं है जिनके लिए विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन किए जाने अपेक्षित थे । उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर एक स्वीडिश कम्बाइन द्वारा ये अध्ययन किए गए थे और यूनिटों में सुधार के लिए उनके द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसकी अनुमानित लागत लगभग 142 करोड़ रु० है तथा इसमें सामान्य सीमा शुल्क शामिल है ।

उड़ीसा में शाखा तथा उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

1710: श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1988 में उड़ीसा में कितने शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया; और

(ख) वर्ष 1989 में इस राज्य में कितने शाखा तथा उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) उड़ीसा में, चालू वर्ष (1988-89) के दौरान अब तक एक शाखा डाकघर का उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है। किसी भी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया।

(ख) पदों के सृजन के लिए मार्ग-निर्देश मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने पर भी लागू होते है। ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब समान बचत उपलब्ध हो या सम्बद्ध पार्टियों से गैर वापसी अंशदान प्राप्त हो। इस समय, उड़ीसा में किसी भी डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई पक्का प्रस्ताव नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड की बम्बई स्थिति रिफाइनरी में आग लगना

1711. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1988 में भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड की बम्बई स्थित रिफाइनरी में लगी आग के कारणों की जांच हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में आग लगने के क्या कारण बताये गये है;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) से (घ): नवम्बर, 1988 में भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी में लगी आग के कारणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

उडीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई

1712. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई मांग से कम की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 में उस राज्य द्वारा कुल कितनी मांग की गयी थी और कितना आबंटन किया गया; और

(ग) वर्ष 1989 में मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) से (ग):उड़ीसा सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि में किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़कर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल पी जी की कमी आदि विशेष स्थितियों से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किया जाता है। वर्ष 1988 के दौरान उड़ीसा राज्य को किए गए आबंटन और सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(आंकड़े टनों में)

महीना	नियमित आबंटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	सप्लाई
जनवरी,88	12100	—	12100	11825
फरवरी, 88	12100	—	12100	10374
मार्च, 88	10785	215	11000	11674

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला उठाई-धराई संयंत्रों का चालू किया जाना

1713. **डा. कृपा सिंधु भोई:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कुछ कोयला उठाई-धराई संयंत्र चालू किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों की लागत और क्षमता क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) और (ख) वर्ष 1987-88 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 16.94 मि. टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाले 14 कोयला रख रखाव संयंत्र और 18 छोटे कोयला रख-रखाव संयंत्र पहले से ही चालू थे। वर्ष 1988-89 के दौरान

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 3 और कोयला रख-रखाव संयंत्रों को चालू किया गया जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन में)	लागत (लाख रु में)
1. सोभापुर भूमिगत	1.00	168.47
2. न्यू माजरी फेज II	1.00	238.00 (फेज-I सहित)
3. दुर्गापुर ओपेनकास्ट	2.00	427.00

उड़ीसा में पेट्रोल पम्प

1714. **डा. कृपा सिंधु भोई:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अब तक कितने पेट्रोल पम्प स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इस राज्य में कुछ नए पेट्रोल डीलर नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सम्बलपुर जिले में कितने नए पेट्रोल पम्प स्थापित करने का विचार है; और

(घ) अन्य किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाएगें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) उड़ीसा में अभी तक स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल / डीजल) की संख्या 305 है।

(ख) से (घ) इसके अतिरिक्त 1987-88 तक की वार्षिक खुदरा विपणन योजना के अधीन तेल कम्पनियों द्वारा उड़ीसा राज्य में 44 स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल / डीजल) खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से चार सम्बलपुर जिले के अट्टाबिरा, बरपली, गांधीचक और बरगढ़ में खोले जाएंगे।

सोवियत संघ की सहायता से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1715. **डा. कृपा सिंधु भोई:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, सोवियत संघ की सहायता से देश में कुछ विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) सोवियत संघ के सहयोग अथवा सहायता से किन राज्यों में विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं की क्षमता क्या होगी, इस पर कितनी लागत आयेगी और इनमें बिजली का उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) भारत और सोवियत संघ के बीच दिनांक 20.11.1988 को एक अन्तसरकारी प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार, सोवियत संघ ने सन् 2000 ई० तक 6000 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी थी।

(ग) और (घ) कथित प्रोतोकाल में निम्नलिखित परियोजनाओं एवं उनकी सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों, जिन्हें आठवीं योजनावधि के दौरान चालू किए जाने की संभावना है, को सोवियत सहायता से स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम और राज्य	क्षमता	अनुमानित लागत
			(करोड़ रु. में)
1.	विंध्याचल ता. वि. केन्द्र चरण-2 (मध्य प्रदेश)	2×500 मेगा.	2086.40
2.	मैथोन ता. वि. केन्द्र (बिहार)	3×210 मेगा.	1205.80 (210-210 मेगा. के चार यूनिटों के लिए)
3.	क्यामकुलम ता. वि. केन्द्र (केरल)	2×210 मेगा.	810.83
4.	मंगलौर ता. वि. केन्द्र (कर्नाटक)	2×210 मेगा.	621.17
5.	कोल बांध (हिमाचल प्रदेश)	4×200 मेगा.	942.51

विटामिन "ए" के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी

1716. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विटामिन "ए" के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह तकनीकी जानकारी किन-किन देशों से प्राप्त की जाएगी?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डाकघर

1717. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इस समय उप-डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने डाकघर कन्टई सब डिवीजन में हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क) और (ख) जाकारी निम्नानुसार है:-

	मिदनापुर जिला	कंटई उप डिवीजन
(i) विभागीय उप डाकघरों की संख्या।	154	46
(ii) अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों की संख्या	31	8
	कुल: 185	54

सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन

1718. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ):

वर्ष 1987-88 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० का कोयले का उत्पादन 16.40 मिलियन टन था। चालू वर्ष 1988-89 की अवधि के दौरान, फरवरी, 1989 तक कंपनी ने कोयले का 16.69 मि० टन उत्पादन किया जबकि वर्ष 1987-88 में इसी अवधि के दौरान 15.28 मि० टन कोयले का उत्पादन हुआ।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड की सिफारिशें

1719. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने शीरा और एल्कोहल उद्योगों के संबंध में क्या सिफारिशें कि है,

(ख) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंगल राव): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुल मिलाकर सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संक्षिप्त रूप में नीचे दी जाती हैं:-

1. अल्कोहल और शीरे की कीमतों में संशोधन करके वृद्धि सहित अल्कोहल और शीरे की कीमतों का निर्धारण और वितरण की नीति की समीक्षा।
2. समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अल्कोहल और शीरे का अन्तर्राज्य आवंटन। रसायन उद्योगों के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. स्वदेशी उत्पादन में कमी के वर्ष में आयातित अल्कोहल पर सीमा शुल्क / परमिट फी आदि से छूट।
4. सूखे के वर्षों में मवेशी के चारे में प्रयोग के लिए शीरे का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन।
5. राज्य सरकारों द्वारा निर्यात पास शुल्क और अन्य लेवियों को युक्तियुक्त बनाना।
6. शीरे के लिए उचित पक्की भंडारण सुविधाओन की व्यवस्था।
7. पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए गैर परंपरागत कच्चे माल का उपयोग।
8. वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से परिवर्तित क्षमतामें सुधार आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देना।
9. प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मद्य निर्माणशालाओं द्वारा प्रौद्योगिकी का उन्नयन।
10. राज्य सरकारों द्वारा खांडसारी शीरे पर नियंत्रण।

मध्य प्रदेश में न्यू मजरी खानों को चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह से जोड़ने वाली कोल-स्लरी पाइपलाइन

1720. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड:** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक वर्ष पूर्व न्यू मजरी खानों को मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह से जोड़ने की कोल स्लरी पाइपलाइन परियोजना शुरु करने के संबंध मे निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका लागत संबंधी ब्यौरा क्या था और इसके पूरा होने के संबंध मे कितनी अवधि निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने कोल-स्लरी पाइपलाइन द्वारा गुजरात के ताप विदयुत गृहों को मध्य परदेश की कोयला खानों से जोड़ने की परियोजना को शुरू करने की योजना बनाई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग मे राज्य मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख): वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ की नयी मजरी कोयला खानों से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन तक लगभग 30 कि॰ मी॰ की एक डेमांस्ट्रेशन कोल स्लरी पाइपलाइन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सरकार ने स्वीकृति दे दी है । पाइपलाइन पर होने वाले निवेश प्रस्ताव को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लिए जाने की प्रतीक्षा करनी होगी।

(ग) और (घ):इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में बिजली की स्थिति

1721. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात में बिजली यूनिटों की कुल अधिष्ठापित क्षमता बिजली की आवश्यकता से **कम है**;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य मे ताप तथा पनबिजली घरों की क्षमता विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का **ब्यौरा** क्या **है** तथा सातवीं पचंवर्षीय योजना के अंत तक क्षमता मे कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष मे राज्य को अनुमानतः कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, क्षमता मे कितनी वृद्धि होगी तथा राज्य मे आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली बिजली परियोजनाओंकी अनुमानित लागत कितनी होगी?

ऊर्जा मंत्रालय मे विद्युत विभाग मे राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): **(क) और (ख)**: गुजरात मे अप्रैल-जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान ऊर्जा की मांग तथा उपलब्धता क्रमशः 15364 मिलियन यूनिट थी। 26-2-1989 की स्थिति के अनुसार, गुजरात मे विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता के बारे मे ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) 13वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात् 1994-95) मे ऊर्जा की अनुमानित मांग 27159 मिलियन यूनिट होगी। विद्युत क्षेत्र के लिए आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

26-2-89 की स्थिति के अनुसार, गुजरात मे स्थित ताप-विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों की विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा

संख्या	केन्द्र	प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
गुजरात बिजली बोर्ड	ताप विद्युत	
	धुवारण (ताप विद्युत)	534
	उकई	330
	गांधी नगर	240
	वानकबोरी	1260
	सिक्का	120
	उतराण	61
	धुवारण (गैस टर्बाइन)	54
	अन्य	23
	जोड़ (गुजरात बि० बोर्ड	3142
	ताप विद्युत	
एइसीओ (प्राइवेट)	एइसीओ (पुराना)	161
	साबरमती	330
	जोड़ (प्राईवेट)	491
	जोड़ गुजरात (ताप विद्युत)	3633
जल विद्युत		
गुजरात बिजली बोर्ड	उकई	300
	उकई दायां तट नहर	5
	जोड़ (जल विद्युत)	305

कागज का आयात

[हिन्दी]

1722. **श्री काली प्रसाद पांडेयः क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली प्रिन्टर्स एसोएिशन ने कागज का आयात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) इस वर्ष कितनी मात्रा मे कागज का आयात करने का विचार है और उस पर कितनी धनराशि यय होगी;

(घ) यह कागज प्रमुख समाचार पत्रों और मुद्रकों को कब तक दे दिया जायेगा; और

(ङ) देश मे विभिन्न प्रकार के कागजों का वार्षिक उत्पादन कितना है और कुल मांग की तुलना मे वह कितने प्रतिशत है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठते

(ङ): 1988 के दौरान देश मे कागज तथा गत्ते का उत्पादन 17.20 लाख मी० टन का हुआ था । विद्यमान उत्पादन लगभग मांग के अनुरुप है ।

ग्रामीण डाक घरों का कार्यकरण

1723. **श्री शांति धारीवालः** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ग्रामीण डाकघरों में कार्य समय का कड़ाई से पालन न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन डाकघरों में पोस्टल आर्डर तथा मनीआर्डर फार्म उपलब्ध नहीं होते है;

(ग) क्या इन डाकघरों में डाकपाल बचत खाते खोलने से इंकार करते है;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान तथा अन्य राज्यों से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए है या उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) निर्धारित कार्य समय का पालन न करने के संबंध में ग्रामीण डाकघरों के खिलाफ कभी-कभी शिकायतें होती हैं।

(ख) जी नहीं!

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) कार्य समय का पालन न करने के संबंध में एक विशेष डाकघर के खिलाफ राजस्थान सर्किल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कभी-कभी ऐसी शिकायतें अन्य राज्यों में भी होती हैं।

(ङ) ऐसे सभी मामलों में, आवश्यक जांच की जाती है और उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती हैं।

बिहार में कोयल कारो पनबिजली परियोजना

1724. **श्री सरफराज अहमदः** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही कोयल कारो परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या परियोजना हेतु भूमी अधिगृहीत कर ली गई है;

(घ) परियोजना पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितने है और उन पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) कोयल कारो जल विद्युत परियोजना स्थल पर केवल प्रारम्भिक आधारभूत सुविधाओं यथा आवासीय क्वाटर, कार्यलय भवन और स्टोर शैड का अब तक निर्माण किया गया हैं।

(ख) जनवरी, 1989 तक इस परियोजना पर लगभग 7.05 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके है।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पहले अधिगृहीत की गयी 191 एकड़ भूमी जो कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंप दी गयी थी, के अलावा परियोजना के लिए कोई अन्य भूमि अधिगृहीत नहीं की गयी है।

(घ) जनवरी, 1980 के अंत में परियोजना में 183 कर्मचारी कार्यरत थे। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का वार्षिक खर्चा 40.80 लाख रुपए (लगभग) है।

(ङ) परियोजना जिसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, 1037.97 करोड़ रुपए की संशोधित लागत वाली परियोजना के बारे में निवेश संबंधी निर्णय लेने की तारीख से 87 महीने में इस परियोजना को पूरा कर लिये जाने का कार्यक्रम है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रमों को देखने की सुविधाएं

[अनुवाद]

1725. **प्रो० मधु दंडवतेः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती क्षेत्र के दर्शकों के लिए पणजी-गोवा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के माध्यम से तथा कोल्हापुर जिले में चन्दगढ़ तालुके में स्थित कलानन्दोगढ़ किले में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटर के माध्यम से बम्बई दूरदर्शन के मराठी टी.वी. कार्यक्रमों को प्रसारित तथा रिले करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) से (ग) पणजी (गोवा) का उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी.वी. ट्रांसमीटर दूरर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा निर्मित और टेलीकास्ट कार्यक्रमों को पहले से ही रिले करता है। तथापि, जबकि कोल्हापुर में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र बम्बई से प्रचाति कार्यक्रमों को भी रिले करता है अतः कोल्हापुर

जिले के चान्दगढ़ तालुक में कलानन्दगढ़ किले में टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए सातवीं योजना में क्यों स्कीम नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच दूरसंचार प्रणाली

1726. **श्री बालसाहिब विखें पाटिल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के दूरसंचार विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) दोनों देशों के बीच दूरसंचार प्रणाली में सुधार के विशेष संदर्भ मे किन मामलों पर बातचीत हुई; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगों): (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान में यह बैठक 14 से 16 फरवरी, 1989 को आयोजित की गई थी । भारतीय दल के सदस्य निम्नानुसार थे:—

(i) महाप्रबंधक अनुरक्षण उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, नई दिल्ली

(ii) उप महानिदेशक (टी० आर० एफ), दूरसंचार बोर्ड, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली

(iii) निदेक (एम एल), दूरसंचार बोर्ड, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली

(iv) निदेशक, उपग्रह (अनुरक्षण), उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, नई दिल्ली

(ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए दूरसंचार सेवाओं से संबंधिखत प्रचालन मामलों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच दूरसंचार प्रचालन समन्वय बैठकें वर्ष में दो बार, एक बार भारत में तथा एक बार पाकिस्तान में आयोजित की जा रही हैं ।

सर्किटों के अनुरक्षण, दूरसंचार सेवाओं में विस्तार और निष्पादन की पुनरीक्षा के बारे में चर्चा की गई।

(घ) निष्पादन में सुधार के लिए दोनों पक्ष नियमित परीक्षण, परियात डाटा के विनिमय और सर्किटों की दक्षता को मांनीटर करने के लिए सहमात हुए। कम परियात वाले कुछ मैनुअल सर्किकों को बंद करने पर भी परस्पर सहमति व्यक्त की गई। परियात का औचित्य सिद्ध होने पर, दोनों के बीच स्वचल सेवा की जांच और विस्तार करने के लिए दोनों पक्ष सहमत थे। प्रचालन तकनीकी मामलों पर चर्चा की गई कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1727. **श्रीहरीश रावत:** क्या संचारमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए गत तीन महीने के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों): (क): जी हां ।

(ख) सार्वनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए 53 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसमें से 7 स्थानों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी दे दी गई है, जिनके नाम इस प्रकार है:—

1. चिंगरी 2. पंडार 3. पीपली 4. रीठा साहिब 5. भिंगरेड 6. सतगढ़, एवं 7. नया बाजार। हचीला तथा खेला में पी सी ओ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं दिया गया। अन्य 44 प्रस्तावों की जांच की जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश में सी.डाट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना

1728. **श्री हरीश रावत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सी.डाट इलैक्ट्रजनिक एकसचेंजों का निर्माण निर्धारित क्षमता के अनुरूप हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने एक्सचेंजों का निर्माण किया गया हैं तथा वास्तव में कितने एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं,

(ग) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर ये एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ऐसे एक्सचेंस स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन एक्सचेंजों को कब तक और किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)

(क) :जी नहीं।

(ख) निर्मित 90 सी-डॉट एक्सचेंजों में से अब तक 52 एक्सचेंज संस्थापित कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश में सी-डॉट एक्सचेंज जगदीशपुर, अमेठी और सलोन में संस्थापित किए गए हैं। 1988-89 में पिथौरागढ़ जिले में ऐसा कोई एकसचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) 1988-89 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों को सी-डॉट आर ए एक्स टाइप के किसी एक्सचेंज का आवंटन नहीं किया गया। 1989-90 के दौरान पिथौरागढ़ जिले में लोहाघाट और धारचुला में सी-डॉट आर ए एक्स संस्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

प्राइवेट पार्टियों द्वारा बिजली का उत्पादन

[अनुवाद]

1729. **श्री हुसैन दलवाई:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट पार्टियों को ऊर्जा के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन करने की अनुमति देने की बात को सिद्धांत रुप में मान लिया है;

(ख) इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या प्राइवेट पार्टियों को बिजली सीधे ही ट्रांसमिट करने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विदयुत विभाग में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क) से (घ) बिजली के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित नीति का नियंत्रण औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा किया जा

रहा है। निजी स्वामित्व की विद्यमान यूटिलिटीज के विस्तार अथवा निजी क्षेत्र में नए यूनिटों की स्थापना के बारे में यह संकल्प किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता।

विधुत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा से संबंधित प्रश्न ध्यान आकर्षित करता रहा है। इस संबंध में प्रतिमानों की भी समीक्षा की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के एककों के वेतन मान के बारे में मिश्रा समिति रिपोर्ट

1730. **श्री जी० एस० बासवराजू:**
श्री एस० एम० गुरड्डी:
श्री काली प्रसाद पांडेय:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों में वेतन मान के बारे में न्यायमूर्ति मिश्रा समिति की रिपोर्ट पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) से (ग) उच्चाधिकार वेतन समिति, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर० बी० मिश्र थे, ने अपनी रिपोर्ट 24.11.1988 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

कम वजन के रसोई गैस सिलेन्डरों की सप्लाई

[हिन्दी]

1731. **श्री शान्ति धारीवाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को कम वजन के गैस सिलेन्डरों की सप्लाई करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;.

(ग) क्या किसी उपभोक्ता द्वारा कम वजन के गैस सिलेन्डर सप्लाई करने की शिकायत करने की स्थिति में गैस एजेंसियों को सिलेंडर को तोलने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं कि गैस एजेंसियां तोलने वाली मशीन को सही स्थिति में रखे और मांग करने पर सिलेन्डर को तोलें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रहम दत्त): (क) और (ख) जी, हां। तेल विपणन कम्पनियोंद्वारा ऐसी सभी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है, और सही होने पर कम वजन वाले सिलिण्डरों को मुफ्त में बदला जाता है।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियों द्वारा एल पी जी वितरकों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपने गोदामों में तोलने का सामान रखे ताकि मांग करने पर उन्हें तोला जा सके। तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर यह देखने के लिए जांच की जाती है कि तोलने के यंत्र सही स्थिति में हैं।

पूंजीगत माल के आयात पर उद्योगों को छूट

[अनुवाद]

1732. श्री विजय कुमार यादव

कयाउद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अधुनिकीकरण के लिए उद्योगों को पूंजीगत माल के आयात पर प्रशुल्क में छूट देने का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):

(क) और (ख): भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा संचालित की जा रही प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टी यू एस) के अधीन, विद्युत उत्पन्न करने के उपकरणों, मशीनी और औजारों, लोह ढलाई, इस्पात गढाई व औद्योगिक मशीनों की चुनिंदा वस्तुओं के विनिर्माणन के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रकार के पूंजीगत उपकरणों के आयात की सीमा-शुल्क की रियायती दर पर अनुमति दी जा रही है।

वर्ष 1989-90 के बजट प्रस्तावों में पूंजीगत माल उद्योग हेतू प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना को चार नये क्षेत्रों अर्थात् कटाई औजार, वाणिज्यिक औजारोन कक्षों, कपड़ा मशीनों व कागज मशीनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

भुवनेश्वर में भू-केन्द्र

1733: श्रीमती जयन्ती पटनायक:

कया संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर में एक भू-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1989 में भू-केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो)

(क) भुवनेश्वर में एक भू-केन्द्र पहले से ही मौजूद है जो 18 जुलाई, 1982 से कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।

12.00 मध्याह्न

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): यह अत्यन्त चिन्ता की बात की बात है कि सभी कांग्रेस विधायकों ने विधान सभा से त्याग पत्र देने का निश्चय किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्र तनिक भी नहीं है। (व्यावधान) हमें सुरक्षा चाहिए । **(व्याधान)** भारत सरकार और गृह मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर): महोदय, श्री जानी खां चौधरी जनता को हिंसा करने पर भड़का रहे हैं। वह सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं क्योंकि इसमें सदन की गरिमा भी जुडी हुई है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वह पश्चिम बंगाल में लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जीः पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्र का विनाश हो रहा है। वहां कोई लोकतन्त्र नहीं है। (व्यवधान) गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। अन्यथा मैं भूख हड़ताल करुंगी।

12.01 म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी आई और सभा पटल के निकट फ़र्श पर बैठ गई।

श्री अमल दत्ताः जो वह कर रहे हैं वह सदन की गरिमा के अनुरुप नहीं है। **(व्यवधान) वह** चाहते थे कि जनता शस्त्र उठाएं। **वह लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नही होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

12.02 म. प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी अपने स्थान पर वापस चली गई

अध्यक्ष महोदयः मुझे आश्चर्य होता है जब आप सभी चिल्लाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः कृपया एक-एक करके हमें बुलाइए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। प्रश्न यह है कि जब आप जाग रहे होते हैं, आप सोने का बहाना करते हैं। आप भी गलत कह रहे हैं और वह भी। दोनों गलत हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः हमारी गलती कैसे है?

अध्यक्ष महोदयः मुझ से पूछिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः शान्ति, शान्ति। बैठिए। प्रश्न यह है कि संविधान के अतंगर्त राज्य सरकार कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, जो कुछ भी है, वहाँ राज्यपाल हैं। वह केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकते हैं कि सरकार संविधान के अनुरुप नही चल रही है और वह सरकार बरखास्त की जा सकती है। इसीलिए वहां पर राज्यपाल हैं, मैं यहां कुछ नही कर सकता हूं। यही बात यहां पर भी लागू होती है। कानून की दृष्टि से संसद सदस्य तथा अन्य कोई साधारण व्यक्ति दोनों बराबर हैं। यदि वह कोई कानून तोड़ता है तो उसको कानून के अतंगर्त दंड दिया जाएगा। अतः आप गलत कर रहे है वह गलत हैं, और दोनों गलत हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ताः हम चाहते हैं कि आप कार्यवाही करें, सदन कार्यवाही करे क्योंकि वह एक सांसद है।

अध्यक्ष महोदयः यदि वहाँ की सरकार इतनी अयोग्य है कि वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, तो मैं यहां नहीं कर सकता हूँ

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से जनतंत्र को खतरा पहुंच रहा है ———— **(व्यवधान)** ————वहां कैसा राज चल रहा है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : महोदय, क्या मैं यह पढ़ सकता हूं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं समझते हैं कि कानून किस लिए बनाया जाता है?

श्री अमल दत्ता : मुदगल के मामले में लिखा हुआ है कि यदि कोई संसद सदस्य ऐसा व्यवहार करता है जो सदन की गरिमा के प्रति अपमानजनक है तो सदन कार्यवाही कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी कार्यवाही की जाएगी, मेरा समय बरबाद मत कीजिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : वह सदन के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या होता है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वह वहां जनता को हिंसा करने के लिए भड़का सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वहां की सरकार किस लिए है ? क्या यह कार्यवाही नहीं कर सकती है ?

[वयवधान]

अध्यक्ष महोदय : इस से कुछ नहीं होता है । कानून के अंतर्गत उनकी खिंचाई हो सकती है ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप भी यहां हैं, वह इस सदन के सदस्य हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ ही चिल्ला रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : इस के साथ तो सदन का मान भी जुड़ा हुआ है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती हैं । मैं एक बात समझता हूं कानून लागू होना चाहिए और संविधान के अनुरूप ऐसा होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन को इस से साथ क्या है ? राज्य सरकार को ही कानून और व्यवस्था लागू करनी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइए । मैं कुछ नहीं कर सकता हूं । वहां की सरकार को कोई कार्यवाही करने दीजिए ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : ठेके पर काम करने वाले कुछ हजार भारतीय लोग कुवैत में भूख हड़ताल पर हैं और विदेश मंत्रालय ने कुछ भी नहीं किया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए। मैं देख लूंगा।

श्री तम्पन थामस : विदेश मंत्रालय को कुवैत में फंसे हुए इन लोगों को बचाने की लिए हस्तक्षेप करना चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं देख लूंगा । आपने जो दिया है मैं उसकी ओर ध्यान दूंगा । कोई समस्या नहीं है ।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): हम नहीं चिल्ला रहे हैं मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मैं देख लूंगा कि क्या किया जा सकता है। किन्तु आप क्यों चिल्ला रहे हैं। यह कोई तरीका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी चिल्लाएंगे तो में चुप रहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। यह सारा अप्रासंगिक है। मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत: एक हजार से ज्यादा एक्स-सर्विसमैन, जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अन्दर काम करते हैं, रिजर्व बैंक के अन्दर काम करते हैं, वह लोग धरने पर बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : भारतीय रिजर्व बैंक मैं काम कर रहे 1000 भूतपूर्व सैनिक आज भूखहड़ताल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं हस्तक्षेप करें और माननीय वित्त मंत्री से कहें कि उन से बातचीत करें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं यह सम्बद्ध मंत्री की नोटिस में लाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय: वे इस मामले को यहां इस प्रकार क्यों उठाएं? वे आप से कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, बजट की प्रक्रिया के संबंध में. . .

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपका नोटिस मिला है।

प्रो० मधु दंडवते: मैं विशेषाधिकारों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह प्रभाव पैदा करने के लिए कि कुल घाटा कम था वित्त मंत्री ने सार्वजनिक तेल कोष के 2300 करोड़ रूपये प्राप्तियों में शामिल किए हैं ...

अध्यक्ष महोदय: वह मेरी अनुमति के बिना बोल रही हैं।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि आप की नोटिस की और ध्यान दिया गया है।

प्रों मधु दंडवते : क्या आप सार्वजनिक तेल कोष की बात कर रहे हैं जो प्राप्तियों में शामिल किया गया था?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।
श्री जे॰ वेंगल राव।

(व्यवधान)

1207 म.प.

पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन ड्रग्स एणड फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड,

गुडगांव का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मंत्री (श्री जे॰ वेंजल राव) :मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियिम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एनएण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल॰टी॰7436/89]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और कायर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षित लेखा की समीक्षा आदि

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1)उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के की धारा 18क की उपधारा(2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 326 (अ), जो 30 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अपोलो जिपपर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 31 मार्च, 1989 तक बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 7437/89]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 327 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स लिली बिस्कुट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स लिली बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 31 मार्च, 1989 तक

बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 7438/89]

(3) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०7439/89]

12.08 म० पू०

राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं, सुविधाओं, विशेष भत्तों तथा अन्य सामान्य मामलों संबंधी वेतन समिति

तीसरा प्रतिवेदन

महासचिवः मैं राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन ढ़ाचे, भत्तों, छुट्टी तथा पेशन-प्रसुविधाओं के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त की गई संसद की समिति की सुख-सुविधाओं सुविधाओं, विशेष भत्तों तथा अन्य सामान्य मामलों संबंधी तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी)

12.08**म०प०**

विशेषाधिकार समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे): मै विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मै इस प्रकार की कोई बात सुननें वाला नही हूं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड (बड़ौदा): महोदय, गुजरात में मिथाईल अल्कोहल पीने के पश्चात् 137 लोगो की मृत्यु हो गई है:- (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे नोंटिस दे दीजिए।
मैं इसे देख लूगां। यह इस प्रकार से नहीं होगा।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): महोदय, भारतीय जनता पार्टी देश में साम्प्रदायिकता फैला रही है। मै भा० ज० पा के संकल्प के बारे मे एक शब्द कहना चाहता हूं।

(कोट्टायम)

श्री सुरेश कुरूप: कुवैत मे हजारों श्रमिक हड़ताल पर हैं। सरकार को अपने आप एक वतरण जारी करना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: मै भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रणजीत सिहं गायकवाड़ : मिथाईल अल्कोहल पीने से गुजात में 137 लोग मर चुके हैं तथा और लोग भी मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कानून और व्यवस्था के लिए राज्य· सरकार उत्तरदायी हैं।

श्री रणजीत सिहं गायकवाड़: मानवता के नाते तो हम कुछ कह सकते है।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार है। राज्य विधान सभा है। गायकवाड़ जी, हम यहां क्या कर सकते हैं?

श्री रणजीत सिंह गायकवाड: देश भर में इस प्रकार की घटनाएं रोकी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यही बात पश्चिाम बंगाल के बारे में है, यही चीज आपके राज्य के बारे मे है। राज्य सरकार वहां भी है।

श्री रणजीत सिहं गायकवाड: मैंने नोटिस दिया है। मुझे आशा है आप मुझे अनुमति देंगें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पारित किया है। यह देश की एकता के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। उन्हे अल्प संख्यक आयोग को भंग करने के लिए कहने का कोई अधिकार नही है।व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: ध्यानकर्षण प्रस्ताव सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है। अब नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामले।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: भारतीय जनता पार्टी देश में साम्प्रदायिकता फैला रही है। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय: मैं हर प्रकार की सामप्रदायिकता के विरुद्ध हूं।

प्रों सैफुद्दीन सोज़: भारतीय जनता पार्टी देश में साम्प्रदायिकता फैला रही है। मै चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी से भेदभाव नहीं कर रहा हूं। मैं साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हूं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: सलमान रशदी की पुस्तक के संबंध में शंकराचार्य ने भी कहा है कि यह ईशनिन्दा है। किन्तु भारतीय जनता पार्टी रशदी की प्रशंसा कर रही है और अनुच्छेद 370 निरस्त करने की मांग कर रही है और कम्यूनिस्ट पार्टियों की निन्दा कर रही है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

प्रो॰ सैफुद्दी सोज़: भारतीय जनता पार्टी को साम्प्रदायिकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर ध्यान दे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बार बार मत कहिए। एक बार मैंने बोल दिया।

[अनुवाद]

हम सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैंने नोटिस दिया है। स्टेट्समैन ने तीन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में ठेका देने के सिलसिले में 1800 करोड़ रुपए के नुकसान का समाचार दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको देना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

इसकी अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैने भी इस बारे में नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी जो भी कह रहे हैं वह मेरी अनुमति के बिना है। आपको यह सब उचित ढंग से करना चाहिए। आप मुझसे किसी भी समय मिल सकते हैं। मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा, माननीय सदस्य जी भी कह रहे हैं वह मेरी अनुमति के बिना है।

(व्यवधान)

डा० ए० के० पेटल (मेहसाना): बड़ौदा में जहरीली शराब पीने से लगभग 125 लोग मर गए हैं और कई लोग मरने वाले हैं। अस्पताल में लगभग 200 लोगों की हालत गम्भीर है..........

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप यह मामला फिर उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

अभी तो बताया इनको। आप तो जिद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इस मामले से राज्य सरकार निपटेगी।

डा० ए० के० पटेल: महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कई बार हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। वहां पर सरकार किस लिए है?

डा० ए० के० पटेल: वे कुछ नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बेतुकी बात है। श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ।

12.13 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदयः अब सदन नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगा।

(एक) कॉफी उत्पादकों के लिए पुनर्वित योजना के अन्तर्गत ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ (चिकमगलूर): कॉफी विकास की पुनर्वित योजना के अधीन भुगतान पैटर्न पांचवें वर्ष से आरंभ होता है। प्रथम पांच वर्षों के ब्याज का पूरा भुगतान पांचवे वर्ष में किया जाता है। छठे वर्ष से ब्याज सहित मूल राशि कम भुगतान किश्तों में किया जाएगा। इस भुगतान पैर्टन में कॉफी फसल ऊपज के पैर्टन को ध्यान में नहीं रखा जाता।

नए कॉफी बागानों में पैदावार छठे वर्ष में शुरु होती है और अरबीका किस्म की कॉफी आठवें वर्ष में जोरों पर होती है तथा रोबुस्ता की कॉफी की पैदावार दसवें वर्ष में शुरु होकर बारहवें वर्ष में जोरों पर होती है।

इससे उत्पादकों को ऋण का भुगतान करने में बहुत कठिनाई होती है जिससे उन्हें महाजनों से धन उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बहुत से कॉफी उत्पादनों को दिवालिया तक होना पड़ता है। 90% से अधिक कॉफी उत्पादक छोटें उत्पादक होते हैं। इसलिए ऋण भुगतान प्रणाली का पुनर्गठन वास्तविक और वसूली योग्य होना चाहिए। सबसे उत्तम तरीका पैदावार के समय के अनुरुप भुगतान समय को बढ़ाना होगा। इस प्रकार अरबीका किस्म के लिए भुगतान केवल आठवें वर्ष से ही शुरू होना चाहिए और रोबुस्ता किस्म के लिए भुगतान दसवें वर्ष में होना चाहिए।

विकास ऋण को तय करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक प्रमुख एजेंसी है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से वर्तमान योजना की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रमीण विकास बैंक को निदेश और ऋण भुगतान प्रणाली का पुनर्गठन करने का अनुरोध करती हूं ताकि यह प्रणाली कॉफी की फसल पैदावार प्रणाली के अनुरुप हो सके।

(दो) इन्दिरा सागर बांध के प्रस्तावित निर्माण को देखते हुए तलवाडिया और खिरकिया स्टेशनों के बीच रेल लाइन का मार्ग बदल जाने हेतु मध्य रेलवे द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री कालीचरण सकरगयेन (खंडवा): महोदय, इन्दिरा सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर किए जाने का विचार है।

इस परियोजना में दर्शाए गए बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति ने तलवाडिया रेलवे स्टेशन और खिरकिया के बीच मध्य रेलवे की रेल लाइनों का मार्ग बदलना आवश्यक कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने इस रेल लाइन का मार्ग बदलने के लिए और परिवर्तित लाइन पर नया रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अधिगृहित की जाने वाली भूमि का यथा विधि सर्वेक्षण कर लिया है और भूमि अधिगृहण कार्यवाही में सैकड़ों किसानों का भूमि अधिगृहीत की जा रही है।

दुर्भाग्य से संबंधित किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बहुत ही कम अर्थात-90 रुपये प्रति एकड़ या 240 रु० प्रति एकड़ है जबकि उस क्षेत्र में कोई 8,000 रुपये प्रति एकड़ से कम कीमत पर जमीन नहीं खरीद सकता । कुओं और वृक्षों के लिए प्रस्तावित मुआवजा भी बहुत कम है। राज्य सरकार ने यह घोषण

की थी कि अधिगृहित की गई भूमि के लिए मुआवजा कमान क्षेत्र में भूमि की वर्तमान कीमत के आधार पर दिया जाएगा किन्तु भूमि वर्गीकरण या मुल्यनिर्धारण को परिभाषित करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार सैकड़ों किसान अपनी इस मूल्यवान भूमि से वंचित किए जाने के लिए संकट की स्थिति में हैं और वे इससे बुरी तरह घबराए हुए हैं।

उन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है जिनकी भूमि का बड़ा भाग अधिगृहीत किया जा रहा है और उनके पास केवल वह भाग बचा है जो उनके परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए अपर्याप्त है।

मुआवजे का ऐसा प्रस्ताव नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की भावना के विपरीत है। यदि रेलवे लाइन का मार्ग बदलने से प्रभावित हुए किसानों को उपयुक्त मुआवजा नहीं दिया जाता तो इस बहु-उद्देशीय परियोजना जिसमें हजारों लोगों की हजारों एकड़ भूमि शामिल है, के निर्माण कार्य में तीव्र और निर्बाध प्रगति होना असंभव होगा।

केन्द्र सरकार से किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिलाये जाने के लिए उपयुक्त उठाने का अनुरोध किया जाता है।

(तीन) पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुए विश्वव्यापी असंतुलनों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विश्व-सम्मेलन आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा): महोदय, दो हजार वर्ष पूर्व एक पारिस्थितिक दुर्घटना के कारण एक विषाक्त पदार्थ न पृथ्वी पर विद्यमान एक छोटे से जीव को नष्ट कर दिया । यह जीव ऑक्सीजन था। नवीनतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पृथ्वी ग्रह का अध्ययन करते हुए इसे जटिल अन्तः निर्भर व्यवस्था कहा है जिसमें समुद्र, वातावरण और जीवन इस ग्रह की ऊपरी सतह बनाने केलिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, समुद्री प्लवक, लहरों का स्थान परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में मामूली घट-बढ़ आदि सभी कारक पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और उसमें परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं ।

वनों की कटाई, ग्लोबल तापन और पृथ्वी के संरक्षक ओजोन में निःशेपण जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याएं इन गम्भीर विश्वव्यापी (ग्लोबीय) असंतुलनों का नया अध्ययन किए जाने का कारण थीं । लाखों-करोड़ों वर्षों पुराने कोयले के भण्डार को वायुमण्डलीय गैसों में परिवर्तित करना और वन वर्षा को मवेशी चरागाह क्षेत्रों में बदलने से ग्लोबीय महाविपत्ति उत्पन्न नहीं होगी किन्तु इससे आने वाले वर्षों में पृथ्वी के पर्यावरण में परिवर्तन हो जायेगा । ग्लोबीय तापमान में कुछ डिग्री का परिवर्तन होने से ही पृथ्वी की बनावट में नाटकीय परिवर्तन हो सकता है । मानव निर्मित रसायन भी संरक्षक ओजोन शील्ड को तेजी से नष्ट कर रहे हैं । जैव-रसायन में कार्बन मुख्य आधार का कार्य करता है । हमारे चारों ओर होने वाले सभी पारिस्थितिक परिवर्तनों, जो भविष्य में जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, के लिए मनुष्य जिम्मेवार है । सरकार द्वारा इस अत्यधिक गंभीर विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति (समझ) पैदा करने के लिए एक विश्वव्यापी सम्मेलन कराया जाना चाहिए ।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): हम इसका समर्थन करते हैं ।

चार बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए मुहैया किए गए वाहनों का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता

हिन्दी

श्री मानकू राम सोडी (बस्तर) अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य होने से केन्द्र शासन ने आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जिले के विकास का पूर्ण भार अपनी जवाबदारी पर लिया है । विकास काम को गति देने के लिए पूरे क्षेत्र को सात परियोजनाओं में विभाजित किया है ।

12.19 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

प्रत्येक परियोजना में एक परियोजना प्रशासक नियुक्त किया गया है जो सभी विभागों के विकास कार्यों का संचालन करता है । जिले का क्षेत्रफल केरल प्रान्त से भी बड़ा होने से परियोजना के कार्यों की ठीक ढंग से निगरानी करना बहुत मुश्किल काम है । दूर-दराज के निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए वाहनों की भी व्यवस्था है पर वाहन व्यवस्था ठीक नहीं है । उनका ठीक इस्तेमाल नहीं होता । परियोजना के अंतर्गत सभी मैदान में काम करने वाले अधिकारियों को सैकेंड-हैंड गाड़ी दी जाती है जिनकी मरम्त आदि में काफी धन का अपव्यय हो जाता है ।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में काम करने के लिए जो वाहन क्रय किये जाते हैं उन्हें उसी क्षेत्र में उपयोग के लिए दिये जायें, यह निर्देश राज्य शासन को विशेष तौर पर दिया जाए ।

(पाँच)

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन किए जाने के लिए एक दल भेजे जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज): यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि बार-बार माँग करने के बावजूद भी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सूखे से प्रभावित लोगों की सहायता नहीं की है। इस वर्ष खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है किन्तु यह भाग्य की विडम्बना ही है कि देश के कुछ भाग भयंकर सूखे की चपेट में आ गए हैं और उनमें से एक मेरा जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश है जहां अपर्याप्त और असमय की वर्षा के कारण कोई फसल पैदा नहीं हुई जिसमें इस सूखा-प्रवण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ है। पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान सरकारी ऋणों विशेषकर अनुसूचीबद्ध बैंकों का भुगतान करने में असमर्थ है। अब मवेशियों के लिए चारे की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मैं उपरोक्त स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ और उनसे मौके पर अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय टीम भेजने तथा लोगों को इस विपति से बचाने का अनुरोध करता हूँ।

(छः)

महानगरों में स्थित कपड़ा मिलों को स्थानान्तरित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद): दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता जैसे महानगरों के बीच स्थित कपड़ा मिलें जो रुग्ण होती जा रही हैं और जिन्हें नगर के बाहर स्थापित किए जाने के प्रयास हो

रहे हैं तथा जिनका आधुनिकीकरण करने के लिए उनकी अधिकांश भूमी बेच दी गई है, ऐसे विषय को सरकार अधिक समय तक छिपा नहीं सकती। निसंदेह इस मामले में बहुत से मूल प्रश्न उठते है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए विशेषकर भूमी के मूल्य का प्रश्न और यह किसके पास जाना चाहिए। ऐसी मिलों के बंद होने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे स्थानान्तरणों से भय महसूस करने वाले सहायक उद्योगों और सेवाओं को बंद के विरुद्ध दबाव डालना चाहिए। किन्तु आवासीय और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नगरों के मध्य में मूल भूमी को छोड़ने के लाभ, प्रदूषण के कारणों को समाप्त करने और भूमी की बिक्रि के माध्यम से कपड़ा उद्योग का यथा संभव आधुनिकीकरण करना इस नुक्सान से अधिक महत्वपूर्ण लगता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस मामले को एक-एक मामला करके निपटाने की बजाय कोई विशेषज्ञ समूह इस मामले की जाँच करे और इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करे।

(सात)

असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर): हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोलाघाट जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलियाबोर में तेल की खोज की गई है और ऐसा समझा जाता है कि वहाँ बहुत भारी मात्रा में तेल का भंडार है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और बर्मा सीमा को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग गोलाघाट जिले से होकर जाता है। गोलाघाट देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। गोलाघाट जिले में 110 चाय बागान हैं। इन सबके बावजूद गोलाघाट अभी भी पिछड़ा हुआ है और इसे उपेक्षित किया गया है क्योंकि वहाँ सड़क, रेल और वायु संचार माध्यमों की स्थिति बहुत खराब है। रेलवे की मुख्य लाइन गोलाघाट शहर तक नहीं जाती है।

गोलाघाट 'उद्योग रहित जिला' है और सरकारी नीति के अनुसार जहाँ कोई उद्योग नहीं है वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

हाल ही में गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ क्षेत्र में सवर्क्षेण किया गया है और इसे असम समझौते के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र समझा जाता है। उपरोक्त कारणों के ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने को नुमालीगढ़ में स्थापित किए जाने की माँग करता हूँ।

(आठ)

पत्तनों का वैज्ञानिक ढंग से तलकर्षण किए जाने के लिए एक निगरानी कोष्ट बनाए जाने की आवश्यकता है

श्री गोपाल कृष्णा थोटा (काकीनाडा): तलकर्षण का कार्य बहुत ही महंगा कार्य है और सभी प्रमुख पत्तन अपेक्षित गहराई बनाए रखने के लिए पत्तनों के तलकषर्ण पर करोड़ों रूपया खर्च कर रहे हैं। पश्चिमी तट पर बने पत्तनों में मौसमी गाद की समस्या है अर्थात एक मौसम में पश्चिमी मानसून के कारण पूर्वी तट पर बने पत्तनों को तटीय अपसरण" का सामना करना पड़ता है जिससे गाद बनती है। इस समस्या की निगरानी करने और इसे कम लागत पर करने के लिए प्रत्येक पत्तन पर वैज्ञानिक रीति से तलकर्षण किए जाने के कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक निगरानी कक्ष होना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय तलकर्षण निगम को पत्तनों का अनुरक्षण संबंधी तलकर्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि पत्तन ग्राहकों के लिए बंद हो जाएगें और भारतीय तलकषर्ण निगम एकाधिकार वाली संस्था बन जाएगी और यह स्थिति अकुशलता को जन्म देगी क्योंकि ऐसा करने से प्रतियोगिता की कमी होगी।

भारतीय तलकर्षण निगम के तलकर्षण कार्य को कम खर्चीचला करने के लिए और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक तलकर्षण अनुसंधान स्कंध स्थापित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम अगले विषय को लेते है।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा): महोदय, आज की कार्य-सूची में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उसके बारे में क्या हुआ?

श्री शांताराम नायक (पणजी): महोदय, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। क्योंकि यह ध्यानाकर्षन प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। हमें किसी ने नहीं बताया कि इसे स्थापित क्यों किया गया है। किसी को हमें उसके बारे में बताना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ सदस्यों द्वारा इसे स्थापित किये जाने के अनुरोध को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने इसकी सभा में पहले ही घोषणा की थी।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायकः महोदय इसके लिए किसने अनुरोध किया था?

श्री हरीश रावतः इन मामलों में हमसे विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदयः जब अध्यक्ष महोदय ने इसकी घोषणा की थी आपको यह मामला उठाना चाहिए था।

श्री शांताराम नायकः मेरा मुद्दा यह है कि क्या वक्ताओं की सूची में हमें प्राथमिकता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदयः उस पर हम विचार करेंगे।

श्री हरीश रावतः क्या इसे नियम 193 के अंतर्गत लिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदयः इसे केवल स्थगित किया गया है। हम उस पर विचार करेंगे।

12.27 म० प०

रेल बजट, 1989-90 - सामान्य चर्चा—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदयः हम अब रेल बजट, 1989-90 पर आगे सामान्य चर्चा आरंभ करेंगे। श्री नारायण चन्द पराशर अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैं पहले बता रहा था रेल मंत्री ने बहुत सी चालू परियोजनाओं के बारे में सभा में बताया है जो पूरी की जाने और चालू किये जाने के लिए अभी लम्बित पड़ी हैं। मेरा सुझाव है कि कोई नई परियोजनाएं शुरु किये जाने से पहले इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और उसमें भी उन राज्यों को जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई नई रेल लाइनें नहीं दी गई हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा कहने का अर्थ है कि हिमालय प्रदेश जैसे राज्यों में जहां राज्य सरकार और संसद सदस्यों के बार बार किये गए प्रयासों के बावजूद भी 1947 के बाद कोई नई रेल लाइन नहीं दी गई है। यह एक रेल लाइन जोकि नांगल-तलवाड़ा के नाम से जानी जाती है जिसें तलवाड़ा से मुकेरियां तक जगह लेकर मुकेरियां तक जोड़ना है, उसे शुरु करना और पूरा करना है जोकि काफी समय से आज तक लम्बित पड़ी है। यह 22 दिसम्बर 1974 की बात है कि श्री एल० एन० मिश्र, तत्कालीन रेल मंत्री, तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० वाई० एम०

परमार के साथ ऊना जिले के एक स्थान अब में गए, जिन्होंने पहले कुछ किलोमीटर रेल मार्ग के लिए भूमि देने का वायदा किया था। उन्होंने उस रेल लाइन का उद्घाटन किया था। इस कार्य को शुरु नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 1977 में हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी और नई सरकार सत्ता में आई जिसकी किसी भी प्रकार की नई परियोजनाओं में कोई कार्य नहीं थी, उसने उसे धूल में डाल दिया। लेकिन जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वर्ष 1980 में सत्ता में आई तो उन्होंने इस बात को फिर से उठाया और इस रेल लाइन को वर्ष 1981-82 के पूरक रेल बजट में शामिल किया गया था।

अतः अब 7 अथवा 8 वर्ष बीत गए हैं। लेकिन केवल प्रथम चरण - अर्थात ऊना तक, को इस वर्ष के अन्त तक पूरा किया जा रहा है। केदरीय रेल राज्य मंत्री ने ऐसा वचन दिया है। मेरा यह सुझाव है कि इस कार्य को इस तरीके से तेज किया जाए कि आधार शिला वाले स्थान को सातवीं पंचवर्षीय योजना को ही जोड़ देना चाहिए। मैं अपनी पूरी गम्भीरता और विनम्रता से यह अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय सरकार से अपना उचित हक चाहता है जोकि बहुत से अन्य मामलों में उसके प्रति दयालु रही है लेकिन रेल लाइनों जैसे केन्द्रीय परियोजनाओं के मामले में वह बहुत कंजूस रही है। अतः हम अनुरोध करते हैं कि इस रेल लाइन का अब तक निर्माण किया जाना चाहिए और इसे सातवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए मैं रेल मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने भूमि आदि के अधिग्रहण और सीमांकन आदि का आदेश दे दिया है और यह प्रक्रिया जारी है। उनकी यह भी कृपा है कि उन्होंने बजट भाषण में यह टिप्पणी की है कि इसे ऊना तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अतः लोग इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह रेल लाइन रक्षा और अन्य मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब कभी चीन अथवा पाकिस्तान की ओर से आक्रमण होगा तो उनके विरुद्ध रक्षा प्रमाणो को जुटाने के लिए यह एक वैकल्पिक रेल लाईन होगी। इस प्रयोजन के लिए बजट भाषण में जोकि रेल मंत्री ने सितम्बर 1981 में इस सभा में पढ़ा था, मुझे याद है कि उन्होंने यह भी उल्लेख किया था चंडीगढ़ को मोरेन्डा से जोड़ा जाएगा जिससे कि यह एक वैकल्पिक रेल लाइन बन जाएगी। जहां तक नागल-तलवाड़ा रेल लाइन की प्रगति का सम्बन्ध है उसके लिए केन्द्रीय सरकार, रेलवे बोर्ड और योजना आयोग के सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए इस वर्ष 7 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जब कि मैंनें 15 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके लिए धनराशि जो भी हो मेरा अनुरोध है कि इस रेल लाइन की आवश्यकताओं। को ध्यान में रखा जाए और इसको बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी जाए। मोरेन्डा और चडीगढ़ को जोड़ने पर भी विचार किया जाए और उसे इस बजट में अथवा पूरक बजट में अनुमति दी जाए ताकि अम्बाला-चडीगढ़ से रोपड़ तक और उसके बाद मुकोरिया तक नई रेल लाइन बन जाए और यह एक बहुत ही उपयोगी रेल लाइन बन जाए।

इसके अलावा बीच में थोड़ा रेल लाइन का हिस्सा रह जाता है। श्री कमल चौधरी होशियारपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। होशियारपुर और मम्ब बहुत ही निकट है। यह कोई लगभग 35 किलोमीटर का फासला होगा। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये दो मुख्य रेल लाइन भी जुड़ जाऐगीं जिसमें एक जोकि विचाराधीन है और दूसरी जिसका जालन्धर में पहले ही निर्माण हो गया है। इस क्षेत्र के लिए यह एक बहुत अच्छी बात होगी।

हमारे मुख्य मंत्री से केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मे सिरहन्द-नांगल बांध सैक्शन पर मानुपली से बिलासपुर को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाईन को आठवी पंचवर्षीय योजना में, शामिल करने और उसके शुरू करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सीमेंट का बहुत बड़ा कारखाना खोला गया है। इसे उस स्थान तक बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद एक और रामपुर बुशेहर तथा दूसरी और मांड तक बढ़ाया जाए।

इसमें थोड़ा बहुत मतभेद है। रेल मंत्री ने इस मामलों को राज्य के मुख्य मंत्री को भेजा और उसे राज्य के खर्च पर शुरू में सर्वेक्षण कराए जाने के बाद इस रेल लाइन को निक्षेप कार्य के रूप में नाटका-जाखडी के लिए परियोजना अनुमानों में सममिलित किया जाना चाहिए और उसके बाद वह उसे तत्काल पूरा कराने के लिए तैयार होंगे हमारे मुख्य मंत्री की यह धारणा है कि क्योंकि विगत में हिमाचल प्रदेश को कई कारणो से उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है और संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र के लिए शक्ति का स्रोत बनने जा रहा है इसलिए रेलवे को स्वंय इस रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए। मैं राज्य सरकार के पास संसाधनो की कमी और नाटका जाखड़ी परियोजना की धीमी प्रगती को देखते हुए इस बात का अनुरोध करता हुं कि रेल मंत्रालय को तत्काल इस रेल लाइन को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सममिलित करना चाहिए और उसका निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। राज्य सरकार उसके लिए जो भी संभव होगा हर तरह से सहायता करेगी। ऐसा मैं माननीय मुख्य मंत्री की और से कह सकता हूं क्योंकि उन्होंनेमुझे इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाने के लिए सरकारी तौर पर लिखा है।

नाहन मे जिला सिरमूर में हरियाणा की तरफ पाभोंरा साहिब में एक अन्य सीमेंट करखाना है। इस सीमेंट कारखाने में भी सम्पूर्ण देश की खपत के लिए बहुत अच्छे सीमेंट का उत्पादन हुआ है रेलवे ने एक परियोजना के बारे में सोचा था जोकि जगधारी-पामोंरा रेल लाइन के रूप में जाना जाता है। यह अभी स्वी कृति के लिए लम्बित पडी है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको स्वीकृति दी जाए। इन सभी कार्यों को किये जाने वाले फार्मों में सममिलित किया जा सकता है और जैसे ही संसाधन उपलब्ध होते हैं उनको बारी बारी से शुरू किया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में व्यवहार्य रेल परिवहन आधारभूत सुविधाएं शुरू करने की जो हमारी आशायें है क्योंकि यह एक सीमावर्ती राज्य है जिसमे एक ओर चीन की सीमा है और दूसरी ओर यह पंजाब और हरियाणा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। उनको ध्यान में रखा जाए।

ये कुछ बुनियादी बाते हैं लेकिन जो सबसे महत्तवपूर्ण बात है और जिस पर मैं बल देना चाहता हूँ वह यह कि कई फर्मों में नई रेल लाइनों का आबंटन बहुत ही कम रहा है। में कुछ आंकड़ो को पढ़ता हूँ। वर्ष 1988-89 में 195 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे और संशोति अनुमान 236.04 करोड़ रुपये थे।अब वर्ष 1989-90 में केवल 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे अधिक महत्व रेल लाइनों के नवीकरण को दिया जा रहा है उसके बाद चल स्कन्ध, कार्यशालाओं तथा चौथी प्राथमिकता नई रेल लाइनों को दी गई है।

महोदय, जबकि हम नई शताब्दी अर्थात 21वीं शताब्दी के ओर बढ़ रहे हैं तो यह इसमें विपरीत होना चाहिए। नेटवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए। रेल लाइन में कुछ हजार किलोमीटर रेल लाइन जोड़ी चाहिए जिससे कि यह रेल मार्ग जो 6000 किलोमीटर अथवा इसके पास तक है वह 10,000 किलोमीटर के आंकडे तक पहुँच सके। वर्ष 2000 ई॰पृ॰ तक, हमें मुख्य रेल मार्ग में कम से कम 3000 किलोमीटर मार्ग और जोड़ना चाहिए। 6000 लगभग कि.मी. पहले और अब 3000 कि॰मी॰ यह कुल कि॰ मी॰ 9000 हो जाएगा। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विस्तार को उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपने रेल लाइन को बदलने में बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आपने यह वचन दिया है कि कुछ ठोस चीज की जा रही है अतः यह बहुत ही आवस्यक है अब रेल मंत्री जिन्हे रेल गाड़ियों को गति देने का चाव रहा है, उन्हें रेल नेटवर्क के विस्तार को भी गति देनी चाहिए। रेल गाड़ियो को तेजगति में चलाना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम रेल लाइनों का भी तेज गनि से निर्माण करे। यदि हम नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से शुरू करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाया जा सकेगा।श्री एल.एन.मिस्र कहा करते थे कि राष्ट्रीय एकता व्यवहारिक एकता ही है। यदि एक व्यक्ति कोहिमा से रेलगाड़ी में बैठता है और वह दिल्ली में उतरता है, तो जब वह यह सोचता है उसके केन्द्र की राजधानी से जोड़ दिया गया

है तो वह राहत अनुभव करता है। यदि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी बदलनी पड़े और लम्बे मार्ग से होकर यदि वह दिल्ली पहुँचता है, तो वह यह महसूस करता है कि उनकी भावनात्मक रूप से उपेक्षा की जा रही है । अतः देश की व्यवहारिक एकता या तो इंडियन एयर लाइन्स द्वारा की सकती है अथवा भारतीय रेलवे द्वारा इडियन एयरलाइन अधिकतर अमीर लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है। यह भारतीय रेलवे ही है जिस इसकी प्राँथमिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं है जिनके विषय में मै कहना चाहूँगा। पंजाब की अशांति के कारण कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। किंतु अब स्थिति सुधर गई है। शिमला मेल जो कालका और अमृतसर के बीच चलती थी जिस में पठानकोट और जम्मू के लिए कुछ डिब्बे थे उसको बहाल किया जाना चाहिए। यह रेल गाड़ी अत्यन्त महत्वपूर्ण थी और लोग हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच पाते थे। विशेषकर चम्बा से लोग रात को चलने वाली इस गाड़ी से शिमला पहुँच सकते थे। और हिमाचल पंजाब और हरियाणा तथा चण्डीगढ़ की जनता को भी बहुत असुविधा हुई है। अतः यह गाड़ी बहाल की जानी चाहिए। इसी प्रकार मै विवेचन करूँगा कि सुपरफास्ट ऐक्सप्रेस जो इस समय लुधियाना और दिल्ली अथवा नई दिल्ली के बीच चलती है उसको होशियारपुर तक बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें जालंधर भी आना चाहिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि गाड़ी लुधियाना से होते हुए जाएगी। जम्मू-कश्मीर,पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उत्तरीय राज्यों का मुख्य केन्द्र था जंकशन लुधियाना नहीं जालंधर है। यदि इसे लुधियाना तक बढ़ा दिया जाता है तो यह बहुत अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से होशियारपुर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ जिला है— हिमाचल प्रदेश की भांति लगभग आधा पर्वतीय है। यदि इसकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए तो उद्योग प्रगति करेगा। एक सुपरफास्ट गाड़ी इस इलाके की समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसके लिए काफी अच्छी गुंजाइश है क्योंकि कुछ खाली माल डिब्बे अमृतसर जाते है और फिर लुधियाना लाए जाते है। यदि आप इस प्रकार ईधन खर्च कर रहे है तो क्यों न इसे होशियारपुर ले जाया जाए? जालन्धर कैंट और होशियारपुर नगर के बीच केवल 40 किलोमीटर रेल मार्ग को उन्नत करना है और सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है अतः यह रेल गाड़ी इस समय से कहीं अधिक लाभदायक होगी। देहरादून और दिल्ली के बीच ऐसी ही सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

मै रेल मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मेरी एक मांग स्वीकार करके एक अच्छा काम किया है, अर्थात हिमाचल एक्सप्रेस सहारनपुर की ओर से दिल्ली, पानीपत और करनाल से होते हुए चलाई जानी चाहिए क्योंकि यह रास्ता कम लम्बा है । यह लोगों के लिए भी किफ़ायती है और इसमे कम समय लगता है । उन्होंने आज मुझे एक सन्देश भेजा है कि यह स्वीकार किया गया है । मै मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस देश में पहली बार बुजुर्ग नागरिकों को रेलवे की ओर से खान पान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्री महोदय की बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए । उनकी योजना है कि इस देश मे वयोवृद्ध लोगों को कुछ राहत उपलब्ध करना है। जो लोग यात्रा करना चाहते है और आपने जीवन का अधिक भाग कभी तीर्थों मे, कभी किसी न किसी कारण विभिन्न मामलों के लिए देश के एक भाग से दूसरे भाग मे विभिन्न कारणों से जाते है उनके लिए बहुत कुछ किया गया है ।

इसी प्रकार मै उन्हे इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को कुछ मान्यता देकर वीर और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मान्यता दी है । मै यह निवेदन करता हूं कि आध्यापकों, लेखकों और कलाकारों की ओर भी रेल मंत्रालय का ध्यान जाचा चाहिए क्योंकि वे भी उपयोगी काम कर रहे है । सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजताओं संगीत नाटक

आकादमी पुरस्कार विजेताओं सभी ललित कला अकादमी पुरस्कार विजेताओं और अध्यापन व्यवसाय मे राष्ट्रीय
पुरस्कार विजेताओं को यह राहत मिलनी चाहिए क्योंकि वह देश का बुद्धिजीवी वर्ग है।

चल सम्पति मे हमारे रेलकोष की अधिक राशि चली जाती है । इसकी ओर ध्यान दिया गया है । सभी महत्वपूर्ण सूचकों मे रेलवे ने अपना काम किया है । किन्तु, मै इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संचालन अनुमात मे गिरावट आई है और यह 92 तक आ गया है जो हमारी चिन्ता का कारण है । इसका अर्थ यह है कि अधिक धन खर्च किया जाता है और कम उत्पादकता निश्चित होती है ।

महोदय, सभी चरणों पर रेल कर्मचारी हमारी प्रशंसा के पात्र है । मै केन्द्रीय रेल उपमंत्री से निवेदन करता हूं कि छोटे कर्मचारियों के आवास तथा अन्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे और उन्हे अन्य सुविधाएं दे जिन के वे पात्र है।

एक विषय जो मेरे मन मे खटक रहा है वह कुछ राज्यों मे स्थापित रेल उत्पादन की बड़ी इकाइयों के संबंध मे है । यह राज्य और रेलवे सांठ-गॉठ करते है और पड़ोसी राज्यों के लोगों की नियुक्ति से इन्कार करते है । उदाहरण के तौर पर कपूरथला रेल डिब्बे बनाने वाला कारखाना मुख्यतः केवल पंजाब के लिए काम करता है । एक प्रस्ताव इस कारखाने को हिमाचल प्रदेश अथवा सीमा के इलाके मे खोलने का प्रस्ताव था । चूँकि कपूरथला पंजाब मे स्थित है सारा सामान पंजाब ही जाता है । किन्तु रेले एक राष्ट्रीय पूंजी है और रेल डिब्बे का कारखाना भी समस्त राष्ट्र की पूंजी है । अतः हिमाचल प्रदेश जो एक पड़ोसी राज्य है की नियुक्ति के मामले मे अपना हिस्सा मिलना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्न रेलभर्ती बोर्डों के अधिक परीक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिए । कम से कम मै यह निवेदन करूंगा कि ऐसा एक केन्द्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मे खोला जाना चाहिए ताकि उस राज्य के लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके।

मैं यात्रियों की कुछ सुविधाओं की मांग भी करता हूं क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिए आबंटित धन-राशि बहुत कम है। महोदय, और उन बेचारे यात्रियों का ख्याल कीजिए जिन्हें अपनी रकम नहीं मिल रही है चूंकि रेल मंत्री के भाषण के अनुसार बजट में केवल 24 करोड़ रूपये का प्रावधान हैं। गत वर्ष यह राशि 18 करोड़ रूपये थी और अब यह बढ़ कर 24.46 करोड़ रू. हो गई है । किंतु रेल यात्रियों के लिए और भी अधिक कार्य किए जाने चाहिए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि रेल बजट बनाने में इस पहलू को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिसका यह पात्र है क्योंकि विभिन्न स्टेशनों पर पेय जल उपलबध करना है, चलती हुई रेलगाड़ियों में पेय जल की जरूरत है और थोड़ी सी सफाई भी रखनी है मैं गम्भीरतापूर्ण यह कहता हूं कि इस बजट में हमें अपने देश को अवलम्बन देने वाले आधारभूत ढांचे की ओर व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए। और यह उचित है कि रेल मंत्री इस स्थिति से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस आरंभ की है जिस से भोपाल नई दिल्ली से जुड़ जाए गा और जो तेज चलने वाली गाड़ी है और वह इस महीने की 24 तारीख से एक नई गाड़ी आरंभ कर रहे है जिस से कानपुर जुड़ जाए गा । किंतु में यह निवेदन करता हूं कि ऐस कुछ तेज धाराणओं की आवश्यकता नई रेल लाइनों बनाने में भी चाहिए ताकि राष्ट्रीय अखंडता की धारणा भी तेज और समग्र हो जाती है। मैं रेल मंत्री, रेल बोर्ड के सदस्यों, रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र को एक अच्छा बजट दे दिया है और हम आशा करते हैं कि काम को आगे और भी तेज किया जाए गा।

[हिन्दी]

श्रीचन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, रेल विकास के क्षेत्र में कुशल प्रशासन के लिये रेल मंत्रालय और रेल मंत्री जी ने जो कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। पिछले चार वर्षो में रेलवे का सर्वागीण विकास हुआ है, सभी क्षेत्रों सभी अंगों और सब तरफ प्रगति हुई है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। रेलों के आधुनिकीकरण और तेज गति को रेले चलाने के सिलसिले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं रेल मंत्रालय के रिसर्च एण्ड डैवलपमैंट डिवीजन (अनुसंधान एवं विकास संगठन) को मानता हूं उस डिवीजन संगठन ने रेलों के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके कारण रेलों का तीव्र गति से आधुनिकीकरण हो सका, सभी क्षेत्रों में प्रगति हो सकी, सभी क्षेत्रों में प्रगति हो सकी और रेलों का हम भारतीयकरण या इण्डिनाइजेशन कर पाये ।

भारतीयकरण के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय ने जितने कदम उठाये, जितनी तेजी से प्रगति की, उसकी आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी ।

यहां कई माननीय सदस्यों की धारणा है कि चूंकि हमारे रेल राज्य मंत्री, श्री माधवराव सिंधिया, मध्य प्रदेश से आते हैं, इसलिये रेलों का प्रसार मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। इस सिलसिले में, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान स्व० रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र तथा स्व० रेल मंत्री, कर्नाटक के श्री हनुमन्तैया की ओर ले जाना चाहता हूं उमके समय में भी ऐसी ही बातें कही गयी थीं। हो सकता है, कहीं सच भी हो लेकिन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया ने जो इस सदन में रेल बजट प्रस्तुत किया है, यदि आप उसे बारीकी से देखने का प्रत्यन करें तो ऐसी कोई बात स्पष्ट नजर नहीं आती कि उन्होंने मध्य प्रदेश का विशेष ध्यान रखा हो, मध्य प्रेदश को ज्यादा रेलें दी हों।

शायद आप जानते हों, इसकी वजह यह है कि हमारे देश में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन जब हुआ, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा विशाल प्रदेश बन जाएगा। मध्य प्रदेश कम्युनिकेशन्ज़ संचार यातायात आदि के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, चाहे रेल हो, सड़क हो, टेलीफोन हो। इन मामलों में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए केन्द्रीय शासन को यहां के कम्युनिकेशन्ज़ (संचार रेल) को और हर चीज़ को डैवलप (विकास) करने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अधिक खर्च करना पड़ेगा।

स्टेट रि-आर्गैनाइजेशन (कमीशन) की रिपोर्ट जो कि 1954 में आई, उसके बाद आज 30, 32 और 36 साल के बाद भी अभी तक मध्य प्रदेश की उपेक्षा हुई है। जितना कम्युनिकेशन (रेल, सड़क आदि) वहां होना चाहिए था, वह अभी भी नहीं है। अब भी आप कहते हैं कि श्री माधव राव सिंधिया ने कहा ज्यादा रेलवे लाइन दे दी हैं वैसे मेरी आदत नहीं है किसी को कहने की, लेकिन मेरा आरोप है कि मध्य प्रदेश की तरफ रेल मंत्रालय को जितना ध्यान देना चाहिए था, उसने अभी भी नहीं दिया।

आप देखिए कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में केवल 13 प्रतिशत प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलवे लाइन है, जबकि पंजाब में 41 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश और बिहार में 30, 35 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे पीछे है।

देश में जो असंतुलित विकास हो रहा है, उसके कारण मध्य प्रदेश और उड़ीसा पिछड़े हुए हैं, अगर केन्द्रीय सरकार को संतुलित विकास करना है तो आगे कोई भी रेल मंत्री जो आएगा, उसे इन दोनों प्रदेशों के लिए अधिक रेलवे लाइन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।

उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार का जो कोना है, जहां तीनों मिलते हैं, पूरे हिन्दुस्तान में जितना कुछ खनिज कच्चा माल है, रा-मैटीरियल है जो जमीन के नीचे दबा हुआ है, वह यहीं पर है। जिस तरह योरूप

रूट नामक जगह है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, उसी तरह से यह स्थान एक दिन होने वाला है। जब श्री ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री थे तब उन्होंने बस्तर के लिए रेलवे लाइन देने के लिए लिखित आश्वासन दिया था और इतना ही नहीं बल्कि 6 किस्म का सर्वेक्षण भी करा लिया था, सर्वेक्षण वहां हो गया था और उन्होंने कहा था कि बस्तर में रेलवे लाइन जल्दी आएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

जिला बस्तर का क्षेत्रफल केरल से बड़ा है लेकिन बस्तर रेलवे लाइन से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। आप यहां के अन्याय को देखिये जहां 95 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं जिनका शोषण आदिकाल से होता चला आ रहा है। वहां अभी भी एक किलो नमक पर आप उनसे एक किलों शहद ले सकते हैं। वहां सड़क के किनारे 20 हजार रुपए एकड़ तक दाम देने वाली उपजाऊ जमीन है लेकिन वहां पर उसके एक, डेढ़ हजार रुपए एकड़ तक मिलते हैं। उसी का कारण यह है कि वहां जो भी उपज होती है वह मिट्टी के मोल बिकती है।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस आदिवासी क्षेत्र बस्तर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये। आप कितना ही पैसा दे दीजिए, जब तक वहां रेलवे लाइन नहीं है, सड़क नहीं है, बरसात के समय 4 महीने तक वहां आ जा ही नहीं सकते तो वहां का विकास क्या होगा?

मैं रेल मंत्री और रेल अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा, मेरी आदत नहीं है, मैं कहता नहीं हूं, वरना कहना चाहिये चेतावनी यह है कि अगर आप बस्तर को मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं कि उसका कितना नुकसान होगा। वहां आज कितने ही किस्म के लोग आ रहे हैं, असामाजिक तत्व वहां घुस रहे हैं और उसको एक अलग राज्य बनाने का षड्यंत्र चल रहा है अगर इसे आप नहीं जोड़ेंगे तो वह किसी भी दिन षड्यंत्रकारियों का राज्य बन सकता है।

बस्तर में खनिज सम्पत्ति बहुत है, जमीन भी उपजाऊ है, पानी भी है, बिजली भी वहां पैदा हो सकती है, सब साधन हैं, सब कुछ है लेकिन वहां हमारी सरकार खासतौर से रेल मंत्रालय का ध्यान नहीं है।

यह एक और विडम्बना है, जिसको अन्याय भी कहते हैं। अभी जो रेलवे का साहित्य, लिट्रेचर दिया गया है, उसमें कहा गया है कि-

दल्लीराजहरा - जगदलपुर लाइन के लिये स्टेशन के स्थान निर्धारण करने के लिये इस वर्ष दस हजार रुपया इस वर्ष के लिये रखा गया है। मेरा कहना यह है कि यह दस हजार रुपया तो अफसर लोगों के आने-जाने पर ही खर्च हो जायेगा। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हर तरफ से हमारे साथ अन्याय न किया जाये। इसी साल के सप्लीमेंटरी (पूरक) बजट में इसके लिये अधिक धनराशि रख कर वहां जल्दी काम शुरू कराया जाये। दूसरी बात यह है कि जगदलपुर से राजहरा जो रेल लाइन प्रस्तावित है उसी रेल लाइन को आगे बढ़ा कर दुर्ग, धमधा, बेमेतरा और कवर्धा तक ले जायें। विलासपुर शहर को जबलपुर से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि वह रेल लाइन विलासपुर से मुंगेली, मुंगेली से मारो, मारो से नवागढ़ और नवागढ़ से कवर्धा होते हुए मंडला और जबलपुर जाये। इस प्रकार से रेल लाइन जोड़ने से काफी फायदा होगा। अगर आप इंडिया के रेल नक्शे को देखें तो आपको मध्य प्रदेश रेलवे के मामले में खाली पड़ा हुआ दिखायी देगा। आप कहते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिये यातायात की सुविधा हम देगें। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यह जो मध्य प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है इसको आप अवश्य दूर करें।

भिलाई एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना है। वहां पर पावर हाऊस नाम की एक जगह है। भिलाई के जितने भी नागरिक हैं उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके यह मांग की है कि वहां ओवरब्रिज

बनाया जाये। जितने भी नेशनल हाइवे नागपुर से कलकत्ता जाते हैं वहां पर अगर पांच मिनट के लिये भी गाड़ी कोई खड़ी हो जाती है तो मीलों तक ट्रैफिक खड़ा हो जाता है। हमारे मंत्री जी अपना जवाब देते समय वहां ओवरब्रिज बनाने की घोषणा अवश्य कर दें।

मौर्य सिनेमा के पास रेलवे का क्रासिंग है। वहां चौकीदार नहीं होता है जिससे काफी दुर्घटनायें हो जाती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां चौकीदार अवश्य नियुक्त कर दिया जाये। इसी तरह से वहां पर 2-3 जगह फुटपाथ बनाने की भी जरूरत है। भिलाई लोहे का कारखाना है लेकिन रेल विभाग ने कभी नहीं सोचा है वहां पर कोई कारखाना खुले। वहां से लोहा सब जगह जाता है। अगर रेल का चक्का तथा एक्सेल बनाने की आवश्यकता पड़े तो वैसा कारखाना वहां अच्छी तरह से खुल सकता है इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी कम हो सकता है।

सिंधिया जी जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होने छत्तीसगढ नाम की एक पुरानी रेल गाड़ी थी उसमें बहुत अच्छा सुधार किया था। उसमें पेशाब, टट्टी घर और बिजली वगैरह का इंतजाम कर दिया था। अब फिर हालत करीब-करीब पहले जैसी हो गई है। अब यह गाडी 8-10 घंटा लेट होती है। बैलगाडी की तरह इसकी रफ्तार हो गई है।

छत्तीसगढ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। भोपाल के लिये एक गाड़ी चलती है जिस को महानदी एक्सप्रेस कहते हैं। आप इस गाडी को बन्द कर रहे हैं। सुविधा देकर वापस ले ली। छत्तीसगढ़ को राजधानी भोपाल से जोड़ने के लिए महानदी एक्सप्रैस चलाई थी, उसको आप वापस ले रहे हैं, यह बड़े आश्चर्य, दुख और क्रोध की बात है, लोग इस असंतोष को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ से भोपाल के लिए अलग से एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाइये, वहां बहुत पैसेंजर हैं और आने-जाने में गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है इसलिए एक अलग गाड़ी उसके लिए अवश्य चलाइये।

हम लोगों ने अक्सर देखा है कि मध्य प्रदेश के बस्तर का उड़ीसा से बहुत सम्बन्ध रहता है। इस समय रेलवे बजट से यदि सबसे अधिक असंतोष है तो छत्तीसगढ़ अंचल और उड़ीसा के लोगों को है, क्योंकि साउथ इस्टर्न रेलवे यहां है और साउथ ईस्टर्न रेलवे की इस रेलवे लाइन से सबसे अधिक आय है लेकिन सबसे अधिक उपेक्षा यहीं है। इसका हैडक्वार्टर कलकत्ता में है। यहां के लोगों को वहां नौकरी नहीं मिलती है, छत्तीगढ़ और उड़ीसा के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि आप इसका एक अलग हैडक्वार्टर बनाइये, यह जो 10 रेलवे लाइन है इसको 11 कीजिए और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जो साऊथ ईस्टर्न रेलवे का हिस्सा है, उसको काटकर अलग करके एक अलग रेलवे दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे डिवीज़न और बनाइये।

हमारे देश में रेलों के 32 डिवीजंस हैं, उसमें बिलासपुर डिवीजन से रेलवे को जो सबसे अधिक आमदनी होती है वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती है और सबसे कम रेलवे लाइन इसी में हैं। यहां तक कि यहां के लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती है, इस इलाके में सब कलकत्ता के लोग भरकर आते हैं। होता क्या है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोगों को रेलों से जो अपनापन होना चाहिए वह नहीं है क्योंकि वहां कहीं के लोग भर्ती होकर आ जाते हैं।

मेरा खास तौर से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को दिल्ली राजहरा से जोड़ने का काम तत्काल शुरू किया जाय। साथ ही साथ गोंदिया से जबलपुर लाइन सदियों पुरानी है और इस तरफ बहुत से जंगल है और यहां बहुत सा औद्योगिक कच्चा माल है, बालाघाट के पास हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा तांबा का भंडार है, वहां कई एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए रेलवे मंत्रालय कृपा करके विचार करे और गोंदिया से जबलपुर मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज अवश्य कर दें क्योंकि जब तक इसको ब्रांड गेज नहीं करेंगे, इस क्षेत्र के

विकास में बहुत सी बाधाऐं आयेगी। आप सभी जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, कि जहां रेल पहुंचती है वहां विकास होता है। इतना ही नहीं रेलवे के होने से भावात्मक एकता होता है मध्य प्रदेश का बस्तर इलाका ऐसा है जहां के लोगों ने रेलवे लाइन नहीं देखी, वहां सड़कें भी कम हैं और पुलिया भी बहुत कम हैं मंत्रालय को चाहिए कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जिन अनेक रेलवे लाइनों को आज काट दिया गया है, जो पहले आपने उनको सुविधा दी थी उसको काटने का काम खत्म कीजिए। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन उदाहरण के लिए मैं कहूं कि मैम्बर पार्लियामैण्ट की जो तनख्वाह है उसको कम तो कर दीजिए, क्या करेंगे, सब के सब चिल्ला उठेंगे। जो सुविधा आपने लोगों को एक दफा दे दी है, उसको वापस नहीं लें, यह सिद्धान्त रेल मंत्रालय तय करे कि जहां एक दफा सुविधा दे दी, उसे कहीं वापस न लें। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एकाध स्टेशन घटा या बढ़ा सकते हैं, यह तो हो सकता है लेकिन हमारे यहां और उड़ीसा में जो रेलवे की सुविधा समाप्त कर दी है, उसको बहाल न करें।

· हमारे यहां 20 साल पुरानी मांग है कि छत्तीसगढ़ को त्रिवेन्द्रम से जोड़ा जाय, वहां भिलाई में लोहे के कारखाने और साथ में बेलाडीला और कोरबा भी है। यहां बहुत से लोग आने जाने के लिए और तीर्थ के लिए साउथ इण्डिया त्रिवेन्द्रम जाना चाहते हैं, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हुई। श्री माधव राव जी सिन्धिया जब रेल राज्य मंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को कोचीन तक जोड़ दिया, हफ्ते में दो दिन के लिए लेकिन अब उसको हफ्ते में एक दिन कर दिया, यह अन्याय हुआ है। उसको दो दिन के बजाय तीन दिन कीजिए। उस रेलगाड़ी में अप्रैल और मई की बुकिंग अभी से हो चुकी है इसलिए रेल मंत्रालय मेहरबानी करके कोचीन के बजाय त्रिवेन्द्रम तक उस गाड़ी को करके हमें हफ्ते में 3 दिन वह गाड़ी देकर इस अन्याय को समाप्त करें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

11.00 म० प०

अनुवाद

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे म० प० पर पुनः समावेत होगी।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थागित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेल बजट, 1989-90 — सामान्य चर्चा— [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाड़े और पारसल की दरों में वृद्धि का विरोध करता हूं। रेल मंत्री ने एक करोड़ यात्रियों को छोड़ा है किन्तु भाड़े माल और पारसल की दर बढ़ाकर और कुछ वस्तुओं की श्रेणी को बदल कर उन्होंने हमारे देश के एक करोड़ लोगों को नहीं छोड़ा। 1980-81

की तुलना में इस वर्ष की वृद्धि अभूतपूर्व है यद्यपि 1980-81 से प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हुई, औसत वृद्धि 450 करोड़ रुपये है। भाड़े और सामान की दर बढ़ाकर सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाएंगे। उन्होंने उर्वरक, चारे और सीरे जैसी कुछ वस्तुओं को छोड़ा है। इन वस्तुओं के लिए छूट देने के बावजूद इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि पेट्रोलियम के मूल्य उन वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि के कारण बढ़ जाएंगे।

इस वर्ष रेल के द्वारा ढोने वाली वस्तुओं की प्रतिशतता 58 है; 1950-51 में 81 प्रतिशत थी। अतः भाड़े और सामान की दर में वृद्धि से सभी वस्तुओं पर क्रमप्रपाती प्रभाव होंगे और भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जाएंगी।

वर्ष 1987-88 और 1988-89 में रेलवे का कार्य निष्पादन कोई अच्छा नहीं रहा है। रेल मंत्री के दावे का "ईकनॉमिक सर्वे" द्वारा खण्डन किया गया है जो रेल बजट प्रस्तुत करने के एक दिन बाद वितरित हुआ। इस में कहा गया है, कि भारतीय रेल दर भाड़ा यातायात की दर 1987-88 में कम हो गयी है। इस वर्ष में रेलवे द्वारा कुल 31840 लाख टन भाड़ा यातायात की ढुलाई की गई जबकि वर्ष 1986-87 में यह 30730 लाख टन थी। वर्ष के दौरान राजस्व आय में 4.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 1985-86 की 9.4 की उपलब्धि से कम थी।

चालू वर्ष के दौरान, अप्रैल से दिसम्बर के दौरान यह 218.07 मिलियन टन था जबकि पहले यह 210.13 मिलियन टन था अर्थात 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। गत वर्ष अप्रैल-दिसम्बर में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में चालू वर्ष में वृद्धि की दर कम हुई है।

यात्री यातायात में भी मांग, कुछ कम हुई है। इस वर्ष अप्रैल-दिसम्बर के दौरान गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 2,870 मिलियन यात्री किलोमीटर की अपेक्षा 2608 मिलियन यात्री किलोमीटर हुई है। अतः अप्रैल-दिसम्बर 1987 में रिकार्ड की गई 304 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-दिसम्बर में इसमें 8.1 प्रतिशत की कमी आई है। हो सकता है इसी कारण अथवा यह वर्ष चुनाव का वर्ष होने के कारण किराया नहीं बढ़ाया गया है। गत वर्ष यात्री किराये में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अभूतपूर्व वृद्धि की गई थी। न्यूनतम किराया 1 रुपया था जिसे बढाकर 1.50 रुपये और 1.50 रुपये को बढाकर 3 रुपये कर दिया गया था। अतः गत वर्ष 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। और यह वर्ष चुनाव वर्ष होने और यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण इस बजट में यात्री किरायों में वृद्धि नहीं की गई है।

संसद की सर्वसम्मति की आवाज योजना भवन तक नहीं पहुंच रही है। हम रेलवे के लिए अधिक आबंटन, अधिक धनराशि की मांग करते रहे हैं। क्योंकि रेलवे एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है तथा राष्ट्र का विकास रेलवे पर निर्भर करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सांतवी पंचवर्षीय योजना तक रेलवे को दी जाने वाली धनराशि में कमी आती गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए 11.5 प्रतिशत आबंटन किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में 15.43 प्रतिशत और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह 15.45 प्रतिशत था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक बार फिर इसे घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह सीमान्त वृद्धि है। अब भी रेलवे के लिए आबंटित धनराशि नितान्त अपर्याप्त है। नई रेलवे लाइनों के निर्माण और रेलवे नेटवर्क के विस्तार से यह बात जाहिर हो जाती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई लाईनों के निर्माण के लिए केवल 350 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे जोकि रेलवे के कुल आबंटन का केवल 2.5 प्रतिशत भाग था। हमारी बहुत सी परियोजनायें लम्बित, चालू और अधूरी हैं।

यह देखा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय से नई रेलवे लाइनों का निर्माण

धीरे-धीरे घटता जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में 1,236 किलोमीटर रेलवे लाईन का निर्माण किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2,152 किलोमीटर और पांचवी पंचवर्षीय योजना में 2294 किलोमीटर तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 1616 किलोमीटर रेलवे लाईन का निर्माण किया गया था। सातंवी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमें जारी किये गये स्पष्टीकरण टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया हैं कि 126 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है कि कुल रेल मार्ग 61850 किलोमीटर था। अब रेलवे लाइन का कुल मार्ग 61976 किलोमीटर है।

महोदय, वर्ष 1947 में हमारी रेलवे लाइन लगभग 47,000 किलोमीटर थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 41 वर्ष बाद हम केवल 13,000 किलोमीटर नई रेलवे लाईन ही बिछा सके हैं। वर्ष 1949 में चीन में 11,000 किलोमीटर रेलवे लाईन थी। अब वहां 67,000 किलोमीटर रेलवे लाईन है। उन्होंने 40 वर्षों के भीतर ही 50,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाईनों का निर्माण किया है।

महोदय, बहुत सी परियोजनायें चालू और लम्बित पड़ी हैं। मैं उनको चालू नहीं कह सकता क्योंकि कुछ परियोजनाओं का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है। हम नहीं जानते कि ये परियोजनायें कब तक चालू परियोजनायें रहेंगी? रेलवे मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि अब भी बहुत सी चालू परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं और इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आवश्यकता है। सातंवी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए केवल 3150 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये चालू परियोजनायें कब तक लम्बित पड़ी रहेंगी? ऐसी बहुत सी परियोजनायें हैं जिनकी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1971 में रखी गई थी।

अब भी वे परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं। हावड़ा-आमटा-बारगचिया-चम्पाडांग परियोजना स्वीकृत की गई थी परन्तु उसका केवल 50 प्रतिशत काम पूरा किया गया है। इस वर्ष इस परियोजना के लिए केवल 1000 रुपये की नाममात्र राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के लिए केवल 1000 रुपये स्वीकृत करने का क्या उद्देश्य है? इसी प्रकार, विधान सभा चुनावों से पहले पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में एक लाखी-बलूरघाट परियोजना की स्वीकृति दी गई थी और वर्ष 1987 में हमारे पूर्व रेल मंत्री श्री गनी खान चौधरी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस परियोजना के लिए 3,45,00,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

इस परियोजना का कार्य आरम्भ हुआ, भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस बजट में इस परियोजना के लिए केवल 1000 रुपये की नाममात्र धनराशि स्वीकृत की गई है। यह लाईन जिला मुख्यालय को जोड़ती है। कुछ जिला मुख्यालय रेलवे लाईन से जुड़े हुए नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरतला जैसी राज्यों की राजधानियां भी रेलवे से जुड़ी हुई नहीं हैं। जब तक धर्मनगर-कुमारघाट रेलवे लाइन को अगरतला तक नहीं बढ़ाया जाता हैं तब तक त्रिपुरा के लोगों को रेलों का लाभ नहीं पहुच सकेगा। अब हमें यह पता लगा है कि धर्मनगर से लेकर पंड्चातल तक इस लाईन को पूरा किया जा चुका है। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले यह घोषणा की गई थी कि शेष लाईन के लिए सर्वेक्षण किया जायेगा। परन्तु हमें यह पता नहीं है कि कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं क्योंकि माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

एकलाखी-बालूरघाट रेलवे लाइन के लिए केवल 1,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। यद्यपि नामखाना-लखाकानपुर रेलवे लाईन की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये हैं तथापि उस लाइन के निर्माण पर केवल 3 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस वर्ष बजट में उस रेलवे लाइन के लिए 3.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यदि आप इसी प्रकार धनराशि स्वीकृत करेंगे तो यह परियोजना कितने वर्षों में पूरी होगी?

इसी प्रकार मैट्रो रेलवे के मामले को ले लीजिए। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा वर्ष 1973 में

इसकी आधारशिला रखी गई थी। वर्ष 1985 में इसकी अनुमानित लागत 835 करोड़ रुपये आंकी गई थी। अब तक इस पर 550 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इस वर्ष 81 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। बजट प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद ही रेल मंत्री ने यह कहा था कि वर्ष 1990 तक मैट्रो रेलवे का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। यदि आप वर्ष 1985 के आकंलन के अनुसार गणना करते हैं तो भी इस परियोजना के लिए 147 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यदि आप इसमे मुद्रा स्फीति को भी जोड़ते हैं तो अनुमानित लागत बढ़कर 900 करोड़ रुपये हो जायेगी। अतः इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी 200 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध ककराती है तो मैट्रो रेलवे के निर्माण कार्य को वर्ष 1990 तक पूरा किया जा सकता है। यदि इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि नीए दी जाती है तो इसे वर्ष 1990 तक पूरा नहीं किया जा सकता है। इस परियोजना को घरिया तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। उसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। फिर एक और अनिश्चितता यह है कि क्या यह भारतीय रेलवे के अन्तर्गत रहेगी या इसका कोई अलग संगठन होगा। हम यह चाहते हैं कि मैट्रो रेलवे भारतीय रेलों को अभिन्न अंग होनो चाहिए और इसका कोई अलग संगठन नहीं होना चाहिए। यहां यह चर्चा की गई है कि सम्पूर्ण विश्व में मैट्रो परिवहन प्रणाली रेलवे के अन्तर्गत नहीं अपितु एक अलग संगठन के अन्तर्गत होती है। अतः हम यह चाहते हैं कि कलकत्ता मैट्रो रेलवे भारतीय रेलवे के अन्तर्गत रहनी चाहिए। इसका निर्णय किया जाना चाहिए और इस बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए।

परिक्रमा रेलवे के बारे में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। समस्या यह है कि रेलवे की भूमि पर कुछ लोग बस गये हैं। जब तक उनके पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तब तक परिक्रमा रेलवे के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। सन्तोष दा मालीगांव-पांडु क्षेत्र की समस्या जानते हैं जहां रेलवे की भूमि पर पहले पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 350 परिवार बस गये हैं। वे लगभग पिछले 40 वर्षों से वहां रह रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने सदैव उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया है। हमने प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से मुलाकात की है। मैंने इस समस्या का समाधान करने के लिए रेल मंत्री और प्रधान मंत्री को कई पत्र लिखे हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने यह देखा है कि वहां रेलवे की कुछ भूमि ऐसी पड़ी है जिसकी रेलवे कार्यों के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग जो पिछले 40-45 वर्षों से वहां बसे हुए हैं और जिन्होंने वहां भवनों का निर्माण कर लिया है वे उस भूमि को खरीदना चाहते हैं। वे इस मामले को सीधे रेलवे से निपटाना चाहते हैं। एक प्रस्ताव यह था कि इस भूमि को राज्य-सरकार को सौंप दिया जायेगा और फिर राज्य सरकार उस भूमि पर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करेगी। परन्तु ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। वे इस मामले को सीधे रेलवे से निपटाना चाहते हैं। वे उस भूमि को खरीदकर वहाँ बसना चाहते हैं। अतः उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि उस समस्या के समाधान के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। जब श्री केदार पांडे रेल मंत्री थे तो उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था। अतः तीन महीने के समय के अन्तर्गत ही यह कार्य किया जाना चाहिए।

अब मैं छोटी तथा संकरी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर आता हूं। दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरुलिया-कोटशिला जैसे दो बड़ी लाइनों के बीच में बीस से तीस किलोमीटर संकरी लाइन के कई टुकड़े हैं। यह मेरे जिले में हैं जो हमारे देश का अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है........**(व्यवधान)**

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम (सलेम): क्या यह आपके निर्वाचन क्षेत्र में हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, श्री चित्त महाता के निर्वाचन क्षेत्र में है। लेकिन यह मेरे जिले में है। महोदय, मैं 1980 से मांग कर रहा हूं कि इस भाग को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। इससे पुरुलिया बोकारो के साथ जुड़ जाएगा। इस लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसकी

अनुमानित लागत केवल छः करोड़ रुपये है। यह परियोजना लाभप्रद रहेगी मैं नहीं जानता कि योजना आयोग इस बदलाव के लिए अपनी मंजूरी क्यों नहीं दे रहा है। इसी प्रकार बांकुरा तथा बर्दवान जिलों में एक रेल लाइन है जो बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे लाइन का अधिग्रहण 1956 में हुआ था। हम इस लाइन के राष्ट्रीयकरण की मांग करते आ रहे हैं लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है। जब बिहार में ऐसी ही एक रेलवे लाइन का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो हमने मांग की थी कि इस रेलवे लाइन का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन लाइनों को अलाभकारी शाखा लाइनें कहा जाता है। अनेक शाखा लाइनें अलाभकारी हैं। रेलवे विभाग की अपनी निगम योजना है। निगम योजना में भी यह सुझाव दिया गया है। इन अलाभकारी शाखा लाइनों को लाभप्रद बनाया जाए। रेलवे को इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब रेलगाड़ियां बहुत पहले बनाए गए भाप के इंजनों द्वारा चलाई जा रही हैं तो इस लाइन को किस प्रकार लाभप्रद बनाया जा सकता है। हम यह नहीं कहते कि आप इस विशेष लाइन को बड़ी लाइन में बदल दें लेकिन रेलगाड़ी नियमित होनी चाहिए। रेलगाड़ियां डीजल इंजनों द्वारा चलाई जाएं। रेल-विभाग धीरे धीरे सभी भाप-इंजनों का प्रयोग बन्द कर रहा है। अन्तिम भाप इजंन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में 1973 में हुआ था। 1973 के बाद से हमारे देश में एक भी भांप इंजन का निर्माण नहीं किया गया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित अन्तिम इंजन सन् 2009 तक कार्य करेगा। इस प्रकार सभी भाप-इंजनों की कुल कार्य अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही वे भापइजंनों के प्रयोग को बन्द करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें उनके स्थान पर विद्युत चालित या डीजल के इंजन लाने पड़ेंगे। विद्युत इंजन यातायात का सबसे सस्ता माध्यम है लेकिन अभी तक कुल मार्ग किलोमीटर का केवल 19 प्रतिशत भाग ही विद्युतिकरण हुआ है। छठी योजना में 2800 किलोमीटर मार्ग का विद्युतिकरण करने का लक्ष्य था और हमारी उपलब्धि केवल 1545 किलोमीटर ही रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य 3400 किलोमीटर है लेकिन हम नहीं जानते कि यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है या नहीं। वे भाप के इंजनों के प्रयोग को समाप्त कर रहे हैं लेकिन भाप के इंजनों के उत्पादन तथा इन्हें चलाने में लगे कर्मचारियों का क्या होगा? रेलवे सुधार समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। सिर्फ नियमित रेलवे कर्मचारी ही नहीं बल्कि ठेके के कर्मचारी भी काफी तादाद में रेलवे में कार्यरत हैं। उन्हें ठेके के कामगार न माना जाए क्योंकि वे बारहमासी कार्य में लगे हुए हैं। वे यही कार्य अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसे 22,000 ठेके के कामगार हैं जिन्हें कोयला तथा राख पर कार्य करने वाले कामगार कहा जाता है। वे बारहमासी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाप-इंजनों का प्रयोग बन्द करने से उन्हें अपनी नोकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब सभी भाप इंजनों का प्रयोग बन्द हो जाएगा तो इन कर्मचारियों का क्या होगा? अब रेल प्रशासन कह रहा है कि वह इन ठेके के कामगारों का दायित्व नहीं लेगा। दो लाख से भी अधिक सामयिक कामगार हैं। इसी सदन में 1980 में यह वचन दिया गया था कि सभी सामयिक कामगारों की सामयिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी भारतीय रेलवे में 2,20,000 सामयिक कामगार हैं।

हावड़ा-मद्रास लाइन जैसी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। विजयवाड़ा से मद्रास तक का भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है लेकिन खड़गपुर से विजयवाड़ा तक का भाग विद्युतीकृत नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण लाइन है इसलिए आपको सबसे पहले इन सभी महत्वपूर्ण मार्गों जैसे कि हावड़ा से मद्रास, हावड़ा से बम्बई, दिल्ली से मद्रास तथा दिल्ली से बम्बई के मार्गों का विद्युतीकरण करना चाहिए। दिल्ली से हावड़ा तक के मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है और दिल्ली से बम्बई तक के सम्पूर्ण मार्ग का विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हावड़ा से मद्रास मार्ग की क्या स्थिति है? एक मार्ग सीतारामपुर से वाया पटना मुगलसराय जाता है। पटना बिहार की राजधानी है। सीतारामपुर-मुगलसराय भाग के विद्युतीकरण को छठी पंचवर्षीय योजना में

शामिल किया गया था लेकिन इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में से निकाल दिया गया। मैं इसके निकाले जाने का कारण नहीं जानता हूं। अतः इस विशेष मार्ग अर्थात् सीतारामपुर-मुगलसराय का विद्युतीकरण होना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी के नेतृत्व में कटवा के लोग बंदेल-कटवा मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन कटवा के लोगों ने इस रेल मार्ग के उपयोग का बहिष्कार किया था। उस क्षेत्र में एक भी टिकट नहीं खरीदी गई। अतः इस भाग के विद्युतीकरण पर विचार किया जाए।

भाप-इंजनों का प्रयोग बंद होने पर डीजल इंजन विद्युत इंजन की तुलना में सस्ता नहीं है। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण मार्गों का विद्युतीकरण होना चाहिए।

महोदय, यात्रियों को सुविधाओं हेतु इस वर्ष धनराशि को 18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वास्तव में यह वृद्धि की गई है। लेकिन हम यात्रियों की सुविधाओं में सुधार नहीं देख रहे हैं। यदि आप लोकल ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी की सामान्य डिब्बों में यात्रा करें तो आप डिब्बों की स्थिति देख सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि डिब्बों की स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है? मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि यात्रियों के यातायात में वृद्धि हो रही है। यह बढ़कर 170% हो गई है जबकि यात्री डिब्बों में यह बढ़कर 127% ही हुई है। इस प्रकार डिब्बों की संख्या कम हो रही है और मालगाड़ी के डिब्बों में भी कमी हो रही है। स्टेशनों की संख्या भी कम हो गई है। ये तथ्य 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिए गए हैं। अतः, महोदय, यात्री सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है। बेकार घोषित डिब्बों की जगह नए डिब्बे लाए जाएं। हम इंजन आयात कर रहे हैं। हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा में व्यय करके इंजनों का आयात कर रहे हैं। एक विद्युत इंजन का मूल्य 8 करोड़ रुपये हैं। लेकिन हम यहां अपने देश में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में इनका निर्माण कर सकते हैं। वे इनका निर्माण कर रहे हैं। वे इस वर्ष अपना लक्ष्य भी पार कर लेंगे। वे कम कर्मचारियों के बावजूद एक सौ विद्युत इंजनों का निर्माण करेंगे। कम कर्मचारियों से भी वे आयात हो रहे इंजनों का निर्माण कर सकते हैं। हम यात्री डिब्बे आयात कर रहे हैं। इनका निर्माण यहीं पर हो सकता है। हम स्वयं अपनी प्रौद्योगिकी लखनऊ में आर०डी०एस०ओ० में विकसित कर सकते हैं। विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाए बिना हम अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् औद्योगिक संबंधों पर बोलना चाहता हूं। दो मान्यता प्राप्त परिसंघ हैं। हम यह कह रहे हैं कि दो परिसंघ क्यों हैं, एक ही मान्यता प्राप्त परिसंघ क्यों नहीं है और मान्यता का निर्णय गुप्त मतदान द्वारा लिया जाए। महोदय, अनेक संघ बन गए हैं और एक महासंघ है। दो मान्यताप्राप्त परिसंघ क्यों हैं, तीसरा मान्यता प्राप्त परिसंघ क्यों नहीं होना चाहिए? महोदय, 1981 में अनेक रेलवे कर्मचारियों को सताया गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने इन कर्मचारियों के हक में फैसला दिया है। लेकिन उसे वापस लिया जा रहा है। उन्हें सताया जा रहा है।

महोदय, सभा की यह सर्वसम्मत मांग है कि रेलवे के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए। योजना आयोग इन मांगों पर विचार करे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे को पर्याप्त धनराशि आंवटित की जाए ताकि नए मार्गों का निर्माण हो तथा विस्तार हो और राज्यों की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों को रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। यदि बुनियादी ढांचा बन जाए तो देश विकास कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। योजना आयोग इन योजनाओं पर विचार करे और देश में रेलों के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करे।

(हिन्दी)

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल राज्य मंत्री ने जो 1989-90 का रेल बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। उन्होंने लगातार दूसरी बार मुनाफ़े का रेल बजट पेश किया है। इस बजट में कई उल्लेखनीय बातें हैं। हर एक दृष्टि से रेल व्यवस्थाओं को चुस्त करने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं।

भारतीय रेलें विश्व की चौथी और एशिया की सब से बड़ी सार्वजनिक उपक्रम है और एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत कि सुनियोजित इस का ढांचा है और ठीक ढंग से वह काम कर रहा है। इस का जो रेलवे बोर्ड है, उस के अन्तर्गत जोनल रेलवेज काम कर रही हैं और बड़ा सराहनीय इस का काम है। 1853 में 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन से आज 64 हज़ार किलोमीटर पर यह पहुंच गई है। 7 हज़ार गाड़ियों के द्वारा और 37 हज़ार रेल डिब्बों के द्वारा यात्रियों का परिचालन और माल का परिचालन होता है। साढ़े 16 लाख कर्मचारी इस में काम करते हैं और प्रति दिन डेढ़ करोड़ यात्री इस के द्वारा यात्रा करते हैं और वार्षिक ढुलाई 32 करोड़ 8 लाख टन की है। ये सभी अच्छे काम हैं और मैं इस का स्वागत करती हूं। कितनी इस में प्रगति हुई है। पहले हमारे यहां रेल इंजन वाष्प के द्वारा चलते थे और 1950-51 तक हमारे यहां 93 प्रतिशत इंजन वाष्प के द्वारा चलते थे और आज हालत यह है कि 68 प्रतिशत रेलवे इंजनों का विद्युतीकरण हो गया है और साथ ही साथ डीजल इंजनों द्वारा उन का परिचालन होता है। यह इस बात का परिचायक है कि रेलवे ने काफ़ी प्रगति की है और प्रगति पथ पर वह अग्रसर है।

जहां तक रेलवे की आर्थिक व्यवस्था का सवाल है मैंने जैसा पहले कहा 140 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा इस वर्ष वह दे रही है और जैसा कि रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि उन का वित्तीय प्रबन्ध बहुत अच्छा है और हम इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि केन्द्रीय राजस्व में लगातार, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में इस का लाभांश बहुत अच्छा है। 1987-88 में 516 करोड़ रुपये, 1988-89 में 657 करोड़ के ऊपर और 1989-90 में करीब साढ़े 8 सौ—आठ सौ पचास करोड़ रुपये केन्द्रीय राजस्व में रेलवे द्वारा मिलेगा। यह इस बात का परिचायक है कि रेलवे विभाग की वित्तीय व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमें इस बात की खुशी है कि रेलवे विभाग आन्तरिक साधनों से अपना काम चला रहा है और 61 प्रतिशत सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस का अंशदान है अपना काम चलाने में और छठी पंचवर्षीय योजना मे यह करीब 45 प्रतिशत था और पांचवी पंचवर्षीय योजना में करीब 25 प्रतिशत था। यह इस बात का द्योतक है कि रेलवे अपना काम अपने साधनों द्वारा चलाती है और केन्द्रीय राजस्व को भी यह अच्छा पैसा देती है। इस से पता चलता है कि इस का वित्तीय प्रबन्ध बहुत अच्छा है और सुनियोजित तथा प्रभावकारी इस की व्यवस्था है। हम इस का भी स्वागत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि एशिया की यह सब से बड़ी रेल प्रणाली है और इस की व्यवस्था के अन्तर्गत यात्री प्रचालन में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक माल ढुलाई की बात है, इस में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय रेल मंत्री जी ने कई उल्लेखनीय घोषणाएं की हैं, जिन का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया है और सीजन टिकट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। करीब 4450 करोड़ रुपये इन्होंने वार्षिक योजना के लिए रखा है। यह इस बात का द्योतक है कि रेलवे ने काफ़ी प्रगति की है लेकिन 11 प्रतिशत माल भाड़े में जो इन्होंने बढ़ोतरी की है, इस का सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा। मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करती हूं। इन्होंने कुछ छूट दी है, नमक पर, गुड़ पर, खाद्य तेलों पर, फलों और सब्जियों पर और मवेशियों के चारे पर। यह बहुत सराहनीय बात है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पुरस्कार पाने

वालों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वालों को और खिलाड़ियों को 50 प्रतिशत की रेल किराये में छूट दी है और यह स्वागत-योग्य कदम है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। पुलिस पदक पाने वालों को भी इन्होंने छूट दी है और सब से बड़ी बात जो इन्होंने की है वह यह कि 65 साल के ऊपर वृद्धों को 25 प्रतिशत की छूट दी है। मैं पूछना चाहती हूं कि सिर्फ 25 प्रतिशत की ही छूट क्यों दी है।

मेरा उपमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जब आप उन्हें छूट देने जा रहे हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत छूट दें।

आपने निरंतर दो साल स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधा दी है। मेरा आप से अनुरोध है कि उन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, वे महान सेनानी हैं। उन्हें आपको आजन्म यह सुविधा देनी चाहिए। अगर आप इसको आजन्म न दे सकें तो कम से कम 5 साल तक उनको छूट दीजिये। आज सभी लोग याता भी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें छूट दी जायेगी तो लोग घूम सकेंगे, देश का दर्शन कर सकेंगे और वे समझेंगे कि आजादी के लिए उन्होंने जो योगदान किया था उसको सरकार ने समझा है और यह छूट उन्हें दी है।

साथ ही साथ आपने शहीदों की विधवाओं को भी छूट दी है। यह भी एक सराहनीय कदम है। इस कदम का मैं स्वागत करती हूं और आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसको भी आप जारी रखें।

हमें इस बात का गर्व है कि रेलवे विभाग ने काफी निर्माण कार्य अपने हाथों में ले रखा है। सवारी डिब्बों, इंजनों आदि का निर्माण कार्य अपने कारखानों में करता है। रेलवे विभाग के इंजीनियरों ने मेक्सिको से लेकर मलेशिया तक अनेक प्रतिष्ठामूलक कार्य किये हैं और रेलवे विभाग के कीर्तिमान में चार चांद लगाये हैं। यह भी सराहनीय है कि जो हमारे यहां रेल इंजन बन रहे हैं, डीजल के इंजन बन रहे हैं उनकी क्षमता में भी वृद्धि की है। 100 से 110 क्षमता की है। चितरंजन और वाराणसी में भी क्षमता बढ़ायी है। पेराम्बूर में जो रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना है उसमें भी शतप्रतिशत कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी जगहों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पेराम्बूर के अलावा बेंगलोर में व्हीलर एक्सिल धुरी एवं पहिया कारखाने की क्षमता में सुधार किया है। इन सभी कीर्तिमानों के स्थापित किये जाने के लिए रेल विभाग बधाई का पात्र है। आपने रेलवे में आधुनिकीकरण का तरीका, आधुनिकीकरण की प्रणाली अपनायी है।

लेकिन में एक बात कहना चाहती हूँ कि आज ही हम राजधानी एक्सप्रेस से आ रहे थे। उसकी रफ्तार आपने तेज की है लेकिन ट्रेक ठीक नहीं है। हमने जो सुझाव आपको बार बार दिये थे उन पर कुछ काम तो हुआ है लेकिन गाड़ी अपनी गति से चल सके उसके लिए हमारे ट्रेक ठीक होने चाहिएं। हमारे ऐसे ट्रेक होने चाहिए जिन पर हमारे हेवी वेगन चल सकें। ट्रेक इतने मजबूत होने चाहिएं।

आप कनाडा और जापान वगैरह से कुछ उपकरणों को मंगाते हैं। वह आप कोलेबरेशन करके यहीं बनाइये। आपने यहां निर्माण करके बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

जहां रेल विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है वहां हमारे रेल राज्य मंत्री श्री माधवराव सिंधिया जी ने ईमानदारी का भी परिचय दिया है। मैं समझती हूँ कि रेलवे विभाग में जो भ्रष्टाचार था वह बहुत हद तक कम हुआ है। वह माननीय मंत्री जी की ईमानदारी का परिचायक है। रेलवे विभाग में काम भी बहुत अच्छा हो रहा है।

मध्यप्रदेश के माननीय संसद सदस्य श्री चंद्राकर जी कह रहे थे कि साहब मध्यप्रदेश तो पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है, उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो पिछड़े इलाके हैं उनमें अधिक काम होने चाहिएं। पूरा भारतवर्ष अपना है और पूरे भारतवासी अपने हैं। लेकिन जो इलाके सदा पिछड़े रहे हैं जैसे कि बिहार के इलाके उनके बारे में क्या हमें बार-बार कहना पड़ेगा। बिहार के लोगों का

आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है कम से कम उसका ध्यान तो रखिये लगातार बिहार की उपेक्षा होती रही है। जब रेलवे बजट पर मंत्री जी का पूरा भाषण हो रहा था उस समय भी पूरे हाउस में इस के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी।

वैसे ही सड़कें हों या जल-परिवहन हो, हर दृष्टि से बिहार पिछड़ा हुआ है। नदियां वहां पर हैं, गंगा, यमुना, गंडक बहती हैं, कोसी नदी बहती है, पानी का बहाव है, लेकिन जलमार्ग नहीं हैं। बड़े दुख की बात है कि बिहार रेलवे विभाग की उपेक्षा का निरंतर शिकार रहा है। जहां आजादी के बाद पूरे देश में 7500 कि॰ मी॰ नई रेल लाइनों का निर्माण और नवीनीकरण किया गया, उसमें बिहार का हिस्सा केवल 5 प्रतिशत रहा। पूरे देश में 64000 किलोमीटर रेल लाइन है जबकि बिहार में केवल 5300 किलोमीटर है हिन्दुस्तान की इतनी आबादी वाला बड़ा प्रान्त, लोकसभा में जिसके 54 सांसद हैं, उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है। बगहा-छितौनी पुल, जिसका शिलान्यास स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1974 में किया था, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार को जोड़ने वाला पुल है, बगहा से बाल्मीकि नगर तक प्रारंभिक सेवाएं और फल आदि ढोने के लिए 7 करोड़ रूपए की लागत से रेलवे लाइन बिछाई गई, लेकिन इस पुल के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वहां की जनता की तरफ से मेरी बार बार मांग है कि आप इस रेलवे बजट को रिवाइज कीजिए और सदन में घोषणा कीजिए कि इस पुल का निर्माण किया जाएगा। हमारी जिस महान नेता ने उसका शिलान्यास किया, कम से कम उनका तो कुछ खयाल कीजिए और इसको पूरा करवाइए। लोगों को आशा है और उस आशा के अनुरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमको जोड़िए। यह पूरे इलाके की मांग है, पूरा बिहार उपेक्षित रहा है। आपने कहा कि मध्यप्रदेश को कुछ नहीं मिला, 4 नई रेल-लाइनों में से 2 मध्यप्रदेश को गई, कहावत है कि घी कहां गया- दाल में। एक लाइन ले लेते, एक बिहार को दे देते। दरभंगा-समस्तीपुर बी जी लाइन जिसकी घोषणा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने 1981 में की थी और जिसका शिलान्यास स्वर्गीय केदार पाण्डे जी ने किया था, आपका फर्ज बनता है कि उसको भी पूरा कराइए, 12 करोड़ की यह योजना है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर और पिछड़ा हुआ इलाका है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि मुजफ्फरपुर, रखसोल, नरकटियागंज रेलवे लइन का सर्वें हो गया है। उत्तर बिहार, बिहार का हृदयस्थल है, यहां पर अन्न का भण्डार है और अगर यहां पर यातायात के उचित साधनों की व्यवस्था हो जाए तो सारे देश को यह अचल अन्न दे सकता है। शस्य-श्यामला यहां की धरती है, मैं अनुरोध करूंगी कि इस बी जी लाइन की आप घोषणा करिए। लगातार अनेकों सालों से वहां की जनता की मांग है, बिहार के लिए कुछ तो कीजिए।

रेलवे कन्वेंशन कमेटी 1980 में बिहार के दौरे पर गई थी और बिहार सरकार ने 29 योजनाएं सौंपी थीं, इनमें से कुछतो करिए। डा॰ जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो वहां पर एक रेलवे अधिकारी प्रति नियुक्त था, रेलवे कोशांग वहां पर स्थापित किया गया था, लेकिन अब उसको वहां से यह कह कर हटा लिया गया है कि मितव्ययिता बरती जानी है। यह कौन सा अर्थशास्त्र कहता है कि विकास के काम के लिए मितव्ययिता बरती जाए। विकास के कामों के लिए मितव्ययिता की कोई आवश्यकता नहीं होगी साहरे हसन पुर लाइन को भी पूरा करिए। आपने बताया है कि उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए छपरा, ओडियार 171 किलोमीटर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराएंगे, मैं कहना चाहती हूं कि जो सर्वेक्षण हो चुके हैं, उन पर तो काम नहीं हो रहा है तो इस सर्वेक्षण के ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें। और यह रेलवे लाइन उत्तरी बिहार को नहीं जाएगी बल्कि उसको छूती हुई चली जाएगी, उत्तरी बिहार से इसका कोई मतलब नहीं है।

एक और बात के लिए बिहार-सरकार ने अनुरोध किया है, जैसे उड़ीसा में रेलवे विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया, बिहार में भी इसको पुनर्जीवित करिए, वहां पर भी रेलवे कोशांग बनाइए। 29 रेलवे योजनाएं आपको सौंपी गई हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। बिहार पिछड़ा इलाका है, अगर बिहार में आप

रेलवे लाइन बनाएंगे तो उससे पूरे देश को लाभ होगा । क्योंकि खनिज पदार्थ और वन-सम्पदा वहां काफी मात्रा में उपलब्ध है। आवागमन की दृष्टि से यह दूसरे प्रान्तों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आसनसोल-मुगलसराय के बिजलीकरण की योजना बहुत दिनों से लंबित है। कम से कम इसको पूरा कराइए और राजधानी एक्सप्रैस एक दिन पटना होकर गुजरे। पटना, सम्राट अशोक और चन्द्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। जब तक वहां बिजली की लाईन नहीं बनती तब तक जैसे पहले डीजल इंजिन पर राजधानी एक्सप्रैस बम्बई जाती थी, वैसे ही करा दीजिए। उत्तर बिहार की वैशाली की सदस्या श्रीमती किशोरी सिन्हा यहां बैठी हुई हैं। हाजीपुर-वैशाली पिछड़ा किन्तु महत्वपूर्ण अंचल है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाजीपुर, वैशाली, साहिबगंज, केसरिया और सुगौली लाइन सैनिक दृष्टि से बहुत महात्वपूर्ण है और बगल में नेपाल है तो वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे लाईन की वहां पर होनी चाहिए। आपने कहा कि 67 आदर्श स्टेशन बना रहे हैं। सौ करोड़ रूपया इसके लिए रखा है, बिहार में भी दो स्टेशन बन रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जहां से आजादी की रणभेरी बजाई थी चम्पारण में, वह क्षेत्र यानी मोतीहारी आपके रेल विभाग के दिमाग में नहीं गया है। मोतीहारी स्टेशन से ही आजादी के पूर्व महात्मा गांधी जी ने नमक आन्दोलन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसको आदर्श स्टेशन बनाने की घोषणा करिए। मैं रेल बजट का स्वागत करती हूं। लेकिन बिहार की जो उपेक्षा हुई है उससे बिहारवासी बहुत दुखी हैं। गया और पटना में दोहरी लाईन बनवाइए। मुझे आशा है कि जो महत्वपूर्ण बिन्दु मैंने उठाए हैं उन पर रेल मंत्रालय का ध्यान आवश्य्जायेगा, उनको नकारा नहीं जायेगा और अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

((अनुवाद)

श्री विजय॰ एन॰ पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूगां कि कुछ वर्ष छोड़कर ज्यादतर समय लगातार बिहार से ही रेल मंत्री रहा है और बिहार से माननीय सदस्य अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि राज्य के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। मुझे यह सून कर आर्श्चय हुआ है। मैं श्री बसुदेव आर्चाय का भाषण भी सुन रहा था उन्होने कहा कि रेलवे में कार्यरत सामयिक श्रमिकों को रेलवे की नौकरी में खपा लिया जाए। मैं समझता हूं कि रेल विभाग रेल कर्मचारियों को रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा कर रहे यात्रियों के अनुपात में रखने पर विचार करे। मैं समझता हूं कि आज एक करोड़ यात्रियों की सेवा के लिए 16 लाख कर्मचारी रेल सेवाओं में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि रेल विभाग माल यातायात की जरूरतों के लिए छः लाख कर्मचरी तथा यात्री / यातायात की जरूतों के लिए 10 लाख कर्मचारी लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी सिर्फ 10 यात्रियों की सेवा के लिए नियुक्त है। यह तो एक मैटाडोर गाड़ी से ही तुलना योग्य है। अतः मेरा सुझाव है कि एक कर्मचारी एक ट्रेन में 50 यात्रियों के लिए होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह कलकता की तरह नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में हम देखते हैं कि बस में सिर्फ 25 यात्रियों के लिए दो चालक तथा दो परिचालक होते हैं। लेकिन ऐसा मैंने अन्य नगरों में नहीं देखा है।

इस समय हमें मीटर लाइन के संबंध में अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। रेल विभाग तथा मंत्रालय ने भी कहा है कि मीटर लाइन अभी कायम रहेगी।

किन्तु मैं समझता हूँ कि हमारी निगमित योजना में, यदि आप माल यातायात और यात्री यातायात को 2000 ई. तक दुगुना करना चाहते हैं तो आप जयपुर जैसे राजधानी नगर तथा अन्य स्थानों को मीटर लाइन से जोड़कर ऐसा नहीं कर सकते हैं । आंकड़े देखने पर पता चलता है कि प्रतिदिन प्रति किलोमीटर टनों में मालवहन होना है। बड़ी लाइन पर यह प्रतिदिन प्रति किलोमीटर 1449 और मीटर लाइन पर इसका आधा अर्थात 713 टन है। यहाँ तक कि यात्री यान किलोमीटर का संबध है प्रति दिन प्रति दिन प्रतियान बड़ी लाइन

S1|21|LS|89-90

पर यह 388 और मीटर लाइन पर 248 है। और लम्बी दूरी पर माल यातायात के संबंध में उदाहरणार्थ कलकत्ता से जयपुर पहुचाये जाने वाले माल को आप एक ही बार में ढोकर नहीं ले जा सकते ।

3.01 म.प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

या तो आपको यह माल दिल्ली से ट्रकों द्वारा भेजना होगा या आप इसे मीटर गेज वैगनों में पुनः लादकर भेजेंगे। आजकल नई रेलों के लिए रेलवे बाँडों की बात हो रही है। उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से रेलवे अधिकारी इन नई प्रवृत्तियों के हक में नहीं हैं। जब हमने बम्बई और नई बम्बई के बीच लिंक रेलवे बनाने पर विचार किया तो महाराष्ट्र सरकार ने बाँड जारी करने का निर्णय लिया और इसमें काफी तेजी से प्रगति हुई है। इसी तरह मनमद और हैदराबाद के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए बाँडों के माध्यम से पूंजी जुटाने की मांग भी रखी गई है। लेकिन यह तर्क रखा गया है कि कुछ समय बाद यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि संबंधित क्षेत्रों के लोग प्रति टिकट अधिक खर्च करने को तैयार हैं। उन्हें तीव्र व सुविधाजनक सेवा चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वहां लाइन परिवर्तन किया जाता है तो औरंगाबाद के यात्री मनमद से गाड़ी बदलने के बजाये सीधे बम्बई जा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर): वह प्रो० मधु दंडवते करेंगे।

श्री विजय एन० पाटिल: यह आपकी कल्पना की उड़ान है। उन्हें एक बार मौका दिया गया था लेकिन वे इसका लाभ नहीं उठा पाए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): वह मेरी सहमति के बिना ऐसा कह रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल: खैर, यदि वह हमारे दल में आ जाएं, तो दूसरी बात है।

प्रो० मधु दंडवतेः नहीं, अपने जीवन में कभी नहीं।

श्री विजय एन० पाटिल: सभापति महोदय, हम बड़े शहरों जैसे भोपाल और भूसावल, भोपाल और झांसी के बीच रहने वाले लोगों को अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम छोटे गांवों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं। कई यात्री ऐसे हैं जो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और व्यापार आदि के उद्देश्य से बड़े शहरों में आना चाहते हैं। उन्हें शहरों में पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए वे एक्सप्रेस गाड़ियों में भी, चाहे वह बड़ौदा और बम्बई के बीच हो या आसनसोल और कलकत्ता के बीच हो, जंजीर खींच लेते हैं। यदि वे समय पर नहीं पहुंचते, तो यह सब कुछ होता है और लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी होती है।

मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां कहीं विद्युतीकरण की सुविधा है, स्थानीय यात्रियों को उपनगरीय स्थानीय सेवा जैसी तीव्र स्थानीय गाड़ियों की सुविधा मिलनी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि यदि आप भुसावल और मनमद के बीच एक ई०एम०यू० गाड़ी चलायें तो यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच सकते हैं और वे महाराष्ट्र एक्सप्रेस या पंजाब मेल अथवा अमृतसर एक्सप्रेस आदि गाड़ियों में भीड़ भाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को यात्रा के द्रुतगामी साधन मिल जाएंगे। जहां कहीं भी विद्युतीकरण की सुविधा है वहां पैसेंजर गाड़ियों को ई०एम०यू० गाड़ियों में बदला जाना चाहिए। उनकी गति तीव्र होगी और इससे गांवों तथा छोटे नगरों की स्थानीय जनता को अच्छी सेवा मिल सकेगी।

निर्गमित योजना में बहुत अच्छे और उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। हमें आशा है कि हम 2000 ई० तक उनकी उपलब्धि कर पायेंगे। यदि आप वार्षिक प्रगति देखें तो मेरे विचार में यह थोड़ा कठिन होगा। आपने

दर्शाया है कि आप 2000 ई० तक 4000 बिलियन टन किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। यात्रियों के

संबंध में भी आप अगले 11 वर्षों में लगभग 3300 बिलियंन-यात्री किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि आप इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। परिवहन आपकी योजना 2000 ईसवी तक परिवहन लागत को 15 प्रतिशत तक कम करने का है। अतः परिवहन लागत को कम करने का आपका प्रयास स्वागत योग्य है।

मेरे विचार से नई गाड़ियां और सुपर फास्ट गाड़ियां चलाने से, वर्तमान गाड़ियों का विस्तार करने से तथा सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों को रोज चलाने से वर्तमान लाइनों की क्षमता चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। यदि आप माल यातायात या यात्री यातायात दोनों में से एक को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनमें से एक को छोड़ना होगा। यदि आप भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से कुछ और लाइनें बिछाने की योजना बना रहे हैं तभी आप यात्री यातायात और माल यातायात बढ़ा सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि आप भुसावल से बम्बई तक के लिए तसीरी लाइन बिछाने की योजना बनाएं। इस लाइन पर कलकत्ता से बम्बई, दिल्ली से बम्बई तक भारी और अहमदाबाद से बंगलौर तक भी कुछ यातायात रहता है। आपको सूरत और भुसावल के बीच भी दूसरी लाइन बनाने पर विचार करना होगा। मनमद-इंदौर रेल लाइन के बारे में भी एक सुझाव है ताकि बम्बई-दिल्ली के बीच तीसरी लाइन बन सके और आगरा-इटारसी सैक्शन पर भीड़ को कम किया जा सके।

प्रो० एन०सी० रंगा (गुंटूर): आपको करोड़ों रुपये कहां से मिलेंगे?

श्री विजय एन० पाटिल: करोड़ों रुपए देने के लिए लोग आगे आ सकते हैं। आप बॉंड जारी कर सकते हैं। हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में भी तो इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और अन्य कई विकास पत्र हैं। हमें आम विकास पर व्यय करने के लिए इन विकास पत्रों के माध्यम से करोड़ों रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अतः रेलवे के विकास के लिए भी हम विशेष बॉंड जारी कर सकते हैं।

आप एक ही बार हमेशा के लिए निर्णय ले लीजिए। आपने 4000 मिलियन टन माल यातायात और 3300 मिलियन यात्री यातायात का लक्ष्य रखा है। क्या आपने इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप 2000 ई० तक कितने हजार किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण कर पाएंगे? यदि आप लक्ष्य निर्धारित करके विभिन्न ऐसे क्षेत्रों से जहां से आप समझते है कि आप राशि एकत्रित कर सकते हैं, राशि एकत्रित करना शुरू कर दें तो आप वहां रेल लाइनों का निर्माण कर सकते हैं ताकि आप उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तो देश में आम आदमी भी आपकी योजना से संतुष्ट होगा।

मैं आपको बधाई देता हूं कि दुर्घटनाएं काफी कम हुई हैं, माल और यात्री यातायात का लक्ष्य बढ़ा है और आपने कठिनाइयों के होते हुए भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पिछले वर्ष अच्छे कार्य निष्पादन के लिए मैं मंत्रियों को, अधिकारियों तथा विभाग के हर कर्मचारी को बधाई देता हूं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस वर्ष भी सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि किये जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और किरायों में वृद्धि का यात्रियों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा है-यह संतुष्टि भी ज्यादा दिन की नहीं है। इस चाल को हर कोई समझ सकता है और सब यह महसूस करने लग गए हैं कि कराधान के अप्रत्यक्ष तरीके से आम आदमी के कंधों पर बोझ बड़ा डाला गया है।

महोदय, सर्वप्रथम मुझे यह कहना है कि पिछले दो दशकों अर्थात् 1968-69 से लेकर 1988-89 तक सरकार द्वारा किरायों में अब तक की गई वृद्धि इस बार सबसे अधिक है। वर्ष 1988-89 में अतिरिक्त लेवी से 632 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए थे। उसे सर्वाधिक माना गया था। वह एक रिकार्ड था। सरकार ने

अपना ही रिकार्ड तोड़कर इस वर्ष 876 करोड़ रुपए का कर लगाया है। अतः सरकार इस तरह से आगे बढ़ रही है।

कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब सरकार ने अधिक दरों का सहारा नहीं लिया। वर्तमान वृद्धि पिछले वर्ष भाड़ा दर में हुई 6% वृद्धि, पार्सल और लगेज दरों में हुई 10.6% वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक है। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि 11 प्रतिशत है किंतु इसका अधिकतम संचयी प्रभाव 18 प्रतिशत और औसत 14% बैठती है।

यह भी कहा गया है कि छूट दी गयी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी, चाय, मिट्टी के तेल और कपड़े पर छूट नहीं दी गई है। ये वस्तुएं आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं हैं और उन्हें छुआ नहीं जाता। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए और सरकार को पुनर्विचार करके इन मदों पर छूट देनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन मदों पर छूट दी गई है उनसे रेलवे को बहुत कम भाड़ा मिलता है। उदाहरणस्वरूप कुल माल भाड़े का 80 प्रतिशत भाग कोयला, लौह-अयस्क, अनाज, पेट्रोलियम, सीमेन्ट, इस्पात इत्यादि द्वारा निर्धारित होता है। अब सिर्फ 20 प्रतिशत बच जाता है। उसमें से 7-8 प्रतिशत का निर्धारण उन वस्तुओं द्वारा होता है जिन्हें रेलवे अपने उपयोग के लिये ढोती है। अतः मुश्किल से 12 प्रतिशत बच जाता है। सब्जियों और फलों को छोड़ दिया जाता था लेकिन ऊपरं वर्णित विषयों का वास्तव में क्या अर्थ है। 7-8 प्रतिशत में कृषक अपने फलों और सब्जियों आदि को ले जाने के लिये बैगन प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे। उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा मूल परिणाम यह होगा कि कृषकों और लघु उद्योग व्यवसायियों को कष्ट झेलने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

पुनः रियायतों की घोषणा की गयी है। वे रियायतें क्या हैं? रियायतें सिर्फ लम्बी-दूरी की यात्रा और अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिये हैं। कम-दूरी की यात्रा के लिये रियायतें क्यों नहीं दी गयी हैं? स्पष्टतः लम्बी-दूरी की रियायत का लाभ उन गरीब व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता जो कम दूरी की यात्रा करते हैं।

अतः मैं कहता हूं कि यह आम व्यक्तियों के मूल्य पर राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने का एक प्रयास है। रेलवे की आर्थिक उपलब्धि की चर्चा करने से पहले मैं रेलवे के कुछ अंगों, उदाहरणस्वरूप पूर्व रेलवे, की चर्चा करना चाहूंगा। प्रभारी पूंजी के कुल राजस्व का रेलवे वार आंकड़ा अब मैं प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1988-89 में यह 7.5 प्रतिशत है। वास्तव में यह कोई सहयोग नहीं है। यह ॠणात्मक रूप में है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे में यह— 41.3 प्रतिशत, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में— 30.1 प्रतिशत और दक्षिण रेलवे में— 14.3 प्रतिशत है। मैंने इन चार रेलवे की उपलब्धियों का उदाहरण दिया। वे मूल राजस्व में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को दिये गये आँकड़ों के अनुसार ऐसा 1978-79 से ही हो रहा है। पहले भी स्थिति ऐसी रही होगी— मैं नहीं जानता हूं। क्या आपने इन रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई कदम उठाया है और वे क्या कदम हैं? स्पष्टतः मैं आशा करता हूँ कि कुछ कदम विचाराधीन हैं। कोच सेवा और कम शुल्क की वस्तुओं को ढोने में रेलवे भारी नुकसान उठा रही है। यह साधारण स्थिति है।

रेलवे के ऋण भार में वृद्धि हो रही है। बन्धों द्वारा धनराशि में वृद्धि करने के लिये यह बाध्य है। गत वर्ष ऋण भार 128 करोड़ रु. था। इस वर्ष यह बढ़कर 271 करोड़ रु. हो चुका है। 1989-90 में यह बढ़कर 400 करोड़ रु. हो जाएगा। अतः ऋण भार में वृद्धि हो रही है।

अब मुझे आम राजस्व के प्रति रेलवे ऋण की चर्चा करने दें। 1983-84 में यह 423 करोड़ रु. था। 1989-90 में यह बढ़कर 805 करोड़ रु. हो गया। 780 करोड़ रु. के आस्थगित लाभांश दायित्व को मिला कर कुल ऋण 1,585 करोड़ रु. का हो जाता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है।

गत 1½ वर्षों में रेलवे वित्त निगम द्वारा 1,600 करोड़ रु० की बढ़ोतरी की गयी है।

गत महीने 1[1/2] वर्षों में रेलवे वित्त निगम द्वारा 1,600 करोड़ रु०) की बढ़ोतरी की गयी है। बाहरी ऋणों द्वारा 1,300 करोड़ रु०) की राशि की वृद्धि की गयी है। रेल मंत्रालय और क्या कर सकता है? अब जुटाये गये प्रत्येक रुपये में से सिर्फ 1.13 पैसे ही विकास पर खर्च होते हैं। हमें यह स्थिति ही बतायी गयी है। हम लोग किस विकास की आशा कर सकते हैं जब तक कि सरकार को आन्तरिक या बाह्य ऋण के रूप में या इसी प्रकार के किसी अन्य तरीके से धनराशि की प्राप्ती न हो। मुझसे पहले के वक्ताओं के अनुसार योजना आयोग द्वारा निर्गत की गयी धनराशि एक योजनावधि से दूसरी में कम कर दी जाती है। अतः मंत्री जी के पास भी कोई दूसरा तरीका या उपाय नहीं जाता है।

रेलवे की अतिरिक्त परिवहन की क्षमता में भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। देश की परिवहन व्यवस्था अनेक स्तरों से घाटे में चल रही है। इसकी कोई आशा नहीं है कि देश के आर्थिक विकास में परिवहन क्षमता सहायक होगी। मेरी एक मात्र आशा है कि समग्र आधार पर ठोस रूप से बनायी गयी परिवहन नीतियों की शुरुआत सरकार द्वारा की जायेगी। इस लोकसभा की वर्तमान अवधि के प्रथम सत्र में अपना प्रथम बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इसकी ओर इंगित किया गया था। लेकिन आन्तरिक रूप से ऐसी कोई सामेंकित राष्ट्रीय परिवहन नीति नहीं है। सामेंकित राष्ट्रीय परिवहन नीति के अर्न्तगत रेलवे, सड़क परिवहन, जहाज परिवहन, अन्तर्देशीय परिवहन आने चाहिएं। हमें एक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में योजना बनाने मे सक्षम होना चाहिए। हम लोगों को प्राप्य समग्र आधार पर वह होनी चाहिए।

पुरानी सम्पत्ति और अन्य वस्तुओं की चर्चा करने से पहले मैं आधुनीकीकरण और तकनीकी उत्थान की चर्चा करना चाहूंगा। ये सरकार के प्रमुख लक्ष्य हैं। अतः हमें देखना चाहिए कि क्य हुआ था। आधुनिक तरीके के रेल डिब्बे और रेल गाड़ियों के निर्माण के लिये रेलवे ने अब तक तकनीक को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह मेरा पहला आरोप है। योजना लक्ष्य के अतिरिक्त वे इस अर्थ-में दोषी हैं कि आधुनिक प्रकार के रेल डिब्बे और रेल गाड़ियों के निर्माण की तकनीक को उन्होंने अन्तिम रूप नहीं दिया है।

दूसरे उचित प्रकार के लोकोमोटिब, वैगन और कोच के निर्माण को अन्तिम रूप देने में अनावश्यक देर की जा रही है जिससे व्यवस्था में अनाधुनिक स्टाक की ढेर लगती जा रही है।

तीसरे, पुराने और अनाधुनिक स्टाक को बहुत धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। सरकार भूलती है कि इसके परिणामस्वरूप संक्रियात्मक क्षमता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।

फिर आवश्यक मात्रा में स्वदेशीय रेल की उपलब्धता आती है जिसमें वृद्धि आवश्यक है। आयात को टालने के लिये रेल की आवश्यक मात्रा में वृद्धि का कोई चिन्ह नजर नहीं आता है।

मैं पुरानी सम्पत्ति की चर्चा करता हूं। तकनीकी उत्थान के लिये पुरानी सम्पत्ति के बदलाव पर योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ तक वैगनों का सम्बन्ध है छठी योजना के अन्त में पुराने प्रकार के 23,395 वैगन थे और सातवीं योजना में यह आँकड़ा 32,191 हो गया। कोचो के लिये, छठी योजना के अन्त में आँकड़ा 4760 था और सातवीं योजना में यह 7342 है। वाष्प ईंजनों के लिये, छठी योजना के अन्त में आँकड़ा 286 था और सातवीं योजना के अन्त मे यह 575 है। जहाँ तक मीटर लाइन का संबंध है छठी योजना के अन्त में यह 3944 था और सातवीं योजना के अन्त में यह 13,341 है। यह कहा गया है कि पुराने सम्पत्ति को बदलने के लिये एक क्रमबद्ध योजना लागू की जायेगी। कौन सी क्रमबद्ध योजना लागू की गयी है? क्या मैं सभा के पटल पर इसे प्रस्तावित देख सकता हूँ? पुराने सम्पत्ति को बदलने की भारी बकाया राशि संचित हो गयी है। रेल ईंजनों, डिब्बों के ढाँचे पुराने पड़ चुके हैं। बेकार के रेल ईंजनों, डिब्बों के स्टाक की प्रतिशत मात्रा निश्चित स्तर से काफी बढ़ चुकी है। यह कहा गया है। यह स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस स्थिति में मंत्रालय कैसे बरकरार है। यह समूह 2805 डीजल, 1194 विद्युत

और 6212 लोकोमोटिब्स का है। वाष्प ईंजन का उपयोग संक्रियात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा की खपत के दृष्टिकोण से भी अयोग्य है। यह अप्रचलित रूप है। इसे समाप्त कर देना है और इसे बदल देना है। इसे धीरे-धीरे पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। मैं समझता हूँ कि 2000 के अन्त तक हम लोग इसे कर पाने में सक्षम होंगे। जिस विधि से वे चल रहे है उससे वे अभी इसे कर पाने में सक्षम नहीं होंगे।

जहाँ तक लाइन परिवर्तन का प्रश्न है कुल 62000 लम्बी लाइनों में 53 प्रतिशत बड़ी लाइन है, 40 प्रतिशत मीटर लाइन है। इस दर से आप कब तक पूर्णरूप से इन परिवतनों को कर सकने में सक्षम होंगे? मैं नहीं समझता कि आप इसे कर पायेंगे?

जहां तक लाइनों के नवीनीकरण का सम्बन्ध है, छठी योजना का लक्ष्य 14000 कि॰ मी॰ था लेकिन वास्तविक उपलब्धि 9200 कि॰मी॰ हुई थी। यह सच है कि रेलवे को पर्याप्त धन उपलब्ध किया गया था। योजना में 500 करोड़ रुपये से 1075 करोड़ रुपये तक की व्यय में वृद्धि हुई थी। फिर भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी वजह से स्टील की लागत में वृद्धि हुई थी।

सातवीं योजना में कुल लक्ष्य 2000 कि॰मी॰ का था। मुझे विश्वास नहीं है कि क्या रेलवे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें 5000 कि॰मी॰ प्रति वर्ष पूरा करना होगा। 1987-88 में इस सम्बंध में 4540 कि॰मी॰ का सबसे ऊंचा रिकार्ड था। मैं इससे सम्बंधित व्यक्तियों को बधाई देता हूं। लेकिन अगले वर्ष शीघ्र ही उहोंने लक्षय को कम करके 3750 कि॰मी॰ कर दिया। वर्तमान वर्ष के दौरान, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 5000 कि॰मी॰ से अधिक का लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। स्पष्टतया आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे।

सातवीं योजना के शुरू में इस संम्बन्ध में बकाया 2000 कि॰मी॰ था और वे 31.3.1990 तक 12000 कि॰मी॰ तक कम हो जायेगा और जिसे 1994-95 में पूरा किया जा सकता है। यही मंत्री जी भी कहते है। यह स्थिति है।

अब मैं सवारी डिब्बा की संख्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 31.3.1980 को सवारी डिब्बों की संख्या 8295 थी। छंठी योजना के अन्त तक यह कम होकर 7789 हो गयी। 31.3.1986 को यह और कम होकर 7543 हो गयी और फिर 31.3.1988 यह कम होकर 7275 हो गयी यह संख्या कम कैसे हो रही है? आपको इसे स्पष्ट करना होगा।

इसी तरह मालडिब्बों की संख्या के बारे में है। 31.3.1980 को कुल माल डिब्बों की संख्या 505183 थी। छठी योजना के अन्त तक यह कम होकर 365392 रह गई। सातवीं योजना के पहले तीन वर्षो में यह और कम होकर 346844 हो गई। माल डिब्बों की संख्या लगातार कम हो रही है।

तीसरी योजना के दौरान नई लाइनों की लम्बाई 2152 कि॰मी॰ थी, चौथी योजना के दौरान यह 1835 कि॰मी॰ थी, छठी योजना के दौरान यह 1616 कि॰मी॰ थी और सांतवीं योजना के पहले तीन वर्षो के दौरान यह 832 कि॰मी॰ है। यह स्थिति है।

अब हमें विद्युतीकरण पर ध्यान देना है। लगभग 62000 कि॰मी॰ में से केवल लगभग 11 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया गया है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान प्रगति की दर कम होती जा रही है। दूसरी योजना अवधि के दौरान, 360 कि॰मी॰ लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था; तीसरी योजना में 1675 कि॰मी॰ लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था, छठी योजना में 1522 कि॰मी॰ लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था और सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षो के दौरान 1832 कि॰मी॰ लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था। सातवीं योजना के लिए मूल लक्ष्य 5049 कि॰मी॰ था लेकिन यह कम होकर 3400 कि॰मी॰ रह गया था। पहले आपका प्रति वर्ष लक्ष्य 1000 कि॰मी॰ का था और दस वर्षो के लिए भी कार्यक्रम बनाया गया था। अब, हम

नहीं जानते कि क्या आप अपने कम किये गये लक्ष्य को भी प्राप्त करने में समर्थ होगें। इसलिए 1973 से पहले हमारी विद्युतीकरण की दर प्रतिवर्ष 300 कि०मी० थी, लेकिन बाद में यह पांचवीं योजना के दौरान 190 कि०मी० हो गई थी और 1980 में 180 कि०मी० रह गई यह स्थिति है।

इसके विपरित विकसित देशों में उन्होनें विद्युतीकरण में अपने निवेशों की आशा के फलस्वरूप आस्ट्रेलिया में, रेलवे में विद्युतीकरण 49 प्रतिशत है, जापान में 48 प्रतिशत; इटली में 48 प्रतिशत स्वीडन में 62 प्रतिशत, स्विटजरलैंड में 99 प्रतिशत और भारत में केवल 11 प्रतिशत है।

जहां तक विद्युतीकरण का संम्बघ है, में पूर्व के कुछ तथ्यों को बताने का प्रयास कर रहा था। जी० ओ० पी०काम के बारे में सरकार का निष्पादन कार्य इतना अच्छा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया है कि सातवीं योजना के दौरान 1800 कि०मी० मार्ग को आठवीं योजना तक आगे बढ़ाया जायेगा। यह स्थिति है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान यह हो रहा है। क्या आप जानते है। छठी योजना में क्या हुआ था? मुझे उसका उल्लेख करने दीजिए

3400 किमी० मार्ग जिसकी सातवीं योजना के लिए योजना है जिसमें छठी योजना के सब कार्य शामिल है सातवीं योजना में अतिरिक्त कार्य लगभग नाममात्र है। सातवीं योजना में यहीं बात हुई है। यही हो रहा है। 1000 किमी० मार्ग प्रतिवर्ष के लक्ष्य को इस सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकेंगा। विद्युतीकरण के लिए एक वर्ष पूर्व बनायी गयी 10 वर्षीय योजना समाप्त हो गई है। इस पर कार्य नहीं हो रहा है। अतः इसके क्रियान्वयम का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब जहाँ तक नई लाईनों का सम्बंध है वर्ष 1988-89 के लिए सभी चालू नई लाईन परियोजनाओं के लिए 1470 करोड़ की आवश्यकता के बावजूद केवल 195 करोड़ रूपये दिये गये है। इस परियोजना को पूरी करने के लिए आपको 1470 करोड़ रूपये की आवश्यकता है और आपको केवल 195 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। इस तरह वे सातवीं योजना के अन्त तक लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते है। 26 चालू परियोजनाओं में 2315 किमी० की दूरी के लिए 1781 करोड़ रूपये की आवश्यकता हैं जो मंत्री जी ने बताया है। इसी तरह, यदि आप लाइन (गेज) परिवर्तन योजना पर ध्यान दे तो सातवीं योजना के अन्त तक 8 चालू लाइन परिवर्तन परियोजना में लगभग 1205 किमी० की दूरी बाकी रहेगी। उन्हे 442 करोड़ रूपये की आवश्यकता है लाइन परिवर्तन परियोजना में 1429 किमी० की दूरी के लिए 452 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी जबकि 178 किमी० लाइन के लिए केवल 60 करोड़ रूपये दिये गये थे। यह प्रावधान किया गया है और यह लक्ष्य निर्धारित है। इस तरह प्रत्येक योजना अवधि के दौरान प्रगति कैसे होगी।

आपकी एक सम्मलित योजना थी जिसमें पुरानी परिसम्पतियों के बारे में जिक्र था जिसे 2000 ई० सन् तक बदलने की आवश्यकता है। आंकड़े इस प्रकार है: भाप इंजन-5990, डीजल इंजन-424, डिब्बे-21872, ई० एम० यू० 1696 और नई लाइनों के अतिरिक्त 50,000 किमी० की पटरियों का नवीकरण। इसमें 46150 करोड़ रूपये की बड़ी राशि लगती है। आप इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, यह निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे।

यह बताया गया था कि दीर्घकालीन संदर्शी योजना विद्यमान नेटवर्क के विस्तार के लिए बनाई जायेगी। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूँ कि 6 रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए क्या संदर्शी योजना बनाई जाएगी। स्वतन्त्रता के बाद केवल 8380 किमी० नई लाइने बिछायी गयी है। इसलिए जो कुछ कार्य किया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया है। आप केवल बदलने या मरम्मत करने और इसी तरह की बाते सोच रहे हो आप कोई नये मार्ग बिछाने में समर्थ नहीं है। सातवीं योजना के आरंभिक तीन वर्षों में, केवल 140 किमी० नई लाइनें थी यह स्थिति है। इसलिए दीर्घकालीन संदर्शी योजना, जिसे पहले घोषित किया गया था, मे

लोकसभा के सभी सदस्यों को ब्यौरा दिया जा सकता है जिस से हमें इस पहलू के बारे बाकी में जानकारी मिल जाती।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मै सुख-सुविधाओं के बारे में मुद्दा उठाना चांहूगा। वार्षिक योजना में 4450 करोड़ रू० की कुल राशि में से सुख सुविधाओं के लिए केवल 24 करोड़ रूपये दिये गये। यह 24 करोड़ केवल 0.5 प्रतिशत है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? जहाँ तक सुविधाओं का सम्बंध हैं इतनी कम राशि से मंत्री जी आशा के अनुरूप लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते है। मैं बताना चाहूगाँ कि उपलब्धि आशा के अनुरूप नहीं होगी और वे असफल हो जायेगे।

विशाखापट्नम में राम मूर्ति पंटुलू पेटा पर ऊपरी पुल के बारे में भी में कुछ संक्षेप में कहना चाहूंगा इस बारे में मैने मंत्री जी को कई बार कहा है और मैने बहुत से पत्र लिखे है। उत्तर मुझे भेजे गये है। कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। लेकिन मैं नहीं जानता इस समय मामला कहाँ है। रेलवे बजट में विशाखापट्नम में राम मूर्ति पंटुलू पेटा पर ऊपरी पुल की बात नहीं की गई है। मैं नहीं जानता इस पर कहां तक कार्य हुआ है। मैं रेलवे मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य ने खड़गपुर-विजयवाड़ा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के बारे में जिक्र किया है जो बहुत जरूरी भी है। यह स्वीकृति के लिए लम्बे समय से विचाराधीन है। मै मंत्री जी से इस पहलू पर विशेष ध्यान देने का भी अनुरोध करता हूं।

कतिपय दूसरे प्रस्ताव हैं जिन पर विचार किया जाना है। मध्यप्रदेश में किरणडेल से आंध्र प्रदेश में कोनूर तक के लिए एक नई रेलवे लाइन की आवश्यकता है जो लौह अयस्क को कोवूर तक ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह मुद्दा राज्य सरकार ने कई बार उठाया है। लोक सभा के सदस्यों ने भी मंत्रालय को बार-बार प्रस्ताव भी किया है। पता नहीं इन सब मुद्दों पर कब कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार, कोवूर रेल मार्ग पर दंतवाड़ा-भद्राचलम सड़क नागार्जुन सागर डेल्टा क्षेत्र को खोल देगी जिससे परिवहन सविधा उपलब्ध होगी। इसकी बहुत आवश्यकता है। लागत-व-साध्यता रिपोर्ट 1965 में तैयार की गई थी। परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। इसकी जांच की जानी चाहिए।

नाडियाकुड़ी-वेंकटगिरि लाइन, नांदयाल - इरागुंटला लाइन, हैदराबाद की सर्कुलर लाइन पर कार्य काफी समय से लटका हुआ है। हैदराबाद में सर्कुलर लाइन की आवश्यकता काफी समय से महसूम की जा रही है। यह मामला सरकार के समक्ष है। चूंकि यह परियोजना लम्बे समय से लटकी हुई है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें।

श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ (चिकमगलूर): अपने भाषण में, माननीय रेल मंत्री ने उत्पादकता एवं आधुनिकीकरण पर बहुत सही बल दिया है। प्रधानमंत्री और सरकार रेलवे को प्राथमिकता देते रहे हैं। इसीलिए गत वर्ष के सूखे, बाढ़ और बजट-उपरांत की घटनाओं के होते हुए रेलवे का कार्य उत्कृष्ट रहा। रेलवे की वित्त व्यवस्था बहुत अच्छी है। संपूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्य निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर सुधार इस कार्य की विशेषता रही हैं। पिछले सभी रिकार्ड तोड़े गए हैं।

महोदय, परिवहन और विशेषतः पर रेल परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। रेलवे की प्रगति से देश की अर्थव्यवस्था में भारी सुधार होगा। बुनियादी आवश्यकताओं के विकास एंव आधुनिकीकरण में संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ी अड़चन है। परम्परागत संसाधनों से वर्तमान मांग पूरी नहीं होगी।

लगभग 2315 कि० मी० लम्बी लाइन बिछाने की 26 चालू परियोजनाओं को शेष 1781 करोड़ रु० की राशि में पूरा करना होगा। इसलिए हमें संसाधन बढ़ाने के लिए नए स्रोत ढूंढने होंगे। आगामी वित्त वर्ष के दौरान कुछ नई लाइनें बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। परन्तु यह बात निराशजनक है कि चिकमंगलूर की बहुत दिनों से चली आ रही मांग को उचित महत्व नहीं दिया गया है हालांकि श्रीमति इन्दिरा गांधी ने जब 1978 में एतिहासिक चिकमंगलूर चुनाव जीता था तब उन्होंनें भी इस मांग का समर्थन किया था।श्रीमती इन्दिरा गांधी की पहल पर कादूर-चिकमंगलूर की 43 कि० मी० लंबी मीटर लाइन का सर्वेक्षण 1983 और 1986 के बीच किया गया जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रु० थी। उसके बाद से इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है।

महोदय, चिकमंगलूर देश का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और पश्चिमी घाट क्षेत्र में अत्यन्त सुन्दर स्थल है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। यह विश्वविख्यात स्थलों जैसे बेलूर, हैलेबिड और धर्मस्थल पर्यटन स्थलों के बहुत निकट है। चिकमंगलूर की जनता इन्दिरा जी के वचनों को मूर्तरूप दिए जाने के बारे में सुनने के लिए लालायित है। इसलिए चिकमगलूर, जिसका प्रतिनिधित्व एक समय इन्दिरा गांधी जी कर रही थी, आज रेल लाईन के लिए लालायित है। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह चिकमगलूर को यदि अधिक नहीं तो ग्वालियर की तरह बराबर स्तर और ध्यान दें। यह इन्दिरा जी के लिए श्रदांजली होगी जिनके लिए चिकमगलूर की जनता इस देश के नाजुक और कठिन समय में काम आई। सातवीं पंचवर्षीय योजना को शुरू में 1900 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण के बकाया कार्य को निबटाने के लिए रेल मंत्रालय का पुनःस्थापन कार्यक्रम प्रशंसनीय है। आगामी दशक के दौरान रेलवे के कार्यकरण पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा और देश भी इससे लाभान्वित होगा। देश के उद्योगीकरण में रेलवे की मुख्य भूमिका है। पिछड़े क्षेत्रों और अविकसित क्षेत्रों में रेलवे की पहुंच पर्याप्त नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने सम्बन्धी वर्तमान मानदण्ड उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं है।मानदण्डों में परिवर्तन किया जाना चाहिए परन्तु साथ-साथ संसाधन सम्बन्धी बाधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए पिछड़ा क्षेत्र रेल विकास के लिए एक पृथक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से भी सम्पर्क किया जाना चाहिए। और सरकारथ को कुछ हद तक व्यय वहन करना चाहिए। रेलवे राष्ट्र का आधार है और देश के प्रत्येक जिल मुख्यालय को रेल से जोड़ना आवश्यक है, विशेषतौर पर उन जिलों को जो नगदी फसल भारी मात्रा में पैदा करते हैं। मेरे जिले, चिकमगलूर को भी रेल लाइन से जोड़ना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए ताकि नई दिल्ली और दूरस्थ राज्यों की राजधानियों के बीच यात्रा समय को कम किया जाए ताकि यात्रा समय में कम से कम 20 प्रतिशत की कमी की जा सके। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुरक्षा, विशेषतौर पर मानसून में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, विशेष महत्व रखती है। ऐसे स्थलों का पता लगाया जाना चाहिए और मानसून के दौरान सिंगनल पोस्ट बनाई जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई की वर्तमान प्रणाली को ठीक किया जाना चाहिए ताकि शोचालय अपाशिष्ट को खुले में न डाला जाए। वातावरण को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए और स्वास्थय एवं सफाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शुरू में, इसी वर्ष ही, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की गन्दगी साफ की जानी चाहिए। इसे राष्ट्रीय स्तर का सर्वोत्कृष्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं रेल मंत्री का ध्यान कर्नाटक में रेल व्यवस्था के विकास की ओर दिलाना चाहती हूं। इस भय को दूर किया जाना चाहिए कि कर्नाटक की उपेक्षा हो रही है। मैं अनुरोध करती हूं कि कर्नाटक की मांगों पर सहानुभृतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण मांगों की वकालत

कर रही हूं जैसे मैसूर-बंगलोर रेल लाइन को बड़ी लाइन बनाने का कार्य धन अभाव के कारण बहुत मंद गति से चल रहा है। इसे तेज किया जाना चाहिए।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): महोदय, इन्होंने प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है। हमने 17 करोड़ रु० दिए हैं।

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ: जी हां; परंतु पिछले चार वर्षों से हमें आवश्यक धनराशि नहीं दी गई है।

श्री माधवराव सिंधियां: आपको रेल मंत्रालय का धंयवाद करना चाहिए।

श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ: बंगलोर-मिराजा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आठवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए। 1983 में, कर्नाटक के लिए एक मंडलीय कार्यालय की स्वीकृति दी गई थी। इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसे कार्य को 1989 में ही किया जाना चाहिए।

मैं आशा करती हूं की रेलवे उनके नेतृत्व में भविष्य में और बेहतर कार्य करेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर): मि० चेयरमैन, सर बड़ी कृपा है कि आपने मुझे रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने रेलवे के सम्बन्ध में जितने आंकड़े यहां प्रस्तुत किये हैं, उसके आगे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। माननीय रेल मंत्री जी ने उन्हें नोट कर लिया होगा, लेकिन इस बजट के माध्यम से जनता को सुविधायें पहुंचाने के मामले में किस हद तक और किस गति से बढ़े हैं, उस पर विचार करने का हमको अवसर मिल जाता है। मैं भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे वर्तमान रेल राज्य मंत्री जी जो बजट प्रस्तुत करते रहे हैं, उनमें पिछले सालों की बनिस्बत कुछ आगे बढ़ने का आभास अवश्य मिलता है लेकिन हमारे रेल मंत्री जी के दिमाग में इक्कीसवीं सदी में जिस तेजी से प्रवेश करने का नक्शा घूम रहा है, जिस गति से हम पहले 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार पर पहुंचे, फिर 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार पर पहुंचे और अब 120 से 140 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से हमारी रेलें दौड़ रही हैं, इससे माननीय मंत्री जी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दिनों में हम 140 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से अपने देश में रेल चलाने की स्थिति में पहुंचे और इक्कीसवीं सदी में हमें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में पहुंचाना है। निश्चित तौर पर जापान की बुलैट ट्रेन का नक्शा आपके सामने होगा, फ्रांस की तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का नक्शा होगा। इसके साथ-साथ आपके सामने यह नक्शा भी होगा कि पूरे देश का विकास करने के लिए रेलों को जो भूमिका अदा करनी है, रेलवे पर जो जिम्मेदारी है देश के हर कोने में आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती से सस्ती दर पर तेजी के साथ पहुंचाने की, उसे किस तरह से निभाना है। जैसा आप जानते हैं इस देश में तेजी से चीजें एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के साधनों का अभाव रहा है, पहले बैलगाड़ियां तीन किलोमीटर प्रतिघंटा की दर से चला करती थीं, लेकिन जब हम आज की परिस्थितियां देखते हैं तो माननीय रेल मंत्री जी ने इस देश में 140 किलोमीटर की गति से रेलें चला कर बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है। अब हम तेजी से आवश्यक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकेंगे। अब हम उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जब हमें सारी दुनिया की रेलों का नक्शा सामने रखकर अपनी प्लानिंग में और बढ़ोत्तरी करनी चाहिये।

और अपनी गति को हमको इस हद तक ले जाना चाहिए ताकि हमें दूसरे देशों के सामने खड़े होने

में कोई परेशानी पैदा न हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अभी प्रभावती जी ने राजधानी का जिक्र किया कि राजधानी के कोचेज कैसे हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार उसमें अवश्य सफर करें, उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। अगर हम तेजी के साथ कोचेज का निर्माण कर सकें तो मेरी समझ में राजधानी को भी हम 140 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकते हैं लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि या तो हमारे प्लानर्स, योजना आयोग हमें पर्याप्त धन देने में कंजूसी कर रहा है या हमारे राज्य मंत्री जी राजा हैं, मांगने में इनसे कुछ कोताही हो रही है क्योंकि इनकी आदत हमेशा से देने की रही है और मांगने वाला काम हमारे जैसे लोगों का रहा है, हमारा अनुरोध है कि आप मांगने वाले मामले में हमारा सहयोग अवश्य लें। यदि एक पंचवर्षीय योजना ने रेलवे के लिए अच्छी तरह से फाइनेंस कर दिया तो 2000 ईस्वीं तक पहुंचते-पहुंचते हमारे पास कोचेज हो जायेंगे, हमारे पास लोकोमोटिव होगा, पावर होगी इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन होगा और इन्फ्रास्ट्रक्टर की जो दूसरी तरह की आवश्यक विधायें हैं, इक्कीसवीं सदी में ले जाने के लिए, जैसे बुलैट ट्रेन हैं, उसकी तरफ हम कदम बढ़ायेंगे। इक्कीसवीं सदी में पहुंचने के लिए हमारा जो स्वप्न है इसके जरिये हम उसे साकार कर सकते हैं।

मैं राज्य मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि रेलवे का काम शांति काल में व्यापार और रोजगार के चैनल को बिना किसी रुकावट के चलाना है लेकिन रेलवे से एक आवश्यकता हमारी डिफेंस की भी पड़ती है। डिफेंस के लिए हमारे नागरिक हर तरह की कुरबानी करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन राज्य मंत्री जी का ध्यान मैंने कई बार बहुत तेजी से, बहुत जोरों से और अनुनय विनय के साथ आकर्षित करने की कोशिश की है और कहा है कि आपकी प्लानिंग में भी जो डिफेंस का टच होना चाहिए, वह नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस समय भी प्लानिंग में कुछ संशोधन करके कर सकते हैं तो डिफेंस के पाइंट आफ व्यू से इसे सर्वोपरि माना जाय, रेलवे का आवान परिवर्तन, पुलों का निर्माण और दूसरी सब चीजों पर तो आप विचार करें ही।

इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग आपको तंग करते हैं कि हमें फ्लां पुल चाहिए हमें फ्लां कुछ और चाहिए। आप को हमें तंग करते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है, हममें से कुछ लोगों ने 50, 55 और 60 साल का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने पार्टी मीटिंग में बोलते हुए भी कहा था, आपका ध्यान आकर्षित किया था कि आप अंग्रेजों के साथ नेपाल के युद्ध का इतिहास निकलवाइये, आपके यहां सब रिकार्ड पड़े हुए हैं, आप सुगोली संधि को पढ़िये और उसको पढ़ने के बाद पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की रेलवे की प्लानिंग में डिफेंस की दृष्टि से करायें। छितौनी बराष की बात हमें बार-बार कहने की आदत नहीं पड़ी हुई है लेकिन मैंने अभी दो तीन दिन पहले प्रश्न किया था उस प्रश्न का जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि आर्थिक दृष्टि से यह उचित नहीं पाया गया, वायबल नहीं पाया गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या डिफेंस पाइंट आफ व्यू से आप जितनी चीजें बनाते हैं, उनमें कहीं आर्थिक दृष्टि से वायबलिटी की बात देखते हैं? बूढ़ी गण्डक पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को डिवाइड करती है, जो हिन्दुस्तानं के ही नहीं, दुनियां के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से हैं और वहां केवल सोनपुर में एक रेलवे लिंक है जिससे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार को एक साथ जोड़ने में समर्थ हैं। भगवान न करे कि कहीं कोई अघटित घटना हो जाय तो आपके पास कोई आल्टरनेटिव नहीं है, यह बात मैं फिर से आउट आफ वे जाकर भी कहना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की दुहाई देते-देते तो हम लोग थक गये हैं। उन्होंने करीब 5 लाख आदमियों के समाने शिलान्यास किया था। मैं वहां मौजूद था, उपमंत्री, श्री महाबीर प्रसाद जी भी मौजूद थे, श्री केदार पांडे, श्री एल एन मिश्र भी मौजूद थे। श्री मनोज पांडे भी मौजूद थे, स्व॰ गेदा सिंह जी भी मौजूद थे। हम सभी लोगों के सामने शिलान्यास हुआ था और उस शिलान्यास से जनता में अपार हर्ष की लहर फैल गए थी लेकिन वह फ्रिजल आउट हो गया। हम जब

आपको बार बार याद दिलाते हैं तो वह उससे आप भी तंग होते होंगे। मैं क्षमा चाहूंगा आप तंग न हों लेकिन जो आवश्यकता की बात हम बता रहे हैं। उसपर आप गौर करें।

इसी तरह से गेज परिवर्तन के सम्बन्ध में मैं आपको धनयवाद देना चाहता हूं। अगर पिछले साल साढ़े 8 करोड़ दिया था आपने भटनीवारणसी को तो इस बार 23 करोड़ दिया है लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या रेलवे अपनी किन्हीं भी योजनाओं के सम्बन्ध में यह फैसला स्वीकार नहीं करेगी कि आप जिस काम को भी हाथ में लें उसे पूरा करें और आगे जोड़ने का जो काम हो वह आप तभी करें जब कि आप अपने रिसोसेज़ को इस हदतक मोबिलाइज़ कर ले जायें कि वह काम बीच में न रूके और जो कई गुना खर्चा बढ़ जाता है, लागत बड़ती है उस लागत को आप कन्टेन कर सकें।

इसी प्रकार से माननीय रेल मंत्री जी, आपका यह ऐसा विभाग है कि अगर एक डिब्बा या एक कोच आप निमित करते हैं तो उससे कम से कम चार आदमियों को आप एम्पलायमेन्ट देते हैं। कोच बनाने के जो कारखाने हैं उनकी संख्या कम होने की वजह से रेलवे जो सेवायें राष्ट्रीय स्तर पर या जनता के स्तर पर देना चाहती है वह नहीं दे पाती। मैं चाहूंगा कि अगर भटिण्डा में या दूसरी जगह कपूरथला में कोच फैक्टरी चली गई तो अभी भी हमारे देश की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। पिछडे हुए इलाकों में अगर आप एक भी छोटा-मोटा कारखाना लगाते हैं तो वह वहां पर एमपलायमेंन्ट जनरेट करता है, वहां पर औद्योगीकरण की हवा पैदा करता है। यह एक दूसरा बजट हैं-सरकार के भीतर सरकार जिसको कहा जा रहा है, वह है - इस दृष्टि से भी आप सोचिए कि सारे देश का डेबलपमेन्ट रेलवे के ऊपर निर्मर करता है। इस दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो रेलवे को तेजी के साथ बनाना होगा। हवाई जहाज़ हमारी यात्राओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। आपकी 140 किलोमीटर रफ्तार वाली सेवा हवाई जहाज़ को भी सप्लीमेन्ट करेगी। इसलिए इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

दूसरे आपके जो जी. आर. पी. या इस तरह के जो दूसरे सुरक्षात्मक दस्ते हैं उनसे हमको कुछ राहत मिलती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इनके लिए कूछ हिदायतें आपकी तरफ से होनी चाहिए। अभी रात ही मैं वैशाली ट्रेन से आ रहा था। वहां उसमें 50-30 लोग आए और उन्होंने कई० एम० पी० लोगों से - चन्द्रशेखर जी थे, मैं था सब को रात दो बजे जगाकर पूछते हैं तुम्हारे इसमें क्या है, तुम्हारे इसमें क्या है और उन्हीं में से कुछ लोगों से उन्होंने इसमें क्या है, तुम्हारे पैसा वसूल करने का काम किया। तो जो हमारी रक्षा के लिए नियुक्ति हैं उनको यह हिदायत होनी चाहिए कि किसी भी हालत में सोए हुए मुसाफिर को जगाकर तंग न करें। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हां, अगर कहीं शुबहा हो तो जरूर तलाशी ले लें लेकिन इस तरह से बनाकर तंग नहीं करना चाहिए।

इसी तरह से जो खान-पान की व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपकी यह सारी व्यवस्था सब्सिडाइज्ड चले या न चले लेकिन जो सेकेन्ड क्लास मुसाफिर हैं, जो पैसेंज़र ट्रेन्स में चलने वाले हैं उनके लिए जो चाय वगैरह का रेट है वह ज्यादा हो गया है, खाने वगैरह का जो दाम है वह भी ज्यादा बड़ गया है। तो किस तरह से आप दाम कम करें और किस तरह से क्वालिटी ठीक करें-इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

मैं माननीय राज्य मंत्री का आभारी हूं कि आपने हमको हफते में दो बार कोचीन जाने का अवसर प्रदान किया है। आपने दो दिन हैदराबाद जाने का भी अवसर दिया है। एरनाकुलम पहुंचनऐ के बाद आदमी कोचीन पहुंच जाता हैं, क्या इसे त्रिवेंद्रम तक नहीं ले जाया जा सकता है? यदि सम्भव हो तो इस पर भी आप विचार करें ताकि यहां के गए हुए लोगों को कन्याकुमारी के लिए तीन जगह न बदलना पड़े, एक ही बार चढ़े हुए कन्याकुमारी के दर्शन भी कर लें और उधर की विकास योजनाओं पर भी उनकी नजर पड़ जाये -

यह मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक इसी तरह से और हिस्सों से भी आपने जोड़ा है। एक छोटा सा हमारा अनुरोध और था जो कंसल्टेटिव कमेटी में भी आपने नहीं माना।

4.00 म. प.

एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि कलकत्ता और गोरखपुर के बीच जो ट्रेनें आप चलाते हैं, उन की डूरेशन में कमी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उस में दो घंटे, तीन घंटे की कमी हो सकती है और मेरा विश्वास है कि इस के ऊपर रेलवे बोर्ड विचार करेगा और जो समय-सारणी है समिति है, वह इस पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और आप के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया और रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट में व्यवस्थाएं की हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

(अनुवाद)

श्री पराग चालिहा (जोरहाट): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बजट भाषण बहुत अच्छी तरह पढ़ा गया । मैं केवल यही चाहता हूं कि रेलवे के कार्यकलाप और कार्य कुशलता भी उतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी तरह से बजट पढ़ा गया है। बजट बहुत दिलचस्प है परन्तु मेरे क्षेत्र के मामले में बिल्कुल भी उत्साहपूर्वक नहीं है। मैं उनके भाषण से यह भी नोट करता हूं कि उन्होंने यह मान लिया है कि अगले चुनावों में असम में उनकी हार होगी क्योंकि वहां कोई सुधार या विकास नहीं हुआ है। पूरे बजट में असम के लिए एक भी महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख नहीं है।

4.02 म. प.

[शरद दिघे पीठासीन हुए]

यह जानकर खुशी हुई कि पूंजीगत लागत जो 1950 में 827 करोड़ रु॰ थी 1987-88 में बढ़ कर 11662 करोड़ रु. हो गयी। परन्तु 1947 के बाद 8380 कि. मी. रेल लाइन बनाई गई जोकि केवल 220 कि. मी. प्रति वर्ष बैठता है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से केवल 951 इंजन और लगाए गए जो कि केवल 27 प्रतिवर्ष बैठता है। एक अन्य आश्चर्यजनक बात यह है कि बल्क में लाई-ले जाई गई वस्तुओं के संदर्भ में कोयले का प्रतिशत 41-30 है, खाद्यान्न का प्रतिशत 10.38 था। क्यों? मेरे क्षेत्र में, अधिकांश खाद्यान्न सड़कों द्वारा लाया-ले जाया जाता है। हम महसूस करते हैं कि यदि रेलवे खाद्यान्न को लाने-ले जाने के लिए कुछ करती है तभी मूल्यों को कम किया जा सकता है।

महोदय, मेरे राज्य के लिए एक भी रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल चार परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत कुल 38 कि. मी. रेल लाइन बिछाई जाएगी। इनमें से तीन बटाक घाटी, त्रिपुरा में, एक अरुणाचल में भालुकपुंग समेत बालीपाड़ा में। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आमगुरी-तुली में इस तर्क पर शुरु नहीं की कि असम नागालैंड में सीमा विवाद चल रहा है।

जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य 1930 से चल रहा है। मुझे यह जानकर दुख होता है कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। असम में यह विशेष बात है कि रेलवे केवल चाय बागानों और कोयला खानों के लिए ही कार्य करती है,

जिला मुख्यालयों को रेल लाइनों से जोड़ने की दिशा में इसने कुछ नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर, बड़ी लाइन गुवाहाटी में समाप्त हो जाती है और अन्दरूनी क्षेत्रों में रहने वाली जनता के लिए छोटी लाइन ही उपलब्ध है।

हमारी सभी दलीलों और अभ्यावेदनों के बावजूद, नव असम क्षेत्र में जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए गुवाहाटी से तिनसुखिया तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

31.3.88 तक कुल 8155 कि. मी. लँबी लाइन का विद्युतीकरण किया गया। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक रेलवे लाइन का बिल्कुल विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने पाण्डु से कन्टेनर सेवा लागू करके एक अच्छा कदम उठाया है। यह चाय के निर्यात में लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन अभी लागू की गयी कन्टेनर सेवा बहुत छोटी और अपर्याप्त है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सेवा में सुधार करें।

अ2 मेरा विचार था कि एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे क्षेत्र में खेलों के विकास और उचित उपयोग को रेल मंत्री कुछ महत्व देंगे जहां विशेषकर फुटबाल आदि खेलने वाले कुछ प्रतिभाशाली हैं। उपलब्ध अवसंरचना को पूरी तरह काम मे नहीं लाया जाता है। यहां तक की रेलवे मुख्यालय, मालीगाँव में कोई अवसंरचना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र में प्रशैक्षणिक सुविधाओं के साथ पूर्ण विकसित खेल काम्प्लैक्स की अवसंरचना उपलब्ध कराएं।

कुछ समय से रोगांया में एक रेलवे विभाग की स्थापना की मांग की जा रही है। तथापि रांगीया में उचित अवसंरचना के साथ एक कोच कारखाने की स्थापना की संभावना के लिये न तो किसी ने प्रतिवेदन दिया है और न ही कोई सर्वेक्षण किया गया है। क्या माननीय मंत्री रांगीया में एक नये कोच कारखानें की स्थापना पर ध्यान देगें? सामान्यतः असम की चीजों के लिये साधारण तौर पर असम को माल उतारने का स्थान समझा जाता है। हमारे पास बिल्कुल खराब ढ़ँग के वैगन, कोच और रेल के डिब्बे हैं। अतः यदि वहाँ एक कोच कारखाना हो तो कम से कम हम यह आशा कर सकते है कि हमारे अपने क्षेत्र की रेल व्यवसथा में कुछ सुधार होगा।

मुझे खुशी है कि रेलवे क्रासिंगों के लिये एक नई सौर उर्जा रेडियो द्वारा चालित दृश्य श्रवण चेतावनी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैं नही जानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी इस बारे में कुछ किया जाएगा। असम की सरकार और असम के लोगो ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रेलवे उपरिगामी पुल के निर्माण के लिये प्रतिवेंदन दिये है। इस तरह के 12 मामलें रेल मंत्रालय में लंबित पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम राष्ट्रीय उच्चमार्ग के रेलवे क्रासिंग के मामले पर विचार दिया जाए?

मैं उस क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य हूँ जहाँ रेलवे लाईन न सिर्फ परिवहन का ही एक साधन ही नहीं बल्कि अत्यन्त आवश्यक भी है। रेल मंत्री को इस बारे में मुझसे अधिक जानकारी है क्यों कि 1988 में हमें पाँच बार बाढ़ का सामना करना पड़ा था और 1987 में जब इस तरह की बाढ़ चार बार आयी थी तो रेलवे की गतिविधियाँ तीन महीने तक पूर्णतः ठप्प पड़ गयी थी। और रेलवे गतिविधियों के बन्द होने का अर्थ है खाद्यान्नों की सप्लाई का ठप्प पड़ जाना। अतः हमारे लिये रेलवे का महत्व सिर्फ परिवहन के साधन से कहीं अधिक है।

मुझे आशा है कि हमारे सक्रिय रेल मंत्री जी इन सभी कठिनाइयों को, जिनका सामना हमें भविष्य में करना पड़ सकता है, दूर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री केशवराव पारधी (भंडारा): माननीय सभापति जी, 1989-90 का आदरणीय रेल राज्य मंत्री जी ने जो रेलवे बजट रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, रेलवे में आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिजर्वेशन, कम्पयुटरीकरण के माननीय रेल राज्य मंत्री जी ने रेलवे को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो कार्य किये हैं और चालू साल के बजट में जो बताया है, उन सब का मैं समझता हूं कि हमको और आपको भी समर्थन करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला हूं। पैसंजर किराया आपने बढ़ाया नहीं इस वास्ते आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन माल भाड़े पर जो 11 प्रतिशत किराया बढ़ाया है यह बोझा आम आदमी पर पड़ेगा। इस पर आप अवश्य विचार करें ऐसी माननीय मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है। आप देखिए कि पिछले 4 साल में रेलवे में हर क्षेत्र में काम किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मध्यप्रदेश का बजट है, कुछ इधर का कुछ उधर का कहते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि रेलवे विभाग में काफी कुछ तरक्की हुई है। विद्युतीकरण का काम, नवीनीकरण का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। दिल्ली से मद्रास को जोड़ने वाली लाइन पर झांसी से भोपाल तक इलेक्ट्रीफिकेशन का काम चल रहा है, इसको भी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह से भुसावल, नागपुर, दुर्ग लाइन पर प्रायरटी के बावजूद धीमी गति से काम हो रहा है। इसके लिए मैं ने रेल राज्य मंत्री जी और उप मंत्री जी से प्रार्थना भी की है कि इन कामों में तेजी लाई जाए। इसी तरह से बंबई-हावड़ा मेन लाईन का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए और जो टुकड़ा भुसावल से लेकर दुर्ग तक का बचा हुआ है, इसको पूरा करना चाहिए। भोपाल से लेकर बल्लारशाह तक का विद्युतीकरण करने से भी लोगों को काफी सहूलियत होगी। कुछ जगहों पर सिंगल लाइन है, इसको डबल करना भी बहुत आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत से नई गाड़ियां चलाई गई हैं, लेकिन नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उप-राजधानी है, वहां से कोई नई गाड़ी नहीं दी गई है। यहां तक कि बंबई-हावड़ा लाइन पर भी पुरानी गाड़ियां 29 डाउन, 30 अप, 31 डाउन, 2 अप मेल, गीतांजली एक्सप्रेस चलती हैं, उनके अलावा और कोई गाड़ी वहां नहीं दी गई है। मेरी प्रार्थना है इस क्षेत्र के लिए भी नई गाड़ी दी जानी चाहिए। विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर से चलाई गई, इसका नाम भी बदला गया और समय भी बदला गया, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके बंबई पहुंचने के और वहां से आने के समय में 3 घंटे की बचत की जा सकती है। इसी तरह से जो कोटा शोलापुर, नासिक और मनमाड़ से दिया गया है, मैं समझता हूं कि रात के समय वहां से कोई नहीं बैठता, इसलिए नागपुर से कोटा बढ़ाया जाए, ताकि लोग दूसरी गाड़ियों के बजाए विदर्भ एक्सप्रेस से यात्रा कर सकें। इसी तरह से गोंदिया, तुमसर, भंडारा, कामठी को भी कोटा मिलना चाहिए ताकि वहां के यात्रियों को भी सुविधा प्राप्त हो सके।

एक बात की ओर और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने खिलाड़ियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, शुरवीरों, बहादुरों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया है और उनको छूट दी है, नेहरू शताब्दी यात्री टिकट जारी किये हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को भी पिछले 2 वर्ष से सहूलियत दी गई है, इसमें एक सहूलियत और दी जाए कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के स्वर्गवास के बाद उसकी विधवा को कम से कम एक साल के लिए भी आप छूट दे दें तो उनका बहुत लाभ होगा। पिछले दिनों स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की पत्नियां यहां आई भी थीं, आप बजट में व्यस्त थे, इसलिए मैं आपसे उनको मिलवा नहीं सका, उनकी यह मांग थी कि उनको यह सुविधा दी जाए, ताकि वे तीर्थ यात्रा आदि कर सकें। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाए।

इसी तरह से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, नीति विषयक कारगर बातों के समन्वय की व्यवस्था करने के लिए मंत्रालय में एक विभाग की स्थापना की गई है, इससे में समझता हूं कि यात्रियों की तकलीफों की ओर ध्यान दिया जाएगा और उनको दूर किया जाएगा। भंडार और तुमसर रोड स्टेशनों पर टेलिफोन ओर्डर देना जरूरी है। नेहरू यात्री टिकट हर स्टेशन से मिलना चाहिए।

ए पी, तमिलनाडु और जी टी जो कि डबल एंजिन से चलती थीं, अब सिंगल एंजिन से चलेंगी, इनकी बोगियां भी कम कर दी गई हैं। नागपुर उप राजधानी होते हुए यहां पर 10-20-30 का कोटा दे दिया जाता है, जबकि भोपाल से जी टी में दोनों तरफ से एक पूरी बोगी लगाई जाती है। इसलिए इस कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए। वहां से मध्यप्रदेश के लोग भी आते हैं, यहां से 9 जिलों के लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, इसलिए इन गाड़ियों को डबल एंजिन करना चाहिए और कोटा भी अधिक देना चाहिए। इस प्रकार चन्द्रपुर, गोंदिया, नयनपुर, जबलपुर नैरोगंज के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि इसका सर्वे कराया जा रहा है।

चन्द्रपुर, गोंदिया, नैनपुर और जबलपुर लाईन पर चार साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और पांच सौ लोग मारे गए थे। यह नैरो गेज लाईन है, इसको ब्राड गेज करने के लिए गनी खां चौधरी जी ने कहा था। अभी हाल ही मैं नैनपुर-जबलपुर के बीच एक्सीडेंट हुआ जिसमें आदिवासी मारे गए हैं। यह लाईन सैंकड़ों वर्ष पुरानी है। आपका भी पत्र आया था कि सर्वे करा रहे हैं। लेकिन आपके बजट भाषण में न इसका उल्लेख होने से हमें बहुत निराशा हुई है। इस रूट पर चन्द्रपुर से जबलपुर होते झांसी आयेंगे तो 350 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाता है। इसी तरह तुमसर से कटंगी जोड़ने से बालाघाट, गोंदिया और मलाजखंड जहां पर सरकारी कापर का कारखाना है, काफी फायदा पहुंचेगा। इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। इस प्रकार महाराष्ट्र एक्सप्रैस नाम से एक गाड़ी चलती है। नागपुर से कोल्हापुर तक जाती है तो क्या गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस में नहीं है। इसको गोंदिया से चलाना चाहिए जिससे महाराष्ट्र का नाम सार्थक हो सके। इसी तरह 29 डाउन और 30-अप बहुत धीमी गाड़ी है। कई वर्षों से मांग है कि इस पर ए० सी० टू टायर की बोगी होनी चाहिए। फर्स्ट और सैकण्ड क्लास की दूसरी गाड़ियों की बोगियां अच्छी होंगी लेकिन इस गाड़ी की बोगियां बहुत खराब हैं। इसी प्रकार तुमसर में पेपर मिल, शुगर फैक्टरी और फेरो मैंगनीज के कारखाने हैं जहां पर ट्रैफिक बहुत रहता है इसलिए वहां ओवर-ब्रिज का होना बहुत आवश्यक है। गोंदिया का ओवर-ब्रिज भी खराब हालत में है, उसको ठीक होना चाहिए। भंडारे का ओवर-ब्रिज का काम पिछले चार साल से चल रहा है लेकिन अभी तक पुरा नहीं हो सका। लोग पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले होगा या नहीं। इसको शीघ्रता से पूरा कराइए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस बिलासपुर से दिल्ली आती है सालेकसा तहसील में हम ज्यादातर आदिवासी रहते है इसलिए सालेकसा तहसील में इसका स्टोपेज होना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। गोंदिया स्टेशन का मार्डनाइजेशन मंजूर हो चुका है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। नागपुर से दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं है। जैसे शताब्दी एक्सप्रैस भोपाल तक चलाई है उसको नागपुर तक बढ़ाया जा सकता है जिससे बारह घंटे में दिल्ली से नागपुर तक पहुंचा जा सके। ए० पी० और तमिलनाडु एक्सप्रैस में भी नागपुर के लिए कोटा बढ़ाना आवश्यक है। ए० सी० फर्स्ट क्लास में भी नहीं है। हम लोगों को भी सीट नहीं मिलती, साधारण आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। एक गाड़ी आपने बिलासपुर कोचिन एक्सप्रैस दी है। बिलासपुर से दक्षिण की तरफ जाने वाली एक ही गाड़ी है। वह सप्ताह में तीन दिन चले जबकि एक ही दिन चलती है। उसमें एक बोगी और लगनी चाहिए जो नागपुर तक रहें और बिलासपुर से नागपुर के बीच में कोटा होना चाहिए। महाराष्ट्र एक्सप्रैस जब तक गोंदिया से नहीं चले तब तक इस गाड़ी में एक बोगी गोंदिया से नागपुर तक आना जरूरी है और नागपुर में यह गाड़ी समय पर पहुंचे ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए।

उसी तरह से सारनाथ एक्सप्रैस वाराणसी के लिए दुर्ग से चलती है। इस गाड़ी को आप नागपुर से

चलायें। इससे रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा। यह गाड़ी जैसे अभी चल रही है वैसे ही आगे चलेगी, लेकिन दुर्ग के बजाय नागपुर से चलायें तो जो तीन-चार जिलों के लोग हैं इस बीच में, उनको, भी फायदा होगा। इसी तरह से भंडारा शहर से भण्डारा रोड का रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है। वहां से जवाहर नगर तक डिफेंस की रेल लाइन गई है और उस पर रोज माल गाड़ी चलती है, मेरा अनुरोध है कि आप उस पर पैसेंजर ट्रेन चलायें। जब सुखराम जी डिफेंस में राज्य मंत्री थे तो उन्होंने वहां जाहिर किया था कि हम इसकी मंजूरी दे देंगे, लेकिन वह मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए आप प्रयत्न करें, जिससे डिफेंस के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर बस से आना-जाना मुश्किल है। वहां रेल लाइन बनी है आप उस पर रेल गाड़ी चला देंगे तो भण्डारा नगर से जवाहर नगर तक उनको आने-जाने की सुविधा हो जायेगी।

आपने जो रेल बजट 1989-90 का इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सभापति जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर): माननीय सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्रीजी ने जो 1989-90 का बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। रेल की सुविधा भारत के जिन इलाकों में हैं उन इलाकों में चहुमंखी विकास हुआ है। वहां का निवासी भी उस क्षेत्र के लोगों से आगे है जहां रेलों का आवागमन नहीं होता है। जहां पर रेल परिवहन नहीं है वहां पर विकास की प्रगति अन्य इलाकों से धीमे है। वहां पर लोगों को उनकी आवश्यकता का सम्मान सुलभ नहीं है। इसलिए वहां के लोगों का निराशामय जीवन रेल परिवहन की सुविधा वाले इलाकों के लोगों के जन-जीवन से दूर हटता जा रहा है। धीरे-धीरे यही दूरी अलगाववादी मनोवृति के रूप में उभरकर सामने आयेगी और उनमें असन्तोष की भावना फैलेगी और आगे संघर्ष के लिए प्रेरित करेगी। यही संघर्ष कभी-कभी राष्ट्रीय हित के विपरीत हो जाता है, फिर उसे चाहे आप त्रिपुरा का संघर्ष कहें या मिजोरम का आन्दोलन कहें, या गोरखालैंड की समस्या कहें, हो सकता है बस्तर की समस्या भी इनमें जुड़ जाये। यही असंतुलन वहां के लोगों को मुख्य धारा से अलग करने के लिए रेखांकित भी करता है। देश के सामने आज चुनौती का समय है। समय रहते आपको क्षेत्रीय विकास की प्रगति पर ध्यान देना पड़ेगा और जो रेल परिवहन की सुविधा न होने के कारण वहां असंतोष पनप रहा है उसको आप संतुलित करें। जिस क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं उस जगह रेल न होने से उनको आवश्यकता की चीजें जैसे खाद्य सामग्री, कृषि का सामान और उपकरण आदि चीजें कहीं ट्रक से, ऊंट, खच्चर और बैलगाड़ी से या सिर पर बोझ ढोकर लानी पड़ती हैं...

सिरबोझा के जरिये, खच्चर या ऊंट के जरिये सामान पहुंचाने में उन्हें जो किराया देना पड़ता है वह उस चीज के दाम से कई गुना होता है, और इस वजह से वह वस्तु उन्हें बहुत ही ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ती है। लाने-ले जाने का खर्चा उस गरीब के उपर इतना पड़ता है कि वह लागत से बहुत कम दाम पर अपना उत्पाद बेचने को मजबूर हो जाता है। यदि वह ऐसा न करे, तो उसका सामान कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उस आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों की तरफ भी जाये, दूरदराज के क्षेत्रों की तरफ जाये, जहां के लोग अपनी वन-उपज या खेती की उपज, दूरी की वजह से बहुत कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मेन बाजार तक नहीं ला पाते। हर सूरत में गरीब लोगों को ही सारे खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इससे जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद वे लोग गरीब ही बने रहते हैं, उनका जीवन स्तर सुधार नहीं पाता। गवर्नमैंट के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें इस स्थिति से नहीं उबार सकता। उस गरीब पर डबल मार पड़ती है और वह अपनी जिन्दगी में कभी सिर उठाकर नहीं चल सकता। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, लेकिन अभी तक देश के पिछड़े आदिवासी लोगों का जीवन स्तर वैसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। मेरा निवेदन है कि जहां अभी रेलें नहीं पहुंची हैं, उन क्षेत्रों का आप सर्वे करायें। सर्वे में यह देखें कि वह क्षेत्र शिक्षा के मामले में, कृषि के मामले में कहां है, वहां के

लोगों का जीवनस्तर कितना उठा है, उन में आधुनिक तकनीक को ग्रहण करने की कितनी सामर्थ्य है, क्या वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकते हैं या नहीं, यदि वहा कम्प्यूटर आदि लगाये जायें तो क्या वे उसे अंगीकार कर पायेंगे, अपना तेजी से विकास कर पायेंगे। इन चीजों को परखने की जिम्मेदारी सर्वे टीम पर होनी चाहिये। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आप सारे देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास का विस्तृत कार्यक्रम बनायें ताकि आधुनिक टैक्नोलोजी का लाभ उन क्षेत्रों तक भी पहुंच सके और वे भी विकास की धारा में आगे बढ़ सकें। मुझे उम्मीद है कि आठवीं पंच वर्षीय योजना में देश के आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये समुचित व्यवस्था की जायेगी, उनमें रेल सुविधायें पहुंचाने का प्रावधान किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि आठवीं पंच वर्षीय योजना में जितनी रेल लाइनें बनाना प्रस्तावित हो, उसका एक निश्चित प्रतिशत आप आदिवासी पिछड़े इलाकों के लिये निश्चित कर दें। आज स्थिति यह है कि जहां छोटी लाइन है, उसे मीटर गेज में बनाने की मांग की जाती है, जहां मीटर गेज लाइन है, उसे ब्रौड गेज में परिवर्तित करने की मांग की जाती है, जहां ब्रौड गेज लाइन है उसे डबल लाइन में बदलने की मांग की जाती है, जहां डबल लाइन है, वहां विद्युतीकृत करने की मांग की जाती है, और जहां विद्युतीकृत लाइनें हैं, वहां अण्डरग्राउण्ड लाइन बनाने की मांग की जाती है। यदि इसी तरह हमारा ध्यान कुछ क्षेत्रों पर केन्द्रित होकर ही रह जायेगा तो सारे देश का समान रूप से विकास कैसे होगा। पिछड़े इलाके पिछड़े ही रह जायेंगे। इस असंतुलित विकास से हमारे सामने आगे चलकर बड़ी मुश्किल पैदा हो जायेगी। आज कहीं पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। यदि रास्ता बना है तो पुल पुलिया नहीं है। यदि पुल-पुलिया भी है तो मोटर-बस का इंतजाम नहीं है। मोटर-बस का इंतजाम भी है तो उस पर बस चलाने वाला कोई नहीं है। बहुत सी जगहों पर आज भी वर्षों पुरानी बैलगाड़ी आवागमन के लिये प्रयोग में लायी जाती है, वे उसे ही सुपरफास्ट मानकर चल रहे हैं। यदि हम इसी तरह से रेलों का विस्तार करते रहे इक्कीसवीं सदी तक हमारी बैलगाड़ी ही आवागमन का साधन बनी रही तो उससे अलगाव-वादी प्रवृत्तियों को बहुत बल मिलेगा, देश प्रगति की ओर न जाकर, विपरीत दिशा में जाने लगेगा और हमारे सामने अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। इसलिए आज मौका है कि हम देश के तमाम आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दें, रेलों का प्रसार करें क्यों कि रेलें ही आवागमन का वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम तेजी से विकास कर सकते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय रेलवे मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

सही मायने में 4 साल से जो हम आब्जर्व कर रहे हैं, रेल के काम में चुस्ती आई है और चारों तरफ हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। जहां तक रेलवे का सवाल है, यह बात निर्विवाद है कि हमारे राष्ट्र की इकोनोमी बहुत हद तक रेलवे के ऊपर निर्भर करती है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं कि माल वहन में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह एक बहुत बड़ा एचीवमैण्ट है। इसी तरह से नई-नई गाड़ियां चालू हुई हैं, यह चीजें हमें पहले वर्षों में देखने को नहीं मिलती थीं, रेलवे में लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। रेलवे के काम को में दो भागों में बांटता हूं, एक हिस्सा रेलवे की सार्विसिज को जैनरेट करता है और दूसरा हिस्सा सार्विसिज लोगों तक पहुंचाता है, यानी सार्विसिज सेल करता है।

जहां तक सेवाओं के पैदा करने का सवाल है, माल ज्यादा ढोना है, सुविधाऐं ज्यादा करने का, रेलगाड़ी ज्यादा तेज चलाने का, ज्यादा चलाने का, जो आपरेटिंग पार्ट है, वह सही मायने में बहुत प्रगति कर रहा है लेकिन जो हिस्सा सार्विसेज सेल करता है, उसमें आज भी काफी कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। मुझे चार साल पहले की बात आज भी याद है, हम भूले नहीं हैं, जब हमारे राज्य मंत्री ने इण्डिपेण्डेट चार्ज लिया था तो उसके बाद 6 महीने, साल भर का पीरियड ऐसा

आया कि गाड़ियां बिल्कुल समय पर चलती थीं, रेलों से हम घड़ी मिलाते थे। दिल्ली स्टेशन् पर अगर 7.30 बजे गाड़ी आनी है तो बराबर 7.30 बजे गाड़ी पहुंचती थी। चार महीने से हर हफ्ते मैं आता जात हूं, अब गाड़ियां दो-दो, डेढ़-डेढ़, ढाई-ढाई घण्टे लेट चलती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले जो मोनेटरिंग होती थी वह जो सुपर फास्ट ट्रेन की हैडक्वार्टर में होती थी, अब वह मोनेटरिंग नहीं हो रही है। दो बार तो यह हुआ कि हम लोक सभा में समय पर नहीं पहुंच सके। हमने सोचा था कि 7.30 की गाड़ी अवश्य इस तरह पहुंचा देगी कि 11 बजे हम यहां पर पहुंच जायेंगे लेकिन वह गाड़ी 11, साढ़े 11 बजे आई तो हमारा क्वश्चन चला गया इसलिए माननीय राज्य मंत्री इस ओर ध्यान दें। जब चारों तरफ नई प्रगति हो रही है, नये कीर्तिमान बन रहे हैं तो गाड़ियां सही समय पर आयें, जायें इस बात की तरफ भी ध्यान जाना जरूरी है।

माल वहन में प्रगति हुई है लेकिन एक चीज में मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो गुड्स शेड्स हैं, जहां पर अनाज, दाल, सामान पहुंचता है, देश में प्रायः जितने भी गुड्स शेड्स हैं, उनमें कवर्ड स्पेस बहुत कम है। जब अनाज, माल किसी स्टेशन पर जाता है तो करोड़ो रुपये का अनाज बरसात में भीगते हुए, बरबाद होते हुए भी हमने देखा है.... इसके ऊपर जिस तरह से आप कार्यक्रम तेज़ गति से बनाते हैं लेकिन जितने भी आपके गुड्स शेड्स हैं वहां पर जो एडीक्वैट कवर होना चाहिए वह नहीं है। आप इतना भाड़ा लेते हैं, करोड़ो रुपए का माल आपके सुपुर्द किया जाता है लेकिन बरसात की वजह से बहुत सारा माल खराब जाता है। ठीक है, आप क्लेम जरूर देते हैं लेकिन राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान तो होता ही है। आप पांच साल में हर स्टेशन पर जो क्लेम्स देते हैं उसी से वहां पर शेड्स बनाए जा सकते हैं।

कई बार हम जो मांगें रखते हैं तो उस विषय में मन्त्री जी कहते हैं कि हमारे पास साधन सीमित हैं, पैसा सीमित है। बात सही है परन्तु में कहता हूं कि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है कि इसमें जितना भी पैसा आप लगायेंगे वह पैसा आपका वेस्ट जाने वाला नहीं है बल्कि यह तो आपका इन्वेस्टमेन्ट है। इसमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा पैसा आप खर्च करेंगे उसका आपको परसेंटेज के हिसाब से रिर्टन मिलने वाला है। अन्य मिनिस्ट्रीज़ में जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें इस प्रकार से रिर्टन नहीं होता है। परन्तु जहां तक रेलवेज़ का सवाल है मैं कहता हूं कि अगर बजट में प्राविजन नहीं भी होता है तो बाण्ड्स के जरिए पैसा लेने के लिए आप जनता के पास जाइये। जितना भी पैसा आप चाहें आपको मिल सकता है परन्तु जनता यह जरूर चाहती है कि रेलवे में उत्तोत्तर प्रगति होती रहे।

इसी प्रकार से एक्सीडेन्ट्स के मामले म` काफी कमी आई है। 1.5 परसेन्ट की जगह पर एक्सीडेन्ट्स अब घटकर 1.02 परसेन्ट पर आ गए हैं। इस सम्बन्ध में मेरा एक अनुभव है। और सब बातें तो सही हैं परन्तु एक्सीडेन्ट्स में जो प्राण हानि होती है उसको कम किया जा सकता है। अभी जो तमिलनाडु का एक्सीडेन्ट हुआ उस गाड़ी में मैं भी था, इतना भीषण एक्सीडेंट होने के बावजूद केवल दो जानें ही गई थीं। उस परिस्थिति को देखते तो ऐसा लगता कि इस गाड़ी में निकलने के बाद पता नहीं कितने आदमी मर गए होंगे परन्तु अब कुछ इस तरह के डिब्बे बनाए गए हैं जिनमें एक्सीडेंट होने पर भी प्राण हानि बहुत कम होती है। तो उस डिजाइन के डिब्बे आपको अधिक से अधिक तादाद में बनाने चाहिए और पुराने डिब्बों को रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि अगर कहीं एक्सीडेन्ट भी हो जाए तो कम से कम लोगों की जान जाए। तो इस तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सीडेन्ट्स में एक दूसरा मुद्दा लेवल क्रासिंग का होता है—अनमैन्ड लेवल क्रासिंग जिसको हम कहते हैं तो वहां भी प्रोटेक्शन देने की बहुत जरूरत है।

हमको जानकारी है कि अगर ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी रख-रखाव का खर्चा करे तभी आप वहां पर लगाते हैं परन्तु आज देश में जो म्युनिसिपैलिटियां या ग्राम-पंचायतें हैं उनकी हालत ऐसी नहीं है कि अपने बजट में से कुछ पैसा वे इस तरफ भी लगा सकें। इसलिए रेलवे को ही स्वयं यह खर्चा वहन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, कुछ लोग शायद ऐसा कहते हैं कि इस बजट में मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल में ज्यादा गाड़ियां शुरु हुई हैं। करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। जहां पर विकास होने की आवश्यकता है वहां विकास होना चाहिए। सभापति महोदय, जो भी मंत्री होगा वह पूरे भारत की बात तो ठीक है परन्तु अपने इलाके का भी खयाल रखेगा और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात भी नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया: रहम करिये। 15 गाड़ियों में से सिर्फ एक गाड़ी ही चली है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित: मैं तो जस्टिफाई कर रहा था। हमारी आपको पूरी सपोर्ट है जो आप कर रहे हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। आगे पीछे उस काम को करना ही है।

सभापति महोदय, मैं अपने इलाके की बात नहीं कर पाया हूं। नागपुर भारत का ह्दय स्थान है, एग्जैक्ट सेन्टर है। आप फीता लेकर नाप लीजिए भारत का एग्जैक्ट सेन्टर नागपुर ही होता है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पच्छिम का भी आप अगर एग्जैक्ट सेन्टर मिलायें तो भी नागपुर ही सेन्टर बनता है। इसलिए नागपुर को कुछ विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए रेलवे की तरफ से — यह हमारी मांग है। एक नयी ट्रेन आपने नागपुर से बम्बई के लिए चालू की उसके लिए हम आपको ह्दय से धन्यवाद देते हैं, नागपुर की जनता की तरफ से। लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है नागपुर-कन्हान का, वहां डिफेन्स फैक्टरी है, इण्डस्ट्रियल एरिया है जहां पर 50 हजार मजदूर काम करते हैं। सुबह और शाम को मज़दूर साइकिल से 15 मील जाते हैं और 15 मील आते हैं जब वह ग़रीब मज़दूर 15 मील साइकिल से जाएगा, तो फैक्टरी में कैसे काम करेगा और कैसे डिफेन्स फैक्टरी में प्रोडक्शन करेगा। वापस जब वह साइकिल पर घर आता हैं, तो उस को दो घंटे लगते हैं। वह थकध्का-मान्दा घर का क्या काम करेगा। उन गरीब मज़दूरों के लिए में माननीय राज्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक शटल गाडी कन्हान से अम्बाझरी डिफेन्स फैक्टरी तक चलाई जाए। उस डिफेन्स फैक्टरी में 10, 11 हज़ार मज़दूर काम करते हैं और में जोर दे कर कहता हूं कि यह घाटे की चीज़ नहीं है। वहां पर उस लाइन का सर्वे कराया था और वह वायविल है। वहां पर रेलवे लाइन आलरेडी है। इसलिए एन्क्रोचमेंट हटाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और उस में कोई अड़चन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करेगें।

शताब्दी एक्सप्रैस की मैंने तारीफ सुनी है। उस में वैटने का मुझे सौभाग्य नही मिला है। वह भोपाल तक चल रही है। उस सुपरफास्ट ट्रैन को आप नागपुर तक करिये। उस में 10 घंटे जाने में लगेंगें और 10 घंटे आने मे लनेंगें और दो घंटे उस की सफ़ाई आदि में लगेंगें । उस गाड़ी को आप नागपुर से भोपाल कवैर करते हुए दिल्ली लांए और इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं पुनः आप को रेलवे बजट के लिए बधाई देता हूं। चारो तरफ रेलवे विभाग की ख्याति है और जनता उस की तारीफ करती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटर जहां पर भी लगे हैं वहां पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। दिल्ली में मेरे पास 20, 25 लोग आते हैं। उन को पहले टिकट लेने में परेशानी होती थी लेकिन कम्प्युटर होने की वजह से विन्डो पर खड़े होने से उन 20-25 लोगों को आसानी से टिकट मिल जाते हैं और ब्लैक-मार्केटिंग कुछ हद तक बन्द हुई है। मेरा कहना यह है कि कम्प्टराइजैशन में नागपुर को प्रायरटी दी जाए। अभी भंडारा के

माननीय सदस्य ने कहा है कि नागपुर विदर्भ के 9 जिलों को कवर करता है और वहां के स्टेशन पर बड़ी भीड़ रहती है क्योंकि अकेले नागपुर शहर की आबादी 22 लाख की है और उस के आजू-ताजू के 9 जिलों का प्रेसर भी नागपुर स्टेशन पर पड़ता है। नागपुर स्टेशन बनाने के लिए जो ब्रिजबन रहा है, उस पर कोई काम होता नही दीख रहा है और सुना है कि भुसावल में उस का काम चालू है। इस को आप जल्दी करवाइये। इस के अलावा यह कहना चाहता हूं कि पांच पवाली ब्रिज का काम चालू है परन्तु जिस गति से वह चल रहा है, उस से तो चार वर्षों मे भी वह काम पूरा नही होगा। उस का काम रेलवे द्वारा हो रहा है या ठेकेदार द्वारा, उस को आप जल्दी करवाईऐ और उस को स्पीड-अप कीजिए।

अन्त मे माननीय मंत्री जी ने जो सुन्दर बजट पेश किया है, उस के लिए उन को धन्यवाद देता हूं और पुरजोर उस का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा): चेयरमैन साहब, मैं सिन्धिया जी की शान में एक शेर पेश करना चाहता हूं:

उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रोनक
वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।।

यह बिलकुल गलत है। बीमार, बीमार है। सिन्धिया जी को देख कर तबियत खुश हो जाती है। जब से वे मिनिस्टर बनें हैं, उन्होंने जो काम किये हैं, उन को देख कर तबियत बड़ी खुश होती है। उन्होंने जो अच्छे काम किये हैं, उन के लिए मैंने सही बात कही है। बजट, जो सिन्धिया जी के ज़माने में पेश हुए वे बड़े अच्छे बजट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपोजीशन बैंच पर बैठने वाले, अपोजीशन वाले हर चीज़ में बुराई देखते हैं लेकिन मैं उन में से नही हूं। जो अच्छी बात होगी, तो वह मैं कहूंगा। सिन्धिया जी ने बड़े अच्छे काम किये हैं रेलवे में और रेलवे के महकमे ने बड़ी तरक्की की है लेकिन कुछ शिकायत भी है। मैंने उनकी बजट स्पीर्च को पढ़ा है।

आप जब बजट स्पीच दे रहे थे तो यह उम्मीद थी कि शायद आपके बजट में हमारी लाईन का जहां की मैं नुमाइन्दगी करता हूँ, भी जिक्र होगा। हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि एटा में रेलवे का स्टेशन है। मैं जानता हूँ कि मंत्री जी के सामने परेशानियां है के और सब से बड़ी परेशानी यह है कि हम सब यहां अपनी अपनी लाइनो की बात करते हैं लेकिन यह नही कहते कि प्लानिंग कमीशन पैसा नहीं देता। प्लानिंग कमीशन को रेलवे के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। हमारे मेम्बारान पार्लियामेंट की सब से बड़ी कमजोरी यह है। हम अपनी अपनी डिमांड तो यहां रख रहे हैं लेकिन यह नहीं करते कि प्लानिंग कमीशन के पास जा कर कहें कि रेलवे को ज्यादा पैसा दीजिये, तभी सब का काम होगा।

मैं सिंधिया जी को मुखातिब करते हुए कहता हूँ कि चिराग तलें अंधेरा है। एटा यहां से 175 किलोमीटर है। वहां का निवासी यह नहीं जानता कि वहान कोई रेलवे स्टेशन है। मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी में रेलवे लाईन मौजूद हैं लेकिन मैं रेलगाडी के जरिये ऐटा नही पहुँचता हूँ। आप नयी नयी रेलवे लाइनें बना रहे हैं लेकिन बरहन-एटा लाईन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करुगा कि अगर आप उस लाईन की तरफ तवज्जों नहीं देते तो उस लाईन को उखड़वा दीजिये। उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हमें उस लाईन का कोई फायदा नहीं है तो वहां की पब्लिक को क्या तकलीफ होगी। उसको पता ही नहीं है कि वहां कोई रेलवे लाईन भी है। यह वहां की कंडीशन है।

मैंने बहुत बार आप से कहा है। आपकी कठिनाइयां मुझे मालूम हैं। लेकिन आपके दफ्तर

और आपकी गुफतगु में बड़ा फर्क है। जब आपके दफ्तर से हमें जवाब मिलता है तो बिल्कुल नाउम्मीदी हो जाती है। जब आप से बात होती है तो कुछ उम्मीद की लहर नजर आती है।

मैं आपके सामने तीन सजेशन पेश करना चाहता हूं। हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं। वे भी जानते हैं कि यह लाईन निकलवायी थी। सोहन लाल चतुर्वेदी ने जब वे डिप्टी मिनिस्टर थे रेलवे के। मै महाबीरप्रसाद जी जो कि अब डिप्टी मिनिस्टर है उनसे भी कहूँगा कि आप उनकी इज्जत को कायम कीजिये। वह भी डिप्टी मिनिस्टर थे, आप भी डिप्टी मिनिस्टर है। आप उस लाईन तवज्जो नहीं दे रहे है। आप इस एटा से वरहन की लाईन पर तवज्जो दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप और कुछ न कर सकें तो उस लाईन गाड़ी में दो डिब्बे दे दीजिये जिससे कि मुसाफिर एटा से टूंडला आये और फिर टूंडला से लखनऊ और इलाहाबाद चला जाए। इलाहाबाद में हमारा हाईकोर्ट है और लखनऊ उत्तरप्रदेश की राजधानी है। उससे दिल्ली कोई नहीं आयेगा क्योंकि एटा टू दिल्ली रोड का कनेक्शन है और एटा से दिल्ली साढे तीन घंटे में पहुंच जाता है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वह एटा से टूँडला जाए और फिर गाड़ी पकड़ कर दिल्ली आए। जो सर्वे हो चुका है वह हो चुका है। आप इसको कर दीजिये।

मैने एक सजेशन और पेश किया था कि इस लाईन को आप एटा से फरूखाबाद मिला दीजिये। फरूखखाबाद तम्बाकु व आयु का एक बहुत बड़ा सेन्टर है। फरूखखाबाद में तम्बाकु के लिए वेगन नहीं मिलते। वहां से तम्बाकु श्रीनगर और दूर दूर तक जाता है। वहां पर वेगन न मिलने से लोगों को परेशानी रहती है। आप किसी तरीके से इस एटा का लाईन को फरूखखाबाद तक बढ़ा दीजिये। अगर यह नहीं कर सकते तो उसमें दो डिब्बे लगवा दीजिये। जिससे कि लोग लखनऊ और इलाहाबाद आ जा सकें। आप या एटा टू बरहन तक गाड़ी तेज रफ्तार चला दें जिससे लोगों को पता चले कि वहां भी गाड़ी चलती है। वहां के लोग नहीं जानते, 80 प्रतिशत मुल्क की आबादी गांव में रहती है। नागपुर इलाहाबाद, भोपाल, ग्वालियर का जिक्र तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन देहात में रहने वालों की तरफ भी तो देखिए, उनको आपने क्या सुविधाएं दी है। ठीक है, नई गाड़ियां बढ़ाइए, एक्सप्रेस बढ़ाइए, लेकिन पिछड़े इलाकों को भी देखिए। मेरे यहां के पुराने चीफ मिनिस्टर साहब बैठे है, वे जानते है कि मेरे जिले एटा में कोई (इन्डस्ट्री) उद्योग नहीं है। उद्योग के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से वह इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है। मै सिंधिया साहब से गुंजारिश करूंगा कि अगर रेलवे से संबंधित कोई कारखाना डाल रहे हों तो उसके लिए आप ही एटा को सलक्ट कर लीजिए, और कोई नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती तो आप ही सलेक्ट कर लीजिए। इससे वहां की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, वहां की जहालत दूर हो जाएगी, क्रिमनालाजी खत्म हो जाएगी, इसलिए एटा को आप अवश्य दिमाग में रखें।

मै शुक्रगुजार भी हूं, अहसानात भी है वहां की जनता पर, गंगागढ़ स्टेशन दिया गया है, लोग स्नान करने जाते है, आपको दुआ देते है। मरधर एक्सप्रेस में जोधपुर से लखनऊ तक ए सी टू टायर लगा दिया गया है, यह भी आपकी देन है। जहां हमने छोटी लाइन की गाड़ी रोकने के लिए कहा, वह सहूलियत भी आपने दी है। यह बात नहीं है कि आपने हमारी बात नहीं सुनी है, इस लाइन को भी आप बढ़ाना चाहते है, आपके दिल में है, लेकिन प्लानिंग कमीशन की मजबूरी है, रुपया नहीं है, 71 करोड़ का इसका एस्टीमेट है, अगर आप यह नहीं कर सकते तो इस एटा से फरुखाबाद तक 110 किलोमीटर लाइन का सर्वे ही करा लें और देख लें कि यह लाइन फायदेमंद रहेगी या नहीं। आज हम राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करते है, बहुत उमदा गाड़ियां चलाई गई है, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम देखते है कि भोपाल, ग्वालियर, आगरा, कलकत्ता, तो आसानी से पहुंचा जा सकता है लेकिन यहां से 170 किलोमीटर जाने के लिए हम बस से सफर करते है। वक्त खत्म हो रहा है, वक्त जा रहा है, कल को पता नहीं आप कहां हैं, हम कहां

हों, तो आप कम से कम इस काम को कर जाइए, ताकि हिस्ट्री में नाम रहे कि सिंधिया साहब ने इस लाइन का सर्वे करा दिया है, इसकी तरफ उनकी तवज्जह रही है।

रात को मै फीरोजाबाद में था, नया जिला बना है। जिला बनने के बाद जिले के हिसाब से वहां पर कुछ और गाड़ियां रुकनी चाहिए, इस बारे में आप देखिए कि कौन सी गाड़ियां रुकनी चाहिए, टाइम टेबल देखकर उसको कीजिए। इसी तरह से पुराने ढंग का वहां पर स्टेशन बना हुआ है, जिला बनने के बाद अब उसको नए ढंग का बनवाइए। इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। गंगागढ़ स्टेशन पर 103-104 पैसिंजर ट्रेन रुकनी चाहिए, इससे वहां जाने वाले यात्रियों को बहुत लाभ होगा। एक स्टेशन है सहावर, जहां से श्री मशीर अहमद साहब मेम्बर पार्लियामेंट थे है, किसी वजह से 513-514 ट्रेन का रुकना वहां बंद हो गया है, वहां के लोगों में चर्चा है कि जब से मै एम पी हो कर आया हूं, मैने सिंधिया साहब से कह कर इसका स्टापेज बंद करा दिया है, इसलिए इसको देखने की जरूरत है।

513-514 मरधर एक्सप्रैस जो शहावर स्टेशन पर रूकती थी उसको फिर से वहां परा रूकवाने का कष्ट करें। इसी प्रकार मैने गंगागढ़ के लिए भी कहा है। फिरोजाबाद-गंजडुंडवारा एक बड़ा स्टेशन है लेकिन कंडीशन बहुत खराब है। वहां पर आबादी भी काफी है। उसको री-माडरु करवाइए जिससे वहां की स्थिति में सुधार हो सके। हो सकता है हमारी यह लास्ट स्पीच हो। लेकिन सिंधिया साहब के लिए खुदा करें वहीं बैठें और फिर से रेलवे मिनिस्टर बनें। मै महावीर प्रसाद जी और सिंधिया साहब का बड़ा एहसानमंद हूं। उन्होने मेरी बात सुनी है और मेरे पत्रों का जवाब दिया है। इन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद है जो मैने कहा है उस पर गौर फरमायेंगे।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद): माननीय सभापति जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री सिंधिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में चार वर्षों में निरन्तर रेल ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उसका श्रेय आपको जाता है और उससे हम सब लोगों का मस्तक ऊंचा होता है। अभी महफूज अली खां साहब ने एक शेर सुनाया जिससे ऐसा लगा कि आप अपनी उम्मीद खो बैठे हैं। कुशल, कर्मठ, अनुभवी और ज्ञानी माननीय मंत्री जी को मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूं।

"कहते हैं कि उम्मीद पर जीता है, जमाना
वह क्या करे जिसको कोई उम्मीद नहीं है।"

मैं चाहूंगा कि खां साहब, आप उम्मीद न छोड़े। हमारे दोनों माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। जिस क्रम से रेलवे ने यातायात के क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया की है और विकास किया है, उस बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी चंद दिनों पहले मैं बंगलोर से आ रहा था। इस देश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। मैंने कहा, कैसे जाओगे 40-42 घंटे लग जायेंगे। उन्होंने कहा कि ग्यारह घंटे तक तो प्लेन नहीं आता, आये या न आये फिर भी क्या पता। प्लेन की तुलना में ट्रेन ही सुरक्षित है और उम्मीद है कि सुरक्षित तरीके से डेस्टीनेशन तक पहुंचा देगी। बाजारों, आफिसों और सदन में हमेशा इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि रेलों के आने-जाने का कोई समय नहीं होता, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके कुशल नेतृत्व में विरोध पक्ष के लोगों को भी मानना पड़ा है कि रेलवे ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है चाहे वह रिजर्वेशन या सफाई का हो। चाहे पंक्चुअलीटी का हो, कम्प्यूटराइजेशन का हो, खान-पान का हो या बिस्तर का हो, जितनी भी पैसेंजर्स एमिनिटीज़ हैं हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, लोगों को सुविधा मिली है, इसको कहने में हमारा सिर गौरव से ऊपर उठता है। मैं दो-तीन बातें जो कि मूलभूत हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट

करना चाहूंगा। इस प्रजातंत्र में बराबर हमारी सरकार यह कहती रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात का आश्वासन देते रहे हैं कि क्षेत्रीय असंतमुलन दूर किये जायेंगे। देश में चारों ओर तरक्की की जायेगी, विकास किसी विशेष एरिया में कंसट्रेट न हो इसलिए यह हमारी और हमारे नेता की नीति रही है, आपकी भी नीति रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर किये जायें। 20 वर्षों से इसी सदन में बाबू जगजीवन राम जी के जमाने से हर संसद सदस्य यह मांग करता रहा है कि बस्ती जनपद में सहजनवा से गोंडा के बलरामपूर को जोड़ने के लिए एक रेल लाइन जो सहजनवा से बखिरा, साथा, वांस्ति, डुमरियागंज होते हुए बलरामपुर तक जायेगी, लेकिन उससे अधिक कोई कार्यवाही रेल मंत्रालय की ओर से नहीं की गई। जब भी इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया तो यही जवाब मिले कि ये वाएबल नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, धन की कमी है। इस लाइन का सर्वे दो-तीन बार कराया गया, लेकिन उसके बाद इस पर तवज्जोह नहीं दी गई। नुकसान यह है कि रेलमार्ग पर पड़ने वाले बखिरा नामक स्थान, माननीय रेल उप मंत्रीजी उस जगह को जानते हैं, वह स्थान हिन्दुस्थान में ताम्बे और कांसे के बर्तन बनाने का प्रसिद्ध केन्द्र है। लेकिन रेल लाइन से नहीं जुड़ा होने के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है लोग रा-मेटिरियल लाते हैं ट्रेक्टर और ट्रकों से और अन्य साधनों से जिससे वह कई गुणा महंगा पड़ जाता है, फिर वह कम्पीटीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि प्राचीन भारत की संस्कृति का द्योतक ताम्बे और कांसे के बर्तन इस हिन्दुस्थान की मार्केट से लुप्त हो जायेंगे अगर उन्हें रेल लाइन की सुविधा नहीं मिलेगी। सारे हिन्दुस्तान में आपूत्ति हेतु बुनकर तमाम प्रकार के कपड़े बनाते हैं, लेकिन वह कम्पीट इसलिए नहीं कर पाते कि फिनिश के लिए उन्हें खलीलाबाद तक जाना पड़ता है और फिर उसका फिनिश मेटिरियल लाने के लिए भी खलीलीबाद और गोरखपुर जाना पड़ता है। अगर रेल लाइन से वह स्थान जुड़ जाये तो जो लाखों बुनकर भुखकरी के कगार पर हैं उन्हें लेटेंस्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाने में मदद मिलेगी और सुविधा मिलेगी। उन्हें कच्चा माल वहीं सुलभ हो जायेगा और पक्के माल को आसानी से हिन्दुस्तान की मार्केट में बेचकर वे जिन्दा रख सकते हैं। अब मैं वांसी के बारे में भी कहना चाहता हूं, यह वह स्थान है जहां काला नमक चावल पैदा होता है, जिसकी अपनी विशेषता है। इस जगह तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां विकास के साधन हैं, लेकिन उनको थोरन नहीं हो पा रहा है इसलिए कि वहां रेल लाइन की सुविधा नहीं है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता की ओर से हम आपके आभारी होंगे कि इसका सर्वे कराकर कार्यवाही प्राम्भ कर दीजिए। देश को गौरव है कि इतना बड़ा पब्लिक अण्डरटेकिंग का यह संस्थान दो-तीन वर्षों तक लेटेस्ट टेक्नोलोजी में इक्वीमेंट नहीं रखता था, पिछले साल मेडिकल फैसिलिटी पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि रेल्वे कर्मचारियों की या यात्रियों की किसी दुर्घटना के दौरान ब्रेन इंजरी, हैड इंजरी हो जाये तो कैट स्कैन मुहैया कराई जाये। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यह बनारस में प्रदान की किंतु गोरखपुर में कैट स्कैन की सुविधा प्रदान करने की मैं मांग करूंगा क्योंकि यह सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी पिछड़े इलाके में रेल कर्मचारियों के लिए या यात्रियों के लिए, ईश्वर न करे कोई दुर्घटना घटे तो घायलों को फौरन उपचार हेतु खासकर हैड इंजरी में कैट स्कैन की सुविधा मुहैया कराई जाये तो वह पूर्वाचल क्षेत्र आपका यूं ही अहसानमन्द है और अहसानमन्द रहेगा। आपने जो तमाम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई हैं लोगों को वहीं लेटेस्ट टेक्नोलोजी जो स्टोन को डिजाल्व करने की है लिथोट्रिप्टन्ट वह भी इण्डियन रेल्वे के पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि जितने हमारे कोस्मोपोलिटन सिटीज़ हैं वहां रेलवे अस्पतालों में इस तरह की सुविधा मरीजों को सुलभ कराने की आप व्यवस्था करें, यह मेरी मांग है।

आपने पिछले वर्ष इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रेलों से यात्रा करने पर निशुल्क पास की व्यवस्था की थी, परन्तु इस साल के बजट में उनके सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं आया, शायद आप भूल गये हों या और कोई बात हो, लेकिन इस देश की आजादी के लिये, इस देश को बनाने में उनका बड़ा योगदान है, उनकी बदौलत ही आज हम यहां खड़े हैं, उनकी कुरबानियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निरंतर कम होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूर्ववत् निशुल्क पास की आप रेलों में व्यवस्था बनाये रखें, उसे वापस न लें।

हमारे भूतपूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कृपा से बस्ती में एक नया जिला सिद्धार्थ नगर : गया है लेकिन उस जनपद में कोई फास्ट ट्रेन सुलभ नहीं है। मेरा निवेदन है कि गोरखपुर से गोंडा होते हुए लखनऊ तक आप तराई एक्सप्रेस के नाम से एक सुपरफास्ट ट्रेन चलायें ताकि उस जनपद को भी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी सुलभ हो सके। मैंने मंत्री जी से भटनी के बारे में भी निवेदन किया था और आपने मेहरबानी करके उसे फर्स्ट प्रियौरिटी में लिया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी उसका कन्वर्जन हो जाये उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और हमारे यहां के लोगों को सीधे बनारस और इलाहाबाद आदि स्थानों तक आने-जाने में सुविधा हो जायेगी।

दो-तीन और निवेदन करने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मालभाड़े में जो वृद्धि की है, वैसे मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में पब्लिक अंडरटेकिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन रेलवे ऐसा संस्थान है जो आपके कुशल नेतृत्व में हमारे लिये सिरदर्द नहीं बना है, घाटा नहीं दे रहा है, इन्फलेशन बढ़ाने में सहायक नहीं है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र तो हैं हीं, क्योंकि इण्डियन रेलवे ही प्रौफिट में चल रहा है, लेकिन हमें यदि प्रौफिट कम भी हो तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये क्यों कि मालभाड़े में वृद्धि का डायरैक्ट या इन्डायरैक्ट वे में इस देश की जनता पर प्रभाव पड़ता है, सारी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। हमारे देश में आज भी 70-80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, गरीब हैं और 30 या 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, जिन्हें कपड़े, दवाईयां, किताबें आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करने के लिये अब पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्यों कि मालभाड़े में वृद्धि से सब चीजों के मूल्य बढ़ जायेंगे, महंगाई बढ़ेगी। यदि आप 11 परसेंट वृद्धि को घटा कर 5 या 6 परसेंट तक ले आते हैं तो उससे इस देश की जनता को काफी राहत मिल जायेगी।

5.08 म० प्र०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

मान्यवर देखने में तो यह छोटी सी घटना है लेकिन रोजाना हजारों यात्रियों को उसका शिकार होना पड़ता है। दिल्ली से बस्ती के लिये पार्सल वैन में जो सामान बुक कराया जाता है, वह कभी बस्ती में नहीं उतारा जाता बल्कि गोरखपुर कैरेज करके ले जाया जाता है, कभी बरौनी या मुजफ्फरपुर तक ले जाया जाता है। जो आदमी अपने साथ दिल्ली से माल बुक करके चलता है, वह सोचता है कि बस्ती पहुंच कर उतार लूंगा, लेकिन उसे बस्ती पहुंचने के चार-चार दिन बाद तक इंतजार करना पड़ता है। न केवल उसे डैमरेज देना पड़ता है, समय भी व्यर्थ जाता है और परेशानी अलग होती है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि यहां से जो माल बस्ती के लिये बुक हो, उसे बस्ती में ही उतार लिया जाये, आगे न ले जाये। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत हो जायेगी।

मान्यवर, आपने बजट में 90 एअर कण्डीशन्ड स्लीपर और चेयरकार, 575 सैकेण्ड क्लास स्लीपर कोचेज और बढ़ाने तथा 700 दूसरे कोचेज बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, आपने यात्रियों को साफ-सुथरे बैड-रोल्स उपलब्ध कराने का वायदा किया है, मैं इन्हें बहुत अच्छे कदम मानता हूं ।

इससे पहले कि उपाध्यक्ष जी घण्टी बजायें, मैं मैट्रो रेलवे के सम्बन्ध में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि देश के बड़े कस्बों में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, उससे यातायात बहुत दुर्गम हो गया है। जहां एक घण्टा 40 मिनट में कोई आदमी बम्बई से दिल्ली पहुंच जाता है...और दो घंटे में बबई शहर से हवाई अड्डा पहुंचता है । इस बाधा को कम करने के लिए और यातायात को द्रुत गति से चलाने के लिए

मैट्रो रेलवे, जैसी कलकत्ता में शुरू की गई थी उस आधार पर तो नहीं क्योंकि 4,5 बरस की जगह उसमें 15 बरस लग गये और कीमतें बहुत बढ़ गई लेकिन टाइम-बाउंड प्रोग्राम के तहत 5,7,8 साल के अन्दर सरकार बड़े शहरों में मैट्रो रेलवे की सुविधा सुलभ कराए ताकि यातायात की असुविधा से मुक्ति मिले ।

उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों का मामला है बहुत अर्से से पड़ा है, छितौनी बगहा पुल का शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था लेकिन वह बन नहीं पा रहा है, निवेदन है कि हम सब का सहयोग आपके साथ है, उसके निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं तो अच्छा हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जोरदार शब्दों में इस रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

[व्यवधान]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंधिया स्कूल की प्रशंसा करने का विचार कर रहा था क्योंकि रेल मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय उनके 'शब्दावली और प्रस्तुतीकरण' को सुन कोई भी उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता था । गत कुछ वर्षों से अपनी भाषा और शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने दिखा दिया है कि वे पूरे सदन पर अपना दबाव बनाये रख सकते हैं । लेकिन मुझे यह देख कर दुःख होता है कि वे अपने मित्र माननीय श्री महावीर प्रसाद को सदन के सभी ओर के सदस्यों के तर्कों का सामना करने अकेले छोड़ देते हैं ।

मैं यह कहूंगा कि सभी रेलवे बजटों पर अब तक हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संयुक्त रूप से तर्क भी रखे हैं और अनुरोध भी किये हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि रेल मंत्री पूरे बजट चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं । आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि, मैं अपने परम मित्र महावीर प्रसाद जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता हूं, यदि सभा इस संबंध में गंभीरता से चर्चा नहीं भी करती तब भी रेलवे इसकी चर्चा गंभीरता से करेगी ।

मैं निश्चित रूप से मंत्री जी से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन उन्हें इसके लिए बधाई देने पर सहमत होगा कि पिछले वर्ष बहुत सी बाधाओं के होते हुए भी उनका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा । उनके अनुसार और माननीय रेलवे मंत्री के अनुसार भी परिवहन शुल्क में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; प्रति कि०मी० यात्रियों में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई और सूखे का वर्ष रहने का कारण यह उपलब्धी भी कम नहीं थी ।

यद्यपि, गत वर्ष बजट की व्यवस्था 'आन्तरिक अर्थव्यवस्था और नियमित वित्तीय प्रबन्ध' द्वारा की गई थी, तथापि मैं समझ नहीं पाया कि माननीय मंत्री आन्तरिक अर्थव्यवस्था में नियमित वित्तीय प्रबन्ध की अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं और भाड़े में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । गत वर्ष भाड़े में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । तो भी यह बिलकुल स्पष्ट है कि गत वर्ष 332 का लक्ष्य था और यह बढ़कर 340 मिलियन टन हो गया । मैं समझता हूं गत वर्ष से पहले यह 313 टन के करीब था जो बढ़े हुए लक्ष्य के रूप में करीब 19 मिलियन टन था ।

ऐसा लगता है कि इस वर्ष अचानक या तो रेल मंत्री ने अपने विभाग पर विश्वास करना छोड़ दिया अथवा विभाग का विश्वास उन पर से उठ गा है । वे सिर्फ 345 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं । इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में इसमें सिर्फ 1 से 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अनुमानतः यह 1.22 प्रतिशत है । खाद्यान्नों और दालों पर भी भाड़े में वृद्धि से मुझे बहुत दुःख हुआ है । प्रधान मंत्री ने स्वयं भी इस सभा में कहा है कि वह मुख्य मुद्दा जिस पर यह सम्माननीय सभा और पूरी संसद चिन्तित है । वह यह है कि मंहगाई बहुत बढ़ी हैं कीमतों में वृद्धि विशेषकर आवश्यक वस्तुओं, जिनका उपयोग अधिक लोग करते हैं, के मूल्यों में वृद्धि हुई है । यदि ऐसा है तो माननीय मंत्री जी ने खादी, खाद्यान्नों और दालों के भाड़े में वृद्धि

न करना ही उचित क्यों नहीं समझा ? गत वर्ष उन्होंने इसे बिल्कुत सही पाया । इस वर्ष अपवाद क्यों है? यह चुनाव वर्ष होने के कारण मैंने सोचा था कि इस वर्ष उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए । इस वर्ष उन्होंने सामान्य रुप से अन्य सामाग्रियों पर दो चरणों में वृद्धि की अपेक्षा एक चरण में वृद्धि की है । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि खाधान्नों और दालों के भाड़े में वृद्धि का निश्चित रूप से आम व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वे देखें कि क्या कारण है । मैं विशेषरूरुप से श्री महावीर प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं क्योंकि वह हम सभी की तरह निचले स्तर से संबंध रखते हैं और वह यह समझते हैं कि खाधान्नों की कीमत में वृद्धि होने का क्या अर्थ है । मेरा उनसे अनुरोध है कि भाड़े में दी गई छूट की सीूची में उर्वरकों के साथ साथ कम से कम खाधान्नों और दालों को भी शामिल किया जाए।

माननीय रेलवे मंत्री मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं । हर वर्ष वे सामान्यतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मेरे छोटे-छोटे अनुरोधों को मान लेते हैं । उन्होंने सेलम में मध्य रेलवे ऊपरी पुल बनाने पर सहमति व्यक्त की है जो कि पिछले 25 वर्षों से लंबित है । उन्होंने मेरठ से जोलारपेट तक विद्युतीकरण की असंभव मांग को मान लिया है । उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों से तीन रेलगाड़ियाँ भी चलाई हैं। किन्तु इसके बाद भी वे एक या दो अनुरोधों को हमेशा अस्वीकार करते रहे हैं, जिन्हें मैं दोहराना चाहूंगा।

प्रथम यह है कि सेलम-बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए । बंगलौर सेलम की निकटतम राज्यराजधानी है । इस मार्ग का प्रयोग प्रायः उन लोगों द्वारा हमेशा किया जाता है जो उत्तर में जाना चाहते हैं । दक्षिण में भी सेलम और बंगलौर के बीच बहुत अधिक व्यापार होता है वस्तुतः केवल बड़ी लाइन के अभाव के कारण ही बंगलौर और सेलम के बीच सड़क से माल ढोया जाता है। इसलिए यह लाइन ने केवल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होगी बल्कि रेलवे के लिए भी बहुत लाभदायक होगी ।

दूसरा अनुरोध विल्लीपुरम, कृष्णागिरी, पलाकोड़, होसुर आदि से होकर पांडीचेरी से बंगलौर तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने के संबंध में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है जिसके लिए वर्षों से माँग की जाती रही है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस माँग से उपाध्यक्ष महोदय भी सहमत होंगे क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र से भी होकर गुजरती है।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं आपसे सहमत हूँ। किन्तु जब मंत्री महोदय हमारी व्यवस्था को ही नहीं सुनते तो कहने का लाभ क्या है? मूलतः बंगलौर-सेलम लाइन का निर्माण केवल बड़ी लाइन में ही किया गया था।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलमः यह ठीक है। केवल लाइनें ही बदलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः कृष्णागिरी, होसुर लिंक के साथ आप वस्तुतः तीन राज्यों अर्थात पांडीचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ रहे हैं। यह बात मानी जानी चाहिए।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलमः एक बहुत सी महत्वपूर्ण माँग सेलम को डिवीजन बनाए जाने के संबंध में है जो काफी अर्से से लंबित पड़ी है। फिलहाल डिवीजनल मुख्यालय, त्रिवेन्द्रम में है जोकि बहुत दूर है। लम्बे अरसे से यह माँग की जा रही है। हालांकि, मेरा दुर्भाग्य यह रहा है कि मुझे माननीय मंत्री महोदय से नकारात्मक उत्तर ही मिलें हैं क्योंकि मैं अधिकारियों को राजी करने में सफल नहीं हो सका हूँ। मैं आशा करता हूँ माननीय मंत्री अधिकारियों को मनाने में सफल होंगे और यह देखेंगे कि क्या यह कार्य किया जा सकता है? मैं आंकड़ों से यह साबित कर सकता हूँ कि यह उचित है और अधिकारियों ने इसमें जो अनौचित्य बताया है उसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के अधिकांश रेलवे कार्यालयों में केरल राज्य के लोगों का आधिपत्य है और उनके लिए संकीर्ण राजनीति का कोई महत्व नहीं है। किन्तु वास्तविकता यही है।

मेरे विचार में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली है जिस पर हम सब को विचार

करना चाहिए। जब भी यह मामला उठता है तो ऐसा लगता है कि इनमें से एक परियोजना स्थायी रूप से कागजों पर जारी रहेगी। इसके लिए हर वर्ष जो राशि मंजूर की जाती है वह बहुत ही कम है। वास्तव में माननीय रेलवे मंत्री का भाषण भी इस बारे में बहुत ही खेदपूर्ण है। हालांकि वे शहरी परिवहन में वृद्धि करने के विषय में बहुत कुछ कहते हैं किन्तु जब भी इस पर प्रश्न उठता है तो वह इस बारे में कहते हैं और मैं इसे उद्दृत कर रहा हूँ: पैरा-21-मद्रास में मद्रास बीच-लुज द्रुत परिवहन प्रणाली की प्रगति इस वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए उपलब्ध धन के अनुरूप हुई। वस्तुतः वहाँ कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इसके लिए धन नहीं दिया गया है भाषा प्रयोग में शब्दों की पटुता के लिए मैं श्री सिंधिया की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने यह स्वीकार न करते हुए कि कोई काम नहीं हुआ है बहुत ही विनम्रता से यह साबित कर दिया है कि इस कार्य में दिए गए धन के अनुपात में प्रगति हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक तमिल भाषी या तमिल-नाडु का हर व्यक्ति मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली के महत्व को महसूस करता है। इस वर्ष द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु की जनता पहले से अधिक शक्तिशाली ढंग से इसका विरोध करेगी। हम सामान्यतः नम्रता से बात करते हैं किन्तु हम अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते-करते ऊबते जा रहे हैं कृपया हमें यह माँग जोरदार ढंग से उठाने के लिए मजबूर न किया जाए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार रेलवे बजट में-हालांकि यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है और कुछ निश्चित वर्ग के यात्रियों को पहले से कुछ अधिक रियायतें दी गई हैं किन्तु 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले व्यक्ति को दी गई रियायत की 500 कि० मी० की यात्रा तक सीमित किया गया है, मैं नहीं जानता कि क्या रेलवे विभाग या रेलवे मंत्रालय वृद्ध लोगों को लम्बी दूरी की यात्राएं कराना चाहता है। 500 कि० मी० की सीमा लगाने के पीछे क्या अभिप्राय है? हमारे अधिकांश अभिभावक, यदि वे अपने बच्चों के पास भी जाना चाहें तो भी वे बहुत कम दूरी अर्थात 300 कि० मी० या 250 कि० मी० तक ही जाते हैं। वस्तुतः उनका कहने का बहुत ही स्पष्ट तरीका यह है कि मैंने आपको पैसा दिया किन्तु मुझे दुख है कि आप इसके योग्य नहीं हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि 500 कि० मी० की यह सीमा हटायी जानी चाहिए अन्यथा यात्रियों को यह रियायत दिए जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। हालांकि यह बजट बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल ठीक ढंग से प्रस्तुत किया गया है किन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि यह हममें से बहुत से लोगों की आशा के अनुरूप नहीं है। हमें श्री सिंधिया पर बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि प्रथम वर्ष में उन्होंने हमें बिना किसी प्रकार की वृद्धि का बजट दिया और हमारी इच्छाओं के अनुरूप बजट में हर रियायत दी। दूसरे वर्ष में उन्होंने इसमें थोड़ी वृद्धि की। तीसरे वर्ष में उन्होंने इसमें और अधिक वृद्धि की। हम चौथे वर्ष के लिए बहुत भयभीत थे। मुझे आशा है कि वह चौथे वर्ष भी उपस्थित है और यह महसूस कर रहे होंगे कि चौथा वर्ष फिर से प्रथम वर्ष बन सकता है। किन्तु संक्षेप में स्थिति यह है कि भाड़े में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि वास्तविक टन भार में केवल 1.22 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य था। क्या मंत्री महोदय ने बहुत कम लक्ष्य रखा था ताकि वह अगली वर्ष यह कह सके कि हमने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया है; या ऐसा तो नहीं है कि उनका मेरे साथियों, मेरे मित्रों जो रेलवे कर्मचारी है पर से विश्वास उठ गया है?

एक और मामला जिसका मैं समर्थन करता हूँ और मैं श्री वासुदेव आचार्य, जो पहले बोल चुके हैं, से सहमत हूँ; और यह मामला रेलवे में कर्मचारी संबंधों, श्रमिक संबंधों और औद्योगिक संबंधों के बारे में है। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री इस मामले को बहुत ही नम्र ढंग से निपटा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि क्योंकि उनकी मान्यता प्राप्त यूनियनों के पास वास्तव में प्रतिनिधित्व की कमी है अतः उन्हें उनसे ऊपर होकर मामले से निपटना होगा। इसलिए वे हर वर्ष उपयुक्त बोनस देने की कृपा कर रहे हैं, कर्मचारियों को सीधे तौर पर यथा संभव सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु उन्हें यह सोचना चाहिए

कि केवल धन से प्रेरणा नहीं मिलती है। दुर्भाग्य से रेलवे का कार्मिक क्षेत्र सबसे अधिक भ्रष्ट है। आज आप अपेक्षित धन देकर अपनी तैनाती या स्थानान्तरण करा सकते हैं। मैं रेलवे में काम करने वाले अपने कुछ मित्रों को जानता हूं जो अपनी तैनाती, स्थानान्तरण और पदोन्नति पैसा देकर कराते हैं। इस संदर्भ में दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों में कोई भेदभाव नहीं है रेलवे के कार्मिक विभाग के बहुत से सदस्यों के साथ उनकी सांठ-गांठ है। निश्चय ही जब कोई ऊपर की ओर देखता है तो सब कुछ स्पष्ट और स्वच्छ नजर आता है किन्तु मैं मंत्री महोदय से नीचे की ओर देखने का अनुरोध करता हूं। लाखों शिकायतें आई हुई हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जिन्हें वे रेलवे कर्मचारियों के कल्याण की बहुत सी परियोजनायें समझते हैं, वास्तव में उनकी मांग यूनियनों द्वारा नहीं की जा रही है क्योंकि स्थाई वार्ता तंत्र एक घोटाला है। हाँ, यह सच है कि यह चार दशकों से कार्यरत है। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले पांच वर्षों से यह एक घोटाला है क्योंकि यह स्थानान्तरण चाहने वाले अभागे श्रमिक से जबरदस्ती धन ऐंठता है। यह वास्तविक बात है।

हमें इस बात की जानकारी है कि जो कर्मचारी कार्य के दौरान मर जाते हैं यदि उनके बच्चों को नौकरी पर लगना है जोकि लगभग स्वतः मिल जाती है तो यदि वे मान्यता प्राप्त स्थानीय संघ नेता और कभी-कभी उसके माध्यम से कार्मिक अधिकारी की खुशामद नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने की कोई सम्भावना नहीं होती है चाहे उनके पिता की मृत्यु कार्य के दौरान हुई है। यह उचित समय है जब माननीय रेल मंत्री और रेल विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति जारी नहीं रहे। केवल बोनस में वृद्धि करने और अधिक महंगाई भत्ता देने से ही आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। यह नाजुक सम्बन्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां यह टूट भी सकता है।

श्रमिक अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। उन्हें गुप्त मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने दीजिए। इसमें क्या हानि है? रेलवे विभाग ऐसा करने का साहस क्यों नहीं करता? संघ के प्रतिनिधि उनके अपने व्यक्ति और पहले से ही तैयार किये हुए व्यक्ति क्यों हैं? ऐसे व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। जब श्रमिक संघ का नेता यह जानता है कि मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ में बना रहने के लिए उसे श्रमिकों के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है तो वह कभी भी श्रमिकों की परवाह नहीं करेगा। वह केवल यही सोचेगा कि वह कैसे अपने पद का सर्वोत्तम उपयोग करे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाए।

आज ऐसी स्थिति है। मुझे विश्वास है कि रेलवे बोर्ड के बहुत से सदस्य और माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि जब श्रमिकों की भलाई के बारे में सोचने की बात आती है तो मंत्री महोदय को और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को ही इस बारे में सोचना पड़ता है। संघ किसी मांग को नहीं उठाता। ऐसी स्थिति क्यों है? मुझे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि रेलवे कोई रियासत नहीं है। यह भारत सरकार का एक विभाग है और हम यह आशा करते हैं कि इसमें कम से कम रक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों की तरह समानता हो।

अन्य सरकारी विभागों में जहां संघ अपना बहुमत दिखा सकती है वहां उसे मान्यता मिल जाती है। यदि आप गुप्त मतदान नहीं करवा सकते तो यह पता लगाने के लिए की क्या एक संघ एक विशेष विभाग का प्रतिनिधित्व करता है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न न करने के लिए जिसमे आप श्रमिकों को अधिक बोनस देकर सन्तुष्ट कर देते हैं और यह समझते हैं कि आप इसे जारी रख सकते हैं, कम से कम आप जांच तो करवा ही सकते हैं। इससे न आपके दल को फायदा होगा और न ही सरकार को यह किसी भी समय ध्वस्त हो जायेगा।

मैं बजट का स्वागत करता हूं यद्यपि मैंने इसकी आलोचना की है और प्रशंसा भी की है। मुझे

विश्वास है कि इस वर्ष मंत्री महोदय कुछ मांगों के बारे में विचार करेंगे सलेम को इस कारण कुछ रियायतें देने से इन्कार नहीं करेंगे कि मैंने कुछ कमियों का उल्लेख किया है। हो सकता है कि मैंने रियायतें प्राप्त करने के लिए जनता के अपने मित्रों की भांति मंत्री महोदय को खुश न किया हो। परन्तु मेरी इच्छा मंत्री महोदय को अपने मुद्दे समझाने की है और मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात समझ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें अन्ततः सदस्यों के झूठे समर्थन की नहीं अपितु वास्तविक समर्थन की आशा है।

हिन्दी

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं रेलवे मंत्री जी के रेलवे बजट का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह रेलवे बजट निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत उत्तम है। सभी हलकों में यह प्रशंसनीय रहा है इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रो॰ दंडवते जी से लेकर महफूज अली खां तक ने इसकी तारीफ की है। जो इसका विरोध और आलोचना कर सकते थे उन्होंने यह न करके इसकी तारीफ की है। हमारा तो कहना ही क्या, हम जो इसकी तारीफ ही करेंगे।

रेलवे बजट पर, रेलवे की मांगों के ऊपर बोलने का मुझे कई बार मौका मिला है। एक बात जो हमारी बात रही है उसको मैं माननीय रेल मंत्री जी के इस भाषण से भी कोट करता हूं—

"देश के आर्थिक विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि का आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उपयोग परिवहन द्वारा ही किया जाता है। इसी से उद्योग और कृषि उद्योगों का विकास होता है। इसी से व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है और यही श्रम और पूंजी को नयी सीमाएं खोजने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमारा निष्पादन केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, अपरिहार्य भी है। हमारे देश में रेलवे, परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है और इसीलिए इसकी भूमिका एक नया आयाम प्राप्त कर लेती है।"

इसी संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण के 8 से 14 पैराग्राफ कई बार पढ़े हैं। यह सोच कर पढ़े हैं कि उनमें हमारी बातों का कहीं जिक्र होगा क्योंकि मंत्री जी ने बहुत सारे काम किये हैं, नयी रेल लाइनें दी हैं, लाइनों के कंवर्शन भी किये हैं।

लेकिन बहुत दुखद बात है कि पिछली बार रेल बजट भाषण पर मैंने मुख्य रूप से मूल बातें कहीं थीं जिनको कि स्वीकार किया जाना चाहिए था। मैंने कहा था कि जितनी भी प्रदेशों की राजधानियां हैं उनको बड़ी लाईन से जोड़ा जाना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जयपुर की मीटरगेज लाईन के कंवर्शन के लिए उन्होंने सर्वेक्षण की बात कही है और हमारी बात को मंजूर किया है। दूसरी बात मैन यह कही थी कि सभी जिलों को रेल से जोड़ा जाना चाहिए। इसका फैसला अभी नहीं किया है जो कि किया जाना चाहिये। रेली के विस्तार के सम्बन्ध में इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन वहां पर किया जा रहा है जहां पर पहले से सुविधाएं हैं, उनको आप बढ़ा रहे हैं, सक्षम कर रहे हैं, दुगना और तिगुना कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, वहां के लोग तरस रहे हैं, यह कोई न्याय-पूर्ण बात नहीं है, इसके ऊपर मंत्री महोदय को गौर करना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं अपने जिले की बात करता हूं। राजस्थान के 27 जिलों में से शायद एक मात्र मेरा ही ऐसा जिला है जो रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि मेरे चारों तरफ के जिले, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर, ये चारों जिले रेल से जुड़े हुए हैं, विकसित और समृद्ध हैं। सन 1950 में मैंने सवाई माधोपुर को देखा था तो वह एक छोटी सी जगह थी, लेकिन वहां पर रेलवे आई और वहां का विकास हुआ, आज आप देखिये तो पहचानने में नहीं आता है। हमारी स्थिति गरीब से गरीबतर होती जा रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि टोंक को अवश्य रेल से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, अभी

आप सर्वे करा रहे हैं बी० जी० में कनवर्ट कराने के लिए सवाई माधोपुर से जयपुर तक का, उसको थोड़ा सा मोड़ देकर टोंक तक कर दिया जाना चाहिए। अगर यह बड़ी हो जाती है तो एक सीधी लाइन भी दी जा सकती है अजमेर तक इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अजमेर, मारवाड़ा पूरा बी जी लाइन से वंचित है, उसके अभाव से वहां पर बहुत दिक्कत है, इस पर गौर करना चाहिए।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जयपुर से टोडा रायसिंह एक लाइन है, जनता पार्टी रिजीम से दुर्भाग्यवश इस लाइन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था, जब हम आए तो इस समय सेठी जी रेल मंत्री थे, हमने उनसे निवेदन किया और एक ट्रेन वहां पर चालू रहने दी, जबकि पहले वहां पर दो ट्रेन चला करती थी। लोगों को बस से आना जाना पड़ता है और रेल बस के किराए में एक-ढाई का अंतर है, इसलिए मेरा निवेन है कि फिर से यहां पर दो ट्रेन चलाई जानी चाहिए। इसके विषय में जब हम लिखते हैं तो कहा जाता है कि यह अन-इकनामिक है। नेचुरल बात है कि जब आप ट्रेन को ले जाकर जंगल में खड़ा कर देंगे तो वह अपने आप अनइकनोमिक हो जाएगी। आप इसको भीलवाड़ा तक क्यों नहीं बढ़ाते, इसका सर्वे भी हो चुका है और व्यास जी ने पचासों बार इसका जिक्र किया है। अगर इसको भीलवाड़ा तक बढ़ाया जाएगा तो यह अन-इकनामिक भी नहीं रहेगी और लोगों को भी सुविधा होगी। इसलिए इसको केंकड़ी से निकालकर भीलवाड़ा तक बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों हमारे पिछड़े क्षेत्र का दौरा किया था और अश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र को रेल नक्शे में लाया जाएगा। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री जी के आश्वासन की ओर गौर फरमाया जाए और हमारे जिले को रेलवे नक्शे में लाया जाए तथा केंकड़ी से भीलवाड़ा तक रेलवे की सुविधा प्रदान की जाए।

इसी तरह से आप फुलेरा तक बी जी लाइन कन्वार्ट कर रहे हैं, यह मेरे क्षेत्र में आता है। यह बहुत बड़ा जंक्शन है, रेल जगत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहां के निवासियों की कुछ दिक्कतें हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दिल्ली से जोधपुर, दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम व मंडोर एक्सप्रेस जो जहां पर रूकती है, इनके आरक्षण और बुकिंग की सुविधा यहां पर दी जानी चाहिए। पन्द्रह अप-सोलह डाउन चेतक एक्सप्रेस का भी फुलेरा स्टेशन से आरक्षण रखा जाना चाहिए। गरीब-नवाज़ भी दिल्ली से उदयपुर तक जाती है। इसमें भी फुलेरा से आरक्षण और टिकट वितरण की सुविधा होनी चाहिए। फुलेरा जंक्शन पर पता नहीं कहां से तेल बहता रहता है। उसको दिखवाया जाए जिससे इस तेल का बहना रूक सके। अगर किसी बजह से नितान्त आवश्यक है तो उससे लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने जयपुर निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक पुल का शिलान्यास किया है। उसके लिए सभी लोग अनुग्रहित हैं। रेल बजट के लिए आपकी तारीफ करता हूं लेकिन हमारे टोंक के लोग आपकी तरफ नजरें बिछाए बैठे हैं कि वहां भी आप रेल की सुविधा प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और रेल बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सदस्य ने माननीय रेल मंत्री की प्रशंसा की है। निसन्देह मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु जहां तक वर्तमान बजट का सम्बन्ध है यदि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता तो मैं उनकी भारी क्षति करूंगा।

महोदय दक्षिण के समाचार पत्रों में भी यह उल्लेख है कि वर्तमान रेलवे बजट में दक्षिण के साथ अनुपयुक्त व्यवहार किया जा रहा है। कर्नाटक के प्रत्येक समाचार पत्र में यह कहा गया है कि कर्नाटक राज्य की उपेक्षा की गई है।

रेल मंत्री के बजट भाषण को सुनना अच्छा लगा था परन्तु उसकी विषय-वस्तु निराशाजनक है। उन्होंने कितने अच्छे ढंग से लोगों पर 1,000 करोड़ रुपये के कर लगा दिये हैं। गत 3 वर्षों से रेलवे ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कर लगाये हैं। बजट की गहराई से जांच करने पर ही इस बात का पता चलता है। उन्हें इस का खंडन करने दीजिये। माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है। निश्चित रूप से मैं उनकी समस्याओं से पूर्णतः अवगत हूं। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने रेलवे की उपेक्षा की है। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि जब तक रेलवे का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता।

मेरे राज्य के लिए इस बजट में एक-दो अच्छे कार्यों की व्यवस्था करने के लिए मैं रेल मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मैसूर-बंगलौर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और नई लाइन उडूपी-मंगलौर पर कार्य आरम्भ करने के लिए 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

एक अन्य रेलवे लाइन चिगदुर्ग-रायगढ़ है जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री जाफर शरीफ ने किया है, इस लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। केवल 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है कि संशोधित बजट में माननीय मंत्री इस रेलवे लाइन के लिए अधिक धनराशि देंगे।

माननीय मंत्री ने बहुत सी नई रेलगाड़ियों, बहुत सी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और बहुत से सर्वेक्षणों के बारे में घोषणा की है। हमारी महिला सदस्या श्रीमती सिद्धार्थ तारा देवी यह आग्रह करती रही हैं कि गत कई वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण लाइन बंगलौर-मिराज को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को आरम्भ नहीं किया गया है। कामराजनगर-मेट्टुपालयम हुबली-गरवार और कोट्टूर-हरिहर लाइनों के सर्वेक्षण के लिए आदेश नहीं दिये गये हैं। इससे कर्नाटक के लोग बहुत असन्तुष्ट हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री लोगों की भावनायें जानते हैं। कर्नाटक में आजकल भी आन्दोलन चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री को यह चेतावनी देता हूं क्षेत्रीय असन्तुलन हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं उनकी समस्यायें जानता हूं। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु वर्तमान वित्त व्यवस्था में ही उन्हें इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र और विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता मिले।

एक पृथक जोन के लिए कर्नाटक के लोगों की लम्बे अरसे से मांग चली आ रही है। इसे रेलवे अभिसमय समिति और रेलवे सुधार समिति ने भी स्वीकार कर लिया है। हम हर वर्ष इसके लिए आग्रह करते हैं। मुझे एक रिपोर्ट से पता लगा था कि मंत्री महोदय इस बारे में विचार कर रहे हैं। परन्तु हमें यह जानकर निराशा हुई कि बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां तक बंगलौर-मद्रास लाइन को दोहरा करने की बात है, व्हाईट फील्ड और कुप्पम के बीच यह लाइन दोहरी नहीं है। महोदय, आप यह जानते हैं कि बंगलौर और मद्रास दक्षिण के महत्वपूर्ण शहर हैं। इस लाइन पर बहुत अधिक यातायात है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तुरन्त ही इस शेष भाग को दोहरा किया जाये।

जब रेल मंत्री महोदय ने मुझे यह लिखा था कि बंगलौर रेलवे स्टेशन को एक माडल रेलवे स्टेशन बनाया जायेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। परन्तु बजट भाषण में यह कहा गया है कि इस पर

केवल कुछ लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं। इस माडल स्टेशन योजना में रेलवे आरक्षण केन्द्र को भी सम्मिलित किया गया है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि माडल स्टेशन योजना के बारे में विचार करने से बहुत पहले ही रेलवे आरक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया था।

यदि आप बंगलौर रेलवे स्टेशन देखें तो आपको यह पता लगेगा कि वहां लगभग आधे प्लेटफार्मों पर कोई शेड नहीं है। परिणामस्वरूप लोगों को बरसात के मौसम में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रोड गेज और मीटर गेज दोनो लाइनों पर ही यही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि बंगलौर रेलवे स्टेशन को वास्तव में एक माडल स्टेशन बनाने के लिए मंत्री महोदय पर्याप्त धन की व्यवस्था करें।

हसन-मंगलोर एक अन्य महत्वपूर्ण लांइन है। यह एक छोटी लाइन है। यह रेलवे इन्जिनियरों की एक चमत्कारपूर्ण उपलब्धि है। परन्तु इसमें केवल यह गलती कर दी गई कि इसे बड़ी लाईन नहीं बनाया गया। यह•कहा गया है कि जब मगंलौर तेल शोंधन कारखाना चालू हो जायेगा तो पैट्रोल उत्पादों को पाइपलाइन के बजाय बड़ी लाइन से ले जाना सस्ता पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वे इस बारे में विचार करें। हुब्ली-कारवार एक महत्वपूर्व रेल लाइस है क्योंकि वहां नौसेना अड्डा बनाया जायेगा। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस लाइन पर भी विचार करें। हुबली-कारवार एक महत्वपूर्व रेलवे लाइन है क्योंकि वहां नौसेना अड्डा बनाया जायेगा। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस लाइन पर भी विचार करें।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि स्लेम बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए।

मैं यही मुद्दे उठाना चाहता था। मैं प्रतिदिन मंत्री महोदय के साथ पत्र व्यवहार कर रहा हूं और वह जानते है कि मैं क्या चाहता हूं। बेहतर होगा कि इस संसद का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले वह हमारा कुछ भला करें ताकि हम खुशी से वापस जा सकें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय निश्चित रुप से कर्नाटक की जनता की माँगों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ चन्द्रभानु देवी (बलिया): आदरणीय अपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसकी मैं आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं समस्त भारत की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वर्ष 1989-90 के रेलवे बजट में यात्रियों के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं बढ़ाया है। रेल मंत्रालय की वर्तमान आवश्यकताओं तथा उनके भविष्य के विकास की दर को देखते हुए यह एक अत्यन्त साहसिक कदम है।

माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो वृद्धों, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं और देश की रक्षा एवम् सेवा के लिए पुरस्कृत सैनिकों और पुलिस कर्मियों इत्यादि को यात्रा दरों में छूट प्रदान की है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

विगत कुछ वर्षों में रेल मंत्री द्वारा यात्री सुविधाओं के विषय जो आश्वासन दिये गये है उनको फलीभूत होता देखकर हमें हर्ष होता है और यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1989-90 में भी यात्री सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर लगभग 25 करोड़ रूपये कर देने का प्रस्ताव है। रेल सेवाओं में चुने हुए स्थानों पर कम्प्यूटरीकरण के लाभों से कौन अवगत नहीं है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि कम्प्यूटरीकरण का अन्य कई स्थानों पर भी विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे निश्चय ही रेल सेवाओं में और सुधार होने की आशायें बढ़ती हैं।

माननीय मंत्री जी ने रेलों में दुर्घटनाएं कम करने के लिये, रेलवे द्वारा किये जाने वाले प्रयासों का विवरण दिया है, जिससे हम सभी आश्वस्त हुए हैं। तथापि मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि पिछले

— 32 51/21/25189 -10

वर्षों में जहां दुर्घटना दर में अप्रत्याशित सुधार प्रशंसनीय है, वहीं रेलवे का लक्ष्य भविष्य में न केवल दुर्घटना को कम करना हो बल्कि दुर्घटना रहित यात्री सेवा प्रदान करना होना चाहिये। इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिये हम सभी की शुभ-कामनाएं माननीय रेल मंत्री जी के साथ हैं।

अब मैं व्यक्तिगत रुप से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगी। यों तो मेरे क्षेत्र में रेलों का काफी विस्तार हुआ है, मेरे क्षेत्र का काफी विकास हुआ है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से तथा बलिया की जनता की ओर से रेलमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन हमारी जनता की कुछ मांगें काफी समय से चली आ रही हैं, जिनकी ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। पटना के रास्ते कटिहार और दिली के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने का आपने प्रस्ताव किया है, इसके सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि उसका ठहराव बेगुसराय और लखमिना में अवश्य होना चाहिये। नवादा में नया हाल्ट बनाया जाना चाहिये और जीरो माइन्स में भी नया हाल्ट खोलने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं पिछले दो-तीन सालों से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करती आ रही हूं। मौर्य का ठहराव बछवाड़ा में होना चाहियो। एक शहीद एक्सप्रेस चलती है जो दिल्ली से गोरखपुर तक जाती है। हमारे रेल उपमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि यदि वे कुछ कृपा कर दें, उस ट्रेन को बरौनी तक बढ़ा दें तो हमारे क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिल जायेगी। बरौनी काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर सुन्दर बजट पेश करने के लिये रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रशंसनीय बजट के लिए रेल मंत्री को बधाई देता हूं। कुछ विशेष मुद्दों का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

यात्री किराये में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है। यद्यपि रेल भाड़े में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है परंतु कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं को छूट दी गयी है जिसका आम आदमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। केवल उन वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि की गयी है जिनका आम आदमी के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है।

जहां तक द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले, 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, पुलिस और राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले, परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र पाने वाले लोगों को दी गयी रियायतों का संबंध है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। जहां तक परमवीर चक्र पाने वाले लोगों का संबंध है, मेरा सुझाव है कि उन्हें द्वितीय श्रेणी के 3-टियर वाले रेल डिब्बे में सफर करने के लिए रेलवे पास देने के बजाए मंत्री महोदय उन्हें प्रथम श्रेणी के 3-टियर वाले रेल डिब्बे में सफर करने के लिए रेलवे पास देने के संबंध में विचार करें, चाहे वह स्वयं पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति हो अथवा उसकी विधवा हो क्योंकि परम वीर चक्र अधिकांशतः उन लोगों को दिया जाता है जो दुश्मन का बहादुरी से सामना करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

रेल मंत्री के अधीन रेलवे सेना की तरह है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतोष की बात है कि मंत्री से लेकर गैंगमैन तक रेलवे में जो टीम की भावना है वह अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों में नहीं है। मैं आशा करता हूं, कि वे रेलवे से यह सीखेंगे कि एक पूर्ण टीम देश के हित में किस प्रकार कार्य कर रही है।

मैं समझता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को पहली बार इतनी अधिक रियायतें और सुविधायें प्रदान की गयी हैं तथा आवास निर्माण और प्रशिक्षण के द्वारा सुविधायें दी गयी हैं। चार सौ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। उत्पादकता का आधार पर बोनस से निश्चित रूप से लोगों को प्रोत्साहन मिला है। बारह केन्द्रीय विद्यालय

खोले गये हैं। परंतु मेरे विचार से और अधिक केन्द्रीय विद्यालय विशेषतः कटनी जैसे उन स्थानों पर खोलने की आवश्यकता है जहां रेलवे के कार्यों का विकास हुआ है और उन कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो शहरों से दूर रह रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कार्मिक संबंध अत्यधिक शांतिपूर्ण हैं। जहां बहुत अधिक रेलवे कर्मचारी हैं वहां व्यवहारिक रूप से विगत तीन वर्षों से श्रमिक असंतोष नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय के विचार हेतु कुछ बातों का सुझाव देना चाहता हूं।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण देने की सरकार की नीति है मुझे शंका है कि रेलवे में इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। यदि इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है तो 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे का संबंध है, परिवार नियोजन के अभियान को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 41 पर भी स्पष्ट है कि गर्भ निरोधक दवाइयां देने में भी गिरावट आयी है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि जहां तक परिवार कल्याण अभियान का संबंध है उसके लिए गर्भ निरोधक दवाईयां देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों की तरह कुछ और प्रोत्साहन किये जाने चाहिए।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है, यह बड़े संतोष की बात है कि रेलवे में इसे प्राथमिकता दी जा रही है। परंतु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसे अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा योजना आयोग को उन सभी आधुनिक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए राजी किया जाना चाहिए जो विकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देशों में अपनाये जा रहे हैं। भारतीय रेलवे को ये उपाय कार्यान्वित करना चाहिए। दुर्घटना के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विगत वर्षों में गिरावट आयी है तथा प्रत्येक वर्ष गिरावट आयी है, रेलवे के कार्य मे यह स्पष्ट है कि रेलवे यात्रा प्रत्येक दिन सुरक्षित होती जा रही है परंतु इसे नितांत सुरक्षित बनाने के लिए यह वांछनीय है कि भारतीय रेलवे में अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां तक मेरे क्षेत्र का संबंध है, मेरी छोटी सी सिर्फ तीन मांगें हैं जिन्हें मेरे विचार से मैं यहां व्यक्त नहीं कर सकता हूं। परंतु महाकौशल एक्सप्रेस के प्रस्थान के संबंध में अफवाह है कि 1 अप्रैल से यह जबलपुर से 12 बजे चलेगी इसलिए मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह ट्रेन उसी समय चलनी चाहिए जैसे अब चल रही है। यदि यह पहले चलेगी तो यह जबलपुर से 2 बजे चल कर दिल्ली 9 बजे तक पहुंचेगी इस प्रकार दिल्ली आने वाले यात्री संपूर्ण दिन बचा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा जबलपुर में अफवाह फैल रही है कि रेलवे बोर्ड ने आदेश पारित कर दिया है कि महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से 12 बजे चलेगी जो जबलपुर से चलने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने एक नयी ट्रेन शुरू की है जो जबलपुर से होती हुई जायेगी। मेरा सुझाव है कि इस ट्रेन को जबलपुर के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। जबलपुर पर आरक्षण के लिए दोनों तरफ से द्वितीय श्रेणी का द्वितीय-टियर डिब्बा नियत किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रेन जबलपुर सि होती हुई जायेगी जो पारगमन स्टेशन है परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को वह सुविधा नहीं दी गयी है जिसका मंत्री महोदय ने विचार किया था। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार जी०टी० एक्सप्रेस में भोपाल से मद्रास तक दोनों तरफ से एक डिब्बा आरक्षित रहता है उसी प्रकार इसमें भी इस स्थान से आरक्षण किया जा सकता है।

कुछ दिन पहले जबलपुर-गोंदिया ट्रेन में दुर्घटना हुई थी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। मैं दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। परंतु मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्तियों तथा मृतकों के संबंधियों को जो सहायता दी

गयी वह प्रशंसनीय है। मैं रेलवे को बधाई देना चाहता हूं ताकि जहां तक दुर्घटना के पश्चात रेलवे के कार्यों का संबंध है,रेलवे स्टाफ तथा रेलवे अधिकारी... **(व्यवधान)** 6.00 म॰ प॰।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अजय मुशरान: मैं अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

पांच साल पहले भी इस नैरो गेज लाइन पर एक दुर्घटना हुए थी जिसमें लगभग 120 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से इस लाईन को बड़ी रेल लाईन में बदला किया जायगा क्योंकि दुर्घटना के अगले दिन मंत्री महोदय ने स्वयं देखा था कि इस रेलमार्ग पर यात्रा असुरक्षित किस प्रकार हो सकती है । यह निश्चय किया गया कि 1980 के मध्य में उसका सर्वेक्षण कराया जाए। पूर्ण सर्वेक्षण किया गया परन्तु यह निर्णय किया गया कि यह अलाभप्रद है । मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न का यह जबाव दिया है । मैं व्यक्ति-गत रूप से अनुभव करता हूं कि सुरक्षा आपकी योजना की अर्थव्यवस्था के अनुरुप वहीं होनी चाहिए। जहां तक यातायात और संचार का सम्बन्ध है यदि आपकी परियोजनाओं से उस भाग में सुरक्षा होती है जहां दूसरे क्षेत्रों से बड़ा रेलमार्ग है तो उसी रेलमार्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां 50 वर्षों से नैरो गेज लाईन है । तैयार परियोजनाओं के सम्बन्ध में अलाभप्रद बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि चूंकि उन्होंने नुकसान, रेलवे सम्पत्ति की क्षति और मानव जीवन की हानि को देखा है इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि बड़ी लाइन नहीं तो कम से कम इस लाईन को विशेष कर जबलपुर और गोंदिया के बीच और यदि गोंदिया तक नहीं तो कम से कम जबलपुर से नैनपुर तक मीटर गेज लाईन में बदला जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश स्थानीय यातायात हमेशा जबलपुर और गोंदिया के बीच होता है । परन्तु जबलपुर और गोंदिया के बीच बड़ा जोखिम पूर्ण है। **(व्यवधान)** नैनपुर के बाद रेलमार्ग कम घुमावदार और सीधा सपाट है । इसलिए मैं आशा करता हूं कि वह अपने जबाब में इन छोटी बल्कि उचित मांगों के सम्बन्ध में पक्का आश्वासन देंगे।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो प्रशंसनीय है और सम्पूर्ण देश में इस बजट की प्रशंसा हुई है तथा मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में वह इस कार्य को जारी रखेंगे जो उन्होंने 1985 में शुरू किया था।

6.04 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 8 मार्च 1989 / 17 फाल्गुन 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई

पांच साल पहले भी इस नैरोगेज लाइन पर एक दूर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 120 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उस समय तत्कालीण रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा की दृष्ठि से इस लाइन को बड़ी रेल लाइन मऐ बदला जायेगा क्योंकि दूर्घटना के अगले दिन मंत्री महोदय ने स्वयं देखा था कि इस रेलमार्ग पर यात्रा असुरक्षित किस प्रकार हो सकती है। यह निश्चय किया गया कि 1980 के मध्य में इसका सर्वेक्षण कराया जाए। पूर्ण सर्वेक्षण किया गया वस्तु यह निर्णय किया गया कि यह लाभप्रद है। मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न का यह जवाब दिया है। मै व्यक्ति गत रुप से यह अनुभव करता हूँ कि सुरक्षा आपकी योजना की अर्थव्यवस्था के अनूरूप नहीं होनी चाहिए जहां तक यातायात और संचार का सम्बन्ध है यदि आपकी परियोजनाओं से उस भाग में सुरक्षा होती है जहां दूसरे क्षेत्रों से बड़ा रेलमार्ग है, तो उस रेलमार्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां 50 वर्षों से नेरोगेज लाइन है तैयार परियोजनाओं के सम्बन्ध में अलाभप्रद बात पर ध्यान नहीं दना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रुप से अनुरोध है कि चूँकि उन्होंने नुकसान, रेलवे सम्पत्ति की क्षति और मानव जीवन की हानि को दोखा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि बड़ी लाइन नहीं

तो कम से कम इस लाइन को विशेषकर जबलपुर और गोंदिया के बीच और यदि गोंदिया तक नहीं तो कम से कम जबलपुर से नैनपुर तक मीटर गेजलाइन में बदला जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश स्थानीय यातायात हमेशा जबलपुर और गोंदिया के बीच होता है। परन्तु जबलपुर और गोंदिया के बीच बड़ा जोखिमपूर्ण है।(व्यवधान) नैनपुर के बाद रेलमार्ग कम घुमावदार और सीधा सपाट है। इसलिये मै आशा करता हूँ कि वह अपने जवाब में इन छोटी बल्कि उचित माँगों के सम्बन्ध में पक्का आश्वासन देंगे।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो प्रशंसनीय है और सम्पूर्ण देश में इस बजट की प्रशंसा हुई है तथा मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में वह इस कार्य को जारी रखेंगे जो उन्होंने 1985 में शुरु किया था।

6.04म०प०

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 8 मार्च 1989 / 17 फाल्गुन 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिये स्थगित

पी०एल०एस०—48/46/10/89 (एन०)

185

© 1989 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) के
नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय फोटोलिथो यूनिट मिंटो रोड
नई दिल्ली दवारा मुद्रित।